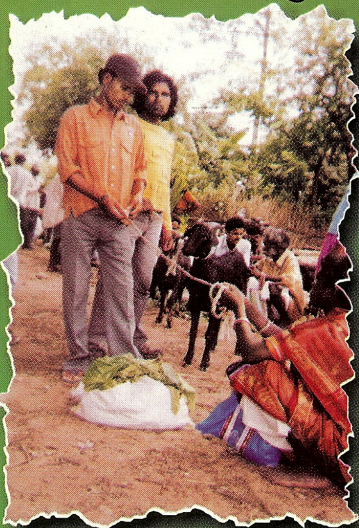
जनजातियों का शोषण

डॉ. सत्यनारायण मुण्डा









के. के. पब्लिकेशन्स

BVP - 2731
4/3/19

3/8

जनजातियों का शोषण

(एक मानववैज्ञानिक अध्ययन)

सप्रेम भेंट!
पुस्तकालय के लिए
भारतीय भाषा संस्थान
(सी आई आई एल)
हुनसूर मार्ग, मानसगंगोत्री,
मैसूरु - 570006, कर्नाटक

17/01/2019
प्रो० सत्यनारायण मुण्डा
कुलपति
DSPMU
Ranchi.

लेखक

डॉ० सत्यनारायण मुण्डा

अध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग

राँची कालेज

राँची विश्वविद्यालय, राँची (झारखण्ड)

के० के० पब्लिकेशन्स

प्रथम संस्करण : 2009

मूल्य : रु० 250.00

ISBN : 978-81-87568-35-3

प्रकाशक : के० के० पब्लिकेशन्स
618, कटरा, इलाहाबाद – 211002 फोन : 0532-6452973

मुद्रक : एकेडेमी प्रेस, इलाहाबाद

दो शब्द

सत्यनारायण मुण्डा द्वारा लिखी गई पुस्तक **"जनजातियों का शोषण"** से सरलतम समाज से जुड़े लोगों की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक स्तर–स्थिति, कमियाँ एवं आवश्यकताएँ परिलक्षित होता है। पुस्तक द्वारा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भौगोलिक परिदृश्य के आलोक में नातेदारी (साकी कुपुल/सहिया/करमडाइर) की उपयोगिता, जनजातियों की समस्याऐं, जागरुकता एवं आवश्यकताएँ चिन्हित होता है। पुस्तक में प्रयासों के बावजूद देश के अवधारणा के आलोक में जनजातियों को अपेक्षित लाभ न मिल पाना दर्शित होता है।

निःसन्देह पुस्तक छात्रों, शोधकर्त्ताओं, बुद्धिजीवियों, समाज–सेवियों, प्रशासकों, झारखण्ड राज्य तथा देश के लिए उपयोगी होगा, नई तथ्यों की जानकारी होगी तथा समस्याओं के समाधान के आलोक में सहयोगी एवं महत्वपूर्ण होगा।

अतः सत्यनारायण मुण्डा द्वारा लिखी गई पुस्तक के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ।

(डॉ० ए० बी० शरण)
सेवानिवृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
मानवविज्ञान विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची

आभार शब्द

मेरे गुरु एवं सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉ० ए०बी० शरण का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे आदिवासी समाज की कमजोरियों, समस्याओं, मनःस्थिति तथा शोषण से सम्बन्धित मेरी जानकारी एवं विचारों को लोकहित में किताब के रुप में संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

मेरे गुरु एवं विश्वविद्यालय प्रोफेसर स्व० डॉ० माखन झा के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने संकलित तथ्यों को किताब के रुप में प्रकाशित करने के लिए अपने जीवनकाल में मुझे प्रोत्साहित करते रहे।

मैं अपने परम आदरणीय गुरु एवं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्व० डा० ललिता प्रसाद विद्यार्थी, सेवानिवृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉ० के० एन० सहाय, डॉ० नारायण मिश्रा, स्व० डॉ० विजय शंकर उपाध्याय, डॉ० ए० आर० एन० श्रीवास्तव, डॉ० पी० दास शर्मा, डॉ० ए० एन० एस० संधवार एवं प्रोफेसर वाई० के० जयसवाल का आभारी हूँ जिनका मैं शिष्य रह चुका हूँ।

मैं सेवानिवृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉ० ए० के० हलधर का आभार प्रकट करता हूँ जिनके लगनशीलता से प्रेरित होता रहा। मै स्व० डॉ० सीता टोप्पो के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिनसे बौद्धिक विमर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ।

मैं इस पुस्तक के लिए तमाम बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों, पत्रकार साथियों का आभार प्रकट करता हूँ जिनके सम्पर्क में रहकर मेरे विचारों को बल मिला।

अंत में मैं भूतपूर्व कुलपति एवं विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉ० रामदयाल मुण्डा का आभार प्रकट करता हूँ जो कि लिखित सामग्रियों के प्रकाशन पर बल देते रहे। मै श्री बी० एन० सेन का आभारी हूँ जिन्होंने पुस्तक प्रकाशित करने के लिए बारम्बार प्रोत्साहित किया।

अन्त में सहयोग के लिए श्री सुरेश कुमार मुण्डा एवं मैं अपने परिवार के सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

डॉ० सत्यनारायण मुण्डा

विषय-सूची

1 अध्याय

विषयवस्तु पर अध्ययन करने का महत्व

पंचपरगना क्षेत्र-बुण्डु, तमाड़, सोनाहातु, सिल्ली, अनगड़ा (राँची) मुण्डा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। बूढ़े-बुजुर्ग सूचनादाताओं के अनुसार सन् 1960 ई0 से 1965 ई0 तक अनेक पण्डा गाँव में भविष्यवाणी करने के लिए आया करते थे। वे गाँवों के लोगों से ग्रहों के दुष्प्रभाव के निवारण के लिए अर्थात् अच्छे शकुन दिलाने के नाम पर सोना दान, गो-दान एवं ब्राह्मण भोज के नाम पर पैसा ऐंठते थे। बेचारे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी बकरी, मुर्गी बेचकर एवं जमीन बन्धक रखकर पण्डाओं के आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। पंचपरगना क्षेत्र हिन्दू धर्म से प्रभावित है। फलतः इस क्षेत्र के "मुण्डा" आदिवासी भी लगभग 1850-1900 ई0 के आस-पास एवं उससे पहले से ही शादी-ब्याह एवं मृत्यु-संस्कार के अवसर पर जमीन्दारों का नकल करते हुए ब्राह्मणों के माध्यम से पूजा-पाठ करने लगे हैं। फलतः अब ऐसी परम्परा बन गई है कि शादी मण्डप में वर-कन्या की शादी के अवसर पर ब्राह्मण तब तक शादी नहीं कराता है, जब तक कि वह अपने इच्छानुसार वर पक्ष से पैसा, सोना दान, बासन (काँसा, पीतल) दान, भूमि दान इत्यादि के नाम पर नहीं ले लेता है अर्थात् शादी के नाम पर पूजा करने के क्रम में ब्राह्मण अलग-अलग देवी-देवताओं के नाम पर अलग-अलग रकम लेना चाहते हैं। वर पक्ष वाले उनकी माँग को पूरा जब तक नहीं करते हैं, तब तक शादी नहीं होती है। फलतः वर-कन्या, अन्य कुटुम्ब-बन्धु एवं बाराती सात-आठ घण्टे तक बेकार बैठे रहते हैं। सभी लोग ब्राह्मण का मुँह ताकते रहते हैं। प्रायः वर पक्ष वाले ब्राह्मण को राजी कराने, मनाने में लगे रहते हैं।

इस तरह से समय की बर्बादी एवं ब्राह्मणों द्वारा पूजा के नाम पर मनमानी ढंग से रूपया ऐंठते हुए देखा जाता है। कई गरीब वर पक्ष एवं कन्या पक्ष वालों को ऐसी परिस्थिति में तुरन्त उधार-पैंचा करते हुए भी देखा जाता है। इसी तरह से मृत्यु-संस्कार के अवसर पर भी ब्राह्मण विभिन्न देवताओं को खुश करने के नाम पर पूजा के क्रम में दान स्वरूप जमीन, गाय, सोना, कांसे का बर्तन, चावल, चूड़ा इत्यादि ले लेते हैं।

प्रायः पंचपरगना क्षेत्र के पहाड़-पर्वत के निकट के मुण्डा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में परिवार के किसी सदस्य के मर जाने पर तमाड़ के जेगो-दुलमी एवं सोनाहातु के एड्रमहातु नामक गाँवों से पाटीदार आया करते हैं। वे मृत सदस्य के माता-पिता, पुत्र, भाई-बहन तथा अन्य सदस्यों को काली का चित्र, दुर्गा का चित्र दिखाते हुए भय पैदा करते हैं। पाटीदार कहते हैं कि मृत व्यक्ति की आत्मा ने मुझे भेजा है। उनकी आत्मा ने मुझे उनके खाने के बर्तन, वस्त्र, आभूषण, बकरी,

मुर्गी इत्यादि लेने के लिए कहा है। अतएव यदि आपलोग उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो घर के अन्य सदस्य भी बीमार हो जाऐंगे या मर जाऐंगे। पाटीदार हर तरह से मृत व्यक्ति के परिवार के लोगों की मन:स्थिति डर के रूप में बदलना चाहते हैं ताकि वे उनकी बातों को मानें। फलतः डर से लोग पाटीदार की बातों का विश्वास करते हुए बकरी, मुर्गी एवं कांसे का बर्तन दे देते हैं।

कई सूचनादाताओं द्वारा पता चलता है कि गाँव के नजदीक के बाजारों में बुण्डु, तमाड़ तथा अन्य स्थानों से आने वाले कई बनिया, सेठ-साहूकार सन् 1968 ई. से सन् 1978 ई. तक विशेष रूप से कई अनपढ़ महिलाओं एवं पुरूषों से जबरर्दस्ती लाह छीन कर खरीदते थे। फलतः लाह वजन में काफी घट जाते थे। दो मन लाह का वजन, कई बेइमान पाइकारों (लाह खरीदने वाले) द्वारा मात्र 20 सेर कर दिए जाते थे। लाह खरीदने के अवसर पर पांच-छः दलाल एक साथ रहते थे। फलतः अनपढ़ आदिवासी विरोध भी नहीं कर पाते थे। इसी तरह से बुण्डू में भी छोटे लाह के व्यापारियों द्वारा अनपढ़ आदिवासी ठगे जाते थे। समय के परिवर्तन के साथ एवं आदिवासी जैसे-जैसे जागरूक हो रहें हैं, इस तरह का व्यवहार कम हो रहा है। आज भी छिट-पुट रूप से आदिवासी पुरूष एवं महिलाऐं लाह के व्यापारियों द्वारा लाह छीने जाते हैं। साक्षात्कार लेने पर पता चला कि सन् 1975-77 ई0 में लाह का दर 25/- रूपए किलो था, सन् 1985 ई0 में लाह का दर 50/- रूपए किलो तथा सन् 1986 ई0 में लाह का दर 15-20 रूपए किलो था।

ज्यों-ज्यों पंचपरगना क्षेत्र के आदिवासियों का गहन अध्ययन कर रहा हूँ, मैं आदिवासी समाज की कमजोरियों से परिचित होता जा रहा हूँ, जिससे कि वे शोषित होते हैं। सन् 1965 ई0 से लेकर सन् 1975 ई0 तक इस क्षेत्र में मद्रासी लोन, डेढ़िया सूद, दबड़ा सूद, दो पैला सूद (एक रूपया में) इत्यादि का प्रचलन अत्यधिक था। इसके अतिरिक्त पाँच पैसा प्रति रूपया, प्रति महीना के हिसाब से गहना बन्धक, 10 पैसा के हिसाब से पेट्रोमेक्स एवं साइकिल बन्धक देने का प्रचलन भी जोरों से था। आज इसका प्रचलन पहले की तुलना में कम मात्रा में है।

प्रायः सरकार द्वारा आदिवासियों के उत्थान के क्रम में समय-समय पर अनेकों योजनाऐं लागू होते रहती हैं। सन् 1965 ई0 से लेकर 70-71 ई0 के बीच अनेक गाँवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की हैसियत से ब्लॉक की ओर से कुँआ मंजूर हुए, परन्तु अनेकों कुँआ का मात्र ढ़ाँचा देखने को मिलता है। प्रायः ब्लॉक की ओर से कुँआ खुदाई कराने वाले विशेषतः आदिवासियों से सुना जाता हैं कि सम्बन्धित अधिकारी पूरे पैसों का भुगतान के लिए घूस माँगते हैं। सन् 1958-69 ई0 से सन् 1974-75 ई0 तक कॉपरेटिव बैंक की ओर से इस क्षेत्र की जन-जातियों को कर्ज देने का प्रावधान था, परन्तु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देखा गया कि दूसरे व्यक्तियों के नाम से दलाल एवं मैनेजर पैसा निकाल लेते थे। पैसा नहीं लेने पर भी कई आदिवासियों के नाम से नोटिस पहुँचने लगा। कई आदिवासियों ने कर्ज लेने के बाद चुकता भी किया, परन्तु उनके नाम से कर्ज का बोझ ज्यों का त्यों बना रहता था। फलतः अनेकों आदिवासी सरकारी योजनाओं को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे।

काम के बदले अनाज प्रोग्राम के अन्तर्गत सन् 78-79-80 ई0 में अनेक क्षेत्रों में काम हुआ, परन्तु अनेक गरीब गैर आदिवासी, आदिवासी मजदूरों का पूरा भुगतान 1987 ई. तक नहीं हुआ था। समय-समय पर झगड़ा-झंझट जब ग्रामीण इलाकों में होता है, तो थानों के द्वारा न लोगों की

केवल सुरक्षा होती है, बल्कि थाने के कर्मचारी पैसे भी दोनों पक्षों से ऐंठने लगते हैं। इसके साथ ही साथ डकैती होने पर पुलिस चोरी का केस लिखने के लिए दबाव डालती है। अतः आज जनजातीय क्षेत्र के लोगों में भी यह भावना पनप रही है कि सरकारी कर्मचारियों को पैसा दिए बिना काम नहीं बनता है अथवा बड़े लोगों का ही काम बनता है।

इस क्षेत्र के जनजातीय मजदूरों को अच्छा काम दिलाने के नाम पर सन् 1963-65 ई0 से लेकर सन् 1980-82 ई0 तक मजदूरों का बेचा जाना आम बात हो गई थी। यह परम्परा आज भी जारी है। उपरोक्त दुखद घटनाओं से भी परिचित होता रहा। फलतः घटनाओं के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से Ph.D. (पी एच0 डी0) के लिए विषय वस्तु "राँची जिले के पंचपरगना की आदिवासियों के बीच शोषण" का चयन किया।

विषय-वस्तु से सम्बन्धित शोषण की घटनाओं, शोषण के कारणों एवं कमजोरियों के आधार पर इस क्षेत्र में रहने वाले सेठ-साहुकार, बनिया, धनी-मानी व्यक्तियों एवं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ढंग से शोषण करने वाले कई गैर - आदिवासी एवं आदिवासियों की मनोवृति को जाना जा सकता है। इतना ही नहीं? बल्कि विषयवस्तु के द्वारा उनकी सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताओं एवं कमियों का विश्लेषण करते हुए बतलाया जा सकता है जिससे कि बदलती हुई भ्रष्ट परम्पराओं का अनुकरण वे जल्द करते हैं। जल्द ही वे मात्र अपने स्वार्थ के लिए परम्पराओं से चलती आ रही ईमानदारी को छोड़ने लगते हैं। यही कारण है कि इस इलाके में नियुक्त छोटे-बड़े सरकारी कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत काम करने वाले छोटे कर्मचारियों एवं यहाँ की जनता का शोषण बुरी तरह करते हैं। आज प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय एवं उच्च विद्यालय के शिक्षकों का शोषण, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा एरियर बिल का भुगतान के नाम पर, नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के नाम पर खुले आम हो रहा है। जैसा कि बुढ़े-बुजुर्ग आदिवासी शिक्षकों से पता चलता है सन् 1960-65 ई0 के आस-पास इस तरह से खुले आम शिक्षकों का शोषण नहीं हो रहा था, परन्तु इस क्षेत्र के महतो, बनिया, साहू इत्यादि गैर आदिवासी सदस्यों के लोगों ने ही विशेषतः शिक्षा विभाग के अधिकारियों को घूस लेने का प्रलोभन दिया है। चूँकि वे किसी तरह से पैसा जुटाकर, घूस देकर अपनी नियुक्ति एवं स्थानान्तरण करा लेते थे। फलतः आज सभी वर्ग के लोग उसकी लपेट में हैं।

अतः मनुष्य का मनुष्य को शोषण करने की स्वभाविक प्रवृति रहते हुए भी लोगों की मनःस्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है, ताकि लोगों में शोषण करने की भावना घटे। इसके साथ ही गाँव के समुचित विकास एवं बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए हमारे देश में चलाए जा रहे "समेकित ग्रामीण विकास योजना" "Indian Rural Employment Programme" के माध्यम से आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए सभी लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिले। हालांकि आज (सन् 1985-86 ई0) भी इन योजनाओं के तहत जो सुविधाएं गरीब आदिवासियों को मुफ्त में दी जा रही हैं, कर्ज मुक्त या आधे कर्ज के भुगतान के रूप में दी जा रही हैं। उनमें से 20% से 30% – 50% तक रूपया सम्बन्धित अधिकारी मिलकर खा जाते हैं। फलतः अनेकों गरीब आदिवासी सरकारी योजनाओं से समुचित फायदा नहीं उठाते हैं। चूँकि सरकारी कर्मचारियों के तिकड़म से परिचित होने वाले आदिवासी कर्ज लेना नहीं चाहते हैं या तो 25-30% – 50% रूपया घूस देने में आनाकानी करने वालों को कर्ज मिलता ही नहीं है। फिर भी कई गरीब एवं मजबूर

आदिवासी सरकारी योजनाओं को सन्देह की दृष्टि से देखते हुए भी कर्ज ले ही लेते हैं। अतः विषयवस्तु के द्वारा अनभिज्ञ, शोषित एवं सुसुप्त उन आदिवासियों में भी चेतना पैदा की जा सकती है जो छोटे से बोतल को ले जाकर बाजार में किरासन तेल की दुकान पर चार रूपए में एक बोतल की माँग करते हैं। अतः मैं अध्ययन-अध्यापन से सम्बन्धित रहने एवं अनुसंधान के काम में रूचि रखने के कारण उनकी वास्तविक स्थिति से समाज को अवगत कराना चाहता हूँ।

उन लोगों की इन समस्याओं को दूर करने के लिए उनमें बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार अपने मूल नैतिक गुणों (ईमानदारी, दिलदार) को बरकरार रखते हुए परिवर्तन लाने की इच्छा रखता हूँ, गति लाने की कामना करता हूँ एवं अन्य लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्सहित करना चाहता हूँ ताकि वे देश के अच्छे नागरिक के रूप में योगदान दे सकें एवं देश का नए सिरे से पुर्ननिर्माण हो।

विषयवस्तु के माध्यम से जनजातियों के कल्याण के नाम पर सत्ता का दुरूपयोग कर रहे उन आदिवासी कर्मचारियों/अधिकारियों/राजनीतिज्ञों को सचेत किया जा सकता है, जो बिगड़ी हुई परिस्थिति का डट कर मुकाबला नहीं करते हैं, बल्कि परिस्थिति के अनुकूल स्वार्थ सिद्ध करने में भी नहीं हिचकते हैं। उन सभी ईमानदार, कर्मठ, इच्छुक एवं उत्साहित युवकों, छात्रों, सरकारी पदाधिकारियों, कर्मचारियों, समाज सेवी, राजनीतिज्ञ एवं बुद्धिजीवियों को विषयवस्तु से अवगत कराना चाहता हूँ जो नए भारत के पुर्ननिर्माण की कल्पना करते हैं।

मैं इस क्षेत्र की शोषण से सम्बन्धित घटनाओं के सम्बन्ध में सरकार को भी अवगत कराना चाहता हूँ ताकि सरकार ऐसी समस्याओं के बारे में सूक्ष्मता से चिन्तन करे, लोगों का उचित पथ प्रदर्शन करे एवं अपने कर्मचारियों पर सही अंकुश लगाए ताकि दीन-हीन जनता का विकास सही ढंग से हो। इतना ही नहीं? बल्कि मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि इस क्षेत्र से मिलते-जुलते पूरे भारतवर्ष के पिछड़े इलाकों का सूक्ष्मता से सर्वेक्षण करे, मार्ग दर्शन करे एवं देश के स्तर में लोगों की मनः स्थिति में परिवर्तन लाया जा सके ताकि हमारा देश आगे बढ़े एवं संसार में अपने देश का मान-सम्मान ऊँचा रहे। अंत में धैर्य एवं संयम से समस्याओं का चिंतन एवं सहानुभूतिपूर्वक हल निकालने में योगदान की अपेक्षा करता हूँ।

राँची जिले के पंचपरगना की आदिवासियों के शोषण से सम्बन्धित भूमिका

राँची जिले के पंचपरगना (बुण्डु, तमाड़, सोनाहातु, सिल्ली, अनगड़ा) में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों में मुण्डा, बाँस महली, बिरहोर, लोहरा, उराँव, पिछड़ी जातियों में कुर्मी, तेली, अहीर, बनिया, हजाम, कुम्हार, अनुसूचित जातियों में डोम, घासी, स्वाँसी, धोबी, चमार और अन्य जातियों में ब्राह्मण, गोसांईग, कायस्थ एवं पाटीदार या पाटीकार (चित्रकार) कहे जाने वाले जाति के लोग रहते हैं। यह क्षेत्र मुण्डा जनजाति बाहुल्य है। इस क्षेत्र के कई गाँवों में केवल आदिवासी रहते हैं, जबकि कुछ गाँवों में केवल आदिवासी और हरिजन रहते हैं और कई गाँवों में मिश्रित रूप से विभिन्न जाति एवं धर्म के लोग रहते हैं। फलतः इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का स्वभाव, मनःस्थिति, आचार-विचार एवं व्यवहार अलग-अलग है साधारणतः इस क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न समुदाय के लोगों में जनसंख्या के अनुपात से मुण्डा जाति के लोग ईमानदार, दिलदार, स्वाभिमान, छल-कपट की दुनिया से अपरिचित, कम पढ़े-लिखे एवं अशिक्षित हैं। पंचपरगना क्षेत्र में बुण्डु, तमाड़, सोनाहातु, सिल्ली एवं अनगड़ा जैसे छोटे-छोटे शहर भी हैं,

जहाँ से इन क्षेत्रों के आदिवासी अपने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। फलतः ऐसे वातावरण में जनजातियों की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक शोषण गैर जनजातियों, जनजातियों, सेठ-साहूकारों, महाजनों, ठीकेदारों, चालाक व्यक्तियों, गैर सरकारी संस्थाओं एवं सरकारी कर्मचारियों द्वारा समय के परिवर्तन के साथ अलग-अलग हो रहा है। इतना ही नहीं? बल्कि जनजातियों का शोषण अपनी भूलों, जनजातिय परम्परा, रीति-रिवाज, अन्ध विश्वास इत्यादि के आधार पर जनजातीय कथित जमीन्दार, दलाल, धनी व्यक्ति तथा नेताओं द्वारा भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचपरगना क्षेत्र के इन विभिन्न जनजातियों में मुण्डा जनजाति के लोग विशेषतः स्थायी कृषि के द्वारा अपना भरण-पोषण करते हैं उनमें से कई मुण्डा जाति के लोगों की गैर जनजातियों की तुलना में अधिक जमीन है। फलतः इस क्षेत्र के जनजातियों का शोषण अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग मात्रा में होता है। इस क्षेत्र में कई मुण्डा परिवार के लोग गाँव के खुटकटीदार एवं मालिक होते हैं, जिन्हें गाँव का मुडा (मुण्डारी भाषा से) या मुड़ा (पंचपरगनिया भाषा से) कहा जाता है। ये गाँव का देख-भाल करते हैं, गाँव का नियंत्रण करते हैं एवं उन्हें गाँव का जमींदार समझा जाता है। कई गाँवों के मालिक अर्थात् देखभाल करने वाले को मानकी कहा जाता है। आजादी के पहले इन्हीं मुण्डा-मानिकयों के माध्यम से गाँव का देख-रेख, नियंत्रण एवं कर वसूल किया जाता था। अनेक मुण्डारी खुटकटी गाँव के मुण्डा-मानकी आज भी चंदा वसूल करते हैं। मुण्डारी खुटकटी का अर्थ है, उस गाँव के पूर्व मूल निवासी जिन्होंने स्वयं जंगल को काटकर, कोड़ कर खेत बनाया है। सन् 1908 ई0 के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (Chhotanagpur tenancy Act of 1908) के अनुसार कानून के अन्तर्गत प्रावधान में कहा गया है कि गाँवों के सीमाओं के अन्तर्गत भूमि चूँकि ग्राम-परिवार समुदाय की सामान्य सम्पत्ति है और चूँकि ये परिवार उन गाँवों के मूल संस्थापकों के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हैं, इसलिए उन में से किसी परिवार से उसका भूमि-अधिकार छीना नहीं जा सकता। खूटकटी गाँवों में यदि किसी बाहरी आदमी ने जबरन या अपने किसी अन्य प्रभाव के चलते जमीन हड़प रखी है तो डिप्टी कमिश्नर को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह उन्हें निकाल बाहर करे। इस कानून के अन्तर्गत मुण्डाओं की जमीन की बिक्री एवं उसके स्वामित्व के हस्तान्तरण पर रोक लगा दी गई थी। खुंटकटीदारों को यह अधिकार मिला था कि वह स्थायी रूप से निश्चित रकम चंदा के रूप में जमा करे एवं सर्वोच्च उत्तराधि ाकारी को दे। इस प्रावधान के तहत सभी खुंटकटीदार गाँव के प्रमुख व्यक्ति "मुडा" को चंदा देते थे एवं मुडा, मानकी को देते थे। मानकी के माध्यम से राजा-महाराजाओं एवं जमीन्दार को कर दिए जाते थे। आज भी उपरोक्त माध्यमों के द्वारा कर्मचारी एवं सी0 ओ0 को कर दिए जाते हैं। समय के परिवर्तन के साथ खुटकटी क्षेत्र की जमीन धीरे-धीरे अब व्यक्तिगत सम्पत्ति समझी जाने लगी है। फलतः कई "मुण्डा" एवं खुटकटीदार समझदारी एवं असमझदारी से अपने को सर्वोच्च व्यक्ति प्रमाणित करने के लिए भी पैसों की विशेष आवश्यकता नहीं रहने पर भी हुकुमनामा देकर गैर आदिवासियों एवं आदिवासियों को रैयत बैठाते हैं। इसके लिए खुटकटीदार, रैयतों से प्रति वर्ष मालगुजारी वसूल करते हैं। विभिन्न कर्मचारी, सी0 आई0, वकील एवं लोगों के अनुसार खुंटकटीदारों को रैयत बैठाने का हक है। उन्हें सी0 ओ0 के समान रैयत बनाने का हक है। फलतः अनेक खुंटकटीदार अनेक जमीन खो चुके हैं। कई खुंटकटीदार तो भूमिहीन हो गए हैं।

आजादी के बाद ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है, मुण्डा-मानकियों का महत्व घटता जा रहा है। इसके बावजूद भी मुण्डा-मानकियों की परम्परा समाप्त नहीं हुई है। मुण्डा-मानकियों का

इज्जत आज भी जनजातीय तथा गैर-जनजातीय लोग करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य "मुण्डा" जाति के लोगों का गैर-जनजातीय, दलाल, चालक एवं धूर्त लोग मुडा-मुडा शब्दों से सम्बोधित करते हुए फुसलाते हैं। मुडा-मुडा शब्दों से सम्बोधित करते रहने पर "मुण्डा" जनजाति के लोग मनोवैज्ञानिक रूप से आत्म स्वाभिमान का भाव महसूस करने लगते हैं। वे मन ही मन फूले समाते हैं, खुश हो जाते हैं एवं अपने को सर्वश्रेष्ठ वर्ग का व्यक्ति समझने लगते हैं। फलतः दलाल एवं शोषण करने वालों को शोषण करने में सहुलियत या सुविधा होती है।

आजादी के पहले अर्थात् अंग्रेजी शासन के समय मुडा-मानकियों का उठना-बैठना, राजा-महाराजाओं के साथ था (अंग्रेजी शासकों के साथ भी उनका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध था) गाँव के मुडा-मानकी अपने को रॉची के पीठोरिया के नीकट सुतियाम्बागढ़ के भूतपूर्व राजा मदरा मुण्डा की सन्तान समझते थे। लेकिन हिन्दुओं के सम्पर्क में आने के कारण वे राजसी ठाट-बाट का अनुकरण करते हुए अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। फलतः वे अपने को मुण्डा जनजाति से अलग समझने लगे। कई मुडा-मानकी अपने को मुण्डा जनजाति का सदस्य कहलाने से शर्माते थे। हल जोतना एवं मुर्गी पालना छोड़ दिए। शादी-ब्याह (विवाह) एवं अन्य अवसरों पर ब्राह्मणों द्वारा पूजा-पाठ कराना शुरू किए। अतः इस क्षेत्र के कई मुडा-मानकी अपने को राजपूत कहने लगे एवं नाम के आगे मुण्डा न लिखकर सिंह लिखने लगे। वे मुण्डा-आदिवासी समाज का सदस्य कहलाने से इन्कार करते थे। यही कारण है कि अनेकों मुण्डा-मानकियों को पहले सर्वे सेटेलमेंट के समय खुटकटी हक से वंचित किया गया। जबकि अन्य मुडा-मानकियों का खुंटकटी हक अब भी कायम है।

पंचपरगना क्षेत्र के अनेक मुण्डा-मानकियों एवं मुण्डा जाति के लोग आज से (1987 ई0) 40-50 वर्ष पहले (सन् 1930-40) या उससे पहले से लेकर अब तक (1987 ई0 तक) राजा-महाराजाओं एवं अन्य लोगों से प्रभावित होकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊँचा बनाए रखने के लिए घरेलू कार्यो के देख-रेख हेतु दो से अधिक पत्नियों के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनमें से कुछ पत्नियों को सामाजिक मान्यताओं के आधार पर निम्न स्तर का समझा जाता है एवं उन्हें खवासीन तथा नाछनी कहा जाता है। जिनका पकाया हुआ भोजन पति तथा उनकी ब्याही पत्नी (सामाजिक मान्यताओं द्वारा उच्च स्थान प्राप्त करने वाली पत्नी) नहीं खाती है। दूसरे शब्दों में नाछनी एवं खवासीन को रखैल के रूप में सम्बोधित किया जाता हैं। साधारणतः इस क्षेत्र के मुण्डा आमोद-प्रमोद करने के दृष्टि-कोण से नाछनी को रखैल के रूप में रखते हैं। अब धीरे-धीरे इसका प्रचलन कम हो गया है। नाछनी को अखाड़ा में नचाया जाता है। उसे न केवल पति अर्थात् नाछना नचाता है, बल्कि अन्य लोग भी नाछनी को अखाड़ा में नचाते हैं। अब यह प्रथा धीरे-धीरे कम हो रही है।

खवासीन पत्नी अपनी जाति की भी हो सकती है, परन्तु नाछनी प्रायः निम्न जाति कही जाने वाली औरतें होती हैं। जैसे :- डोम, स्वॉसी, घासी, लोहरा, महली इत्यादि किन्तु अपवाद के रूप में मुण्डा, कुर्मी महतो तथा अन्य जाति की भी हो सकती है, जो बदचलन तथा अन्य कारणों से अपना इज्जत खो बैठती है।

मुण्डा जनजाति के परम्परा के अनुसार बिहालु, खवासीन एवं नाछनी का पति एक होने पर भी इन पत्नियों के बेटों को सम्पत्ति के बंटवारे में बराबर हिस्सा नहीं मिलता है, बिहालू पत्नी के बेटों की तुलना में खवासीन एवं नाछनी के बेटों को नाम मात्र का जमीन बंटवारे में मिलता

है। फलतः वे स्वंय रूढ़िवादी एवं परम्परागत रीवाजों के द्वारा शोषित हो रहे हैं। कहीं-कहीं आज उन सभी पत्नियों के बेटों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर झगड़ा होते रहता है। चूँकि आज वे संविधान के अनुच्छेद-16 के तहत समानता का दावा करते हैं। आजादी के पहले से लेकर अब तक (1987 ई0) अनेक मुण्डा जनजाति के लोग "टैंगा मुण्डा आरगेनाइजेसन नामक संघ से सम्बन्धित हैं। जिसका मुख्य उद्देश्य है :- छोटानागपुर के प्रत्येक गाँव या शहर में खुटकटी हक को कायम करना है ताकि खुटकटी से सम्बन्धित अधिकार उन्हें मिले। अनेक अल्पशिक्षित मुण्डा जनजाति के लोग इस संघ को छोटानागपुर खुटकटी संघ के नाम से जानते हैं। अतः इस संघ के सदस्य आजादी के पहले से लेकर अब तक चन्दा देते आ रहे हैं। चंदा देते-देते अनेकों मुण्डा गरीब हो गए हैं। अपनी जमीन जायदाद बन्धक के रूप में देकर समाप्त कर चुके थे। उनके कथनानुसार वे हाईकोर्ट में केश जीत चुके हैं, मात्र हाई कोर्ट से आर्डर मिलना बाकी है। अनुसन्धान करने पर पता चलता है कि आज इसमें आदिवासी एवं गैर-आदिवासी दलालों की फौज है। फलतः इन दलालों द्वारा राँची में रॉतू रोड के इन्द्रपुरी नामक स्थान पर बैठक होती है एवं आदिवासियों को अंधेरे में रखकर बुरी तरह शोषित किया जा रहा है। समय-समय पर निरीह आदिवासियों को सान्तवना देते रहने के लिए कमिश्नर ऑफिस से कुछ कागजात दिए जाते हैं। अनेकों खुटकटी मुडा या मानकी अपने भाइयों को भी जंगल का सम्पत्ति एवं परती जमीन बंटवारे के रूप में देना नहीं चाहते हैं (वे बे रोक-टोक जंगल के वृक्षों को काट कर बेचते थे, बेचते हैं) मुण्डाओं के धार्मिक स्थल सारना, चाण्डी इत्यादि के पेड़ों को भी धार्मिक महत्ता को नजर अन्दाज करते हुए सन् 1983-84 ई0 तक उजाड़ा है। इसके लिए गाँव के लोगों के साथ विचार-विमर्श नहीं किया है। खुटकटीदार मुडा या मानकी अपने को गाँव का मालिक समझते हैं, वे स्वयं को सर्वेसर्वा समझते हैं। फलतः अन्य भाईयों का शोषण उनके असमझदारी से होता है। वे खुटकटी के अर्थ को व्यवहारिक रूप से नहीं समझते हैं। पंचपरगना क्षेत्र आज विशेषतः हिन्दुओं से प्रभावित है। फलतः किसी जवान लड़का का जवान लड़की से प्रेम करना अच्छा नहीं माना जाता है। लड़की के भाई, रिश्तेदार एवं माता -पिता अपने लड़की का किसी लड़के के साथ प्रेम करना, इज्जत के खिलाफ माना जाता है। फलतः वे लड़की के प्रेमी को ऐसा न करने के लिए चेतावनी देते हैं। इसके बावजूद भी जब लड़का नहीं माने तो उसे जान से भी मार डाला जाता है। मुण्डा समाज भी इससे अछूता नहीं हैं। अपने से नीच समझा जाने वाला लड़का यदि मुण्डा लड़की से प्रेम करे तो बुरी तरह बदला चुकाया जाता है, परन्तु मुण्डा बाहुल्य गाँव के लोग या सुदूर पर्वतों के नीकट रहने वाले मुण्डा समाज के लोग अभी भी परम्परागत ढंग से जीवन-यापन कर रहे हैं। जब लड़का-लड़की में प्रेम हो जाता है, तो वे दोनों नए परिवार बसा लेते हैं। दो-तीन वर्षो के बाद जब उन्हें कुटुम्ब-बन्धुओं को भोज खिलाने की ताकत हो जाती है। तो वे मुण्डा रीति-रिवाजों के अनुसार कुटुम्ब बन्धुओं को बुलाते हैं, रस्म-रिवाजों को पूरा करते हैं एवं पुनः समाज के लोगों के साथ उठते-बैठते एवं खाते-पीते हैं। वे उपरोक्त विधि से अपनी खोई हुई इज्जत को पुनः प्राप्त कर लेते हैं।

1. मुण्डा जनजातियों के परम्परागत रीति-रिवाजों के कारण जमीन से सम्बन्धित सम्पत्ति का बराबर बंटवारा न होना एवं शोषण से सम्बन्धित विवरण :-

मुण्डा जनजातियों के परम्परागत रीति-रिवाजों के अनुसार खवासीन एवं नाछनी पत्नियों के बेटों को सम्पत्ति के बंटवारा में बराबर हिस्सा नहीं मिलना है। चूँकि उन्हें सामाजिक दृष्टिकोण से निम्न श्रेणी का समझा जाता है। इसी तरह से खवासीन एवं नाछनी पत्नियों के बेटा-बेटी

(पुत्र-पुत्री) का शादी-ब्याह भी नाछनी-खवासीन पत्नियों के पुत्र-पुत्री के साथ सम्पन्न कराया जाता है। ऐसे सन्तानों को खुटकटी, मुडा-मानकी का हकदार नहीं बनाया जाता है। फलतः वे गाँव का देख-भाल, नियंत्रण एवं खुटकटीदारों तथा रैयतों से चंदा वसूल नहीं कर सकते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से निम्न श्रेणी का होने के कारण गाँव के महत्वपूर्ण बैठकों, गाँव के उत्तरदायीपूर्ण कार्यों एवं शादी-ब्याह, मृत्यु-संस्कार में स्वतन्त्र रूप से सहयोग नहीं दे सकते हैं। फलतः समयानुसार भाई-भाई में झगड़ा-झंझट, मार-पीट एवं मुकदमा होते रहता है। अतः नीचे उन व्यक्तियों का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है, जिन्हें बंटवारा में कम जमीन मिला है अर्थात् जिनके परिवार में सम्पत्ति का बंटवारा बराबर नहीं हुआ है :-

पीड़ी टोला, रामडेरा (अनगड़ा) निवासी परेसनाथ मानकी का विवरण :-

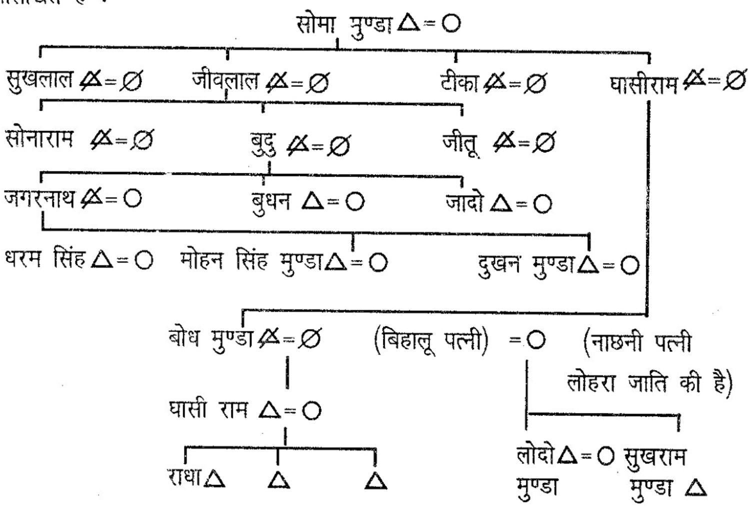
सूचनादाता गोवर्द्धन मुण्डा ग्राम फतेहपुर (नामकुम, राँची) एवं परेसनाथ मानकी के साक्षात्कार द्वारा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार परेसनाथ मानकी की दो पत्नियां हैं। एक पत्नी बिहालु एवं दूसरी पत्नी खवासीन है। खवासीन पत्नी मुण्डा जाति की ही है, परन्तु पत्नी के परिवार वालों के साथ रिस्तेदारी नहीं पहुँचता था एवं वह (खवासीन पत्नी) मानकी खानदान की नहीं है। फलतः उसे खवासीन पत्नी के रूप में रख लिया है। खवासीन रखने के पहले परेसनाथ मानकी ने अपनी बिहालु पत्नी के नाम से खानदानी परम्परागत रीवाज के अनुसार 11 एकड़ 22 डिसमिल (ग्यारह एकड़ बाइस डिसमिल) जमीन खोरपोश के रूप में अर्थात् भरण-पोषण के लिए कोर्ट में रजिस्ट्री कर दिया है। उपरोक्त कागजात के अनुसार बिहालु पत्नी के नाम से रजिस्ट्री किए गए जमीन पर खवासीन पत्नी के बेटों का हक नहीं है। फलतः उनके बेटों को जमीन के बंटवारा में कम हिस्सा मिलेगा। कोर्ट में बिहालु पत्नी के नाम से रजिस्ट्री कराए गए जमीन का विवरण निम्नलिखित है :-

थाना न०	खेवट न०	खाता न०	प्लाट न०		रकबा एकड़ में		जमीन का विवरण
36 -	-4/4	54	909	-	2.53		बड़का बेडा
			945	-	2.51	-	बंका आड़ी
			948	-	0.03	-	" "
			950	-	0.06	-	" "
			956	-	0.43	-	बरजो सोकड़ा
			958	-	0.78	-	सारज़ोम सोकड़ा
			962	-	0.60	-	सारज़ोम सोकड़ा
			964	-	0.35	-	" "
			966	-	0.55	-	" "
			967	-	0.54	-	" "
			970	-	1.39	-	" "
			976	-	1.45	-	गेडो सोकड़ा
					कुल ग्यारह एकड़ बाइस डिसमिल		

परेसनाथ मानकी के अनुसार उन्होंन 3,500 रू0 (तीन हजार पाँच सौ रूपये) में उपरोक्त

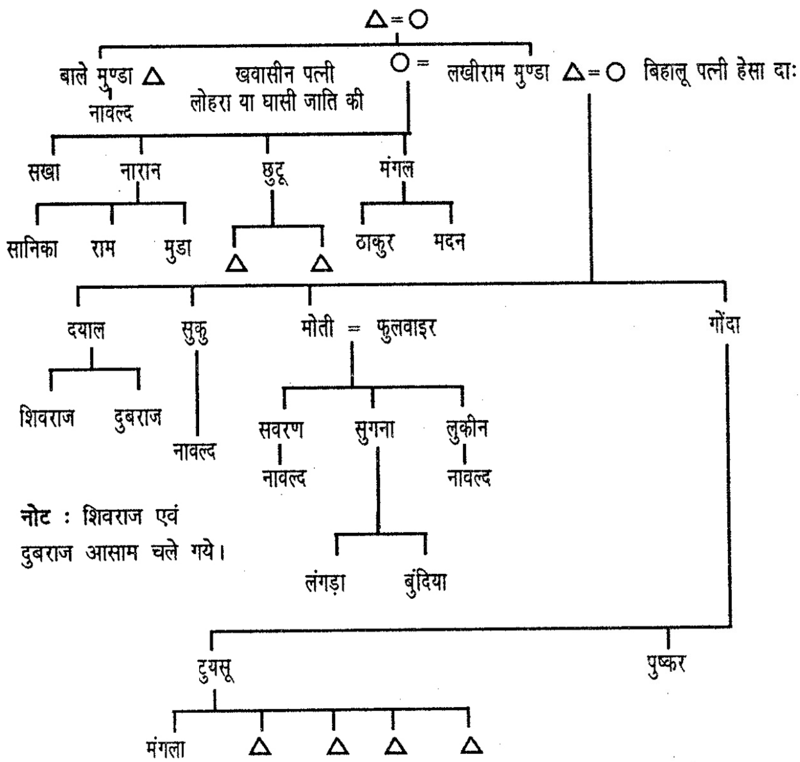
जमीन बिहालु पत्नी परमिला देवी के नाम से रजिस्ट्री कर दिया है। परेसनाथ ने पुनः कहा कि उनके पिता आनन्द सिंह को भी तीन पत्नियां थी। फलतः उनकी माँ हनकोइल को उनके पिता ने खरपोस के रूप में 13 एकड़ जमीन रजिस्ट्री कर दिया है। सूचनादाता का कुर्सीनामा लेने पर पता चला कि उनके परिवार में वंश परम्परागत ढंग से नाछनी एवं खवासीन रखने का प्रचलन है एवं नाछनी तथा खवासीन के बेटों को जमीन के बंटवारे में कम हिस्सा मिलता है। इसका प्रमाण उनके परिवार के कुर्सीनामा एवं भूमि से सम्बन्धित कागजात द्वारा साफ पता चलता है।

मुइसूडीह, बुण्डू निवासी लोदो मुण्डा एवं घासीराम मुण्डा का विवरण :- मुइसूडीह निवासी मोहन मुण्डा के अनुसार घासीराम मुण्डा के पिता बोध मुण्डा को दो पत्नियां थीं। बिहालु पत्नी का बेटा घासीराम मुण्डा है तथा नाछनी पत्नी का बेटा लोदो मुण्डा एवं सुखराम मुण्डा है। घासीराम मुण्डा एवं लोदो मुण्डा के पिता बोध मुण्डा ने परम्परागत ढंग से चली आ रही मुण्डा रीति-रिवाज के अनुसार गाँव के लोगों के साथ मिलकर जमीन के बंटवारे में नाछनी पत्नी के बेटों को बंटवारे में बहुत कम जमीन दिया है। बोध मुण्डा को टोटल 30 एकड़ जमीन था, जिसमें नाछनी पत्नी के बेटों को मात्र चार एकड़ जमीन मिला है। अतः नाछनी पत्नी के बेटों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। वे दतुवन एवं लकड़ी बेचकर अपना भरण-पोषण करते हैं। सूचनादाता के अनुसार सन् 1979 ई0 से लेकर 1986 ई0 तक जमीन का सर्वे हुआ। इस सर्वे में नाछनी पत्नी का बेटा लोदो मुण्डा एवं सुखराम मुण्डा ने आधुनिक विचार-धारा के अनुसार बराबर जमीन के बंटवारा का माँग किया, परन्तु बिहालु पत्नी का बेटा घासीराम मुण्डा बराबर देने में असहमत हुआ। अतः लोदो ने 83 दफा के मुताबिक केश किया। रॉंची से वकील, बदोबस्त पदाधिकारी, सीरीडीह एवं जड़िया गाँव के मुखिया तथा मुइसूडीह गाँव के लोगों को बुलाया गया। फिर भी नाछनी के बेटे लोदो मुण्डा एवं सुखराम मुण्डा केश में हार गये। अतः उन्हें मात्र चार एकड़ जमीन पर ही संतुष्ट रहना है। इस तरह से साफ पता चलता है कि परम्परागत रीवाजों के मुताबिक भी जनजातियों का शोषण होता है एवं वे लड़ते-झगड़ते हैं। कुर्सीनामा द्वारा इसे अच्छी तरह स्पष्ट किया जा सकता है जो निम्नलिखित है :-



ग्राम जाड़ेगा, बुण्डु (राँची निवासी) सवरण मुण्डा (देवान मुण्डा) के घर का विवरण :- सूचनादाता सवरण मुण्डा अर्थात् देवान मुण्डा का कहना है कि उनके पिता लखीराम मुण्डा के पिता की दो पत्नियां थी :- एक बिहालु पत्नी एवं दूसरी खवासीन पत्नी। खवासीन पत्नी लोहरा या घासी जाति की थी। लखीराम मुण्डा ने गाँव के लोगों के साथ मिलकर मुण्डा पारम्परिक रीवाज के अनुसार खवासीन पत्नी के बेटे पुयतू मुण्डा को बंटवारा में कम जमीन दिया। आज पुयतू के बेटे सखा, नारान, छुटु एवं मंगल पारम्परिक रीवाजों को न मानकर बराबर जमीन का बंटवारा माँगते हैं। इसके कारण सवरण एवं सुगना मुण्डा का पुयतु के बेटों से झगड़ा-झंझट एवं मार-पीट होते रहता है। वे संख्या में ज्यादा हैं, जिसके कारण जबरदस्ती पके फसलों को काट कर ले जाते हैं। यही कारण है कि सन् 1952 ई0 में सवरण मुण्डा को खेत में अकेले पाकर सखा, नारान, छुटु एवं मंगल लाठी से पीटकर घायल कर दिया। सवरण मुण्डा के हाथ की हड्डी टूट गई थी एवं वह

सबरण मुण्डा का कुर्सीनामा निम्न प्रकार है :-



मरते-मरते बच गया। सूचनादाता के अनुसार उनकी आर्थिक स्थिति पिछले 35-40 वर्षों से दयनीय है। चूँकि भाईयों के साथ केश, झगड़ा-झंझट इत्यादि होते रहता है। हालाँकि अब उन्होंने अपने छोटे भाई सुगना के साथ जमीन के बंटवारे में पुयतू के बेटों को बराबर दिया है, फिर भी वे ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। उनके पके अनाजों को जबरदस्ती काट कर ले जाते हैं।

सूचनादाता के अनुसार प्रथम सर्वे के समय अपने भाईयों के साथ खाता अलग हो गया है। फलतः बाले मुण्डा के नावल्द होने पर उपरोक्त जमीन गाँव के खुटकटीदार गंगानारायण मुण्डा पिता स्व० पवन मुण्डा के साथ सवरण मुण्डा या देवान मुण्डा तथा सुगना मुण्डा का अच्छा उठना-बैठना था। फलतः गंगानारायण मुण्डा ने दिनांक 17-5-1975 को राँची में जाकर देवान एवं सुगना मुण्डा के नाम से रजिस्ट्री करवा दिया। सन् 1976 ई0 में गंगानारायण की मृत्यु हो गई। फलतः अब पुनः उपरोक्त जमीन पर नारान, छुटु, मंगल तथा उनके बेटे सानिका, राम इत्यादि दावा कर रहे हैं।

उपरोक्त जमीन का विवरण इस प्रकार है :-

खेवट न0	खाता न0	प्लाट न0	रकबा	जमीन का विवरण
3/7	48	- 408	- 35 डी0	- नदी बेडा, टॉड तीन
	"	- 409	- 15 डी0	- " " " "
	47	- 355	- 1 एकड़ 45 डी0	- सोसो पीड़ी, टॉड तीन
	"	- 441	- 57 डी0	- टोकरा, टॉड तीन
	"	- 439	- 4 डी0	- " " "
	"	- 445	- 95 डी0	- दावे सोकड़ा, दोन एक
	"	- 600	- 4 डी0	- नकडी, टॉड एक
	"	- 669	- 1 एकड़ 4 डी0	- डाडी पीडी, टॉड़ तीन
	"	- 670	- 24 डी0	- " " "
	"	-710	- 38 डी0	- पाटन सोकड़ा, दोन दो
	"	- 357	- 35 डी0	- सोसो पीड़ी, टॉड़ तीन
			5 एकड़ 26 डी0 (पांच एकड़ छब्बीस डी0)	

अतः मुण्डा जनजातियों में खवासीन एवं नाछनी रखने की परम्परा के कारण अपने भाइयों के बीच के बँटवारे में असमानता है। फलतः वे पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते झगड़ते हैं। उनका सारा जीवन गरीबी में समाप्त हो जाता है। सारी सम्पति सेठ-साहुओं के पास बन्धक देकर आपस में केस लड़ते हैं।

ग्राम फतेहपुर, कुदागाड़ा, नामकुम निवासी राजकिशोर मुण्डा का विवरण :- फतेहपुर निवासी सोहन मुण्डा के अनुसार राजकिशोर मुण्डा की तीन पत्नियां हैं। पहली एवं तीसरी पत्नी बिहालु हैं तथा दूसरी नाछनी है। पहली पत्नी के दो बेटे दूसरी पत्नी के एक तथा तीसरी पत्नी का एक बेटा है। राजकिशोर मुण्डा ने सन् 1980 ई0 में गाँव के लोगों को बुलाकर अपने बेटों के बीच लगभग बराबर-बराबर बंटवारा किया। राजकिशोर मुण्डा के अनुसार वर्तमान समय में पुराने पारम्परिक रीवाजों को लोग नहीं मानते हैं, फलतः उन्होंने अपने बेटों के बीच जमीन का बंटवारा बराबर-बराबर किया है। फिर भी अन्य बेटों की तुलना में नाछनी के बेटा को थोड़ा कम जमीन एवं कम सम्पति है। सूचनादाताओं के अनुसार जमीन के बंटवारे के समय गाँव के लोगों को अच्छा नहीं लगा, चूँकि मुण्डा-रीति रीवाजों का उल्लघंन हुआ एवं नाछनी के बेटा के हाथों का तम्बाकू एवं पानी तक वे नहीं पी सकते हैं।

ग्राम रेलाडीह, बुण्डु निवासी छुटु बाबू का विवरण :- सूचनादाता दान्दु बाबू ग्राम रेलाडीह, बुण्डु के अनुसार छुटु बाबू की दो पत्नियां हैं। एक बिहालु एवं दूसरी खवासीन। बिहालु पत्नी के बेटे राम कीरटी मानकी को खवासीन पत्नी के बेटे राम कन्हाई मुण्डा की तुलना में बंटवारा में ज्यादा जमीन प्राप्त है।

ग्राम रामडेरा अनगड़ा निवासी हरिहर मानकी का विवरण :- सूचनादाता हरिपदो मुण्डा फतेहपुर, नामकुम, राँची के अनुसार हरिहर मुण्डा की तीन पत्नियां हैं :- दो बिहालु एवं एक खवासीन। फलतः खवासीन पत्नी बेटे को जमीन के बंटवारे में कम हिस्सा प्राप्त हुआ है।

ग्राम फतेहपूर, नामकुम निवासी स्व पुरन्दर मुण्डा के वंशजों का विवरण :- फतेहपुर निवासी सैनाथ मुण्डा के अनुसार उनके पिता अकाल मुण्डा के पिता पुरन्दर मुण्डा की दो पत्नियां थी। पुरन्दर मुण्डा ने अपनी शाली को भी घर में रख लिया जिससे अकाल मुण्डा का जन्म हुआ। अकाल मुण्डा बचपन से ही नटखट, चंचल एवं बदमाश प्रकृति का था। अतः सामाजिक रीति रीवाजों के अनुसार पुरन्दर मुण्डा के पहली पत्नी के बेटों एवं अन्य भैइयादों ने सामाजिक रीवाजों को सम्पन्न कराने के बाद समाज में शामिल करने की आवश्यकता महसूस नहीं किया एवं खवासीन का बेटा समझा जाने लगा। अतः खवासीन का बेटा होने के कारण बंटवारे में बहुत कम जमीन प्राप्त हुआ है जिसके कारण 1985-1986 ई0 में जमीन के बंटवारा को लेकर झगड़ा होता रहा।

इसी तरह से पूरे पंचपरगना क्षेत्र में खवासीन एवं नाछनी रखने के कारण शोषित आदिवासियों एवं झगड़ा झंझट होने से सम्बन्धित कई उदाहरण हैं। जिसे निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है :-

बिहालु, खवासीन एवं नाछनी पत्नी की भावना के कारण उनके बेटों को जमीन के बंटवारे में बराबर हिस्सा न मिलने से सम्बन्धित विवरण :-

क्रम. सं0	व्यक्ति का नाम एवं पता		बिहालु पत्नियों की संख्या एवं उनके पुत्र		खावासीन पत्नियों की संख्या एवं उनके पुत्र		नाछनी पत्नियों की संख्या एवं उनके पुत्र		विवरण
	नाम	पता	पत्नी	पुत्र	पत्नी	पुत्र	पत्नी	पुत्र	
1.	स्व0 विश्वनाथ सिंह	गाँव बाड़ेडीह, पो0 एवं थाना बुण्डु, राँची	1	1	1	1	-	-	
2.	स्व0 मोनू बाबू	ग्राम सिरकाडीह थाना बुण्डु, राँची	1	2	-	-	1	1	बंटवारा नहीं हुआ है।
3.	स्व0 वार्गी मुण्डा	ग्राम उखटोला, गमड़िया, बुण्डु	1	2	-	-	1	-	
4.	डोमन सिंह माहता	ग्राम चैनपुर अड़की, राँची	1		-	-	1	-	
5.	घासीराम मुण्डा	ग्राम युगीटोला कुदगाड़ों, नामकुम राँची	2	1	1	2	-	-	अभी बंटवारा नहीं हुआ है।

6.	स्व0 अर्जुन सिंह मानकी	ग्राम गम्भरेया थाना अड़की रॉंची	1	1	-	-	1	1 नाछनी के बेटे को थोड़ा कम जमीन है।
7.	स्व0 मनीनाथ सिंह मुण्डा	ग्राम रामडेरा अनगड़ा	1	1	-	-	1	1 बराबर बंटवारा नहीं हुआ है।

इस तरह प्रायः देखा जाता है कि पूरे पंचपरगना क्षेत्र के मुण्डा आदिवासी लोगों में हिन्दू राजाओं, जमीन्दारों के प्रभाव में आकर खवासीन एवं नाछनी रखने की प्रथा थी और आज भी है। परम्परागत रीवाजों के अनुसार उनके पुत्रों को सम्पति के बंटवारे में कम हिस्सा देने का प्रावधान है। जिसके कारण उनके बेटों में आज जमीन के बंटवारे को लेकर हत्या, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा होते रहता है। अनेक पुराने विचारधारा के लोग अभी भी परम्परागत रीवाजों का अवहेलना नहीं करते हैं। फलतः आपसी झगड़ा के निपटारा के लिए कोर्ट-कचहरी की शरण लेनी पड़ती है। इस तरह के अनेकों मुकदमा अदालत में चल रहे हैं। अतः नाछनी एवं खवासीन रखने की परम्पराओं के कारण वे स्वयं पीड़ित, शोषित एवं बर्बाद हो रहे हैं।

2
अध्याय

मुण्डारी खुटकटीदार मुण्डा मानकियों द्वारा अपने ही भाइयों एवं अपने जाति के लोगों का शोषण से सम्बन्धित विवरण एवं इसका परिणाम

पंचपरगना क्षेत्र के मुण्डारी खुटकटी या भूइहरी क्षेत्र के मुण्डा-मानकी एवं पाहान, मुण्डारी खुटकटी या भूइहरी जमीन का अर्थ नहीं जानते हैं। फलतः वे असमझदारी से अपने को राजा या जमीदार समझने लगते हैं। वे अपने को सरकार से भी बड़ा समझते हैं। फलतः अपने भाइयों तथा अपने लोगों का शोषण असमझदारी से करते हैं। हालांकि अंग्रेज सरकार ने मुण्डाओं की अचल सम्पति की रक्षा हेतु मुण्डारी खुटकटी एवं भूइहरी अधिकार दिया ताकि भोले-भाले जनजातियों का जमीन गैरजनजातियों में हस्तान्तरण नहीं हो। यदि इस तरह की व्यवस्था नहीं होती तो इस क्षेत्र की सभी जनजातियां भूमिहीन हो जातीं। प्रायः मुण्डारी खुटकटी एवं भूइहरी क्षेत्रों में देखा जाता है कि पूरे जंगल का अधिकारी खुटकटीदार मुण्डा-मानकी को ही समझा जाता है। फलतः मुण्डा-मानकी समझदारी या असमझदारी से ठीकेदारों द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर जंगल को निजी सम्पति समझकर उजाड़ने लगते हैं। वे बैलगाड़ी एवं ट्रक से लकड़ी बेचने लगते हैं। हालांकि खुटकटीदार के अन्य भैइयादों का भी बराबर हक है। गाँव के मुण्डा के भैदयाद एवं गांव के लोग मुण्डा या मानकी का विरोध नहीं कर पाते हैं, चूँकि मुण्डारी खुटकटी हक से पूर्ण परिचित नहीं हैं। गाँव के लोग मुण्डा या मानकी को गाँव का मालिक समझते हैं। फलतः कन्दमूल एवं फल-फूलों का पेड़-पौधा समाप्त हो जाता है जिसके कारण उस क्षेत्र के गरीब आदिवासियों तथा अन्य लोगों के लिए पेट भरने की समस्या पैदा हो जाती है। उसी तरह से कुछ मुण्डा-मानकी सारना, उतुर, चाण्डी, इत्यादि, धार्मिक स्थलों के मोटे-मोटे पेड़ो को भी काटकर बेचने लगते हैं। फलतः पेड़-पौधों एवं झाड़ियों से सुरक्षित, सुसज्जित धार्मिक स्थल सुना पड़ जाता हैं। कई मुण्डा-मानकी अपने को हिन्दु जमीन्दार समझकर सादा रेइयती बन्दोबस्त के रूप में गैर जनजातियों एवं जनजातियों को दिए हैं फलतः अनेक मुण्डा मानकी भूमिहीन हो गए हैं। पंचपरगना क्षेत्र में पिछले 7-8 वर्ष (सन् 1978-80) से कई आदिवासी कम्युनिष्ट राजनैतिक पार्टी के अनुयायी बन गए। एवं वे खुटकटी मुण्डा-मानकी एवं भैअयादों से बदला लेना शुरू कर दिए। अब वे न केवल खुंकटीदार मुडा-मानकियों का विरोध करते हैं, बल्कि वे मुडा मानकियों का शोषण करने लगे हैं। अन्याय करने लगे हैं। मुडा के भैइयाद, रैयतों के साथ मिलकर कथित जमीन्दार (मुडा) के खेतों के फसलों को काटते हैं, लाह की खेती एवं कन्द-मूल, फल-फूलों पर कब्जा करने लगे हैं। इतना ही नहीं बल्कि

वे कथित जमीन्दारों को गाँव से भगाये या उनके डर से भाग गये हैं वे मुण्डा-मानकियों के समर्थकों को भी गाँव से भगा दिए या उनके डर से भाग गए फलतः उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। वे दूसरे गाँव में जाकर शरणार्थी बन गए हैं। इस तरह के कई उदाहरण हैं :-

ग्राम गभड़ेया, नावाडीह, बुण्डु (राँची) निवासी सीताराम मुण्डा का विस्तृत विवरण :- सूचनादाता पितम्बर मुण्डा स्व0 बिरसु खेतु मुण्डा ग्राम गभड़ेया थाना बुण्डु जिला राँची के अनुसार सीताराम मुण्डा के आजा खुदीराम मुण्डा ने सन् 1910 ई0 के सर्वे अर्थात् नाप के समय भूलवश अपने भाइयों को जंगल का हकदार नही बनाया। खतियान पार्ट 11 ॥ में दो फुट से अधिक मोटे लकड़ी पर अपने भैइयादों का हक नहीं है। अतः सीताराम मुण्डा जब चाहे जंगलों को काट कर साफ कर देते थे। उनके भैइयादों अर्थात गाँव वालों द्वारा विरोध करने पर भी वे नहीं मानते थें सीताराम मुण्डा रैयतों के कब्जारी जमीन के पेड़ों को भी काट कर बेच देते थे। इतना ही नहीं? बल्कि मुण्डाओं के धार्मिक स्थल "सारना" के पेड़ों को पूजा किये बिना काटते थे, जब रैयतों के वंशज नावल्द अर्थात् सन्तानहीन हो जाते थे तो उनके सारे जमीनों एवं पेड़-पौधों को अकेले ही हथिया लेते थे। अपने भाइयों को बंटवारे में एक भी हिस्सा प्राप्त नहीं होता था। अपने खुटकटी क्षेत्र के पूरे परती जमीन एवं लाह के पेड़ों पर अकेले ही दावा करने लगते थे। फलतः परती जमीन पर उन्हीं का अधिकार एवं दब-दबा था। उनके अनुमति के बिना उनके भाइयों को भी जमीन का हकदार बनना सम्भव नहीं था। जबकि मुण्डारी खुटकटी हक के मुताबिक खुट के अर्थात् भैइयाद के सभी लोगों का चल एवं अचल सम्पति पर समान हक है। सूचनादाता पितम्बर एवं अन्य लोगों के अनुसार सीताराम मुण्डा द्वारा गाँव के लोग परेशान थे। ऊखटोला ग्राम के सोहराई मुण्डा के लड़के एतवा या मंगल मुण्डा के जमीनों पर नाजायज ढंग से कब्जा किए थे। अतः एतवा या मंगल मुण्डा को जंगल में पहाड़ के बीच में रहना पड़ता था। वह अपनी जिविका भोजन मांग कर चलाता था। छोटी-छोटी बातों को लेकर सीताराम मुण्डा गाँव के लोगों को थप्पड़ मारता था। जैसे :- दिवाकर मुण्डा।

गाँव के नवयुवक उनके हरकतों को देखकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। बदला लेने के लिए ऊखटोला ग्राम के एतवा मुण्डा या मंगल मुण्डा के खेतों पर सीताराम मुण्डा द्वारा लगाए गए धान के फसलों को गाँव वालों ने काटा। चट्टान के खोह में रह रहे एतवा मुण्डा या मंगल मुण्डा को ऊखटोला ग्राम लाया गया। उन्हें (मंगल मुण्डा) वहीं उनके सम्बन्धी के घर में रहने का बन्दोबस्त करवा दिया गया। धीरे-धीरे गाँव वाले अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी ज्यादती करने लगे। वे 1983-84 ई0 में उनके निजी खेतों के धान के फसलों को भी गाँव वालों ने काटा। सीताराम के लाह के पेड़ों के लाहों को भी काट कर बेचने लगे। जंगल का एक तिनका भी गाँव वालों द्वारा न काटने के लिए सीताराम मुण्डा के चरवाहों को कहा गया इतना ही नहीं? बल्कि उसे अब डर से गाँव से भाग जाना पड़ा है या भगा दिया गया है। सीताराम मुण्डा के साथ-साथ अन्य 10-11 परिवार के भोले-भाले व्यक्ति जिन्हें सीताराम मुण्डा के कथित समर्थक कहे जाते हैं, गाँव से भाग गए हैं अतः आज सीताराम मुण्डा तथा कथित उनके समर्थकों का घर सूना पड़ गया है। वे दूसरे गाँव में शरणार्थी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन व्यक्तियों की तालिका निम्नलिखित है जो सन् 1982 ई0 से 1985 ई0 तक में अपने गाँव छोड़कर अन्य गाँवों में भाग कर रह रहे थे :-

क्रम. सं0	नाम	उस गाँव का पूरा पता जहाँ वे अभी रहते हैं	परिवार में सदस्यों की संख्या पुरुष	औरत	अपने मूल गाँव से उस गाँव की दूरी जहाँ वे रहते हैं
1.	स्व0 विराधन मुण्डा का परिवार	ग्राम हेसो पंचायत लाली नामकुम, राँची	1	5	3 किलो मी0
2.	सोम्वारी देवी	"	3	1	"
3.	राधा मोहन मुण्डा	"	2	2	"
4.	नवोकृष्ण मुण्डा	"	3	1	"
5.	घासिया मुण्डा	"	2	2	"
6.	बालो मुण्डा	"	4	1	"
7.	रामधन मुण्डा	ग्राम गरूड़पीड़ी, पंचायत, लाली नामकुम, राँची	2	4	8 किलो मीटर
8.	रुपलाल मुण्डा	मामा के घर रहता है थाना, सिल्ली, राँची	3	3	25 " "
9.	ठानू मुण्डा	जोजो टोला, पंचायत बुण्डू, राँची	1	1	3 " "
10.	बैजनाथ मुण्डा	बुण्डु, राँची	2	3	15 " "
11.	सीताराम मुण्डा	चांचालू सिरकाडीह, बुण्डु, राँची	4	2	20 " "

सीताराम मुण्डा न्याय पाने के लिए न्यायालय में निम्नलिखित लोगों के विरूद्ध धारा 307 एवं 379 के तहत मुकदमा किए थे :-

1. भालचन्द मुण्डा पिता स्व रामदास मुण्डा
2. दिवाकर मुण्डा पिता स्व. "
3. बुदुलाल मुण्डा पिता बिरसु खेतु मुण्डा
4. सानिका मुण्डा पिता स्व. सिनु मुण्डा
5. मोहन मुण्डा पिता सोहराई मुण्डा
6. शिवचरण मुण्डा पिता करम सिंह मुण्डा
7. शिवनाथ मुण्डा पिता स्व. श्यामलाल मुण्डा
8. तान सिंह मुण्डा पिता स्व. सोहराई मुण्डा
9. जगर मुण्डा पिता स्व. सिनु मुण्डा इत्यादि।

धीरे-धीरे कम्युनिस्ट पार्टी के अनुयायी अपनी संख्या एवं ताकत बढ़ाने का प्रयास किए। वे आस-पास के छोटे-छोटे टोला, ऊखटोला सारजोम इकीर, नावाटोला, नीमटोला, युगीटोला इत्यादि के लोगों को धमकी देकर, कम्युनिष्ट पार्टी के कार्यो का अनुशरण करने के लिए दबाव डालने लगे। जो व्यक्ति कम्युनिष्ट सदस्यों के कार्यो में योगदान नहीं देते, उनके दरवाजों को तोड़ा गया। छप्पर पर पत्थर फेंके गए एवं उन्हें पीटा गया। गाँव के आस-पास के लोगों द्वारा बन्धक पर लिए गए खेतों को बेदखल किया गया।

धीरे-धीरे सादा पार्टी अर्थात् कांग्रेस के समर्थक भूपेन्द्र ऊरॉव द्वारा लोगों को एक जुट किया जाने लगा। उन्होंने नावाडीह बाजार में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों से जनवरी 1987 ई0 में बातचीत करने की योजना बनाया। परन्तु सादा पार्टी अर्थात् कांग्रेस पार्टी एवं कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के बीच भीड़न्त हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से औरतों के आगे रहने के कारण मार-पीट की नौबत नहीं आई। सादा पार्टी ने पुनः सारजोम इकीर गाँव के सुन्दर मुण्डा के अपहरण एवं लापता का आरोप गमड़ेया गाँव के कम्युनिस्ट सदस्यों पर लगाया। फलतः कई लोगों को अप्रैल 1987 ई0 के अन्त में छापा मार कर पुलिस द्वारा पकड़ा गया। अप्रैल 1987 ई0 के एक शाम गमड़ेया गाँव के कुछ लोग जोजो टोला निवासी घासीया मुण्डा के घर बैठने आए। जोजो टोला गाँव के लोगों को सन्देह हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी का अनुयायी बनाने के लिए गमड़ेया गाँव के लोग मार-पीट करने आए हैं। अतः जोजो टोला निवासी घासीया मुण्डा को छिपाया गया एवं संदेह में ग्राम उलीदा, हेसो, फतेहपुर एवं गरूड़पीड़ी के लोगों को सूचित किया गया। घासीया मुण्डा से भेंट न होने पर गभड़ेया गाँव के लोग घर लौट रहे थे। तब तक उपरोक्त गाँव के लोग एक जुट होकर उन्हें ललकारने लगे, चुनौती देने लगे। फलतः कांग्रेस पार्टी एवं कम्युनिस्ट पार्टी के बीच भिड़न्त हो गई। पत्थरों की वर्षा दोनों ओर से होने लगी, जिससे दोनों पक्ष के एक-दो सदस्य घायल हुए। इस तरह से देखा जाता हैं कि असमझदारी के कारण जनजातियाँ एक-दूसरे से शोषित होती है एवं लड़ते-झगड़ते हैं। अतः जनजातियों का जीवन सीमित दायरे में ही अन्त हो जाता है। गभढ़ेया एवं आस-पास के लोग अपनी भूल समझने लगे हैं।

ग्राम जापुनडीह, बारी-गाड़ा, अड़की, खुटी निवासी बैजनाथ मुण्डा का विवरण :- बैजनाथ मुण्डा (65 वर्ष) एवं मंगल सिंह पाहान (22 वर्ष) के साक्षात्कार द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बैजनाथ मुण्डा को मुण्डारी-खुटकटी हक है। उन्हें लगभग 250-380 एकड़ जमीन है। खुटकटीदार होने की हैसियत से वे रैयतों से मालगुजारी वसूल करते हैं। मंगल सिंह पाहान एवं उनके भैइयाद भी बैजनाथ के खुट के भैइयाद हैं। फलतः उन्हें भी खुटकटी हक प्राप्त है परन्तु पूरे जंगल का मालिक होने का दावा करते हुए गाँव के अन्य लोगों को ट्रक से लकड़ी काटकर बेचने से रोकते हैं। सारे परती जमीन के लाह के पेड़ों पर उनका (बैजनाथ) कब्जा है। भैइयादों के वंश का नावल्द हो जाने पर पूरे जमीन को अकेले हथिया लेते हैं। वे मंगल सिंह पाहान एवं अन्य लोगों को बंटवारे में नहीं देते हैं। फलतः बैजनाथ मुण्डा एवं उनके भाइयों तथा मंगल सिंह पाहान एवं उनके भाइयों के बीच मुकदमा चल रहा है। माएपान, अड़की गाँव के दशरथ मुण्डा को भी खुटकटी हक है। अतः बैजनाथ मुण्डा एवं दशरथ मुण्डा के बीच जमीन से सम्बन्धित सीमान (क्षेत्र) को लेकर मुकदमा चला। सूचनादाता के अनुसार फैसला बैजनाथ के पक्ष में सुनाया गया था, फिर भी गाँव के लोग तथा माएपान ग्राम के लोग उन्हें काफी परेशान कर रहे हैं। सन् 1979-80 ई0 से इस क्षेत्र के लोग कथित कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए ताकि जंगल-जमीन एवं अन्य सम्पतियों पर बराबर का अधिकार प्राप्त हो। ये कथित कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य विशेषतः मात्र अपने जाति-भाइयों एवं अपने स्तर के गाँव के लोगों को ही परेशान करते हैं। वे असमझदारी के कारण अपने जाति एवं अपने भाइयों के प्रगति से ईर्ष्या करने लगते हैं। अपने ही लोगों से झगड़ा एवं लूट-खसोट करते हैं एवं उनकी आर्थिक स्थिति को दयनीय बनाकर अपने समान बना देते हैं। साक्षात्कार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार कई कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य लोहरा, महली (आदिवासी) एवं डोम-घासी (हरिजन) जाति के लोग हैं जो तुरन्त क्रोधित होते हैं एवं लूटपाट करते हैं।

प्रायः खुटकटी मुडा-मानकी एवं कथित जमीन्दार का भाव महसूस करने वाली मुण्डा जनजातियाँ, देवान (मध्यस्तता का काम करने वाला नौकर) विशेषतः गैर जनजातियों को रखती

हैं जो काफी चालाक-चतुर एवं धूर्त होते हैं। अतः मुडा-मानकी एवं कथित जमींदार "देवान" के सलाह से ही काम करते हैं जिसके कारण अपने भैइयादों एवं अपने नजदीकी लोगों का शोषण स्वंय की भूलों के कारण होता है। यही कारण है कि माएपान ग्राम के दशरथ मुण्डा एवं बारीगाडा गाँव के बैजनाथ मुण्डा के बीच जमीन के सीमान को लेकर झगड़ा हो रहा है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार माएपान के "मुडा" का देवान हजाम (नौवा) जाति का है। जब से दशरथ का बैजनाथ के साथ झगड़ा शुरू हुआ, दोनों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, परन्तु दशरथ मुण्डा के "देवान" की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है। ज्यों-ज्यों समय बीता बारीगाडा गाँव के मंगल सिंह पाहान (22 वर्ष), माएपान ग्राम के दशरथ मुण्डा (25 वर्ष) एवं कम्युनिस्ट समर्थकों के साथ मिलकर बैजनाथ के धान के फसलों को सन् 1982 ई0 से 1986 ई0 तक काटा। बैजनाथ के कटहल, आम, जामुन, महुआ इत्यादि के वृक्षों को धमकी देकर काटा गया एवं ट्रक के ट्रक बेचा गया। असामाजिक तत्वों द्वारा बैजनाथ मुण्डा के भाई चरण मुण्डा की हत्या सन् 1984 ई0 को की गई। सन् 1982 से 1985 ई0 तक बैजनाथ एवं उनके छोटे भाई तथा भतीजे अपनी जान बचाने के लिए बुढ़ाडीह (मरांगहादा, खुटी) गाँव में शरण लिए। धीरे-धीरे कथित कम्युनिस्ट सदस्यों का हौसला बढ़ता गया, वे दिन दहाड़े बैजनाथ के सूअर एवं खस्सी को उठाकर ले जाने लगे। इस तरह से देखा जाता है कि मुण्डा बाहुल्य क्षेत्रों में अशिक्षा के कारण खुटकटी मुडा द्वारा भी गाँव के लोगों का शोषण होता है जबकि बदले की भावना से ग्रसित होकर खुटकटीदार भी कम्युनिस्ट समर्थकों के नाम से परेशान होते हैं एवं शोषित किए जाते हैं। पुनः सूचनादाताओं ने कहा कम्युनिस्ट समर्थकों से बैजनाथ एवं आस-पास के अन्य लोग काफी परेशान हुए। अतः एक दूसरे की भूलों के कारण जनजातियाँ एक दूसरे से शोषित हो रही हैं।

ग्राम-मोजा जाड़ेया, थाना बुण्डु, जिला राँची के खुटकटीदार मुडा गंगानारायण के भतीजे धनश्याम मुण्डा का विवरण :- सूचनादाता सूगना मुण्डा ग्राम जाड़ेया, बुण्डु, राँची के अनुसार स्व0 गंगानारायण मुण्डा का लड़का डुरू मुण्डा अर्थात् घासीराम मुण्डा अपने गाँव का खुटकटीदार "मुडा" है। चूँकि मुण्डा जनजाति के परम्परागत रीवाज के अनुसार परिवार के बड़े भाई को खुटकटी मुडा की पदवी मिलती है। अतः मुडा अपने भाइयों से चंदा वसूल करते हैं जबकि रैयतों से मालगुजारी अदा करते हैं। परन्तु डुरू मुण्डा के अशिक्षित होने के कारण उसके भैयाद का घनश्याम बाबू (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेता) स्वंय को जंगल का उत्तराधिकारी मानते हुए जंगल कटवा दिया। अतः जाड़ेया ग्रामवासी अत्यन्त दुःखित हुए। चूँकि गाँव के सभी लोग मिलकर जंगल का देख-रेख एवं सुरक्षा करते थे। इस तरह से देखा जाता है कि गाँव की एकता भूलों के कारण टूटता है, बिखर जाता है। अतः ऐसी घटनाओं के कारण बहारी तत्वों से ग्रामीणों को डटकर मुकाबला करने में कठिनाई होती है। फलतः वे शोषित होते हैं।

बेड़ाहातु ग्राम के खुटकटीदार मुडा अर्थात चैतन मुण्डा के पिता का संक्षिप्त विवरण :- ग्राम बेडाहातु अंड़की, राँची निवासी चैतन मुण्डा के पिता खुटकटीदार मुडा हैं। फलतः वे पूरे जंगल के मालिक का दावा करते हुए जंगल को काट कर साफ कर रहे थे। इस पर गाँव के अन्य खुटकटीदार भैइयादों तथा गाँव के लोगों ने सन् 1982 ई0 में कोर्ट (अदालत) में केस कर दिया। अतः "खुटकटीदार मुडा" द्वारा गाँव के अन्य लोगों का कम या अधिक मात्रा में शोषण भूलवश होता है।

●●●

3 अध्याय घरेलू भैइयादी झगड़ा के कारण शोषण से सम्बन्धित विवरण

पंचपरगना क्षेत्र के कई मुण्डा आदिवासी परिवारों में भाई-भाई के झगड़ों के कारण भी बंटवारा में कम हिस्सा मिलता है। सूचनादाताओं के अनुसार सताकी ग्राम (सोनाहातु, राँची) के पाण्डु मुण्डा के पिता रमेश मुण्डा की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी एक पुत्र को जन्म देकर मर गई। फलतः रमेश मुण्डा ने पुनः शादी किया, जिसका बेटा पाण्डु मुण्डा है। दूसरी पत्नी का बेटा पाण्डु मुण्डा अपने भाई को कमजोर (शारीरिक दृष्टिकोण से) देखकर उसे बंटवारे में जमीन नहीं दिया है। इतना ही नहीं? बल्कि पाण्डु मुण्डा के डर से उसका भाई गाँव से भाग गया है अथवा पाण्डु मुण्डा ने भगा दिया है। अतः पाण्डु मुण्डा के भाई ने सन् 1982 ई0 में पंचायती बुलाया। गाँव के लोग पाण्डु मुण्डा के भाई के पक्ष में फैसला सुनाकर बराबर जमीन का बंटवारा करने लगे, परन्तु पाण्डु मुण्डा गाँव के लोगों के फैसले पर ध्यान नहीं दिया वह चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है अतएवं उन्होंने पार्टी के लोगों की मदद से पुनः पूरे खेतों पर कब्जा किया है। अतः पाण्डु मुण्डा अपने ही भाई का शोषण भूलवश कर रहा है।

गुड़बेड़ा (अकड़ी, राँची) निवासी सोना मुण्डा के परिवार का विवरण :- सूचनादाताओं के अनुसार सोना मुण्डा के पूर्वजों में दो भाई थे। भाई-भाई में झगड़ा रहने के कारण दोनों पूर्वजों में जमीन का बंटवारा बराबर नहीं हुआ। अतः एक पूर्वज के वंशज मदन, खेलाल, मंगल एवं जारवा मुण्डा का अत्यधिक जमीन है किन्तु दूसरे पूर्वज के सन्तान सोहराई, पदों एवं करण मुण्डा का जमीन नहीं के बराबर है।

●●●

4 अध्याय

जमीदार या, जमीन्दारी की भावना के कारण मुण्डा-मानकियों एवं अन्य मुण्डाओं द्वारा अपने छोटे भाइयों को जमीन, बंटवारा में बराबर न देने से सम्बन्धित विवरण

पंचपरगना क्षेत्र की मुण्डा जनजातियां लगभग सौ वर्ष पहले से (1870-85 ई0 के आस-पास) हिन्दू राजा-महाराजाओं, जमीन्दारों एवं हिन्दुओं से प्रभावित हुई हैं। फलतः वे अपने छोटे भाईयों को मात्र उनके भरण-पोषण के लिये या बहुत कम जीवन बंटवारा में दिया है। हालांकि मुण्डाओं के रीति-रीवाज एवं परम्परा के अनुसार बड़े भाई को घर के जायदाद एवं सम्पत्ति के अनुसार कुछ हिस्सा बंटवारे में अधिक मिलता है, जबकि सबसे छोटे भाई को माँ बाप द्वारा बनाया गया घर या, बीतर ओड़ाः या, पुरना ओड़ाः दिया जाता है। परन्तु जमीन्दारी भावना के कारण कई मुडा-मानकी एवं मुण्डा जनजातियां अपने छोटे भाइयों को जमीन के अतिरिक्त तालाब एवं अन्य चल-अचल सम्पत्ति बंटवारे में नहीं दिया है। इतना ही नहीं? बल्कि कहीं-कहीं छोटे भाइयों को हेय दृष्टिकोण से देखा जाता है एवं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। यहीं कारण है कि आज पंचपरगना क्षेत्र की मुण्डा जनजातियां, भाई-भाई में लड़ते-झगड़ते हैं एवं कोर्ट में केस-मुकदमा चलते रहता है। फलतः उनका समय, सम्पत्ति एवं पूरा ताकत सीमित दायरे में ही समाप्त हो जाता है। वे व्यक्ति निम्नांकित हैं जिन्हे बंटवारे में, जमीन्दारी भावना के कारण कम हिस्सा, बड़े भाई की तुलना में प्राप्त हुआ है :-

क्रमांक	नाम एवं पूरा पता	बड़े भाई का नाम	संक्षिप्त विवरण	परिणाम
1.	रामजीवन सिंह मुण्डा ग्राम डेरो, तमाड़।	गोपाल सिंह मुण्डा	छोटे भाई रामजीवन को मात्र 7 काठ पड़न का जमीन प्राप्त है।	पार्टीशन केस चल रहा है।
2.	बनबिहारी सिंह मुण्डा ग्राम ओड़ेदारू, सोना हातू	भूतनाथ मुण्डा	भूतनाथ के पिता ने बनबिहारी के पिता को बहुत कम जमीन दिया है। फलतः बनबिहारी की आर्थिक स्थिति दयनीय है।	- - -
3.	ज्योति लाल मुण्डा ग्राम उली लोअर, तमाड़।	सीताराम मुण्डा	ज्योतिलाल एवं सीताराम के पिता का नाम दलगोबिन्द था जो गाँव के मुडा थे। पिता के मरने के बाद सीताराम ने ज्योतिलाल को बंटवारे	ज्योतिलाल के वंशजों की आर्थिक स्थित दयनीय है

			में जमीन नहीं दिया।	
4.	राधानाथ मुण्डा ग्राम उलीलोअर, तमाड़	दलगोविन्द मुण्डा	राधानाथ एवं दलगोविन्द के पिता का नाम सीताराम मुण्डा है। जमीन्दारी की भावना रखते हुए उन्होंने (दलगोविन्द) राधानाथ को बंटवारे में बहुत कम जमीन दिया है।	- - -
5.	.... ग्राम बाड़ेडीह, तमाड़	हीकीम सिंह मुंडा	हीकीम सिंह मुण्डा ने अपने छोटे भाई को बंटवारे में जमीन नहीं दिया है।	- - -

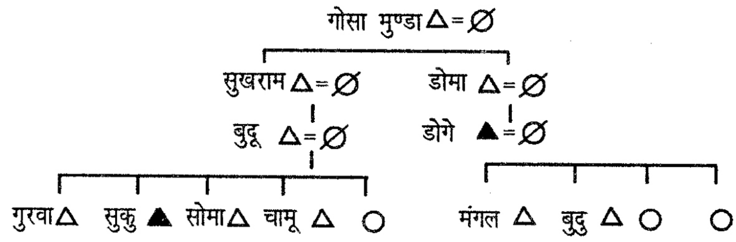
इस तरह से देखा जाता है कि पंचपरगना क्षेत्र की कुछ मुडा-मानकी एवं मुण्डा जातियां बाहरी वातावरण से परिचित रहने के कारण परम्परागत ढंग से चली आ रही रीति-रीवाजों को छोड़ कर अविकसित-अर्द्धविकसित एवं असाभ्यवादी भ्रष्ट परम्पराओं में रंग गये हैं। फलतः छोटे भाई की तुलना में बड़ा भाई स्वंय को सर्वश्रेष्ठ मानता है। वंश परम्परा के अनुसार मुडा का पद बड़ा भाई को ही प्राप्त होता है लेकिन राजा-महाराजाओं एवं अंग्रेजी शासनकाल के प्रभाव में आकर असमझदारी के कारण मुडा का अर्थ जमीदार (जमीन्दार) समझने लगे एवं छोटे भाई को मात्र उनके भरण-भोषण के लिए जनीन दिया जाने लगा। अतः आज जमीनदारी भावना के कारण स्वंय शोषित हो रहे हैं।

5
अध्याय

रूढ़िवादी विचारधाराओं, अन्ध विश्वासों एवं स्वंय की भूलों के कारण शोषित आदिवासी

पंचपरगना क्षेत्र के पहाड़ पर्वतों के दुर्गम पिछड़े इलाकों की जनजातियां भूत-प्रेत, डाइन-युगीन, भूताहा की भावनाओं से बुरी तरह जकड़ी हुई हैं। फलतः वे किसी सदस्य के हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, निमोनिया इत्यादि बीमारियों से पीड़ित होने पर डाइन द्वारा किसी व्यक्ति के स्वास्थय को खराब किया जाना समझते हैं। यही कारण है कि वे उपरोक्त बीमार से पीड़ित व्यक्ति को डाक्टर से जांच करवाने के बदले ओझा के पास, डाइन को पकड़ने के लिये चावली जांग (पूजा के सामान के रूप में अरवा चावल, सिन्दुर, ताम्बा एवं तुलसी) ले जाते हैं। ओझा पास-पड़ोस के व्यक्तियों के दरवाजा की ओर इंगित (इशारा) करते हुए डाइन बतलाने लगता है एवं उपचार के रूप में कई बकरी, भेड़, मुर्गी इत्यादि पूजा में देने के लिये कहता है। जिसके कारण उपरोक्त पूजा का सामान जुटाने के लिए लोग उधार पैंचा करते हैं, खेत बन्धक के रूप में देते हैं या तो डाइन को जाने से मार डालते हैं। फलतः उनका शोषण अपनी भूलों के कारण हो रहा है।

बान्दुगाड़ा, अड़की निवासी सुकु मुण्डा, डोगे मुण्डा एवं जीवलाल मुण्डा का विवरण :-



नन मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त किया हुआ सुकु मुण्डा दिनांक 30 जून, 1987 ई0 को घर मरम्मत करने के क्रम में छत से खपड़ा उतार रहा था। संयोगवंश उन्होंने एक पीपल के पत्ते में बंधा हुआ चार प्रकार की जड़ी बुटी एवं सुपारी का टुकड़ा पाया। सुकु मुण्डा को सन्देह हुआ कि उन्हें तथा परिवार के लोगों के स्वास्थय को खराब करने के लिये किसी ने नासन (काला जादू) किया है। चुँकि अपने चाचा डोगे मुण्डा के साथ समय-समय पर झगड़ा होता है, अतः सुकु की माँ को डोगे मुण्डा पर शक हुआ एवं वह कहने लगी कि डोगे अब हमें जिन्दा नहीं छोड़ेगा। डोगे के भूत के दुष्प्रभाव के कारण ही उन्हें अर्थात् सुकु की माँ को पिछले पांच वर्षो से (1982 ई से) धातु (Urine infaction) की बीमारी है। माँ एवं अन्य बड़े-छोटे भाइयों के साथ विचार विमर्श

करने के बाद सुकु मुण्डा ने गाँव के मुडा (गाँव के प्रमुख व्यक्ति) जीवनलाल मुण्डा के नेतृत्व में बैठक बुलाया, जिसमें पूरे मौजे के लोग सम्मिलित हुए।

गांव के लोग सुकु मुण्डा को दोषीदार समझने लगे चूँकि उनके छत पर ही उपरोक्त जड़ी-बूटियों का बण्डल पाया गया। अतः उसे दण्ड देने की बात कुछ लोग कर रहे थे। परन्तु सुकु मुण्डा ने जोरदार विरोध किया एवं ओझा के पास चावली जांग दिखाने का विचार व्यक्त किया अर्थात् दोषीदार व्यक्ति का पता लगाने का विचार व्यक्त किया। इतना ही नहीं? बल्कि सुकु मुण्डा ने कहा - "यदि मैं दोषीदार साबित हो जाऊंगा, तो 100 रूपया फाइन एवं भूत के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिये बकरी, मुर्गी इत्यादि सारा खर्च वहन करूगां।" सुकु मुण्डा द्वारा इस तरह का व्यक्तव्य देने पर डोगे मुण्डा एवं अन्य पड़ोस के लोग दोषीदार साबित होने पर क्रमशः 200, 300, 400, 500 रूपया तक देने एवं ओझा के पास जाने का खर्च एवं पूजा से संबंधित सारा सामान का खर्च वहन करने के लिये सहमत हुए। किसी ने भीड़ में आवाज उठाया, तुमलोगों के झगड़ा का निपटारा बराबर हो रहा है। इसलिये दोषीदार साबित होने पर 400, 500, रूपया ही नहीं? बल्कि 2000 (दो हजार रूपया) नगद एवं अन्य सारा खर्च वहन करो। इस तरह के कथन को सुनकर सभी लोग सहमत हुए, चूँकि वे अपने को निर्दोष समझते थे। अतः गाँव के लोग कई व्यक्तियों का सूची ओझा के पास अर्थात् सखईन के पास जाने के लिये बनाया। इस सूची में निम्नांकित व्यक्ति सम्मिलित थे :-

क्रमांक	नाम	पद	ग्राम
1.	जीवनलाल मुण्डा	मुडा	बान्दुगाडा
2.	पाण्डु पाहान	पाहन	-
3.	सीदांग मुण्डा	-	-
4.	घासीराम स्वांयी	-	-
5.	अर्जुन मुण्डा	-	गाजुडीह
6.	बुदु लोहार	-	सिल्ली कोचा
7.	सोहराई मुण्डा	-	चेतनडीह
8.	फागुवा मुण्डा	-	सिल्ली कोचा
9.	एतवा पाटान	-	बान्दुगाडा
10.	सुकु मुण्डा	-	"
11.	गुरूवा मुण्डा	-	"
12.	डोगे मुण्डा	-	"
13.	मंगल मुण्डा	-	"
14.	अन्य एक	-	पीडीहातु रूगड़ी

दिनांक 3 जुलाई, 1987 ई0 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खंटगा बुढ़ाडीह के ओझा के पास उपरोक्त सभी व्यक्ति गये। ओझा ने डोगे मुण्डा को डाइन पकड़ा, परन्तु डोगे मुण्डा अपने को डाइन कहने पर घोर आपत्ति प्रकट किया। डोगे द्वारा जोर लगाने पर पुनः वे सभी व्यक्ति तुपुदाना के सखाइन बुडी (बूढ़ी सखाइन) के पास दिनांक 4 जुलाई, 87 को गये। संयोगवंश वहां

भी डोगे मुण्डा डाइन पकड़ा गया। मजबूर होकर गाँव लौटने पर पूर्व शर्त के अनुसार डोगे मुण्डा को उपरोक्त सभी व्यक्तियों का गाड़ी का किराया, खाने-पीने का खर्च वहन करना पड़ा। इतना ही नहीं? बल्कि डोगे मुण्डा ने माहता मुण्डा एवं रामसिंह लोहार के हाथों बन्धक के रूप में खेत देकर 2000 रूपया (दो हजार रूपया) जुटाया एवं गाँव के लोगों को सुपूर्द कर दिया। बन्धक में दिये गये खेत का विवरण इस प्रकार है :-

खेंवट नं0	खाता नं0	प्लाट नं0	रकबा
3/3	6	416	47 डीसमिल

ग्रामीण देवी-देवताओं को खुश करने के लिये डोगे मुण्डा ने सखाइन के आदेशानुसार बलि के रूप में चढ़ाने के लिये एक भेड़, एक बकरी, 3 मुर्गा (सफेद, काला एवं लाल रंग का), 10 किलो अरवा चावल, 25 पैला महुआ का शराब गाँव वालों को दिया। सखाईन के निर्देशानुसार सुकु मुण्डा के घर में प्रवेश किये गये नाशन (भूत के दुष्प्रभाव) को समाप्त करने के लिये डोगे मुण्डा को निम्नांकित सजीव-निर्जीव वस्तुओं को पूजा के सामान के रूप में जुटाना था :-

क्रमांक	वस्तुओं का नाम स्थानीय भाषा में	वस्तुओं का नाम हिन्दी भाषा में	संख्या
1.	हेंदे मेरंग - पाठीया	काली बकरी (पाठीया अर्थात् वह बकरी जो बच्चे को जन्म नहीं दी हो)	1
2.	आराः बाकरा	लाल रंग का बकरा	1
3.	काबरा भिडी	चितकबरा भेड़ा	1
4.	हेदे सीम	काली मुर्गी	1
5.	आराः सीम	लाल रंग का मुर्गी	1
6.	पुरता सीम	चितकबरा मुर्गी	1
7.	माली सीम	हरा लाल रंग का मुर्गा	1
8.	तोरोए सीम	सफेद गंदला रंग का मुर्गा	1
9.	रिसा सीम	सफेद धूल रंग का मुर्गा	1
10.	पुण्डी सीम	सफेद मुर्गा	1
11.	पाराए	कबूतर	1
12.	कोडो	बत्तक	1
13.	सोना का टिकली		1
14.	चांदी का टिकली		1
15.	चुड़ी		
16.	नाकीः दर्पण	कंधी एवं आयना	2
17.	इली-आरखी	हंडिया एवं शराब	
18.	नाइरकल	नारियल	1
19.	सुपारी	सुपारी	5

20.	खेती रेयः 12 अनाज	बारह प्रकार का अनाज	
21.	बाहर बरन सान	बारह प्रकार की लकड़ी	
22.	सात बरन बा	सात प्रकार के फूल	
23.	आदवा चुकाः	आरवा चावल रखने का घड़ा	1
24.	का रपाः कन चुकाः	कच्चे मिट्टी का घड़ा	1
25.	रापाः कन चुका	पके मिट्टी का घड़ा	1
26.	तीन सीमान रेयः हासा	तीन अलग-अलग गाँवों की मिट्टी	
27.	हाटा-टुंकी नावा	एक सूप नया एवं एक टोकरी नया	2
28.	अपिया हेसाः सकम	तीन पीपल का पत्ता	3
29.	हेदे हासा-आराः हासा, कुइला हासा	काली-लाल एवं कोयले के रंग की मिट्टी	

डोगे मुण्डा उपरोक्त सामान जुटाने में असमर्थ था, उन सभी वस्तुओं को जुटाने के लिये उन्हें पुनः खेत बन्धक के रूप में महाजनों के पास देना था। अतः वह गाजुडीह गांव के प्रमुख व्यक्ति का सहारा लेकर थाने में केस करना चाहा। गाजुडीह गाँव के प्रमुख व्यक्ति का इज्जत आस-पास के लोग करते हैं, परन्तु बान्दूगाडा गाँव का प्रमुख व्यक्ति जीवनलाल मुण्डा उसका सम्मान नहीं करता है। जिसके कारण वह डोगे मुण्डा को थाने में केस दायर करने के लिये प्रोत्सहित करता था, ताकि जीवनलाल मुण्डा भी केस में फंस जाए एवं उनका घमण्ड चूर हो। इस इलाके में इस तरह के केस के लिये दारोगा द्वारा पक्ष-विपक्ष एवं गवाहों से भी बहुत रूपया ऐंठा जाता है। फलतः उनकी आर्थिक स्थिति का दयनीय होना स्वाभाविक है। इस तरह से छोटी-छोटी बातों को लेकर जनजातियां आपस में बदले की भावना रखते हैं एवं असमझदारी के कारण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से शोषित होती हैं।

6
अध्याय

जमीन का हस्तान्तरण एवं जनजातियों का शोषण से संबंधित विवरण

पंचपरगना क्षेत्र की मुण्डा जनजातियां वर्षो पहले से ही अन्य लोगों की तुलना में ईमानदार, निश्छल, एवं दिलदार रही हैं। वे स्वभाव से हिसाब-किताब करके खाने-पीने एवं रहने का तौर तरीका नहीं जानती हैं। हालांकि वर्तमान युग में कुछ मुण्डा जनजातियां अन्य लोगों के सम्पर्क में रहकर प्रभावित हो रही है। फलतः वे अपने चल-अचल संपति की भी रक्षा नहीं कर पाती हैं। सन् 1860-1890 ई0 के आस-पास कई मुण्डा खुटकटीदार अपने मौजे का चंदा (शेष) कई कारणों से राजा-महाराजाओं को अग्रेंजी शासनकाल में समय पर नहीं दे सकते थे। फलतः वे जरपेशकी के तौर पर सेठ-साहूकार, वनिया एवं धनी-मानी व्यक्तियों को कुछ वर्षो के लिये (सात वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक) दिया करते थे, ताकि अपने मौजे का चंदा राजा-महाराजाओं को दिया जा सके, परन्तु धूर्त्त एवं चालाक सेठ-साहूकार समय पूरा होने के पूर्व ही मुण्डाओं के खुटकटी मौजा को नीलाम कर देते थे अथवा बेच देते थे। नीलाम के रूप में प्राप्त किये गये मौजे को वे साहूकार पुनः दूसरे-तीसरे व्यक्ति के हाथों बेच देते थे। जागरूकता की कमी एवं गरीबी के कारण मुण्डा खूँटकटीदार आपत्ति पत्र देते थे, परन्तु उनके पक्ष में सुनवाई नहीं होती थी। Bihar Land Reforms Act 1950 (Bihar Act X X X of 1950) के अनुसार बिहार सरकार ने गैर जनजातीय जमीनदारों के हाथों से "जमीन्दारी" अधिकार छीन लिया। फलतः खूँटकटी हक रहते हुए भी खूँटकटी अधिकार समाप्त हो गया। जबकि छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट 1908 की धारा 240 के अनुसार मुण्डाओं का खूँटकटी हक एवं अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण गैर मुण्डाओं एवं गैर आदिवासियों एवं एक खूँट से दूसरे खूँट के मुण्डाओं में भी नहीं होता है। विभिन्न गाँव में मुण्डारी खूँटकटीदार का जमीन हड़पने के लिये कुछ धूर्त्त एवं चालाक गैर जनजातियां मुण्डा खूँटकटीदारों के भाई, मूल सर्वे सेटेलमेन्ट (1903 से 1910) के समय बनकर अपने नाम से खेंवट बनवाए। पंचपरगना क्षेत्र के सिल्ली-सोनाहातू, बुण्डू, तमाड़ के मुडा-मानकियों को 1987 ई० से सवा सौ वर्ष पहले से ही हिन्दू राजा-महाराजाओं के साथ उठने-बैठने एवं रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। फलतः वे असमझदारी के कारण अपने को हिन्दू राजा क्षत्रिय समझने लगे एवं मुण्डा-मानकी के बदले साय, तावेदार, माहता, सरदार, दिगर, बाबू, ठाकुर एवं सिंह इत्यादि टाइटिल लिखने लगे। वे जाति में क्षत्रिय लिखते थे। फलतः अनेकों मुण्डाओं का खूँटकटी हक समाप्त हो गया, इनके जमीन की बिक्री आसानी से होने लगा। फलतः आज बड़े-बड़े खूँटकटीदार गरीब हो गये हैं, भीख मंगे बन गये हैं। अपने को हिन्दू राजा समझ कर अन्य लोगों का नकल करते हुए वे देवान

(Mediator) विशेषतः गैर जनजातीय लोगों को रखते थे। फलतः मूल सर्वे सेटेलमेन्ट के समय अनेकों मुडा-मानकियों का जमीन, गैर जनजातियों के हाथों चला गया। कई देवान अनेकों जमीन अपने नाम से लिखवा लिये। न केवल "मुण्डा खूँटकटीदार", सेठ-साहूकारों एवं चालाक व्यक्तियों के चंगुल में फंस गये, बल्कि अन्य मुण्डा जनजाति के लोग भी सेठ-साहूकारों से नहीं बचे। वे अपनी भीड़-संकट के अवसर पर अपने खेत को जरपेशकी के रूप में देकर कर्ज लिया करते थे, फलतः उनके जमीन का हस्तान्तरण नाजायज ढंग से गैर जनजातियों में हुआ है। कई धनी-मानी व्यक्ति पैसा कर्ज के रूप में देने के पहले उनके घर का सारा कागजात उनके पास (धनी-मानी व्यक्ति) छोड़ने के लिये कहते थे। फलतः कर्ज लेने वाले जनजातियों के वंशज यह नहीं जानते हैं कि उनकी जमीन कौन-कौन सी है। जिसके कारण कई सेठ-साहूकार बिना कागजात के अभी भी नाजायज ढंग से खेती करते हैं एवं जनजातियों का जमीन गैर जनजातियों में हस्तान्तरित हुआ है।

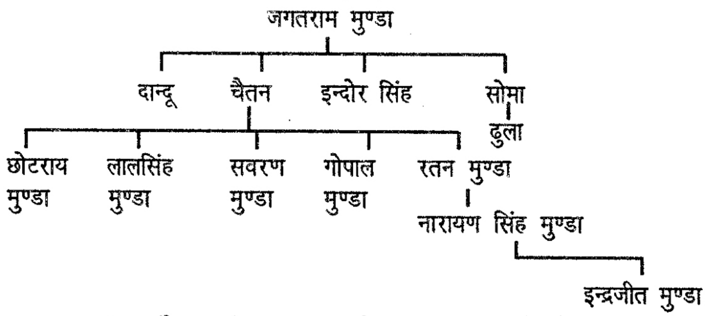
आज हिन्दू धर्म के प्रभाव में आकर कुछ गाँव के मुण्डा जनजातियां अपनी भाषा एवं सांस्कृतिक-धार्मिक पहचान के महत्व को नहीं समझती हैं। फलतः कई ऊख सांसांग में रस्म-रीवाजों का कार्य ठप हो गया है। फलतः उनमें शिथिलता आ गई है। मुण्डाओं के अलग-बगल रहने वाले गैर जनजाति के लोग ऊख सांसांग जैसी मुण्डाओं की सांस्कृतिक-धार्मिक पहचान का आदर करना नहीं जानते हैं। अतः वे मुण्डाओं के पूर्वजों के नाम से रखे ऊख सांसांग के पत्थरों को भी हटा कर खेत बना कर, खेती करने लगे हैं। गरीबी एवं दूरदर्शिता के अभाव में मुण्डा जाति के लोग भी विरोध नहीं करते हैं। फलतः वे अपने अचल संपत्ति एवं अभौतिक सम्पत्ति खो रहे हैं एवं उनका शोषण धीरे-धीरे हो रहा है। छोटानागपुर के प्रत्येक गाँव में गाँव के लोगों का कई सांस्कृतिक-धार्मिक निश्चित स्थान है, जहां वे नाचते हैं, गाते हैं एवं पूजा पाठ करते हैं। इसी तरह से पंचपरगना क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में मुण्डाओं का सांस्कृतिक-धार्मिक निश्चित स्थान है जिसे वे सारना, उतुर, चाण्डी, आखड़ा, बुरू इत्यादि के नाम से पुकारते हैं। वहां न केवल मुण्डा जनजाति के लोग, बल्कि गाँव के सभी जाति के लोग मिलजुलकर चन्दा देते हैं, पूजा का सामान खरीदते हैं, पूजा पाठ करते हैं एवं बकरी, भेंड़, मुर्गी, सुअर का बलि चढ़ाते हैं। गाँव के लोगों के पढ़े-लिखे न होने के कारण, जागरूकता की कमी के कारण वे अपने ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों की भी रक्षा नहीं कर पाते हैं। विभिन्न सर्वे सेटलमेन्ट के समय में इस क्षेत्र से अपरिचित लोग आकर खानापुरी करते रहे हैं, सर्वे करते रहे हैं। फलतः उपरोक्त प्रकार के सांस्कृतिक-धार्मिक स्थानों के लिये वे "अनाबाद बिहार सरकार" शब्द का प्रयोग करते रहे हैं अर्थात् पड़ती जमीन मान कर सर्वे की जाती रही है। यही कारण है कि इस क्षेत्र की जनजातियों का शोषण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से हो रहा है। हालांकि सरकार 3-4 वर्षो से (सन् 1982 ई0 से) कुछ क्षेत्रीय लोगों के माध्यम से भी सर्वे का काम करवा रहे हैं। परन्तु वे अमीन भी कम पढ़े-लिखे एवं दूरदर्शी न होने के कारण गलतियों को सुधारने का काम नहीं करते हैं, बल्कि इस क्षेत्र से अपरिचित लोगों का ही नकल करने लगते हैं। अतः जनजातियों का शोषण अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है।

जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, सरकार आदिवासी/हरिजन एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिये नीति निर्धारण करती है, निर्णय बदलती है एवं कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है ताकि गरीबों का कल्याण हो। इसी उद्देश्य से सन् 1980-82 ई0 से छोटानागपुर के विभिन्न क्षेत्रों में वृक्ष रोपण का कार्य करती है परन्तु क्षेत्रीय आदिवासियों के भूमि से संबंधित

अधिकारों का ज्ञान नहीं होने के कारण आदिवासी अपने हक से वंचित होते जा रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारी पूरे मुण्डा खूँटकटी इलाके में खूँटकटीदारों से सम्पर्क किये बिना वृक्ष रोपण का काम तो करते हैं। परन्तु वृक्ष रोपण के बाद उपरोक्त भूमि को "वन संरक्षण विभाग, बिहार सरकार" के नाम से दर्ज किया जाता था। इस तरह से समझदारी या असमझदारी से बिहार सरकार के विभिन्न कर्मचारी अप्रत्यक्ष रूप से भी जनजातियों का शोषण बुरी तरह से कर रहे थे।

ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है, जनजातियों से गैर जनजातियों में जमीन के हस्तान्तरण का स्वरूप बदल रहा है। आज कई गैर जनजातियों की जमीन हड़पने के ख्याल से जनजातीय लड़कियों से शादी करते हैं। शादी करने के बाद जनजातीय पत्नी के नाम से जमीन परमिशन कराने के बाद खरीदते हैं। जनजातीय पत्नी का कुछ दिनों के बाद नसबन्दी करवा देते हैं, ताकि बच्चे नहीं हों। इस तरह से जनजातीय पत्नी मात्र ऐश आराम के लिये होती हैं। वह जमीन बटोरने के लिये माध्यम मात्र होती हैं। इस तरह का प्रचलन विशेषतः शहरों के आस-पास है।

जमीन के हस्तान्तरण से संबंधित आमजोड़ा, बुण्डू निवासी इन्द्रजीत का विवरण :-



सूचनादाता, 30 वर्षीय-इन्द्रजीत सिंह मुण्डा के अनुसार उनके पूर्वज चैतन मुण्डा सन् 1872 ई0 में राँची निवासी रामचरण लाल के हाथों में अपने खूँटकटी मौजा आमजोड़ा को 41 वर्षों के लिये ठीके पर जरपेशकी के रूप में दिया। चूँकि इन्द्रजीत के पूर्वजों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। फलतः वे महाजनों के चंगुल में बुरी तरह से कर्ज ग्रस्त हो गये थे। अतः 41 वर्ष तक रामचरण लाल को सालाना 183 रूपया, खूँटकटी मैइयादों से चन्दा इकट्ठा करने एवं अन्य लोगों से मालगुजारी अदा करने का अधिकार दिया। इन्द्रजीत के अनुसार 41 वर्ष पूरा होने के पूर्व ही इनके मौजा को 1891 ई0 में नीलाम कर दिया गया। अतः यह उनके लिये एक नाजायज कदम रहा। इन्द्रजीत के कागजातों द्वारा साफ पता चलता है कि इन्द्रजीत के पूर्वज चैतन मुण्डा ने 41 वर्ष तक के लिये मात्र ठीके पर जरपेशकी के रूप में सालाना 183 रूपया मालगुजारी वसूल करने का हक दिया था। अतः एकरारनामा के अनुसार खूँटकटी मौजे का चन्दा अथवा मालगुजारी इकट्ठा करके राजा को भी देने का प्रावधान था, लेकिन रामचरन लाल ने एक चाल चली, वह बुण्डू के राजा को टैक्स नहीं देते थे। अतः जगन्नाथ राय ने माल के बकाया रहने के कारण चैतन एवं सुखलाल बाबू के खूँटकटी मौजा को नीलाम करके तिलकधारी लाल के हाथों में बेच दिया। सन् 1898 ई0 में तिलकधारी लाल ने बुण्डू के जगरनाथ भगत को जरपेशकी के रूप में दिया। सन् 1903 ई0 के आस-पास से मूल सर्वे होने लगा, इन्द्रजीत के पूर्वज गंवार थे। फलतः मूल सर्वे के

समय सही ढंग से आपत्ति प्रकट नहीं कर पाये। 1927 ई0 के आस-पास सूचनादाता के दादा रत्न मुण्डा द्वितीय सर्वे के समय घोर विरोध किया, परन्तु जगरनाथ भगत एवं उनके बेटों ने अमीन एवं सर्वे से संबंधित पदाधिकारियों को खिलाया-पिलाया एवं घूस दिया जिसके कारण आपत्ति प्रकट करने पर भी रतन मुण्डा कुछ नहीं कर सका। बिहार जमीन्दारी उन्मूलन एक्ट की धारा 1950 के अनुसार 2 मार्च, 1955 ई0 में जगरनाथ भगत के हाथों से जमीन्दारी हक छीन ली गई, जबकि मौजा आमजोड़ा मुण्डारी खूँटकटी गाँव है। छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट की धारा 241 के अनुसार मुण्डारी खूँटकटी हक का हस्तान्तरण सरकार के हाथों में भी सार्वजनिक कार्य के अतिरिक्त अन्य काम के लिए नहीं हो सकता है। इन्द्रनाथ मुण्डा का पिता नारायण सिंह मुण्डा पढ़ा-लिखा व्यक्ति नहीं है। फलतः वह उक्त मौके पर बिहार सरकार के उपरोक्त निर्णय का विरोध नहीं कर पाया, जिससे आमजोड़ा, खूँटकटी मौजा का खूँटकटी हक समाप्त हो गया। जबकि अन्य गाँवों के मुण्डारी खूँटकटीदार उपरोक्त समय पर विरोध प्रकट करके खूँटकटी हक को कायम रखे हुए हैं।

सन् 1986-87 ई0 में इन्द्रजीत सिंह मुण्डा ने सर्वे एवं नाप से संबंधित कैम्प कोर्ट में अपने मौजा के लिये आपत्ति आवेदन पत्र दाखिल किया जिससे सेटेलमेन्ट पदाधिकारी ने आमजोड़ा गाँव को "मुण्डारी खूँटकटी" गाँव माना है, परन्तु उन्होंने सक्षम न्यायालय का शरण लेने के लिये सुझाव दिया है। सेटेलमेन्ट पदाधिकारी ने बयान सुना एवं कागजातों को देखा, फिर भी उन्होंने कई गलतियां की हैं। अतः सक्षम न्यायालय का शरण लेने में इन्द्रजीत मुण्डा का पक्ष कमजोर पड़ सकता है। चूँकि सेटलमेन्ट पदाधिकारी ने जरपेशकी का र0 द 1872 ई0 न लिख कर 1972 ई0 लिखा है, इसी तरह से 41 वर्ष जरपेशकी देने की बात को 50 वर्ष लिखें हैं एवं तिलकधारी लाल द्वारा बूण्डू के जगरनाथ भगत के हाथों में खूँटकटी हक को बेचने की बात को जगरनाथ मुण्डा लिखे हुए हैं। अतः यह साफ जाहिर होता है कि छोटी-छोटी गलतियों के कारण भी जनजातियों का शोषण बुरी तरह से हो रहा है।

वर्तमान समय में जगरनाथ भगत के वंशज भि0 दता भिन्न-भिन्न लोगों के नाम से अंचलाधिकारी कार्यालय से सैकड़ों एकड़ जमीन बन्दोबस्त एवं दाखिल खारीज कराये हैं एवं उपरोक्त भूमि पर कब्जा किये हैं। गाँव के भोले-भाले लोग यह नहीं जानते हैं कि उनके नाम से दाखिल खारीज हुआ है। अतः सूचनादाता के मुताबिक गाँव के लोगों को उपरोक्त भूमि पर साझे पर खेती करवाते हैं, फलतः गाँव के लोग खुश रहते हैं। गाँव में हमेशा इस तरह का वातावरण बनाये रखते हैं कि गाँव के लोग आपस में एक दूसरे से मिले-जुलें नहीं? ताकि गाँव के आन्तरिक जमीन जायदाद से सम्बन्धित मामलों में चर्चा नहीं हो। यदि गाँव का कोई व्यक्ति किसी भी तरह से इन्द्रजीत के समर्थन में बात करते हैं तो उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती है। साझे पर खेती करने के लिये खेत भी नहीं मिलता है।

अतः इन्द्रजीत के भैइयाद भी मिलजुल कर केस लड़ने में असमर्थ हैं। जमीन के हस्तान्तरण से सम्बन्धित विवरण संलग्न हैं। उपरोक्त बातों के अतिरिक्त उनमें से कुछ जमीनों का नया-पुराना खाता नम्बर, प्लाट नम्बर एवं रकवा दिया जा रहा है, जो "मुण्डारी खूँटकटी" अधिकार के अन्तर्गत था, परन्तु सरकार ने भिन्न-भिन्न लोगों के नाम से जमीन बन्दोबस्त किये हैं, जो छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट के अनुसार "मुण्डारी खूँटकटी" अधिकार का हनन करना है :-

गाँव आमजोड़ा, थाना नं0 - 30

खाता नं0	प्लाट नं0		रक्वा एकड़ में		रैयत का नाम	पिता का नाम	गाँव
	नया	पुराना	नया	पुराना			
1	954	450	.10	.10	अमर लोहार	सुखलाल लोहार	बूण्डू
	985	450	.2	.2	अहल्या देवी	जामदेव मांझी	"
	1121	739	1.69	1.69	अहल्या देवी	जामदेव मांझी	"
	561	298	.52	.52	कालीचरण साहू	रघु साहु	गामेरेया तमाड़
	562	299	.26	.26			
	565	33	.35	.35			
	521	286	1.20	1.20			
	522	287	.30	.30			
	524	286	.95	.95			
	555	289	3.00	3.00			
	560	295	.54	.54			
1	1127	742	.62	.62	काशीनाथ महतो	रिदयनाथ महतो	
	783	562	.25	.25	"		
	1122	739	1.68	1.68	गनश मांझी	बलराम मांझी	बूण्डू
	1128	745	.65	.65	गिरिबालादवी	नित्यान मांझी	"
	1124	144	.29	.29			
	1130	144	1.00	1.00			
	1131	748	1.23	1.23			
	1136	746	.97	.97			
	37	21	.16	.16	गुरूचरण महतो	नित्यनन्द महतो	"
	38	22	.62	.62			
	1101	724	1.45	1.45	बासु महतो	झरिया महतो	"
	1103	724.45	.45				
	983	339			चरण लोहार	सुखलाल लोहार	आमजोड़ा
	983						
	339						
	1059	488	.40	.40	छाया देवी	पति सत्येन्द्रनाथ भट्टचार्य	बूण्डू
	936	684	.26	.26	जगमोहन मुण्डा	लोदरो मुण्डा	आमजोड़ा
	1057	488	1.42	1.42	जोतिन कुण्डू	अभिमन्यु कुण्डू	बूण्डू
1	1157	754	1.76	1.76	दिवाकर माझी	तुलसी माझी	बूण्डू
	773	545	.98	.98	सुरो वाला	कशीनाथ महतो	बारेडीह
	817	575	1.38	1.38	नन्दो रानी	गोपाल हल्दार	बूण्डू
	1102	724	.91	.91	छरी महतो	निदहतो भाई	

	207	187	52				
	211	187	09				
	212	187	10				
	203	187	2.10	5.04			
	129	180	43				
	301	84	3.56		झुनकी पाहन	लुकीन पाहन	आमजोड़ा
	125	78	18		माधो बाबू	गोपी बाबू	परांगडीह
	133	24	62				
	253	187	52	″			
	78	83	49		मुकुन्द मुण्डा	रावधान मुण्डा	″
	454	187	0.14		मुनी राम मुण्डा	मंगरा मुण्डा	आमजोड़ा
	455	187	1.10				
	77	83	.48				
83	77	83	.48		मंगल मुण्डा	सनिका मुण्डा	परांगडीह
	48	97	50		मंगल मुण्डा	सुखराम मुण्डा	″
	140	15	60				
	55	15					
			0.15		रघु मुण्डा	धनु मुण्डा	″
	439	199	75		राजकिष्टी दत्ता	पंचकौड़ी	बूण्डू
	444	199	53				
	464	199	1.6	बांध			
	466	199	28				
	431	199	50				
	199	199					
	467	199	2.50				
	469	″	75				
	472	″	84				
	446	″	1.90	9.47			
	438	″	35				
	380	208	1.08				
	404	238	25		राजकिष्टोस दत्ता	881	
1	508	269	15		राजकिष्टी दत्ता	पंचकौड़ी दत्ता	बूण्डू
	509	″	.28	″			
	476	1207	86	″			
	268	1168	1.18	″			
		776					

	443	194	1.80		राजकिष्टी दत्ता		
	448	195	1.20		वीश्रीकाननबाला दत्ता		
	459	197	91		बीशांतिबाला दत्ता		
	470	257	1.14		बीरेनुबाला दत्ता		
	471	258	1.24	9.60	पिता पंचकौड़ी दत्ता		
	473	259	.69				
	475	266	1.19				
	478	269	75				
	479	270	.56				
	480	818	.36				
	481	271	.64	11.44			
	519	246	.34				
1	625	431	.12				
	626	431.81					
	649	339	1.74				
	753	258	.30	14.72	राजकिस्टो दत्ता		
	758	530	.31				
	770	535	.75				
	829	586	1.17				
	834	610	1.42				
	841	587	.16				
	756	820	.12	22.55			
	852	600	4.19				
	553	527	.14				
	856	602	.29				
83	405	238	.19				
	407	238	.28	9.00			
	408	209	1.26				
	494	283	.40				
83	492	483	.15				
	506	1190	.11				
	238	500	.54	10.00126			
	238						
	505	249			राजकिष्टो दत्ता	पंचकौड़ी	बूण्डू
	250	283			दत्ता 3 अंश वो	काननबाला दत्ता	
	256	268	अंश		वोसोनुबाला दत्ता	वोरेनुबाला	

	238		2.15		पिता पंचकौड़ी	9 अंश समान दत्ता	
					सत्यनारायण दत्ता पंचौड़ी दत्ता 2 अंश समान		
					रेवारानी दत्ता	पिता पंचकौड़ी 1 अंश जाति गर्धव	
	15	1	3.55		राधागोराई	चमरू गोराई	बूण्डू
	23	1	2.32				
	217	118	.44		रेपो मुण्डारी	दोनहरि मुण्डारी	आमजोड़ा
	223	118	2.70				
	223	1204	1.08	″			
83	217	1205	.24				
	227	118	.12				
	123	78	.60		रईदास मुण्डा	बुधन मुण्डा	परांगडीह
	423	187	4.60		लखीराम मुण्डा	तेवारी मंगल मुडा	आमजोड़ा
	415	187	.35		लोहरा उरांव	फागु उरांव	″
	457	189	.93		शिवनाथ मुण्डा	सुखलाल	″
	193	128	.85		मंगल मुण्डा	सौंतो मुण्डा	करामू
	195	128	2.30				
	196	128	.08				
	207	128	.80				
1	865	607	.14				
	901	642	.66	24.38			
	950	497	.30				
	955	466	.52				
	1073	470	1.31				
	1106	732	0.58				
	502	250	.42				
	286	″	.32				
1	648	339	.38	27.84			
	476	268					
	901	250	.33				
	251	562	.19				
	1199	300	1.65				
	835	586	2.17				
	432	261	3.37				
	503	282	36.52				
	442	194	.93				
	1032	699	1.30				

	1167	775	1.33				
	468	256	2.51	39.15			
	381	208	.60		नीजी नाम से		
	384	208	1.26	2.36			
	431	199					
	644	338	1.12				
	965	552	.22				
	504	283	.67				
1	490	283	.58				
	491	283	.20				
	495	283	.36				
	506	238		6.14			
	649	1219	.36		सत्यवाला देवी	रामनाथ महतो	बूण्डू
83	202	128	.90				
	210	187	.05		सालगी	पाण्डू नाग	
	424	187	.20				
	426	187	4.40				
	416	187	3.05		सुखराम मुण्डा	लखीराम मुण्डा	
	417	187	1.75	"			
	412	187	2.30		सुकु मुण्डा	लोधरो	
	482	274	.43		सोमेन दत्त	भूतनाथ दत्त	
		275					
	795	1218	.50				
		550					
1	339	एक अंश	.86				
	980	339	.50				
1	19	2	1.45		राधा गोराई	चमढ़ गोराई	बूण्डू
	21	3	.90				
	895	633	.60		राधिका देवी	सुरेन्द्रनाथ हजाम	बारेडीह
	837	589	.40		रंजीतकुमार जयसवाल		
	838	598	.16		संजयकुमार		बूण्डू
	835	1201	6.57	7.13	जायसवाल वो		
		588			अजयकुमार जायसवाल		
	1066	488	1.08		लखीचरण मुण्डा	गादी मुण्डा	आमजोड़ा
	728	503	.03		गाराममोगो	फागु उरांव	"
	729	503	.34		लोहार		

	730	503	.03				
	1137	755	.15		शत्रुधन महतो		
			.99		सहदेव	गोविन्द महतो	बूण्डू
	1138	753		"			
	1139	755	2.59				
	1142	758	1.17		ससुनी महतवाईन	गोविन्द महतो	"
1	64	32	.30		शैलबाबा देवी	राजेन्द्रभगत	बूण्डू
	1100	723	.37		सरवल महतो	पुरन महतो	"
	1107	730	3.56		"		
	1192	488	.59		सरस्वती देवी	बैजनाथ महतो	बारेडीह
	725	445	.19		सुखराम मुण्डारी	लखीराम महतो	
	1002	633	.78		सुरेन्द्र हजाम	मुक्ता हजाम	बारेडीह
	60	23	.77		संम्बत महतो	अन्त महतो	करामू
			.18		सामू महतो	रामू महतो	करामू
				14.95	बिहार सरकार सिंचाई विभाग		
				96.74	वन विभाग बिहार सरकार		
				113.18	अनावाद बिहार सरकार		
				10.13	अनावाद सर्पसाधारण		
				14.40	मुण्डारी खुँटकटी बकास्त		
				17.25	रैयत सहित खेवट नं0 -4 का है		
				96.74	वन विभाग बिहार सरकार के अन्तर्गत जमीन है।		
				113.18	अनाबाद बिहार सरकार के अन्तर्गत जमीन है।		
				10.13	अनाबाद सर्वसाधारण के अन्तर्गत जमीन है। वर्तमान में सिर्फ एक मुण्डारी खुँटकटी बकास्त खेंवट बचा है।		
				14.40	लेकिन रैयतों सहित खेंवट नं0-4 में जमा रकवा -17.25 है।		

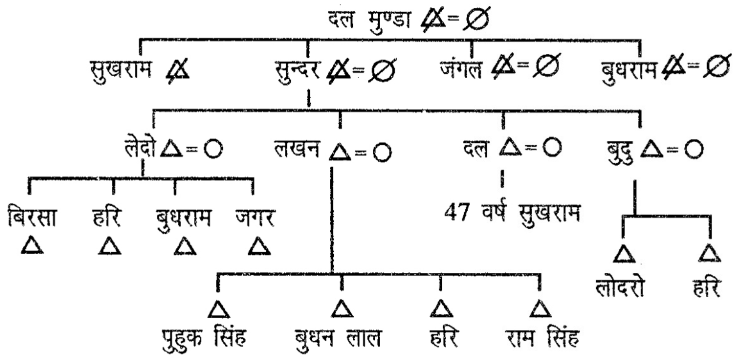
नोट : आमजोड़ा मौजा के अन्दर वर्त्तमान में 806.00 एकड़ जमीन है।

जमीन के हस्तान्तरण एवं शोषण से संबंधित ग्राम–मौजा बाड़ेडीह, बूण्डू के गोकुल मुण्डा विवरण :-

सूचनादाता का कहना हैं कि उनके पूर्वज गोकुल मुण्डा सन् 1890 ई0 में बूण्डू के श्रीनाथ कुण्डू को 9 वर्षों के लिये जरपेशकी के रूप में दिये थे, परन्तु श्री नाथ कुण्डू के वंशज सन् 1935-36 ई0 तक नाजायज ढंग से दखलकार रहे। अतः गोकुल मुण्डा के पिता, चाचा एवं अन्य लोगों ने सन् 1935-36 ई0 में बूण्डू के ही हरिदास मांझी के पास कुछ जमीन सात वर्षो के लिय बन्धक देकर पैसा जुटाया एवं श्रीनाथ कुण्डू के वंशजों को दिया, फिर भी वे उपरोक्त जमीनों पर जोत

कोड़ करते रहे। अन्ततः गोकुल मुण्डा के पिता एवं अन्य लोगों को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी तभी वे पुनः अपने खूँटकटी मौजे को पाने में समर्थ हुए।

जमीन के हस्तान्तरण एवं शोषण से संबंधित ग्राम-मौजा कुचीडीह, बुण्डू निवासी सुखराम मुण्डा का विवरण :



सूचनादाता सुखराम मुण्डा का कहना है कि उनका आजा "ग्राण्ड फादर" सुखराम मुण्डा अर्थात् उनके पिता, दल मुण्डा के चाचा (ताऊ) ने सन् 1908 ई0 में मदुकामा, बूण्डू निवासी जीवाधन महतो, हराधन महतो, रामचरण महतो पिता गजाधर महतो से 60/- रू0 प्रति रु० 10 पैला धान सूद के हिसाब से लिया एवं बदले में कुछ जमीन खेती करने के लिये उन्हें दिया। सूचनादाता के मुताबिक 60/-रू0 उन्हें लौटाने का प्रावधान था। आठ वर्षो के बाद धान के बदले में उनके पूर्वजों ने अरहर दाल दिया, परन्तु हिसाब-किताब में एक पाव अरहर दाल कम हो गया। अरहर दाल लौटाने के बाद "ग्राण्ड फादर" सुखराम एवं उनके भाइयों ने उपरोक्त व्यक्तियों से लिखित कागजात को रद्द करने के लिये आग्रह किया, परन्तु गजाधर महतो के बेटे राजी नहीं हुए।

चूँकि हिसाब-किताब में एक पाव अरहर दाल का बकाया था। फलतः सुखराम मुण्डा के आजा सुखराम मुण्डा एवं उनके भाइयों ने तैश में आ कर उपरोक्त जमीन को बेदखल करना चाहते थे।

संयोगवंश उपरोक्त महतो परिवार के लोगों को अरहर दाल लौटाने के वर्ष फतेहपुर, नामकूम निवासी लेगो मुण्डा को मौखिक रैयती बन्दोबस्ती के रूप में उपरोक्त जमीन दिया गया था। इसके लिये सुखराम मुण्डा ने मुण्डा रीति-रीवाज के अनुसार ढेलका पुचुः अर्थात् अपने दोनों पैरों के बीच में मिट्टी के ढेला को तीन बार पार करते हुए कसम खाई कि यदि उनके बेटे एवं भैइयाद उपरोक्त जमीन पर हल जोतेगें, खेंती करेंगे एवं उन्हें बेदखल करेंगे तो वे सभी निःसन्तान मर जायेंगे। लेगो मुण्डा के पास लिखित कागजात नहीं था। फलतः महतो उपरोक्त जमीन पर खेती नहीं करने देते थे। गुस्से में आकर सुखराम के बेटों ने चार-पांच वर्षो के बाद हल जोता एवं खेती किया। फलतः वे उसी वर्ष मर गये, अब सुखराम मुण्डा एवं उनके भाइयों को उपरोक्त जमीन पर खेती करने एवं हल जोतने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जिसके कारण गजाधर महतो के बेटे नाजायज ढंग से सन् 1923 ई0 तक खेती करते रहे।

सन् 1924 ई0 में पुनः सुखराम एवं उनके भैइयाद उठ खड़े हुए एवं महतो परिवार के लोगों

को बेदखल करने के लिये फौजदारी एवं मार पीट किये। फलतः उन्हें जेल में सन् 1924 ई0 से लेकर कई वर्षो तक रहना पड़ा। उपरोक्त मौके पर रीविजनल सर्वे होने लगा। सुखराम मुण्डा एवं उनके भैदयाद चूँकि जेल में थे, जिसके कारण जीवाधन महतो एवं उनके बेटे रतनाकर महतो, राम सागर महतो एवं प्रयाग महतो ने बूण्डू के राजा रामदास राय के साथ मिलकर मनमाने ढंग से मुण्डारी खूँटकटीदारों के भैइयाद बन कर अपने नाम से अर्थात् रामधन महतो, रामचरण महतो के नाम से खेंवट एवं खतियान बनवाये। अतः रीविजनल सर्वे के खतियान में नाम लगान पाने वाला रामधन महतो (रामचरण महतो) वगैरह लिखा हुआ है। हालांकि सी. एन. टी. एक्ट 1908 की धारा. 240 के अनुसार जायज-नाजायज ढंग से मुण्डा जनजातियों का खूँटकटी जमीन का हस्तान्तरण, गैर जन-जातियों, गैर मुण्डाओं एवं दूसरे खूँट में नहीं होता है। साधारण बात यह है कि मुण्डाओं का भाई महतो कैसे हो सकता है?

सूचनादाता के मुताबिक बुण्डू के राजा रामदास राय के साथ सूचनादाता के पूर्वजों का खूँटकटी जमीन को लेकर हमेशा झगड़ा होता रहता था। फलतः रिवीजनल सर्वे के समय में रामदास राय ने रामचरण महतो अर्थात् रामधन महतो एवं उनके बेटों को हर तरह से मदद किया एवं अमीन, कानूनगों एवं बदोबस्त पदाधिकारियों को हर तरह से खुश किया। सन् 1969 ई0 तक उपरोक्त जमीन महतो लोगों के कब्जे में बाहूबल एवं द्वितीय सर्वे के आधार पर रहा।

सन् 1970 ई0 में स्व0 सुखराम मुण्डा का नाती सूचनादाता सुखराम मुण्डा पुनः सी. पी. आई. के नेता घनश्याम मुण्डा के नेतृत्व में लगभग 500, 1000 लोगों का सहारा लेकर उपरोक्त जमीन पर कब्जा किया एवं खेती किये गये धान को काट कर अपने घर ले आया। फलतः राम सागर महतो का बेटा राधानाथ महतो ने बुद्धु, मुण्डा, दल मुण्डा एवं उनका लड़का सूचनादाता सुखराम मुण्डा एवं पुहुक सिंह के विरूद्ध धारा 107 एवं धारा 379 से संबंधित केस किया। फलतः उपरोक्त व्यक्तियों को कुछ दिनों तक जेल में रहना पड़ा। सूचनादाता के अनुसार 1970 ई0 से अब तक (सन् 1986 तक) जमीन उनके कब्जे में है, परन्तु महतो परिवार के लोग अमीन, कानूनगो, बन्दोबस्त पदाधिकारी के साथ घुल-मिलकर रिवीजनल सर्वे से संबंधित कागजातों के आधार पर अपने नाम से रेकार्ड बनाने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। सूचनादाता के अनुसार निम्नांकित जमीनों का हस्तान्तरण गैर जनजातीय कुरमी लोगों में नाजायज ढंग से हुआ है :-

प्रथम साबिक नाप (सी. एस.) के अनुसार मौजा कुचीडीह नं0 - 71 थाना बुण्डू खेंवट पं0-3 नाम लगान पाने वाला सुखराम मुण्डा वगैरह है एवं उपरोक्त सभी जमीन "मुण्डारी खूँटकटी" है।

खेंवट नं0	खाता नं0	प्लाट नं0	रक्वा एकड़ एवं डिसमिल में
3	20	17	0.39 डी0
		28	0.17 "
		41	1.81 "
		49	0.26

		79	0.87 "
		26	0.71 "
3	20	35	1.41 "
		39	0.96 "
		53	2.10 "
		57	0.50 "
		10	4.26 "
		27	2.18 "
		37	1.87 "
		43	1.68 "
		54	2.16 "
		जमा प्लाट- 15	रकवा 21.79 एकड़

द्वितीय आर0 एस0 (रीविजनल सर्वे) के अनुसार जमीन का हस्तान्तरण सुखराम मुण्डा से महतो लोगों के हाथों में नाजायज ढंग से हुआ जिसका विवरण निम्नलिखित है :- नाम मौजा कुचीडीह, थाना बुण्डू, थाना नं0 71, बेक्ट नं0 4/9 एवं नाम लगान पाने वाला रामधन महतो वगैरह है।

खेंवट नं0	खाता नं0	प्लाट नं0	रक्वा एकड़ एवं डिसमिल में।
4/9	57	84	1.57 डी0
		102	1.48 "
		98	1.69 "
		36	4.20 "
		93	1.50 "
		139	2.46 "
		310	1.41 "
		77	0.78 "
		96	0.97 "
		163	1.56 "
		174/171	0.39 "
		83	2.10 "
		118	0.38 "
		161	0.27 "
		94	0.26 "

टोटल प्लाट 15, रकबा 21 एकड़ 29 डिसमिल।

द्वितीय आर0 एस0 (रीविजनल सर्वे) के खतियान को देखने से पता चलता है कि दिनांक 10-4-1908 ई0 के साठ रुपये के रजिस्ट्री पट्टा के आधार पर जमीन का हस्तान्तरण कुरमी महतो के हाथों में हुआ है। परन्तु दिनांक 10-4-1908 ई0 के रजिस्ट्री पाट्टा के नकल के आधार पर

साफ पता चलता है कि 600/- रू नगद प्रति रूपया 7 पैला धान सूद के हिसाब से दिया गया था एवं उपरोक्त रकम को सूद समेत लौटाने की बात लिखी गई है। रजिस्ट्री पाटा में यह बात नहीं लिखी गई हैं कि पैसा सूद समेत नहीं लौटाने पर ऊपर वर्णित जमीन जायदादों पर गजाधर महतो के बेटे कब्जा करें, अर्थात् रजिस्ट्री कागजात (डीड) में जमीन जायदाद से संबंधित बातों का जिक्र बिल्कुल नहीं है।

अतः यह साफ पता चलता है कि जमीन का हस्तान्तरण गैर कानूनी एवं नाजायज ढंग से हुआ है जिसे शोषण शब्द से सम्बोधित किया जा सकता है।

जनजातियों से गैर जनजातियों में जमीन के हस्तान्तरण से संबंधित मंगल किशोर का विवरण एवं जनजातियों का शोषण :-

सूचनादाता मंगल किशोर मुण्डा, उम्र-35 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता-बी0 ए0 ग्राम तेलाईमार्चा, पो0- रेलाडीह, थाना बुण्डू, राँची के अनुसार उनके पैतृक सम्पत्ति का 4.33 एकड़ जमीन जीतवाहन साहू पिता स्व0 त्रिलोधन साहू ग्राम रेलाडीह थाना बुण्डू जिला राँची ने अपने ही गाँव के शम्भू प्रसाद साहू पिता महेश्वर साहू के हाथों 21000/- इक्कीस हजार रूपया में बेच दिया। इसकी जानकारी उसे तब हुई जब साहूओं ने उनके जमीन पर दखल कब्जा करना चाहा।

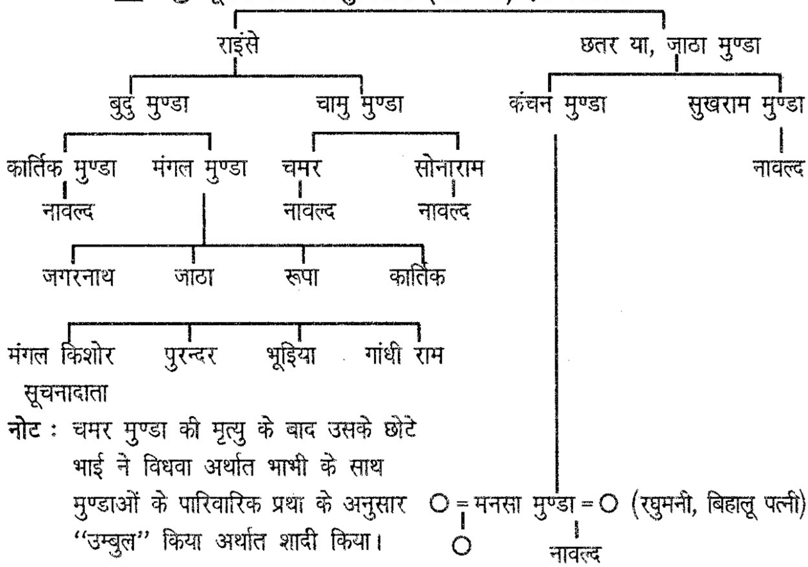
उनके जमीन का विवरण इस प्रकार है :-

खेंवट नं0	खाता नं0	प्लाट नं0	रक्वा एकड़ में	चौहद्दी
3	14	9	0.27	उत्तर- मंहगू मुण्डा दक्षिण- रास्ता
	14	10	0.04	उत्तर- धर बारी नीज दक्षिण- रास्ता
	14	197	2.21	उत्तर-राजीराम मुण्डारी दक्षिण- रास्ता
	14	321	0.31	उत्तर- दोन रेलेंग लोहार दक्षिण- आहार (तालाब)
	14	322	0.35	उत्तर- अबु हजाम दक्षिण- तालाब
	14	324	0.29	उत्तर- बकास्त गनुराम मुण्डा दक्षिण- गन्दुराय मुण्डा
	14	347	0.86	उत्तर- गन्दुराय मुण्डा दक्षिण- गन्दुराय मुण्डा
			टोटल- 4.33 एकड़।	

अतः मंगल किशोर मुण्डा को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी जिसका मुकदमा नं0 एस. आर.

ए. 165/85 है। सूचनादाता का कहना है कि उपरोक्त जमीन पर वे आजा दादा के समय से शान्तिपूर्वक खेती करते आ रहे हैं एवं उनके कब्जे में ही है।

△ = ○ सूचनादाता का कुर्सीनामा (जी. टी.) इस प्रकार है :-



नोट : चमर मुण्डा की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई ने विधवा अर्थात भाभी के साथ मुण्डाओं के पारिवारिक प्रथा के अनुसार "उम्बुल" किया अर्थात शादी किया।

नोट : मनसा की बिहाल पत्नी की मृत्यु के बाद अपनी साली के साथ विवाह किया

उपरोक्त जमीन अपने आजा मनसा मुण्डा के नाम से है। मुण्डा समाज के लोगों में या अन्य इसके समकक्ष के लोगों का लिखित कुर्सीनामा कोर्ट में नहीं रहता है फलतः अपने जमीन को हासिल करने में भी दिक्कत होती है। खाता नं0 81 को देखने पर साफ पता चलता है कि वे आपस में एक ही वंशज के सन्तान हैं। इतना ही नहीं? बल्कि मंगल किशोर मुण्डा के पिता जगरनाथ मुण्डा खाता नं0 14, प्लाट नं0-9 का जल-कर कई वर्षों से देते आ रहे हैं जो इस बात का प्रमाण है कि जमीन उनके कब्जे में हैं।

सूचनादाता का जमीन साहुओं के हाथों में चले जाने से संबंधित सूचना मिलने पर उन्होंने विशेष छान-बीन किया। तत्पश्चात् पता चला कि खूँटकटीदार जय सिंह मुण्डा, ग्राम तेलाई मार्चा ने यह साबित करने की कोशिश की है कि मनसा मुण्डा की मुत्यु पचास वर्ष पूर्व हुई है एवं उनके कोई वंशज नहीं है। फलतः उपरोक्त नावल्दी जमीन उनके हाथों में हस्तान्तरण हो गया। उपरोक्त वंश के समाप्त होने के कारण जमीन उनके हाथों में हस्तान्तरण हो गया एवं उन्होंने जीतवाहन साहू पिता स्व0 त्रिलोचन साहू ग्राम तेलाईमार्चा, बुण्डू को नये रूप में रैयत स्वरूप दिया है। जबकि 6-7 वर्ष पूर्व (1976 ई0 से 1982 ई0 तक) तक का रसीद मनसा मुण्डा की दूसरी पत्नी चांदमनी के नाम से कटता था जिसका प्रमाण भी सूचनादाता के पास है। आश्चर्य की बात यह है कि

जीतवाहन साहू पिता स्व0 त्रिलोचन साहू ग्राम-तेलाई मार्चा, बुण्डू के हाथों से अपने ही गाँव के शम्भु प्रसाद साहू पिता-महेश्वर साहू के हाथों जमीन की बिक्री से सम्बन्धित गवाह खूँटकटीदार जयसिंह मुण्डा एवं मनसा की दूसरी पत्नी चांदमनी है तथा पहचान कर्ता सूचनादाता के अपने ही चाचा रूपा मुण्डा हैं। सूचनादाता का अपने चाचा के साथ जमीन के हकदारी से सम्बन्धित केस हाईकोर्ट में चल रहा है जिसका अपील नं0 57/85 है। फलतः वह शम्भु प्रसाद साहू का पक्ष लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है अर्थात् आपस के भैइयादी लड़ाई के कारण साहू का पक्ष लेकर अपनी जमीन खो रहा है।

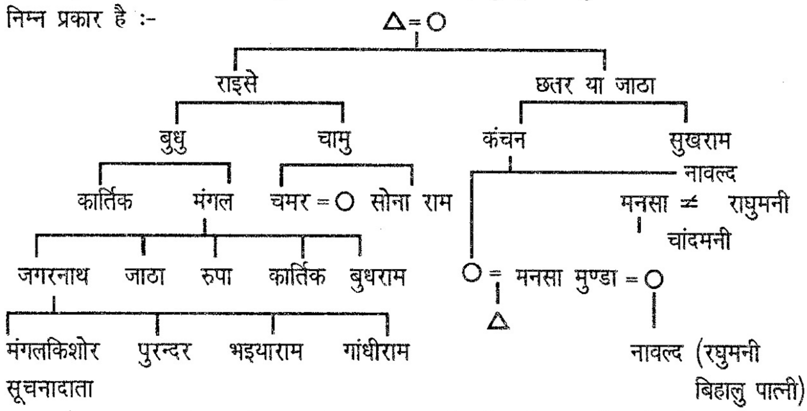
साधारणतः देखा जाता है कि मुण्डा जनजाति के लोग मुडा-मुडा शब्दों से सम्बोधित करते रहने पर, खुशामद करते रहने पर, उठते-बैठते रहने पर, असमझदारी के कारण मनोवैज्ञानिक ढंग से वैसे लोगों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं जो सहानुभूति दिखाने लगते हैं, आत्मस्वाभिमान का भाव महसूस करते हैं एवं आसानी से ठगे जाते हैं। अतः जय सिंह मुण्डा ने उपरोक्त जमीन जीतवाहन साहू पिता स्व० त्रिलोचन साहू को रैयाती बन्दोबस्ती के रूप में दिया। जबकि स्वाभावतः मुण्डा जनजाति के लोग वैसा बिल्कुल नहीं होते हैं। फलतः मंगल किशोर मुण्डा (सूचनादाता) के भैइयादों का उपरोक्त जमीन पर हक एवं अधिकार रहने पर भी उन्हें पैतृक सम्पत्ति से वंचित किया जा रहा है। अन्ततः कोर्ट द्वारा मंगल किशोर के पक्ष में फैसला हुआ।

खूँटकटीदार जयसिंह मुण्डा, ग्राम- तेलाई मार्चा, बुण्डू द्वारा मंगल किशोर मुण्डा पिता जगरनाथ मुण्डा के जमीन को बेदखल किये जाने से सम्बन्धित विवरण :-

सूचनादाता मंगल किशोर मुण्डा ग्राम - तेलाई मार्चा, बुण्डू का कहना है कि खेंवट नं0-3 खाता नं0 33 प्लाट नं0 22 रक्वा 30 डिसमिल जमीन पर जय सिंह मुण्डा, दखल कब्जा जमाना चाहा। उपरोक्त प्लाट पर बाड़ी के नाम से बेलगान जमीन है। खतियान में अपने ही भैइयाद जोगो मुण्डा वल्द रेपो मुण्डा का नाम दर्ज है। खतियान के रिमार्क कोलम में बकब्जे मोसमात बड़ा सुमित्रा जौजे कार्तिक मुण्डा कोम मुण्डा साकिन देह लिखा हुआ है। अतः जय सिंह मुण्डा ने बुण्डू थाना से पुलिस फोर्स को बुला कर मंगल किशोर को गिरफ्तार करवाना चाहा एवं उक्त जमीन पर कब्जा करना चाहा, परन्तु उक्त मौके पर मंगल किशोर मुण्डा अनुपस्थित था। तत्पश्चात जय सिंह मुण्डा ने कोर्ट का शरण लिया। जिसका केश नं0 एम. 396/78 एवं धारा 107 था। बहस के समय कोर्ट में जय सिंह मुण्डा उपस्थित नहीं हुआ। फलतः मंगल किशोर के पिता जगरनाथ मुण्डा वगैरह के पक्ष में फैसला सुनाया गया एवं उपरोक्त जमीन जगरनाथ मुण्डा के दखल में ही है। अतः खूँटकटीदार मुण्डा, वंशजों के भैइयाद जीवित रहने पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। फलतः जनजातियों का शोषण अपने लोगों द्वारा होता है। उपरोक्त मुकदमें में हार जाने के कारण जय सिंह मुण्डा मनोवैज्ञानिक ढंग से नाराजगी महसूस करने लगा तथा जगरनाथ मुण्डा एवं उनके भैइयादों से मालगुजारी लेना बन्द कर दिया। सन् 1976 ई0 से 1984 ई0 तक मालगुजारी नहीं लिया। जगरनाथ मुण्डा एवं उनके भैइयादों के आग्रह करने पर जय सिंह मुण्डा दस वर्ष तक का मालगुजारी वसूल किया परन्तु रसीद मात्र दो वर्ष का दिया।

रूपा मुण्डा द्वारा अपने भाइयों का आधा जमीन लेने से सम्बन्धित विवरण :-

सूचनादाता मंगल किशोर मुण्डा, ग्राम तेलाई मार्चा, बुण्डू के अनुसार उनलोगों की वंशावली निम्न प्रकार है :-



नोट :- चमर के मुत्यु के बाद, मंगल मुण्डा अपने बड़े भाई चमर की पत्नी को मुण्डा संस्कार के अनुसार उम्बुल (देवर-भाभी, विवाह) किया जिसके पुत्र क्रमशः जगरनाथ, जाठा बुधराम हैं।

रुपा मुण्डा स्वंय को चमर मुण्डा का पुत्र घोषित करते हैं ताकि जमीन का बंटवारा दो हिस्सा में हो। यदि वह अपने को मंगल का पुत्र घोषित करते हैं तो जमीन का बंटवारा पांच भाइयों में होगा।

अतः रूपा ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया तथा सिविल कोर्ट में रूपा के पक्ष में ही फैसला सुनाया गया। इसे पुनः जगरनाथ मुण्डा ने हाई कोर्ट में अपील किया है। जिसका नं0 57/85 है।

जमीन के हस्तान्तरण से सम्बन्धित लोवाहातू (सोनाहातू, राँची) निवासी गोलोक बिहारी सिंह मुण्डा का विवरण :-

लोवाहातू निवासी गोलोक बिहारी सिंह मुण्डा का कहना है कि उनका पुराना गाँव घर पारमडीह मौजा में था। पारमडीह मौजा अभी भी "मुण्डारी खूँटकटी" मौजा है। इस मौजे के अन्तर्गत उन्हें 346 (346) एकड़ जमीन गैर मजरुवा खास है, जहां वे खेती नहीं करते हैं। फलतः वन विभाग के फोरेस्टर राजाराम गिरी एवं रेंजर लक्ष्मीनाथ मुण्डा ने उनके बड़े भाई राधा मोहन साय से सन् 1984 ई0 में भेंट किये एवं सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत वृक्ष रोपण के लिये प्रोत्साहित किये। उन्होंने वन विभाग के खर्च से उपरोक्त भूमि पर वृक्ष लगाने का आश्वासन दिया। गोलोक बिहारी सिंह मुण्डा एवं राधा मोहन साय के कथनानुसार वे बारम्बार वन पदाधिकारियों से पूछ-ताछ किये कि वन विभाग की ओर से वृक्ष लगवाने पर "मुण्डारी खूँटकटी" हक तो नहीं चला जाएगा। वन विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि इससे किसी भी तरह का घाटा नहीं होगा, बल्कि 12 वर्ष तक जंगल विभाग की ओर से पौधों के देखभाल के बाद पूरा जंगल उसका होगा, जैसा कि खूँटकटी इलाके में हक है। अतः राधा मोहन सय एवं जंगल विभाग के कर्मचारियों के साथ एग्रीमेन्ट हुआ एवं वे उपरोक्त एकरारनामा पर हस्तक्षार किये। फलतः जंगल विभाग की ओर से निम्नांकित भूमि पर 3 लाख 46 हजार अकासिया, सिसन एवं चाकुण्डी पौधा लगाया गया है :-

क्रमांक	थाना नं0	खाता नं0	प्लाट नं0	रकवा एकड़ में	वृक्ष लगाये गये स्थान का नाम
1.	70	72	81	11.00	हारड़ पहाड़
2.	"	"	97	9.50	लोवा कोचा
3.	"	"	103	22.50	टुंगरी
4.	"	"	104	16.50	–
5.	"	"	113	15.03	"
6.	"	"	140	12.00	–
7.	"	"	152	18.50	–
8.	"	"	207	20.00	टुंगरी
9.	"	"	590	35.50	"
10.	"	"	185/775	18.00	"
11.	"	"	210/778	08.00	"
12.	"	"	214/781	05/20	"
13.	"	"	506	01.96	–
14.	"	73	600	20.00	–इत्यादि।

गोलोक बिहारी सिंह मुण्डा के अनुसार वन विभाग के कर्मचारियों के साथ कुछ एग्रीमेन्ट का कागजात वे अपने समीप नहीं रखे हैं। फलतः हाल के सर्वे (1987) में उपरोक्त भूमि के लिये "वन सरंक्षण विभाग" बिहार सरकार लिखा गया है। फलतः वे डर रहे हैं कि सरकार की "खूँटकटी" हक को समाप्त करने के लिये दोहरी चाल तो नहीं है। वे उपरोक्त भूमि के लिये अपने नाम के साथ "मुण्डारी खूँटकटी" शब्द जोड़ना चाहते हैं ताकि उनके हक की रक्षा की जा सके।

जनजातियों के जमीन का अप्रत्यक्ष ढंग से हस्तान्तरण एवं सांस्कृतिक शोषण से सम्बन्धित छुटू सिंह मुण्डा का विवरण :–

गम्भरैया, अड़की, राँची निवासी छुटू सिंह मुण्डा का साक्षात्कार लेने पर पता चला कि ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है जनजातियां सांस्कृतिक सम्पर्क के कारण अपने सांस्कृतिक महत्व एवं अपनी पहचान के प्रति उदासीन नजर आने लगती हैं। फलतः जनजातियां धीरे-धीरे निकम्मे एवं सरकार पर भरोसा करने लगी हैं। वे अपनी अभौतिक एवं भौतिक सम्पत्ति खो रही हैं एवं उन्हें स्वतंत्र ढंग से प्रगति करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गम्भरैया गाँव के मुडा-मानकी असमझदारी के कारण खूँटकटी हक से तो वंचित हो ही गये, अब वे ऊख ससांग जैसी सांस्कृतिक अचल सम्पत्ति से हाथ धोने के कगार पर हैं। मुण्डा जनजातियों के रीति, रिवाज के अनुसार ऊख ससांग में पूर्वजों की यादगारी में कई रस्म रीवाजों को पूरा करते हुए, पूर्वजों के नाम से पत्थर रख दिये जाते हैं। दूरदर्शिता के अभाव के कारण गंभरेया गाँव के मानकी एवं उनके भैइयादों ने मिलकर, गाँव वालों के सलाह पर ऊख ससांग पर बाजार सन् 1968-70 ई० से लगवाया।

सन् 1978-79 ई० के आस-पास सी० ओ० मनोज कुमार सिन्हा ने मुण्डाओं की ऊख

ससांग के महत्व को न जानने के कारण बाजार का डाक करवाया, परन्तु छुटू सिंह मुण्डा मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त की है। वे सांस्कृतिक महत्व को समझते हैं। इस मौके पर दक्षिणी छोटानागपुर के तत्कालीन आयुक्त डा० कुमार सुरेश सिंह एवं अड़की प्रखण्ड के सी० ओ० सिन्हा चकलद गाँव के मीटिंग में सम्मिलित होने के उद्देश्य से आये थे। बैठक में छुटू सिंह मुण्डा भी उपस्थित थे। छुटू सिंह मुण्डा ने अड़की के सी० ओ० से एकाएक प्रश्न किया, **ऊख ससांग** का डाक किस नियम के आधार पर आप कर रहे हैं? कमिश्नर की मौजदूगी के कारण बात को आगे न बढ़ाने के लिये सी० ओ० ने छुटू सिंह मुण्डा को फुसफुसाया कि आज की तिथि से **ऊख ससांग** पर अवस्थित बाजार का डाक नहीं होगा, तब से बाजार का डाक नहीं होता है।

ऊख ससांग का अवलोकन एवं सर्वेक्षण करने पर पता चला कि **ऊख ससांग** से सम्बन्धित जमीन का विवरण निम्नलिखित है :-

खाता नं0 - 48, प्लाट नं0 - 387, रकबा - 2.50 डी0

अभी इस जमीन पर करीब-करीब 10 (दस) लकड़ी के खम्भे से बनाये गये झोपड़ीनुमा एवं खपड़ा से छाये हुए मकान हैं। अतः समय रहते हुए ठीक समय पर कारवाई नहीं होगी तो ऊख ससांग का बाजार में बदलना स्वाभाविक है। हालांकि मुडा-मानकी एवं उनके भैइयाद अभी भी ऊख ससांग में पूर्वजों के नाम पर पत्थर रखते हैं। इस तरह का दूसरा उदाहरण मुरहू प्रखण्ड का सोयको बाजार भी है। वहां ऊख ससांग के उपर बे-रोक टोक बाजार लगता है। अतः इस तरह की घटनाओं को जनजातियों का दूरदर्शी न होने के कारण अप्रत्यक्ष ढंग से शोषण ही कहा जा सकता है।

जनजातियों से गैर जनजातियों में जमीन के हस्तान्तरण से सम्बन्धित चान्दुरा, गंभरेया, अड़की निवासी धन सिंह मुण्डा का विवरण :-

आई0 ए0 तक शिक्षा प्राप्त जोजाहातू, अड़की माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय का शिक्षक धन सिंह मुण्डा का कहना है कि गंभरेया मौजा पहले मुण्डारी खूँटकटी मौजा था, परन्तु किन्हीं कारणों से खूँटकटी हक समाप्त हो गया। फलतः खतियान पार्ट II का पड़ती जमीन का हस्तान्तरण गैर जनजातियों में नाजायज ढंग से हुआ है। सूचनादाता के मुताबिक खूँटकटी हक समाप्त होने के कारण कई मुण्डा-मानकियों के भैइयाद तथा मुण्डा जनजाति के लोग सी0 ओ0 के माध्यम से पड़ती जमीन का दाखिल-खारीज कराना चाहा, परन्तु सी0 ओ0 जनजातियों की बातों पर ध्यान नहीं दिये। चूँकि वे मोटे रकम उन्हें नहीं दे सकते थे। अतः विभिन्न सी0 ओ0 10-15 वर्षो के भीतर (सन् 1970 ई. से 1982) पड़ती जमीन निम्नांकित सेठ साहुओं के नाम से बन्दोबस्त किये हैं :-

क्रमांक	नाम	ग्राम एवं थाना
1.	काली साहू	गम्भरैया, अड़की, रॉची।
2.	राधिका साहू	"
3.	दुर्गा साहू	"
4.	रामकीस्टो साहू	"
5.	भुवनेश्वर साहू	"

सूचनादाता का कहना है कि जनजातियों ने साहुओं के नाम से दाखिल खारीज न करवाने के लिये काफी विरोध किया, केस भी लड़ा, परन्तु उनकी बातों पर सरकारी पदाधिकारीगण ध्यान नहीं दिये। अतः आज कई जनजातियां भूमिहीन हो गयी हैं। चूँकि वे उपरोक्त जमीन पर बे-रोक टोक कुरथी, मूंग इत्यादि दालों की खेती करते थे। अतः जनजातियों का शोषण हुआ है।

जनजातियों के जमीन का हस्तातन्तरण एवं सांस्कृतिक शोषण से सम्बन्धित त्रिलोचन मुण्डा एवं रघुनाथ मुण्डा का विवरण :-

ग्राम-मौजा दुलमी निवासी सूचनादाता के अनुसार दुलमी मौजा के अन्तर्गत निम्नलिखित मुण्डा जनजातियों का सांस्कृतिक-धार्मिक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां न केवल मुण्डा जनजाति (नोट : ऊख ससांग को छोड़ कर) बल्कि गाँव के सभी लोग एक साथ चन्दा इकट्ठा करते हैं एवं पूजा-पाठ करते हैं :-

क्रमांक	थाना नं0	मौजा	खाता नं0	प्लाट नं0	सांस्कृतिक-धार्मिक स्थान का नाम	रकबा एकड़ में
1.	69	दुलमी	227	140	सारना	0.06
				371	"	0.03
				742	बुरू जाहेर	3.43
				882	"	0.11
				1036	महादेव स्थान	0.03
				1071	देवस्थान	0.70
				1246	"	0.40
				1397	"	0.02
नोट : प्लाट नं० 1524 का पूरा हिस्सा हड़पा जा चुका है।				1524	जाहेर	0.01
				1536	देवस्थान	0.58
				1546	हड़गडी या ऊख ससांग	0.20
नोट : प्लाट नं0 1536 का कुछ हिस्सा लखीचरण कोइरी एवं हरेकृष्ण कोइरी द्वारा हड़पा गया है।				1548	"	1.41
				1568	"	0.36
				1632	सारना	0.04
				1666	"	0.45
				1669	"	0.07
				1693	देवस्थान	0.26
				1707	सारना	0.21
				1719	"	0.05
				1728	"	0.29
				1742	"	0.08
				1773	"	0.56

1822	”	1.93
1807	”	0.93
1953	”	0.89
1967	देवस्थान	0.06
1969	”	1.00
1975	”	0.16
1982	”	0.10
कुल - 29 प्लाट		

साक्षात्कार, अवलोकन एवं अन्य विधियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार प्लाट नं0 1546, 1548, 1568 धानीराय पाहन, त्रिलोचन मुण्डा एवं अन्य मुण्डाओं का ऊख ससांग (हड़गड़ी) है जहां वे पूर्वजों के नाम से पत्थर गाड़ते हैं या मृत्त व्यक्ति के नाम से पत्थर रखते हैं एवं रस्म-रीवाजों को परम्परागत ढंग से सम्पन्न करते हैं। इतना ही नहीं? बल्कि खूँटकटी हक को कायम रखने की विभिन्न इकाइयों में ऊख ससांग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ऊख ससांग की वर्तमान स्थिति के अनुसार प्लाट नं0 1546 के पूरब में सोहराई कोइरी, पश्चिम में लखिया कोइरी, उत्तर में मनसु कोइरी एवं दक्षिण में सोहराई कोइरी का जमीन है। वे सभी धीरे-धीरे ऊख ससांग के पत्थरों को हटा कर भी खेती करने लगे हैं या ऊख ससांग की जमीन का कुछ हिस्सा अपने खेत के साथ मिला रहे हैं। इसी तरह से प्लाट नं0 1568 के पूरब में महेन्द्र कोइरी पश्चिम में नन्द पातर कोइरी, उत्तर में कालीपद कोइरी, दक्षिण में किष्टो कोइरी एवं प्लाट नं0 1548 के पूरब में राधानाथ कोइरी, पचा कोइरी, पश्चिम में कालीपद कोइरी, उत्तर में महेन्द्र कोइरी एवं दक्षिण में कालीपद कोइरी का जमीन है। वे भी अन्य लोगों की तरह अपने जमीन का जोत कोड़ करते हुए ऊख ससांग की जमीन का कुछ हिस्सा जोत कोड़ करने लगे हैं। फलतः मुण्डाओं एवं कोइरियों के बीच झगड़ा झंझट होते रहता है। “ऊख ससांग” को देखने पर साफ पता चलता है कि ऊख ससांग की जमीन को धीरे-धीरे हड़पा जा रहा है।

अतः सन् 1979 ई0 1985 ई0 के सर्वे के अवसर पर कई कोइरियों ने जोत-कोड़ किये जा रहे जमीन का खाता अपने नाम से खोलवाया है। इसके लिये वे लोग काफी पैसे भी खर्च किये हैं। उपरोक्त जमीनों के विरोध में कई जनजातियों ने डी0 पी0 भरा है। लेकिन कुछ लोग दूरदर्शी न होने एवं गरीबी के कारण जमीन हड़पे जाने पर भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं। चूँकि वे प्रतिदिन कोइरियों के घर में मजदूरी का काम करते हैं। अतः आदिवासियों के सांस्कृतिक-धार्मिक महत्व से सम्बन्धित जमीन की भी रक्षा वे नहीं कर पा रहे हैं। फलतः उनका शोषण हो रहा है।

एदेलहातु, बुण्डू स्थित NH 33 रांची - टाटा राष्ट्रीय उच्च पथ पर आदिवासी मुण्डा समाज विकास एवं उत्थान कार्यक्रम के लिए (मुण्डारी खुंटकटी जमीन) संस्कृति बिहार रांची को जमीन देने से सम्बंधित विवरण एवं वर्त्तमान स्थिति :-

दस्तावेजों से ज्ञात है कि अनिबंधित सादा पट्टा (दान पत्र) के द्वारा मुण्डारी खुंटकटी जमीन को लेख्यकारी प्रधान सिंह मुण्डा, पिता - स्व० गोपाल सिंह मुण्डा निवासी ग्राम एदेलहातु, थाना बुण्डू, थाना नं० 54 जिला रांची ने लेख्यधारी गंगा प्रसाद बुधिया (सीताराम मारू) पिता

– स्व० गनपत राय बुधिया, अध्यक्ष, संस्कृति बिहार, रांची एवं अशोक कुमार अग्रवाल, पिता श्री स्वरूप अग्रवाल, संयोजक, संस्कृति, बिहार, 55 बड़ा लाल स्ट्रीट, अपर बाजार, रांची को खाता नं० 135, प्लॉट नं० 979 रकबा 16 एकड़ 60 डिसामील मध्ये 6 (छः) एकड़ एवं प्लॉट नं० 974 रकबा 22 एकड़ 68 डिसमील मध्ये 5 (पांच) एकड़ जमीन अर्थात् कुल टोटल 11 (ग्यारह) एकड़ जमीन, लगान रहित, "आदिवासी मुण्डा समाज विकास एवं उत्थान कार्यक्रम के लिए" हमेशा के वास्ते अनिबंधित सादा पट्टा द्वारा दान पत्र दिनांक 27-08-1984 ई० को दिया। स्व० प्रधान सिंह मुण्डा का अवधारणा मुण्डा समाज को आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना तथा गरीबों का कल्याण रहा है। चूंकि उपरोक्त भूमि मुण्डा समाज का सांस्कृतिक-धार्मिक (बा सारना, बुरू सारना) स्थल है। अतः एकरारनामे के अनुसार मुण्डाओं के सिंग-बोंगा, पूजा स्थान, सासान दिरी (हड़गड़ी स्थान) का संरक्षण, संवर्द्धन तथा उन्नत प्रकार से खेती कराने, उद्यान-बगीचा लगाने, स्कूल छात्रावास, सामुदायिक भवन, कुंआ तथा तालाब बनाने तथा विकसित करने के आलोक में है।

पुनः सादा नोट में मुण्डा आदिवासियों के बोंगा (देवता) तथा पर्व, त्योहार का जिक्र है। प्रधान सिंह मुण्डा का लिखित ब्यान है कि हम मुण्डा जाति एवं आदिवासियों का प्रधान शक्ति स्त्रोत "सींग बोंगा" या, सूर्य देव है। अतः बा (सरहुल), बुरू (पहाड़), सरना या जाहेर, दुबार सिंड़ी, हेर पुन, नावा पूना, एन पूना इत्यादि के अवसर पर सर्वप्रथम "सिंग बोंगा" का संस्मरण करते हैं ताकि पर्व - त्योहारों का पूजा-पाठ, उद्देश्यों के आलोक में हो।

दुवार सिंड़ी, सरना के उद्देश्यों के सम्बंध में लिखित ब्यान है कि ग्राम में दास, लुटेरा, चोर, डाकू इत्यादि प्रवेश न कर सकें। अतः दुवार सिंड़ी की पूजा, संस्मरण के क्रम में भी पूर्व में मुण्डा आदिवासियों के सर्व शक्ति स्त्रोत "सिंग बोंगा" (सूर्यदेव) का संस्मरण करते हैं। यह स्थल लेख्यकारी प्रधान सिंह मुण्डा के सपना के आलोक में प्रधान सिंह मुण्डा के नाम से जाना जाए। जानकारी के आलोक में आरम्भ से ही प्रबंधन समिति में मुण्डा समाज के सदस्य नहीं रहे तथा सन् 1991-92 ई० के आस-पास प्रधान सिंह मुण्डा के नजदीकी सदस्य द्वारा उपरोक्त भूमि में बनाए गए "पान दुकान" को उजाड़ा गया। फलतः प्रधान सिंह मुण्डा के नजदीकी रिस्तेदार आक्रोश व्यक्त किए। न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खुंटी केस नं० 13/93-94 प्रधान सिंह मुण्डा बनाम् गंगा प्रसाद बुधिया (सीताराम मारू, अध्यक्ष संस्कृति बिहार) धारा -71 (ए) सी० सन० टी० एक्ट दिनांक 28.09.1994 के आदेश के आलोक में प्रथम पक्ष प्रधान सिंह मुण्डा को जमीन वापस करने का आदेश पारित हुआ। अतः प्रधान सिंह मुण्डा एवं राम दुर्लभ सिंह मुण्डा दिनांक 17.07.1996, 26.07.1996, 22.08.1996 ई० को अंचलाधिकारी, बुण्डू, अनुमण्डल पदाधिकारी, खूंटी, आरक्षी उपाधिक्षक, खूंटी, ग्रामीण आरक्षी अधीक्षक, रांची, वरीय आरक्षी अधीक्षक, रांची, उपायुक्त, रांची, आदिवासी कल्याण आयुक्त रांची से दखल देहानी दिलाने का निवेदन किया। आवेदन के आलोक में श्री एल० कुंगा आदिवासी कल्याण, आयुक्त रांची ने पत्रांक- 1/अ०1-1011-96, आ० 773, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय रांची दिनांक 30.08.96 के द्वारा उपायुक्त राँची को दखल देहानी दिलाकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का आदेश दिए। पुनः दिनांक 12.09.96, 20.09.96, 08.10.96 ई० को प्रधान सिंह मुण्डा ने आदिवासी कल्याण आयुक्त, रांची, गृह सचिव, बिहार सरकार, पटना, मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना, द० छोटानागपुर प्रमण्डलीय आयुक्त, रांची, सचिव, भू-राजस्व भूमि सुधार, बिहार सरकार, पटना को दखल देहानी दिलाने हेतु निवेदन किया।

प्रेषक जे० टोप्पो, उपनिदेशक आदिवासी कल्याण पत्रांक 1/अ01-1011/96 आ० 9-96/904 ज्ञापांक 904 दिनांक 26-9-96 ई० को अपर समाहर्त्ता रांची के नाम दखल दिलाने का आदेश पारित हुआ। पुनः पत्रांक 877 दिनांक 07-6-1997 ई० को आदिवासी कल्याण आयुक्त, रांचो ने उपायुक्त, रांची को दखल देहानी दिलाकर, अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का आदेश पारित हुआ।

दिनांक 04-04-97, 13-05-97, 6-7-1998 ई० को प्रधान सिंह मुण्डा, चण्डी कुमार सिंह मुण्डा, राम दुर्लभ सिंह मुण्डा ने रा० वि० सं० सदस्य, बिहार जनजातिय परामर्श दातृ समिति, बिहार, पटना, लोक सभा अध्यक्ष, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली, अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, पटना, अध्यक्ष, भूमि घोटाला, संयुक्त विधान मण्डल, समिति, बिहार विधान सभा, पटना, विशेष सचिव, भूराजस्व भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना महामहिम राज्यपाल, बिहार, पटना, गृहमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली, महामहिम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली और अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, झारखण्ड स्वशासी परिषद् झारखण्ड भवन, रांची से दखल दिलाने का निवेदन किया। ज्ञात है कि दिनोक 6-7-1998 ई० प्रधान सिंह मुण्डा का अन्तिम निवेदन मार्मिक, दुखःद एवं विचारणीय है तथा आदिवासी समाज को न्याय प्राप्ति में विलम्ब न करने का संकेत है। अतः पत्रांक 623 दिनांक 6-7-1998 सूरजमंडल, उपाध्यक्ष, झारखण्ड क्षेत्र स्वशासी परिषद्, रांची द्वारा उपायुक्त, रांची को दखल दिलाने का आदेश पारित हुआ।

लेख्यकारी एवं लेख्यधारी की मृत्यु हुई। स्व० सिताराम मारू के पुत्र श्री अजय मारू ने सूर्य मन्दिर परिसर में स्व० सीताराम मारू की प्रतिमा अनावरण की योजना 2007 में बनाया। सितम्बर 2007 के अन्तिम सप्ताह "मुण्डा समाज विकास, समिति" को संस्कृति बिहार द्वारा प्रकाशित पर्चे एवं अन्य स्त्रोतों से पता चला कि यह भूमि "मुण्डारी खुंटकटी" है तथा लेख्यकारी, वंशजों एवं मुण्डा समाज के आस्तित्व से जुड़ी बातों एवं पहचान का सवाल है। अतः देश के सर्वोच्च पद पर आसीन पदाधिकारियों को "मुण्डा समाज विकास समिति" के हित एवं उद्देश्यों के आलोक में विरोध करते हुए आवेदन दी गई। अन्ततः डा० रामदयाल मुण्डा को इसकी जानकारी हुई, अतः 11 अक्टूबर 2007 को स्व० सीताराम मारू के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का डॉ० रामदयाल मुण्डा एवं विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध हुआ। विरोध के बावजूद स्व० सीताराम मारू की प्रतिमा का अनावरण हुआ। विभिन्न संगठनों द्वारा 11 अक्टूबर 2007 को मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का विरोध करने के क्रम में पता चला कि लेख्यधारी का नाम है - गंगा प्रसाद बुधिया (सीताराम मारू) एवं उपरोक्त 11 (ग्यारह) एकड़ भूमि " आदिवासी मुण्डा समाज विकास एवं उत्थान कार्यक्रम" के लिए है। इसके साथ ही गरीबो के हितों से जुड़ी बातें संलग्न हैं।

ब्राहमणों द्वारा शादी-ब्याह एवं श्राद्ध कर्म के अवसर पर पूजा-पाठ करने के कारण मुण्डा जनजातियों से ब्राहमणों में जमीन का हस्तान्तरण एवं शोषण से सम्बन्धित विवरण :-

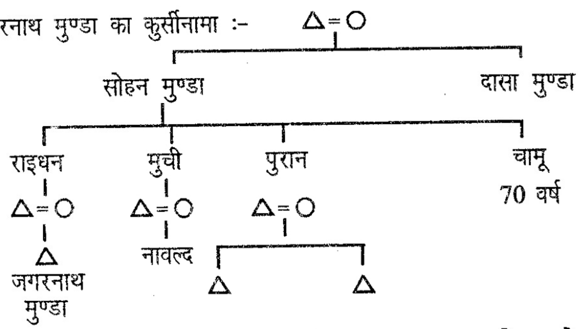
सन् 1850-1900 ई0 के आस-पास, पंचपरगना श्रेत्र की मुण्डा जनजातियां हिन्दू धर्म से प्रभावित हुई हैं। फलतः शादी-ब्याह एवं श्राद्ध कर्म के अवसर पर "पाहान" के बदले ब्राहमणों द्वारा पूजा-पाठ कराया जा रहा है। समय के बीतने के साथ धीरे-धीरे पंचपरगना क्षेत्र के मुण्डा समाज पर ब्राहमणों का काफी दबाव रहा। फलतः आज मुण्डा जनजातियां भी ब्राह्मणों को पाहान से (शादी-ब्याह एवं श्राद्ध कर्म के लिये) अधिक महत्व दे रही हैं। वे ब्राह्मणों को उच्च जाति एवं

उच्च श्रेणी का समझने लगे हैं। अतः मुण्डाओं में इस तरह की धारणा बन गई है कि ब्राह्मणों के बिना, शादी-ब्याह एवं श्राद्ध कर्म नहीं हो सकता है एवं पुण्य प्राप्ति सम्भव नहीं है। फलतः ब्राहमण मनमाने ढंग से गंगा पार, बेतरनी पार इत्यादि देवी-देवताओं के नाम से सोना दान, गौ दान, जमीन दान के नाम पर काफी रू० ऐंठते हैं। प्रायः (99%) देखा जाता है कि कन्या पक्ष की ओर से ब्राह्मण को पूजा करने के लिए बुलाया जाता है एवं वर पक्ष को ब्राह्मण का पारिश्रमिक एवं पूजा का सामान देना पड़ता है। अतः ब्राह्मणों को मनमानी करने में आसानी होती है। जब तक भिन्न-भिन्न देवताओं एवं ऋषि-मुनियों के नाम से वर पक्ष के लोग ब्राह्मण को दान नहीं देते हैं, शादी नहीं होती है। कन्या पक्ष के लोग भी असमझदारी के कारण ब्राह्मण का ही पक्ष लेते हैं। वे सोचते हैं कि शादी के लिये ब्राहमण के पूजा का सामान एवं देवताओं के नाम पर दान न देना, शर्मनाक है। फलतः ब्राह्मण को मनाने एवं खुशामद करने में 8-9 घंटे समय बीत जाते हैं तब तक वर-कन्या पक्ष के लोग एवं अन्य कुटुम्ब बन्धु शादी मण्डप में ब्राह्मण का मुंह ताकते रहते हैं। अतः समय की बर्बादी होती है एवं कभी-कभी कन्या-वर पक्ष के लोगों के बीच झगड़ा भी हो जाता है। ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि वर पक्ष के लोगों को उधार पैचा करके ब्राह्मण का रकम जुटाना पड़ता है। अतः ब्राह्मणों द्वारा पूजा के नाम पर आदिवासियों का शोषण होता है। अब मुण्डा जनजातियाँ अपनी भूल समझने लगें हैं। चूँकि वे स्वयं परम्परा से स्वतन्त्र ढंग से पूजा करते आ रहे हैं। अतः वे पूर्वजों की तरह अपनी भाषा में पूजा करने लगे हैं।

ग्राम डिम्बूडीह, तमाड़, रॉंची निवासी जगरनाथ मुण्डा का विवरण :-

सूचनादाता के अनुसार उनके परिवार में एक पीढ़ी समाप्त हो जाने पर ब्राह्मण को दान स्वरुप जमीन देने की परम्परा है। अतः सूचनादाता के आजा चामू की मृत्यु के बाद श्राद्ध कर्म के लिये ब्राह्मण को दान स्वरूप खाता नं0 120, प्लाट नं0 505 का 0.33 डी0 जमीन ब्राह्मण को दिया गया। यह सन् 1975 ई0 की बात है।

जगरनाथ मुण्डा का कुर्सीनामा :-



सूचनादाता के अनुसार बारेडीह (सोनाहातू) निवासी, ब्राहमण रामदेव पाण्डेय को घर-परिवार के शुद्धिकरण एवं देवी-देवताओं, ऋषि-मुनियों को खुश करने के लिये मंत्रोचारण करते हुए दान स्वरूप अन्य वस्तुएं भी दी गई है। जैसे :-

क्रमांक	दी गई वस्तुओं की सूची	वजन या संख्या या मात्रा या रकम	उद्देश्य
1.	रूपया	100 रू0	गाय दान के नाम पर
2.	रूपया	50 रू0	सोना दान के नाम पर
3.	चावल	30 किलो	देवी देवताओं के नाम पर

4.	चुड़ा	25 किलो	ऋषि-मुनियों के नाम पर
5.	कांसे का बर्तन	1	-
6.	साड़ी	1	-
7.	धोती	1	-
8.	रूपया	50	पारिश्रमिक के रूप में

अतः ब्राह्मणों द्वारा जनजातियों का शोषण पूजा के नाम पर होता है।

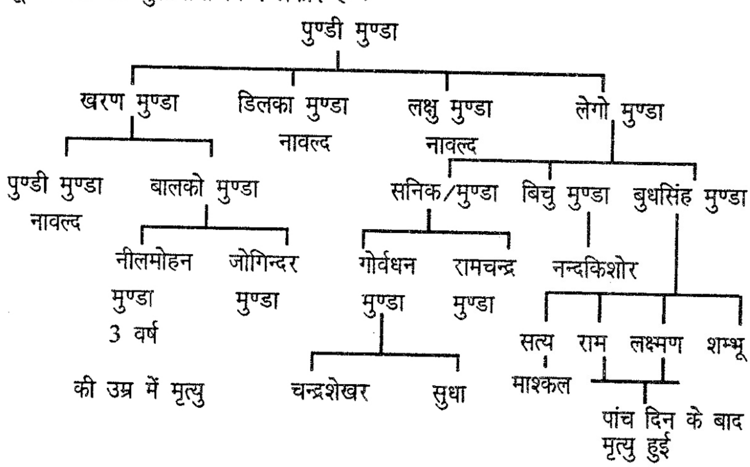
ग्राम फतेहपुर, कुदागाड़ा, नामकोम, राँची निवासी गोर्वधन मुण्डा का विवरण :-

सूचनादाता का कहना है कि सन् 1970 ई0 में उनके आजा लेगो मुण्डा की मृत्यु हुई। अतः उनके श्राद्ध कर्म के अवसर पर ब्राह्मण को घर परिवार के शुद्धिकरण के लिये निम्नांकित वस्तुएं दान स्वरूप देना पड़ा:-

क्रमांक	दी गई वस्तुओं की सूची	वजन या संख्या या मात्रा या रकम	उद्देश्य
1.	एक बैल	1	गोदान के नाम पर
2.	जमीन दान के नाम पर	50 रू0	
3.	एक आधे तोले का सोना का मोहर	1	सोना दान
4.	चावल	18 किलो	-
5.	गुड़	2 किलो	-
6.	चुड़ा	18 किलो	-
7.	रूपया	25 रू0	-
8.	कांसे का बर्तन	1	-
9.	धोती	1	

सूचनादाता के अनुसार उनके पिता स्व सनिका मुण्डा ने गोसाईडीह निवासी जनक ब्राह्मण को दान स्वरुप 1970 ई0 में उपरोक्त वस्तुओं को दिया।

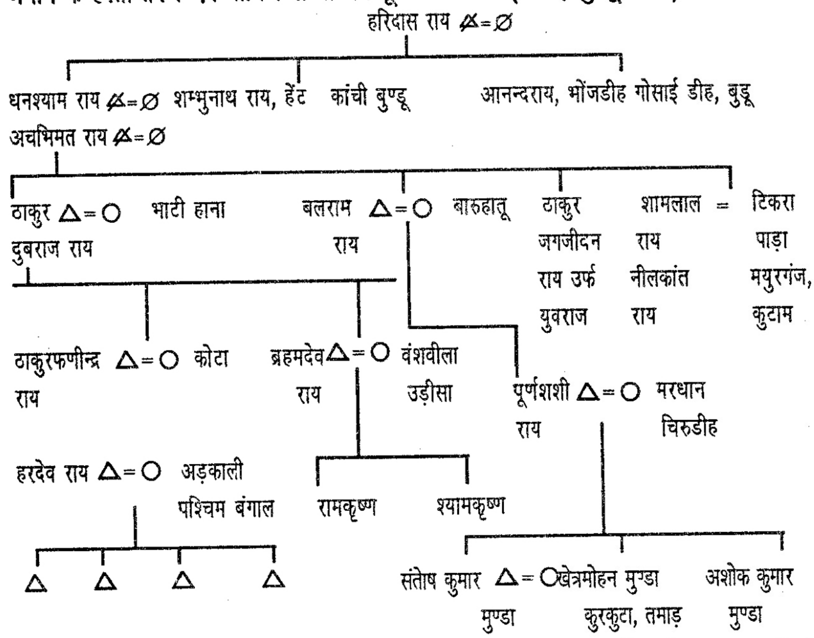
सूचनादाता का कुर्सीनामा निम्न प्रकार है :-



ग्राम फतेहपुर, कुदागाड़ा, नामकूम निवासी नन्दकिशोर मुण्डा का विवरण :-

सूचनादाता का कहना है कि उनकी दीदी सुभद्रा की शादी मारांग पीड़ी, तमाड़ निवासी एतवा मुण्डा के साथ सन् 1973 ई0 में हुई। इन दोनों की शादी के अवसर पर दुल्हा पहुँचने के बाद दुल्हन का आदिवास हो रहा था अर्थात् दुल्हन को रस्म-रीवाजों को सम्पन्न कराते हुए आम के पत्ती का टहनी दांत से चबाया जाता है। उक्त अवसर पर गोसांइडीह के ब्राह्मण जनक 500 रूपया मांग करने लगा। गरीबी के कारण उपरोक्त पूजा से सम्बन्धित कार्य के लिये उतने रकम नन्द किशोर के पिताजी बिचु मुण्डा को जुटाना असम्भव था। फलतः नन्दकिशोर की माँ रोने लगी। ब्राह्मण देवता को उतने रकम न लेने के लिये विनती करने लगी, परन्तु ब्राह्मण अपने बात पर अड़े रहे। अन्ततः दुल्हन (सुभद्रा), सुभद्रा की दीदी, सुभद्रा की भाभी, नन्दकिशोर एवं अन्य महिलाएं रोने लगीं, विनती करने लगी। लेकिन ब्राह्मण को कुछ भी असर नहीं हुआ। अन्ततः उन्हें तुरन्त खेत बन्धक के रूप में देकर पैसा जुटाना पड़ा। इसी तरह से शादी के अवसर पर भी वर पक्ष के लोगों से मनमानी रकम अदा किये। अतः इस तरह की घटनाओं को शोषण शब्द से ही सम्बोधित किया जा सकता है।

जमीन के हस्तान्तरण एवं शोषण सम्बन्धित पूर्ण शशी राय (कांची, बुण्डू, रॉची) का विवरण :-



कांची, बुण्डू निवासी पूर्ण शशी राय का कहना है कि वे तथा उनके पूर्वज मुण्डा जाति के हैं एवं अपने इलाके के राजा थे। उनके अनुसार बुण्डू के राजा भी उन्हीं के भैइयाद हैं। पूर्ण शशी राय के मामा, बारूहातु बुण्डू निवासी रामनाथ मुण्डा के पिता हैं। रमानाथ के पिताजी गाँव का देख-भाल तथा नियंत्रण करते थे, अब रमानाथ करते हैं।

सूचनादाता पूर्णशशि राय का ससुराल मरधान, चिरूडीह (तमाड़) है, वे बांकेलाल मुण्डा के

बहन-दामाद हैं। बांकेलाल मुण्डा गाँव के "खूँटकटी मुडा" हैं। पूर्ण शशी राय के चाचा, ठाकुर पणीन्द्रनाथ राय का ससुराल कोटा, अड़की, राँची है। वे कोटा निवासी राधा गोविन्द मुण्डा (शम्भुनाथ मुण्डा के पिताजी) के बहन दामाद थे। अब शम्भुनाथ मुण्डा गाँव के "खूँटकटी मुडा" हैं। पूर्णशाशी राय के चचेरे भाई, नीलकान्त राय की शादी कुटाम निवासी राधा कृष्ण मुण्डा की बहन के साथ हुई है। अतः कुर्सीनामा द्वारा साफ पता चलता है कि पूर्णशशि राय के सभी सम्बन्धी मुण्डा जाति के हैं एवं वे सभी गाँव के प्रमुख व्यक्ति हैं। सूचनादाता तथा उनके कागजातों द्वारा पता चलता है कि खेंवट नं0 3/1, 3/2, 3/3 बलराम राय, श्यामलाल राय तथा उनके पूर्वजों के नाम से है, जबकि खेंवट नं0 3/4 पर सामूहिक अधिकार है। कुल टोटल 332 एकड़ 59 डी0 जमीन था। प्रथम कैडेस्ट्रल सर्वे अर्थात् सन् 1904-1905 ई० में खेंवट नं0 3/4 का जमीन ठाकुर अचम्भित राय वल्द धनश्याम राय कौम राजभुइया याने मुण्डा के नाम से है। सूचनादाता के अनुसार उनके पूर्वज राजा-महाराजा की भावना के कारण नाम के साथ ठाकुर एवं राय टाइटल लिखाते थे। फिर भी सन् 1905 ई0 के सर्वे में जाति मुण्डा ही लिखा हुआ है।

प्रथम सर्वे के बाद सन् 1920-25 ई० के आस-पास ठाकुर जगजीवन राय वल्द अचम्भित राय ने कांची, बुण्डू निवासी मीठू साहू क पास खेंवट 3/4 (खाता नं0 5, 6, 10, 12) का लगभग 269 एकड़ जमीन 4 हजार दो सौ रू. में जरपेशकी के रूप में दिया। तीन-चार वर्षो तक खेती करने के बाद मीठू साहू (कांची, बुण्डू) ने अपर बाजार, राँची निवासी अपने भैइयाद या सम्बन्धी हीरा लाल साहू के लड़के पन्नालाल साहू एवं दुबराज राय (कांची, बुण्डू) के लड़के ठाकुर पणीचन्द्र राय के साथ "साकी कुपूल" सम्बन्ध जोड़वाया। "साकी कुपुल" सम्बन्ध स्थापित होने के बाद दोनों परिवारों के सदस्य एक दूसरे के निकट महसूस करने लगे। अतः हीरालाल साहू ने दुबराज राय के समक्ष उपरोक्त रकम मीठू साहू को लौटा कर साझे पर खेती करने का इच्छा प्रकट किया, परन्तु हीरालाल साहू ने उपरोक्त शर्त पर रूपया लौटाने के लिये एकरारनामा लिखवाया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि पूर्णशशि राय के पिता बलराम एवं चाचा श्यामलाल की सारी सम्पति, घर-आंगन समेत बिक्री हो गई है। हीरालाल जमीन की खरीददारी के बाद जब दखल करने लगे तो मीठू साहू के वंशज भैरवलाल एवं लखी साहू आपत्ति करने लगे। फलतः हीरालाल साहू ने उन दोनों का मुंह बन्द करने के लिये सम्पूर्ण सम्पत्ति का 75% हिस्सा उनके नाम से लिख दिया। बाकी बचे हुए सम्पत्ति पर अब हीरालाल साहू दावा करने लगा परन्तु पूर्णशशी राय के पिता मुकदमा लड़ने लगे। अतः सन् 1988 ई० तक उपरोक्त जमीन पूर्णशाशी राय के कब्जे में ही था।

द्वितीय रीवीजनल सर्वे के अवसर पर सन् 1935-40 ई० के आस-पास हीरालाल साहू या उनके वंशज उपरोक्त जमीन हड़पने के ख्याल से अमीन एवं सर्वे से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मिलकर अचम्भित राय के वंशजों को खतियान में जाति राज भुंइया दर्ज करवा दिया गया ताकि गैर जनजातियों में जमीन के हस्तान्तरण को जायज समझा जाय। अतः द्वितीय रिवीजनल सर्वे में जाति मुण्डा को बिल्कुल ही हटा दिया गया है। अचम्भित राय के संतान उपरोक्त जमीन के वापसी के लिये सन् 1939 ई० से ही कोर्ट में मुकदमा दायर किये हैं एवं उन्हें डिग्री भी हासिल हुई है, परन्तु अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण समय पर दखल नहीं कर पा रहे हैं। मौका पाकर हीरालाल साहू के संतान एवं अन्य लोग कोर्ट में अपील करते जा रहे हैं।

सूचनादाता पूर्णशशि राय के अनुसार सन 1982-83 ई0 के आस-पास बुण्डू के सी0 ओ0 के साथ उपरोक्त जमीन पर दखल हासिल करने हेतु पूर्णशशि राय के गाँव कांची गये, वे वहां पर सबसे पहले गाँव के मुखिया से विचार-विमर्श के लिये गये, कुछ ही क्षणों में मुखिया ने सी0 ओ0 को घर के अन्दर बुलाया (नोट : कांची का मुखिया भी साहू जाति का है) मुखिया, सी0 ओ0 से उपरोक्त प्लाट देखना चाहा, जिसमें मुखिया का प्लाट भी सम्मिलित था। मुखिया एवं सी0 ओ0 में घनिष्ठता थी। फलतः सी0 ओ0 ने उसे तुरन्त आपत्ति आवेदन उनके पास जमा करने के लिये कहा। अन्ततः सी0 ओ0 ने कहा कि उपरोक्त जमीन के लिये आपत्ति आवेदन मिल चुका है। जिससे कब्जा वर्तमान समय में नहीं दिलाया जा सकता है।

कई लोगों का साक्षात्कार लेने पर पता चला कि सामूहिक सम्पत्ति को मुण्डा जनजातियों के रीति-रिवाज के अनुसार बड़ा भाई रहते हुए छोटा भाई कभी बेच नहीं सकता है। यदि बेचता भी है तो उसमें सभी भाइयों के सहमति की जरूरत पड़ती है।

अतः पूर्णशशि राय की जमीन, साहूओं में हस्तान्तरण, उन्हें अंधेरे में रख कर हुआ है।

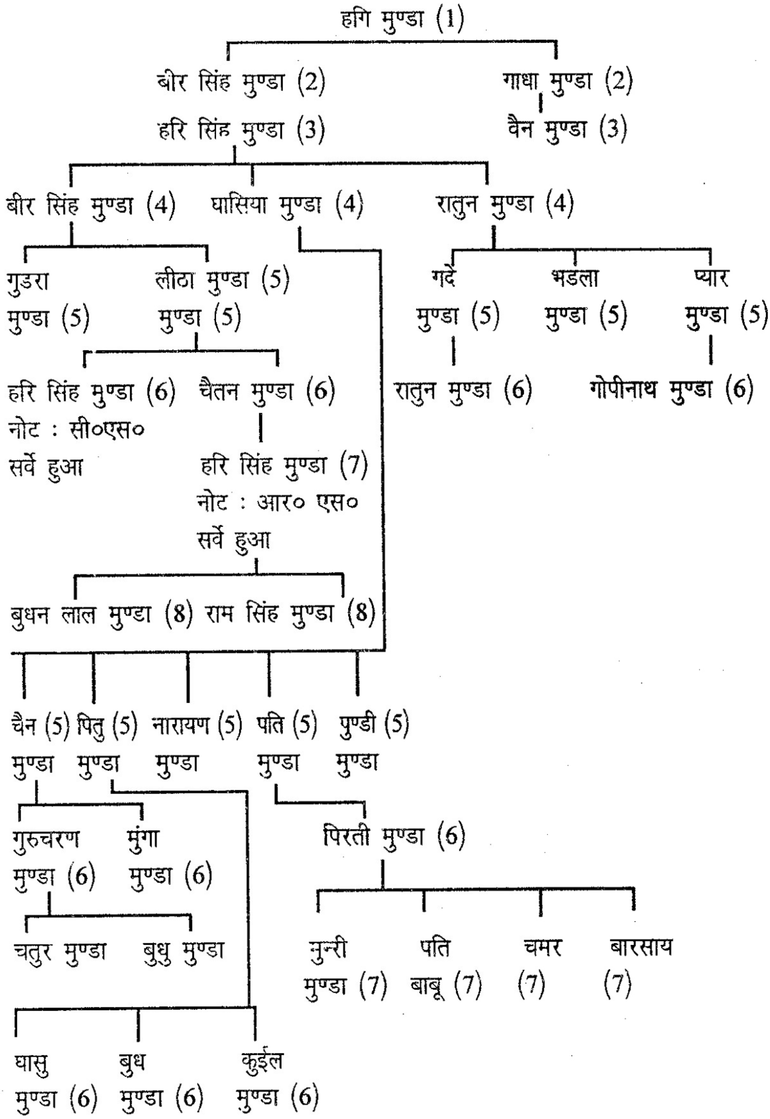
जमीन के हस्तान्तरण एवं शोषण से संबंधित डोमन सिंह मुण्डा एवं राधा गोविन्द सिंह मुण्डा का विवरण :-

बी0 ए0 तक शिक्षा प्राप्त सूचनादाताओं के अनुसार शहरों के अगल-बगल आदिवासियों की जमीन, गैर आदिवासियों में आसानी से हस्तान्तरण नाजायज ढंग से होता रहा है। उनके अनुसार वे टांड़ या खेत के बगल में छोटा सा मन्दिर बना लेते हैं, तत्पश्चात् वे पूरे टांड़/खेत में अवैध ढंग से दखल करने लगते हैं। कई चालाक एवं धूर्त्त व्यक्ति स्कूल बनाने के नाम पर दान स्वरूप मौखिक ढंग से जमीन ले लेते हैं, कुछ दिनों के बाद स्कूल के नाम पर लिये गये जमीन के कुछ हिस्से में प्राइवेट स्कूल चलाते हैं तथा अन्य हिस्से पर वे आलीशान मकान खड़ा करते हैं। प्राइवेट स्कूल बन्द हो जाने के बाद पूरे जमीन पर वैसे व्यक्तियों का दखल रह जाता है। फलतः वैसे व्यक्तियों के लिये आदिवासियों से जमीन लेना बड़ी बात नहीं है।

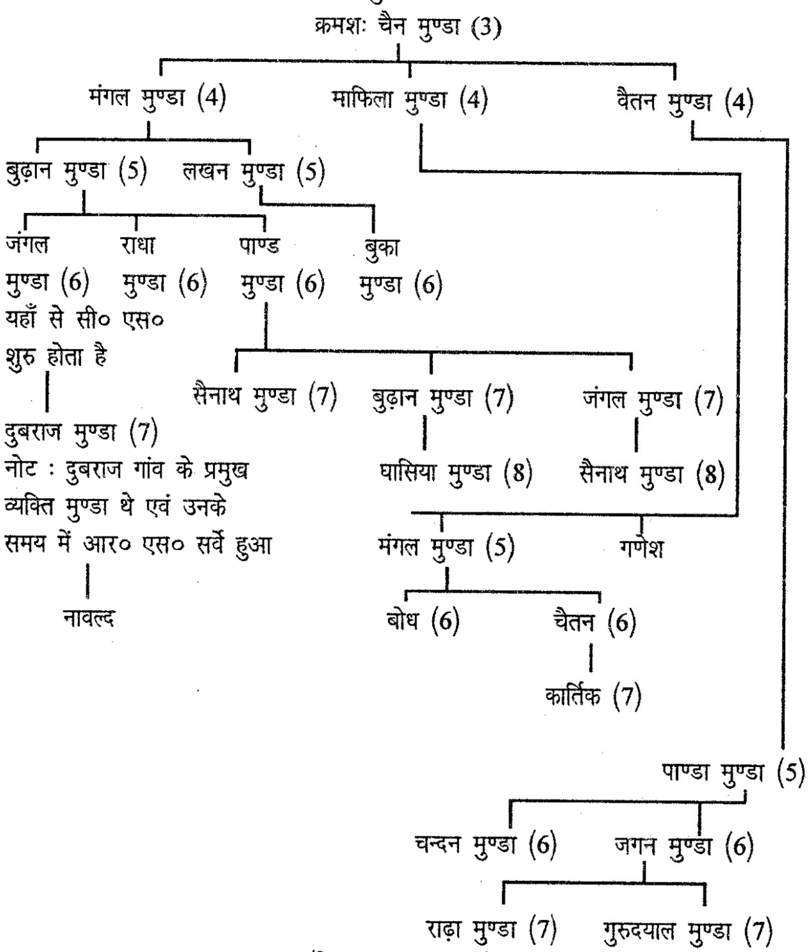
उपरोक्त बातों के अतिरिक्त आदिवासी लड़कियों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित की जाती है जिनके माध्यम से जमीन खरीदी जाती है। आज कई गैर जनजातियाँ कानूनन ढंग से लीज पर जमीन लेते हैं एवं सदा के लिये जमीन के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। धीरे-धीरे चालाक-चतुर गैर जनजातियां शहरियों का नकल करने लगी हैं। अतः जनजातियों का शोषण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ढंग से हो रहा है। संयोगवश यदि आदिवासी जातियां मुकदमा करती हैं तो उपरोक्त जमीन पर बने मकान का क्षति पूर्ति देने के लिये कहा जाता है। अतः उतने रकम, उनके लिये जुटाना सम्भव नहीं है। फलतः उपरोक्त जमीन का मूल्य जमीन मालिक को देने के लिये कहा जाता है। अतः जमीन का हस्तान्तरण जनजातियों से गैरजनजातियों में अवैध ढंग से होता है। पुनः सूचनादाताओं ने कहा कई गैर जनजातियां, अपने घर में दैनिक मजदूर के रूप में किसी आदिवासी व्यक्ति को रख लेते हैं एवं उनके नाम से जमीन खरीदकर बस गए हैं। जागरूकता की कमी के कारण अमुक आदिवासी को पता नहीं चलता है कि जमीन किसकी है? अतः आज कमजोर वर्ग के लोगों का शोषण स्वाभाविक है।

जनजातियों से गैर जनजातियों में जमीन के हस्तान्तरण से संबंधित विवरण :-

नोट : प्रस्तुत कुर्सीनामा गुड़गीदारी, तमाड़ निवासी कुईल सिंह बाबू एवं गान्धर्व सिंह मुण्डा से प्राप्त हुआ है। इसे दिनांक 3-4-1929 ई० को लिपिबद्ध किया गया है।



कुर्सी नामा



सूचनादाता बुधन लाल मुण्डा (डिभरा, तमाड़, रांची) एवं अन्य लोगों का कुर्सीनामा पूछने पर पता चला कि उनके गाँव के कई लोग भैइयाद हैं, एवं खूंट के हैं तथा उनका मौजा कैंडस्ट्रल सर्वे के अनुसार खूँटकटी मौजा था जिसका खेंवट नं0 7 था। इसके अन्तर्गत 238 एकड़ 91 डिसमिल जमीन था। केडेस्ट्रल सर्वे में उपरोक्त जमीन का खेंवटदार मात्र जंगल मुण्डा के नाम से है। सर्वे के अवसर पर जंगल मुण्डा एवं उनके भैइयाद सर्वे से संबंधित पदाधिकारियों से मिलने में कतराते थे। फलतः अन्य भैइयादों के नाम से मात्र खाता खोला गया। जंगल मुण्डा के प्रधान व्यक्ति के रूप में राधानाथ साहदेव, तमाड़ स्टेट थे।

जंगल मुण्डा के मरने के बाद राधानाथ साहदेव ने जंगल मुण्डा के नावल्द होने का दावा किया एवं खेंवट नं० 6 के कुल जमीन के लिये दावा करने लगे। इस बात की जानकारी जंगल मुण्डा के लड़के दुबराज को जब हुई तो वे कोर्ट में मुकदमा दायर किये जिसका टाइटल सूट नं0

36 आफ 1924 है। मुकदमें में दुबराज की जीत हुई एवं पूरे मुकदमें में खर्च रकम का पैसा राधानाथ साहदेव को भरना पड़ा। संयोगवंश रिवीजनल सर्वे जब होने लगी तो उपरोक्त जमीन के लिये दुबराज मुण्डा को नकल निकाल कर सर्वे से संबंधित पदाधिकारियों के समक्ष पेश करना था। गरीबी के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ रहा। चूँकि मुकदमें में बहुत रूपये खर्च हो चुके थे। राधानाथ साहदेव ने दुबराज को फुसलाया, तुम्हारा लड़का तो है? नहीं। क्यों तुम दूसरों के लिये मरते हो जबकि तुम्हारे भैइयाद भी तुम्हें केस लड़ने में मदद नहीं कर रहे हैं। अतएव यदि तुम सर्वे में कागजात नहीं दिखाओगे तो मैं तुमसे लगान नहीं लूंगा। इस बात को सुनकर दुबराज ,खुश हुए। फलतः खाता नं0 45 का सारना एवं गैरमजरूवा खास जमीन राजा साहब के नाम से दर्ज हुआ, अतः दुबराज के अन्य भैइयाद हक से वंचित हुए।

सन् 1955 ई0 में राजाओं की "जमीन्दारी हक" बिहार सरकार द्वारा छीने जाने के कारण खाता नं0 45 का सारना एवं अन्य जमीन पर बिहार सरकार का अधिकार हुआ अतः एम0 एफ0 के द्वारा उपरोक्त जमीन पर रैयात बैठाया गया।

अतः आज मुण्डा आदिवासियों के बुरू सारना, बासारना जैसे सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों से बिहार सरकार द्वारा दीनदयान साहू को तीन एकड़ 13 डिसमिल जमीन प्राप्त हुआ है जिसका पूर्व खेंवट नं0 9 एवं खाता नं0 91 है।

अतः यह सर्वथा मान्य है कि जनजातियों का शोषण हो ही रहा है जिसे रोकना कठिन काम है।

ग्राम आड्राडीह, बुण्डू के आदिवासियों का शोषण एवं जमीन का गैर-जनजातियों में हस्तान्तरण :-

बुण्डू से 3-4 किलोमीटर पश्चिम में आड्राडीह नामक गाँव है जो आदिवासी बाहुल्य है। यहां के लोगों का सामूहिक साक्षात्कार लेने पर पता चलता है कि यह गाँव खूँटकटी था, परन्तु कई वर्षो पहले खूँटकटी अधिकार समाप्त कर दी गई है। आज यहां की मुण्डा आदिवासियाँ विशेषतः भूमिहीन हो गई हैं। गाँव का पूरा जमीन बुण्डू के सेठ-साहूकारों के कब्जे में हैं परन्तु समूचे जमीन पर खेती प्रायः मुण्डा जनजातियां ही साझे पर करती हैं। फलतः पैदावार फसल का आधा हिस्सा वे बुण्डू के लोगों को प्रतिवर्ष देते हैं। यहां की जनजातियां कहानी एवं कहावत के तौर पर यह जानती हैं कि पूरे गाँव की भूमि पर उनका स्वामित्व था, परन्तु यह नहीं जानती हैं कि कौन सी खाता, प्लाट एवं कितनी जमीन उन्हें तथा उनके पूर्वजों को प्राप्त था। अतः वे आज विशेषतः बुण्डू में मजदूरी का काम करती हैं जिससे उनका भरण-पोषण होता है। उनके पास कागजात भी उपलब्ध नहीं है। फलतः ऐसा लगता है कि उनके जमीन पर गैर-जनजातियों का अवैध दखल है। कुछ उपलब्ध कागजात के आधार पर पता चलता है कि उनके खूँटकटी एवं अन्य जमीन का हस्तान्तरण जरपेशकी के आधार पर हुआ है जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का उल्लधंन है।

आड्रीडीह गाँव की मुण्डा जनजातियाँ सन 1980-1985 ई० (सर्वे के अवसर पर) से जमीन जायजाद के सही अधिकारी एवं स्वामित्व का पता लगने के लिए सन् 1982-83 ई० को पूरे गाँव का जमाबन्दी खतियान निकालने के लिए रेकार्ड रुम में आवेदन पत्र दाखिल किए। इस कार्य के लिए बुण्डू के गोकुल सिंह मुण्डा (मुन्सी) का सहयोग ले रहे थे परन्तु अब तक (सन् 1988 ई०

के मार्च तक) जमाबन्दी खतियान तथा अन्य कागजातों को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए थे। नकल के लिए वे लोग रेकार्ड रुम के एक कर्मचारी को तीन हजार रुपये अग्रिम राशि दिये। रेकार्ड रुम के कर्मचारी का दिसम्बर 1987 ई० को साक्षात्कार लेने पर उन्होंने कहा कि जमाबन्दी खतियान लगभग तैयार हो गया है। मात्र एक दो पेज बाकी है जो जनवरी 1988 ई० तक में पूरा हो जाएगा। अतः आड्राडीह निवासी और तीन सौ रुपया लेकर आ जायें, मैं उन्हे दे दूगाँ।

अतः उपरोक्त विवरण द्वारा भोले-भाले आदिवासियों की क्षमता का पता चलता है कि जब जनजातियां रेकार्ड रूम से तीन-चार वर्षो में भी कागजातों की सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त नहीं कर सकती है तो क्या वे अवैध दखलकार को अपने जमीन से हटा सकती हैं। अतः जनजातियों का शोषण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है।

मुण्डा जनजातियों के ऊख ससांग पर मुसलमानों का अवैध दखल एवं जमीन के हस्तान्तरण से सम्बन्धित विवरण :-

कई लोगों का सामूहिक साक्षात्कार लेने पर पता चला कि आदिवासी छात्रावास, बुण्डू से सटा हुआ एक ऊख ससांग है जो ग्राम तुन्जू, बुण्डू के मुण्डाओं का है, जहां पर धीरे-धीरे मुस्लिम/समुदाय के लोग कब्रिस्तान बना रहे हैं। अतः मुण्डाओं के पूर्वजों के नाम से गाड़े गये पत्थर के आस-पास भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को दफनाया जा रहा है। अतः यदि समय पर ध्यान न दिया जाय तो ऊख ससांग कब्रिस्तान में परिवर्तन हो जाएगा।

ग्राम चीरूडीह, तमाड़, निवासी गोरखनाथ सिंह मुण्डा के खूँटकटी मौजा का सारजोमडीह, तमाड़ निवासी जीतू साहू के हाथों में हस्तान्तरण से संबंधित विवरण :-

45 वर्षीय चिरूडीह, तमाड़ निवासी गोरखनाथ सिंह मुण्डा के अनुसार उनके ग्रान्ड फादर सारजमडीह, तमाड़ निवासी जीतु साहू को 4044 रूपया में ताभयादी (जिसका निश्चित समय निर्धारित न हो) के शर्त पर जरपेशकी के रूप में दिया परन्तु कुछ वर्षो के बाद नाजायज ढंग से निलाम कर दिया गया एवं वर्तमान समय में जीतू साहू का नाती राधागोविन्द साहू चिरूडीह मौजे का "खूँटकटीदार" बन बैठा है जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का उल्लघंन है।

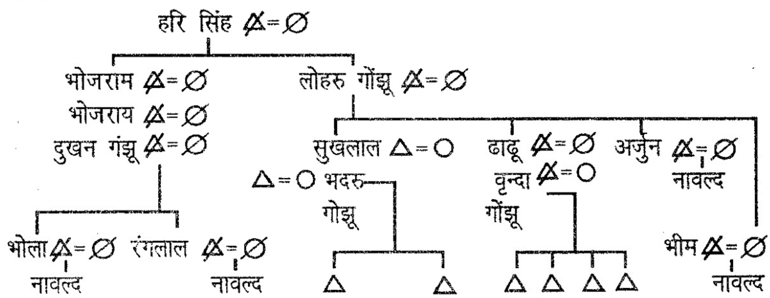
अतः आदिवासियों का शोषण पिछले कई वर्षो से अब तक अलग-अलग ढंग से हो रहा है।

अध्याय 7

जमीन के उत्तराधिकारी का नावल्द (Issueless) होना एवं भूमि के हस्तान्तरण से सम्बन्धित विवरण

पंचपरगना क्षेत्र की जनजातियाँ, वर्षों पहले से ही लिखना-पढ़ना नहीं जानती हैं। फलतः उनमें अपने परिवार तथा वंशज का कुर्सीनामा (जी. टी.) बना कर कोर्ट में जमा करने की परम्परा नहीं रही है। ज्यों-ज्यों समय बीतता है, वंश के जमीन के उत्तराधिकारी बदलते हैं एवं अलग-अलग सर्वे में अलग-अलग भाइयों के नाम से खाता खोला जाता है या खोला गया है। संयोगवंश अपने भाइयों में से किसी का वंश समाप्त हो जाता है तो खाता अलग होने के कारण उपरोक्त जमीन सरकार के हाथों में चला जाता है या "मुण्डारी खूँटकटी" क्षेत्र में खूँटकटीदार के हाथों में हस्तान्तरण हो जाता है लेकिन अन्य भाइयों के वंशज मौखिक रूप से यह जानते हैं कि अमुक लोग उनके भैइयाद हैं एवं जमीन उनकी ही होगी। फलतः वे उस जमीन को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसके लिये वे झगड़ा करने एवं मारपीट करने के लिये भी तैयार रहते हैं। ऐसे अवसर पर सरकारी छोटे-बड़े पदाधिकारी, वर्तमान स्थिति के अनुसार पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। फलतः कर्मचारी के माध्यम से पुनः सी0 ओ0 द्वारा जमीन का बन्दोबस्त करवाना पड़ता है। अतः वे पदाधिकारी, उन व्यक्तियों से एक हजार रूपया से लेकर पांच हजार रूपया तक लेकर उनके नाम से बन्दोबस्त कर देते हैं। अन्यथा अन्य व्यक्तियों को बन्दोबस्त कर देते हैं। फलतः जमीन का हस्तान्तरण जनजातियों से गैर जनजातियों में भी होता है। सन् 1979-87 ई0 के सर्वे सेटलमेन्ट में भी अमीन, कानूनगों एवं अन्य पदाधिकारियों को उपरोक्त प्रकार के भूमि के लिये रु० बटोरने का मौका मिला एवं रु० उन्होंने बटोरा है। उदाहरण के तौर पर निम्नांकित खाता से सम्बन्धित लोगों का संक्षेप में विवरण दिया जा रहा है :-

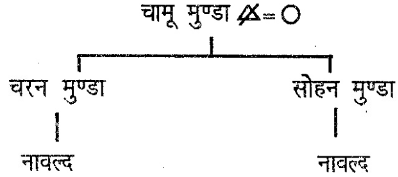
ग्राम हेसो, नामकूम निवासी वृन्दा गोंझू एवं भदरू गोझू द्वारा अपने ही भाई के खाता नं० 71 से सम्बन्धित जमीन को अपने नाम से दर्ज करवाने से सम्बन्धित विवरण :-



सूचनादाता भदरू गोझू एवं वृन्दा गोंझू के अनुसार उनके दादा (ग्राण्ड फादर) दो भाई थे, भौजराम एवं लोहरू गोंझू। उन लोगों का खतियान द्वितीय आर. एस. (रीविजनल सर्वे) के समय, अलग हो गया है। उनके पूर्वज भोजराम के वंशज नहीं है। फलतः कानूनन तरीके से भोजराम के जमीन का हस्तान्तरण स्वतः वृन्दा गोंझू एवं भदरू गोंझू के पास होना चाहिए लेकिन सरकारी कर्मचारियों का कहना था कि भोजराम के वंशज एवं दूर के भैइयाद भी नहीं हैं। फलतः उपरोक्त खाता नं0 71 के अन्तर्गत का 10 एकड़ 59 डिसमिल जमीन सरकार के हाथों में चला जाएगा। हालांकि उपरोक्त जमीन पर वृन्दा गोंझू एवं भदरू गोंझू वर्षो से शान्तिपूर्वक ढंग से खेती करते आ रहे हैं एवं उन्हीं के दखल में उपरोक्त जमीन था। सरकारी कर्मचारियों द्वारा डराने धमकाने पर वे अपने ही पूर्वज के जमीन को सन् 1978-80 ई0 में अपने एवं बेटों के नाम से दाखिल खारीज कराये। इसके लिये दोनों भाइयों ने बकरी बेचकर कर्मचारी लछु कच्छप को 240/- रू0 दिया। इतना ही नहीं बल्कि लछु कच्छप को दोनों भाई दो खस्सी (कीमत लगभग 700/-रू0) दिया। पुनः कुछ दिनों के बाद ग्राम सेवक जगु (मुसलमान) को 200/- रू0, मांगने पर देना पड़ा। क्रमशः रसीद काटने के नाम पर हजाम जाति के कर्मचारी ने एक सौ रूपया तथा सी0 आई0 ने 200 रूपया काम कर देने के बहाने मांग लिया। एक वर्ष बीतने पर राँची कोर्ट में पेशकार ने 1000/- रू0 (एक हजार रूपया) लिया। सूचनादाताओं के अनुसार उस समय उन दोनों के पास 1000/- रू0 नहीं था। फलतः अपने ही गाँव के अजम्बर मुण्डा को सात वर्षो के लिये जमीन बन्धक देकर रूपया जुटाया। इस तरह से अपने पूर्वज के जमीन को पुनः प्राप्त करने के लिये लगभग दो हजार पांच सौ रूपया खर्च हुए। अतः जनजातियों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से शोषण होता है। जो व्यक्ति रु० देने में समर्थ नहीं होते हैं, वे अपने जमीन जायदाद को भी अपना हक रहते हुए खो देते हैं।

साबिक खाता नं0 21, 22 एवं 23 से सम्बन्धित रोलाडीह (उलीडीह, तमाड़) निवासी सुखलाल मुण्डा का विवरण :-

जमीन से सम्बन्धित खतियान के अनुसार चामू मुण्डा के वंशज नहीं हैं। वे निसन्तान इस दुनिया से चल बसे।



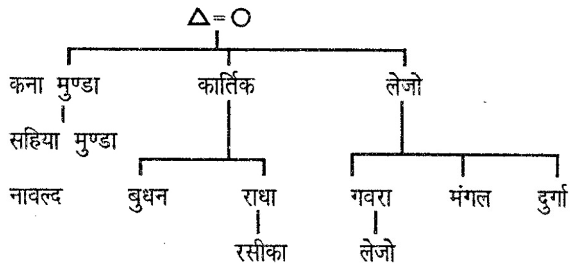
वास्तव में वे सुखलाल मुण्डा पिता गोरे सिंह मुण्डा के भैइयाद हैं। जमीन से सम्बन्धित कागजात के अनुसार निम्नांकित भूमि के हकदार नहीं हैं :-

खाता नं0	प्लाट नं0	रकवा एकड़ में
21	1071	
	1083	
	1092	

	1093	
	1094	4.18 एकड़
	1108	
22	1138	
	1152	1.89 एकड़
	1187	
23	1151	0.38 एकड़

अतः सुखलाल मुण्डा अपने भैइयादों का जमीन होने की हैसियत से उपरोक्त प्लाटों के लिये दावा करता है, परन्तु रागड़ा-बाड़ाँ निवासी अमीन नेठाल महतो उपरोक्त प्लाटों को सुखलाल मुण्डा के नाम से खाता खोलने के लिये 500/- रू0 माँगा। सुखलाल मुण्डा अपने पूर्वजों की जमीन का दावा करते हुए पैसा नहीं देना चाहता था, परन्तु अमीन ने उन्हें समझ लेने एवं सबक सिखाने की धमकी दी। फलतः वह दो बकरियों को बेच कर रूपया जुटाया।

ग्राम पोड़ाडीह, उलीडीह (तमाड़) के साबिक खाता नं० 112 से सम्बन्धित जमीन का विवरण :



साबिक खाता नं0 112 के जमीन का विवरण निम्नलिखित है :

खाता नं0	प्लाट नं0	रक्बा
112	995	
	997	
	1000	
	1024	5.29 एकड़
	1025	
	1092	

साबिक खाता नं0 112 के कागजातों के अनुसार उपरोक्त जमीन के वंशज नहीं हैं। चूँकि पिछले नाप के अवसर पर अपने भैइयादों के साथ खाता अलग हो गया है। परन्तु वास्तव में उनके भैइयाद लेजो मुण्डा, मंगल मुण्डा, दुर्गा मुण्डा एवं उनके बेटे जीवित हैं, अतः अमीन उपरोक्त नावल्द जमीन को उपरोक्त व्यक्तियों के नाम से दर्ज करने के लिये प्रत्येक हकदार व्यक्ति से 100-150 (एक सौ - डेढ़ सौ) रूपया अमीन द्वारा मांगा गया।

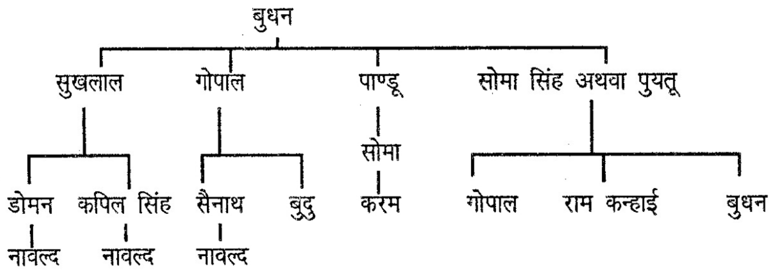
इसी तरह से साबिक खाता नं0 1, 250, 113 के अन्तर्गत आने वाले जमीन को भी उपरोक्त व्यक्तियों लेजो, मंगल, एवं दुर्गा के नाम से दर्ज कराने के लिये फिर से रूपया मांगा गया। वे तीनों भाई

लगभग 600/- रू० साबिक खाता नं0 1, 250, 113 के नाम से अमीन के पास जमा किये हैं।

इसके अन्तर्गत निम्नांकित प्लाट आते हैं :-

खाता नं0	प्लाट नं0	रकबा एकड़ एवं डी0 में
113	938	
	1010	1.10
	1021	
1	1033	0.91 "
250	1001	0.05 "

साबिक खाता नं0 175, 176 ग्राम रोलाडीह, उलीडीह तमाड़ के करम मुण्डा के जमीन से सम्बन्धित विवरण :-



सूचनादाता करम सिंह मुण्डा का कहना है कि उनके दादा सुखलाल के बेटे डोमन सिंह एवं कपिल सिंह के सन्तान नहीं हैं। फलतः उनके जमीन का हस्तान्तरण अपने ही भैदयाद करम, गोपाल, राम कन्हाई एवं बुधन में होना चाहिए परन्तु पिछले आर. एस. के नाप में खाता अलग होने के कारण अमीन एवं सरकारी पदाधिकारी का कहना है कि डोमन सिंह एवं कपिल सिंह के वंशज एवं भैइयाद नहीं हैं। फलतः उनका जमीन सरकार के हाथों में चला जाएगा। फलतः सोमा, गोपाल, राम कन्हाई, बुधन इत्यादि व्यक्तियों को अमीन, कानूनगो बन्दोबस्त पदाधिकारियों को खुशामद करना पड़ा एवं पैसा मांगने पर पैसा भी देना पड़ा है।

उपरोक्त जमीन को बन्दोबस्त करने के लिए अधिकारियों को अब तब लगभग आठ सौ रूपया देने पड़े हैं। सूचनादाता के मुताबिक उपरोक्त जमीन का विवरण निम्नलिखित है :-

साबिक खाता	प्लाट नं0	रकवा
1175	1143	1.24 एकड़
1176	1180	0.60 "

प्रायः सभी नावल्द किस्म के जमीनों को उनके भाइयों द्वारा अपने नाम से खाता खोलने के लिये भिन्न-भिन्न रकमों में पैसा देना पड़ा है, जो निम्नलिखित है :-

साबिक खाता नं0	प्लाट नं0	रकवा	गाँव	शोषित व्यक्ति का नाम	रकम
75	910 911 912 1028 1029 1036 1048 1051 1060 1062 454 1246	8.34 डी0	गोंडोए डीह, रूगड़ी (तमाड़)	कोले मुण्डा सोना मुण्डा वगैरह	1000/- रू0
111	922	0.95 डी0	"	"	200/-
147	–	0.96	उलीडीह (तमाड़)	बुध सिंह लाघु, करम, सैनाथ वगैरह	275/- रू0
257	802/872	0.97	"	सोहराई सिंह मुण्डा	280/- रू0
197		–	बांडवा उलीडीह (तमाड़)	मुगालाल, गनसा, बाबूलाल, वगैरह।	360/- रू0

8 अध्याय

अमीनों एवं कानूनगो के द्वारा जनजातियों के शोषण से सम्बन्धित उलीदा (बुण्डू) ग्राम का विवरण

पंचपरगना क्षेत्र के बुण्डू, तमाड़, सोनाहातु, सिल्ली एवं अनगड़ा क्षेत्रों में सन् 1978 ई0 से लेकर सन् 1983 ई0 तक अमीनों द्वारा विभिन्न लोगों के जमीनों का नये सिरे से सर्वे हुआ। इस अवसर पर गाँव के लोगों से अमीन पांच-पांच किलो चावल, 4-5 रूपया प्रति परिवार चन्दा करते थे। इतना ही नहीं? बल्कि प्रति दिन भिन्न-भिन्न लोगों से अण्डा, मुर्गा, मांस-मछली इत्यादि मांगा करते थे। इसके अलावा वे गाँव के लोगों से तरह-तरह का बहाना बना कर भिन्न-भिन्न लोगों से पैसा ऐंठते थे। उलीदा (बुण्डू, रॉची) ग्राम के लोगों की सूचीं जिन्हें काफी पैसा अमीन को घूस में देना पड़ा।

उलीदा ग्राम के ऐसे लोगों से 300-400 रूपया पैसा ऐंठा गया, जो नया रैयती बन्दोबस्ती कराये थे। इतना ही नहीं 15-20 वर्षो से अपने कब्जे के परती जमीनों को अपने नाम से लिखाने के लिये भी 100-200 रूपया देना पड़ा। उलीदा ग्राम के निम्नलिखित लोगों द्वारा मोटे रकम अमीन एवं कानूनगो द्वारा प्राप्त किये गये :-

नाम एवं ग्राम	जमीन का विवरण	रकम
1. बीरसा उरांव, उलीदा (बुण्डू)	नया रैयती बन्दोबस्ती जमीन को अपने नाम से लिखाने के लिये।	तीन सौ रूपया (300)
2. दर्जी उरांव, उलीदा (बुण्डू)	नया रैयती बन्दोबस्ती जमीन को अपने नाम से कराने के लिये	दो सौ (200)
3. जितु उरांव, उलीदा (बुण्डू)	"	" एक सौ (100)
4. बुधु सिंह मुण्डा, उलीदा (बुण्डू)	"	" तीन सौ (300)
5. घासिया मुण्डा, जोजो टोला (बुण्डू)	"	" दो सौ (200)

अमीनों द्वारा शोषण से सम्बन्धित हेसा : दा : ग्राम का विवरण :-

अमीनों द्वारा शोषण से सम्बन्धित हेसा : दा : ग्राम (बुण्डू, रॉची) के मुगालाल मुण्डा का विवरण :-

सूचनादाता मुगा लाल मुण्डा के अनुसार गाँव हेसा : दा : हुमटा : पंचायत के अन्तर्गत आता है। इस पंचायत में हेसा : दा : गाँव को छोड़कर अन्य कई गाँव निम्नलिखित है :-

(1) मुइसूडीह (2) गाडा टोला (3) काजी बारू (4) गीतोल बेडा (5) हुमटाः (6) बुरूटोला और (7) जाड़ेया।

मुगा लाल मुण्डा ने अमीनों द्वारा शोषण से सम्बन्धित बातों के क्रम में अपने गाँव हेसाः दाः के बारे में विस्तृत सूचना दिया। इस क्षेत्र में सन् 1978-79 ई० में सर्वे एवं खानापुरी हुआ। हेसाः दाः के ग्रामीणवासियों को अमीन सर्वे एवं खाना पुरी के समय निम्नांकित बातों को लेकर बुरी तरह पैसा ऐंठा करते थे :-

1. अपने खेंत के समीप के परती जमीन पर 15-20 वर्षों से दखल रहने पर भी अपना नाम लिखाने के लिये अर्थात् अपने नाम से परती जमीन को लिखवाने के लिये।

2. अपने खेत के समीप के दूसरे व्यक्ति के कब्जारी जमीन पर गलती से खेत बनाने पर तथा उसे अपने नाम से लिखने के लिये रु० लिया जाता था, इसी तरह से अन्य दूसरे पार्टी से भी अपने कब्जारी जमीन को अपने ही नाम से लिखवाने के लिये भी रु० मांगा जाता था। सूचनादाता के अनुसार उनके गाँव के निम्नलिखित लोगों से 30-35 रूपया से लकर 200-300 रूपया तक परती जमीन को उनके नाम से लिखने के लिये तथा दूसरे के कब्जारी जमीन पर गलती से खेत बनाये गये जमीन के झंझट को लेकर, दोनों पार्टियों से रूपया ऐंठा जाता था। अमीन खेत के मोटे मेड़ को भी पड़ती जमीन मानते थे, धाँधली करते थे।

क्रमांक	नाम	ग्राम एवं थाना	
1.	सोमनाथ मुण्डा	हेसराः दाः	(बुण्डू, रॉची)
2.	सुना मुण्डा	"	"
3.	बसु मुण्डा	"	"
4.	गुलाम मुण्डा	"	"
5.	घाटो मुण्डा	"	"
6.	दासा मुण्डा	"	"
7.	गोपाल मुण्डा	"	"
8.	दुगा मुण्डा	"	"
9.	लेंगो मुण्डा	"	"
10.	देवान मुण्डा	"	"
11.	बहादुर मुण्डा	"	"
12.	बालालोंग मुण्डाईन	"	"
13.	मनसा मुण्डा	"	"
14.	कमा मुण्डा	"	"
15.	पुष्कर मुण्डा	"	"

16.	फागु मुण्डा	”	”
17.	बलराम मुण्डा	”	”
18.	रंगलाल मुण्डा	”	”
19.	करमा मुण्डा	”	”
20.	टुसु मुण्डा	”	”
21.	लोदरो मुण्डा	”	”
22.	लादू मुण्डा	”	”
23.	मागरा		
24.	छटन मुण्डा	”	”
25.	पारू मुण्डा	”	”
26.	कुंजल मुण्डा	”	”
27.	एतवा मुण्डा	”	”
28.	हरि मुण्डा	”	”
29.	प्राण मुण्डा	”	”
30.	राम मुण्डा	”	”
31.	भीम मुण्डा	”	”
32.	लंगड़ा मुण्डा	”	”
33.	छोटे मुण्डा	”	”
34.	पाण्डू मुण्डा	”	”
35.	मोको पाण्डू मुण्डा	”	”
36.	असमेन मुण्डा	”	”
37.	सुकुलाल मुण्डा	”	”
38.	सागर मुण्डा	”	”
39.	वारिया मुण्डा	”	”
40.	सामराय मुण्डा	”	”
41.	घासी राय मुण्डा	”	”
42.	सानिका मुण्डा	”	”
43.	मुसल मुण्डा	”	”
44.	कोलेबर मुण्डा	”	”
45.	गुरूवा मुण्डा	”	”
46.	जीतू मुण्डा	”	”
47.	सैनाथ मुण्डा	”	”
48.	मुनगा मुण्डा	”	”
49.	बायार मुण्डा	”	”
50.	बिरसा मुण्डा	”	”
51	लादुरा मुण्डा	”	”
52.	सोनाराम मुण्डा	”	”
53.	लखन मुण्डा	”	”

54.	अर्जुन मुण्डा	"	"
55.	सोहराई मुण्डा	"	"
56.	चामरू मुण्डा	"	"
57.	बीरा मुण्डा	"	"
58.	चामू मुण्डा	"	"
59.	कादरा मुण्डा	"	"

अमीन के द्वारा पैसा मांगा जाने पर हेसाः दाः ग्राम के लोग बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके अमीन को दिये। उपरोक्त हेसाः दाः ग्राम के लोगों में मुनगा मुण्डा, बायार मुण्डा, कान्दरा मुण्डा एवं मोगा, पाण्डू मुण्डा मुर्गी एवं लकड़ी बेचकर अमीन को पैसा दिये। जबकि लेंगो मुण्डा, देवान मुण्डा, पुष्कर मुण्डा एवं कामा मुण्डा गहने बन्धक देकर एवं धान बेचकर पैसा इकट्ठा किये। उसी तरह से हेसाः दाः के कई लोग बर्तन बेचकर एवं जमीन बन्धक देकर अमीन को पैसा देने के लिये इकट्ठा किए। इस तरह से देखा जाता है कि अमीनों द्वारा इस क्षेत्र के आदिवासियों के अशिक्षित रहने के कारण तरह-तरह से पैसे ऐंठे जाते हैं। अतः जनजातियों का शोषण अमीनों द्वारा बुरी तरह से हुआ है।

अमीनों द्वारा शोषित मुगालाल मुण्डा का विवरण :-

मुगा लाल मुण्डा के गाँव के आस-पास अमीनों द्वारा सर्वे एवं खानापूरी सन् 1978 ई० में हुआ, मुगा लाल मुण्डा का कहना है कि सर्वे के समय अमीन बैद्यनाथ चौबे को दो सीट के 1170 प्लाट के सामने के परती जमीन को अपने नाम से लिखने के लिये अमीन द्वारा मांगा जाने पर 20/- रू० दिया। इसी तरह से दूसरे अमीन को (नावालादी जमीन 4 का) अपने नाम से लिखाने के लिये 40/- रू० दिया।

खानापुरी के समय उन्होंने एक अमीन को 10 सीट के 946 प्लाट के सामने के अपने कब्जे के परती जमीन को अपने नाम से लिखवाने के लिये 50/- रूपया दिया। दूसरे अमीन को उन्होंने खानापुरी के समय 865 एवं 869 (10 सीट) प्लाट के सामने के जमीन के लिये 24/- रूपया दिया। पैसा नहीं देने पर अमीन परती जमीनों पर कई सालों से दखल रहने पर भी उनके नाम से दर्ज नहीं करते थे। बल्कि वे बिहार सरकार लिखते थे।

मुगालाल मुण्डा का कहना है कि 865 एवं 869 प्लाट में से एक प्लाट गोपाल मुण्डा का है। मुगालाल मुण्डा गलती से गोपाल मुण्डा के कब्जे के जमीन पर खेत बना लिया है। अमीन द्वारा मुगा लाल मुण्डा को फुसलाया जाने पर उस तरह के जमीन के लिये भी पैसा दिया है। अमीन का कहना था कि जमीन आपके कब्जे में है इसलिये मैं उक्त जमीन को आपके नाम से दर्ज करूंगा। दूसरी ओर गोपाल मुण्डा से भी यह कह कर 40/- रू० घूस लिया है कि जमीन आपकी है क्यों न दखलकार कोई भी व्यक्ति हो। अतएव मैं आपके नाम से ही उक्त जमीन को दर्ज करूंगा।

अमीन द्वारा शोषित दासा मुण्डा का विवरण :-

दासा मुण्डा ने अमीन बैद्यनाथ चौबे के द्वारा मांगने पर 25/- रू० दिया। दासा मुण्डा ने डर से जमीन से सम्बन्धित कागजात न गड़बड़ी करने के लिये मुर्गी बेच कर रूपया जुटाया।

अमीनों द्वारा शोषण से सम्बन्धित ओमोने बुरू ग्राम के बिरहोर एवं मुण्डा आदिवासियों का विवरण :-

इस गाँव में 78-80 ई0 में सर्वे एवं खानापुरी हुआ। सूचनादाता जगरनाथ बिरहोर का कहना है कि उनके गाँव में अमीन बिजली बाबू ने अपने खाने पीने के लिये पूरे गाँव में प्रत्येक घर से 1-1/2, 2 सेर चावल एवं 1-2 रूपया पैसा के दर से चन्दा करवाया। इसके अतिरिक्त कई लोगों से 10/- रूपया से लेकर 50/- रूपया तक पैसा ऐंठा गया।

खानापुरी के समय भी अमीनों ने अलग-अलग लोगों से अलग-अलग रकमों में पैसा प्राप्त किया। इस अवसर पर यहां के लोगों से 15/- रू0 से लेकर 60/- रूपया तक मांगा गया है। अमीन के नाम से रूपया एवं चावल देने वाले लोगों की सूची निम्नलिखित है :-

क्रम संख्या		नाम	ग्राम	थाना जिला
1.	जंगल बिरहोर	अमोनबुरू	बुण्डू	राँची
2.	मुनी बिरहोर	"	"	"
3.	हुवलाल बिरहोर	"	"	"
4.	अजम बिरहोर	"	"	"
5.	गुसलू बिरहोर	"	"	"
6.	बाघराय बिरहोर	"	"	"
7.	बीरबल बिरहोर	"	"	"
8.	डिम्बल बिरहोर	"	"	"
9.	जगरनाथ बिरहोर	"	"	"
10.	बीकाराम बिरहोर	"	"	"
11.	चैतन बिरहोर	"	"	"
12.	बीसम बिरहोर	"	"	"
13.	सोहराई बिरहोर	"	"	"
14.	बरमा बिरहोर	"	"	"
15.	बुधवा बिरहोर	"	"	"
16.	सुखलाल बिरहोर	"	"	"
17.	जादू मुण्डा	"	"	"
18.	माड़की मुण्डा	"	"	"
19.	पुशवा मुण्डा	"	"	"
20.	मैन मुण्डा	"	"	"
21.	बुधन मुण्डा	"	"	"
22.	लगड़ा मुण्डा	"	"	"
23.	कान्दरा मुण्डा	"	"	"
24.	गुदहा मुण्डा	"	"	"
25.	चैन मुण्डा	"	"	"
26.	राजन मुण्डा	"	"	"

27.	दिनु मुण्डा	"	"	"
28.	बिसु मुण्डा	"	"	"
29.	कुंजल मुण्डा	"	"	"
30.	सोहन मुण्डा	"	"	"
31.	चुडू (धन सिंह) मुण्डा	"	"	
32.	बुधनलाल मुण्डा	"	"	"
33.	फुलीन मुण्डा	"	"	"
34.	रूपा मुण्डा	"	"	"
35.	स्तुलाल मुण्डा	"	"	"
36.	पुरून्दर मुण्डा	"	"	"
37.	लखीन्दर मुण्डा	"	"	"
38.	गौर सिंह मुण्डा	"	"	"
39.	गोविन्द मुण्डा	"	"	"
40.	चमरा मुण्डा	"	"	"
41.	सानिका मुण्डा	"	"	"
42.	चामू मुण्डा	"	"	"
43.	एतवा मुण्डा	"	"	"

अमीन, बिरहोर जैसे कन्द मूल एवं फूलों को एकत्रित कर जीविका चलाने वाले आदिवासियों को भी अमीनों ने नहीं छोड़ा अतः कई लोग सर्वे सेटलमेन्ट से प्रभावित हुए हैं।

अमीनों द्वारा शोषण से सम्बन्धित पुण्डीदीरी पंचायत (तमाड़) का विवरण :-

सूचनादाता जगमोहन मुण्डा ग्राम देगादाड़ी, पो0 पुण्डीदीरी, तमाड़ (राँची) के रहने वाले हैं वे मानव विज्ञान विषय से एम0 ए0 पास किये हैं। उनका कहना है कि पुण्डीदीरी पंचायत के अन्तर्गत निम्नांकित गाँव आते हैं, जहां अमीनों का दब-दबा रहा :-

(1) पुण्डीदीरी (2) झाड़ग्राम (3) झांटगाम (4) कुचरू
(5) डिमरा (6) लेंकेया (7) देगादाड़ी (8) बुसु:डीह एवं
(9) जायार टिकर।

सूचनादाता के अनुसार देगादाड़ी एवं झाड़ग्राम खूँटकटी हक 5 के अन्तर्गत आने वाले गाँव हैं। जबकि लेंकेया खूँटकटी गाँव नहीं है। पुण्डीदीरी, झाटग्राम एवं जायार टिकर गाँव के कुछ लोगों का खूँटकटी हक है। परन्तु कुछ व्यक्तियों को खूँटकटी हक प्राप्त नहीं है। जहां अमीनों द्वारा लोगों से बुरी तरह से पैसा ऐंठा गया।

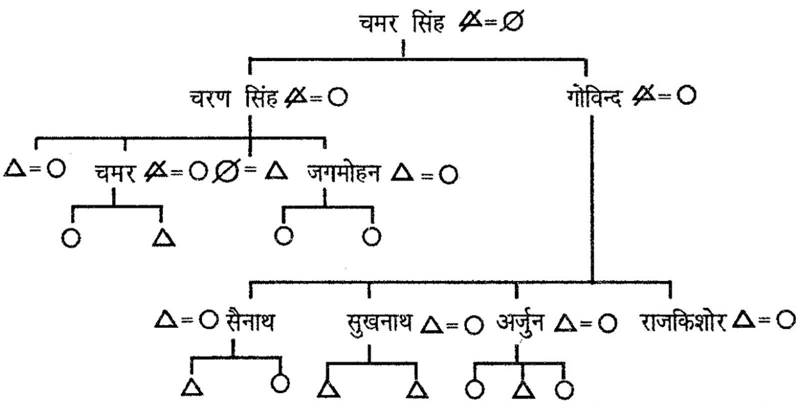
अमीनों द्वारा शोषण से सम्बन्धित गन्दुरा मुण्डा के परिवार का विवरण :-

सूचनादाता जगमोहन मुण्डा का कहना है कि गन्दुरा मुण्डा के पिता की दो पत्नी थी, पहले पत्नी के बच्चे नहीं थे। फलतः अपने सम्पत्ति का कुछ हिस्सा अपनी बहन के नाम से सादे कागज पर लिख दिया। उसकी बहन का पति, घर दामाद के रूप में देगादाड़ी ग्राम में ही रहने लगे। गन्दुरा

मुण्डा एवं भाड़की मुण्डा उनके पिता के दूसरी शादी के बेटे हैं। गन्दुरा मुण्डा के फुफु के लड़के मदन मुण्डा को देगादाड़ी ग्राम के खूँटकटी मुण्डा (चमर सिंह मुण्डा) रसीद देते हैं। नाप से सम्बन्धित बाउण्ड्री के अवसर पर अमीनों ने गन्दुरा मुण्डा के फुफु के लड़के मदन मुण्डा के जमीन को अपने नाम से लिखाने के लिये प्रोत्साहित किया एवं गन्दुरा मुण्डा से 250/- रूपया (दो सौ पचास रूपया) ऐंठा।

अमीनों द्वारा शोषण से सम्बन्धित जगमोहन मुण्डा के परिवार का विवरण :-

सूचनादाता जगमोहन मुण्डा के कथनानुसार इनका परिवार सन् 1974 ई0 तक संयुक्त रूप से था। सन् 1975 ई0 में वे अलग-अलग हो गये। फलतः सन् 1978 ई0 में पूरे जमीन के बंटवारे से सम्बन्धित आंकड़ा को लिखवाने के लिये अमीन द्वारा रु० मांगने पर 50/- रूपया देना पड़ा। इसके परिवार का कुर्सीनामा इस प्रकार है :-



सूचनादाता के अनुसार पुण्डीदीरी पंचायत (तमाड़) के लोग अमीनों द्वारा बुरी तरह शोषित हुए।

अमीनों द्वारा शोषण से सम्बन्धित टेलवाडीह पंचायत (सोनाहातू) का संक्षिप्त विवरण :-

सूचनादाता कार्तिक पाहन की योग्यता एम. एस-सी. है। इनके कथनानुसार टेलवाडीह पंचायत के अन्तर्गत निम्नलिखित गाँव आते हैं :-

(1) टेलवाडीह (2) एड्रमहातू (3) डोमाडीह (4) जाहेरडीह
(5) पेरेंगचावली (6) डीयाडीह (7) करम टाइंड़ या डाहीनडीह
(8) सिगिद (9) जिनतु

उसके अनुसार सन् 1979 ई0 से लेकर 80-81 ई0 तक तेलवाडीह पंचायत के लोग अमीनों द्वारा बुरी तरह से पैसा ऐंठे गये। फलतः अनेकों परिवार के लोगों को बकरी बेच कर, खेत बन्धक में देकर, गहना बेचकर अमीनों को रु० देना पड़ा।

एड्रमहातु ग्राम के सोराराम लोहरा एवं काशीनाथ कोइरी का अमीन, कानूनगो एवं एस0 ओ0 द्वारा शोषण से सम्बन्धित विवरण :-

सूचनादाता कार्तिक पाहन के अनुसार सोनाराम लोहरा के तीन पुत्र थे :-

(1) दिगु लोहरा (2) पारा लोहरा एवं (3) सुधरू लोहरा।

स्व0 सुधरू लोहरा एवं स्व0 पारा लोहरा के पुत्रों ने दिगु लोहरा से पूछे बिना अपने जमीन का कुछ हिस्सा सन् 1965-68 ई0 में काशीनाथ कोइरी एवं आनन्द कोइरी को बेच दिया। सन् 1978 ई0 में खानापुरी के समय दोनों कोइरियों ने दावा किया कि रूइटू लोहरा एवं चहवर लोहरा आदिवासी नहीं हैं। इसीलिये उन दोनों का जमीन हम दोनों कोइरियों के नाम आसानी से जमीन ट्रान्सफर होगा।

परन्तु रूइटू लोहरा एवं चहवर लोहरा के चाचा, दिगु लोहरा का कहना है कि हम आदिवासी हैं। फलतः किसी भी हालात में हमारा जमीन कोइरियों के हाथों में टांन्सफर नहीं हो। ऐसे मौके पर अमीन एवं इन्सपेक्टर दोनों पार्टी से पैसा ऐंठना चाहा, हालांकि दिगु लोहरा पहले ही ए0 एस0 ओ0 एवं कानूनगो के पास कोइरी के कब्जे में जमीन न लिखाने के लिये आवेदन पत्र जमा किया था।

अतः कोइरी परिवार जमीन अपने नाम से खानापुरी करवाने के लिये इन्सपेक्टर को अपने घर रखा। इतना ही नहीं? बल्कि आनन्द कोइरी एवं काशीनाथ कोइरी ने अमीन एवं इन्सपेक्टर को एक हजार रूपया (1000/-) दिया ताकि लोहरा का जमीन उनके नाम से खानापुरी हो। अमीन द्वारा मांगा जाने पर दिगु लोहरा ने भी उन दोनों को पचास रूपया (50) रूपया दिया ताकि जमीन उनके कब्जे में ही रहे। इस तरह से देखा जाता है कि टेलवाडीह पंचायत में अमीन, कानूनगो एवं ए0 एस0 ओ0 का आतंक छाया हुआ था।

पैसे के बल पर कर्मचारी, अमीन, कानूनगो एवं इन्सपेक्टर द्वारा जेहला मुण्डा तथा पुरन मुण्डा के कब्जे के परती जमीन को खुदीराम कोइरी के नाम से लिखा जाने से सम्बन्धित विवरण :-

सन् 1950 ई0 से एक परती जमीन पर जेहला मुण्डा एवं पुरन मुण्डा का दखल है। लेकिन खुदीराम कोइरी इस पड़ती जमीन को हड़पने के लिये कर्मचारी मि0 सिंह से साठ-गांठ किया। उपहार के तौर पर रु० 150/- मिलने पर कर्मचारी ने नाजायज ढंग से उपयुक्त पड़ती जमीन को खुदीराम कोइरी के नाम लिख दिया। सन् 1979 ई0 में ज्योंहि सर्वे शुरू हुआ, त्योंही दोनों मुण्डाओं (जेहला मुण्डा एवं पुरन मुण्डा) एवं कोइरी ने उस परती जमीन का दावा किया। फलतः इन लोगों में जमीन से सम्बन्धित झगड़ा शुरू हुआ। अमीन एवं इन्सपेक्टर को खुदीराम कोइरी दो सौ रूपया देकर जेहला मुण्डा एवं पुरन मुण्डा के कब्जे के जमीन को अपने नाम से लिखवा लिया।

अमीन द्वारा रु० लिया जाने से सम्बन्धित राधे मुण्डा का विवरण :-

राधे मुण्डा के कथानुसार सन् 1940-45 ई0 से ही वह अपने खेत के नजदीक के परती जमीन पर खेती करते आ रहा है। फलतः यह जमीन कई वर्षो से राधे मुण्डा के कब्जे में ही है, फिर भी सन् 1978 ई0 में सर्वे के दौरान जब खानापुरी हो रहा था तो उसे अमीन द्वारा मांगा जाने पर पच्चीस रूपये (25 रूपये) देने पड़े।

बड़े प्लाट को छोटे-छोटे प्लाट में बांटने के लिये रु० लिया जाने से सम्बन्धित कार्तिक पाहन का विवरण :-

कार्तिक सिंह का विस्तृत परिवार (ज्वांइट फेमेली) था। जब उनके परिवार के लोग अलग-अलग हो गये तो वे लिखित रूप से अलग-अलग प्लाट को छोटे-छोटे प्लाटों में बंटवाने के लिये पच्चीस रूपया अमीन द्वारा मांगे जाने पर देना पड़ा।

ताराचन्द मानकी का अमीनों द्वारा शोषण से सम्बन्धित विवरण :-

एड्रमहातू ग्राम का ताराचन्द मानकी अपने जमीन के आस-पास के गैर मजरूवा जमीन या परती जमीन को दूसरों के नाम से न लिखाने के लिये अमीन तिवारी एवं मुकतार सिंह को करीब 300/- रू0 अमीन के कहने पर दिया। सूचनादाताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमीन पैसा कमाने के ख्याल से लोगों को फुसलाते थे। पैसा नहीं देने पर वे परती जमीन को बिहार सरकार के नाम से लिखा करते थे। क्यों न जमीन 20-25 वर्षो से किसी के दखल में हो।

सोमाडीह ग्राम के बुधन मुण्डा का कर्मचारी एवं अमीनों द्वारा ठगने एवं शोषण से सम्बन्धित विवरण :-

सूचनादाता कार्तिक पाहन के कथानुसार सोमाडीह ग्राम के बुधन मुण्डा का कुछ जमीन बानाडीह गाँव में है। सूचनादाता का कहना है कि बुधन मुण्डा के आजे एवं बाप दादे, अपने खेत के सामने के परती जमीन को कमल किसुन विश्वास के हाथों खरीद लिये थे। जिसके कारण उस जमीन पर बुधन मुण्डा ने खेत बनाया। खरीदा हुआ परती जमीन का बाउंडरी मालूम नहीं था फलतः परती जमीन के अधिकांश हिस्से में खेत बना लिया। फलतः कर्मचारियों ने इसका नाजायज फायदा उठाना चाहा। वे जनक उरांव एवं माखन उरांव से रु० लेकर उसी जमीन को भूदान योजना के अन्तर्गत उक्त दोनों व्यक्तियों को दिया गया। सन् 1978-79 ई0 में जब खानापुरी का समय आया तो अमीन ने दोनों उरांव से तीन सौ रूपया लेकर उनके नाम उक्त जमीन को लिख दिया। हाँलाकि बुधन मुण्डा, उस परती जमीन पर 20-25 वर्षो से खेती करते आ रहा है। इसी कारण 4-5 वर्षो से (सन् 78-79) बुधन मुण्डा एवं जनक उरांव, माखन उरांव के बीच झगड़ा चल रहा था। सन् 1980 ई0 में पहले बुधन मुण्डा धान बुना उसके बाद जनक उरांव एवं बुधन मुण्डा धान बुना।

सन् 1978-79 ई0 में अमीनों द्वारा शोषण से सम्बन्धित सिल्ली थाना के कुचु, पिसका रामपुर, हालमत अजयगढ़ एवं लोटा पंचायत का संक्षिप्त परिचय :-

बनमाली मांझी कुचु पंचायत के कुसुम टिकरा गाँव का बासिन्दा है, उनकी योग्यता अंग्रेजी में एम0 ए0 है। उनके द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार इन सभी पंचायतों के गाँव में 75 प्रतिशत बेदिया जाति के लोग रहते हैं। अपवाद के तौर पर कुचु ग्राम आता है। जहां सत्-प्रतिशत मुण्डा जनजाति के लोग रहते हैं। बिसरिया ग्राम में महतो जाति के लोग रहते हैं। बिसरिया ग्राम में महतो जाति के लोग अधिक हैं, जबकि कुटाम ग्राम में मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है।

बनमाली मांझी का कहना है कि उपरोक्त सभी पंचायतों के लोग बाउण्डरी के समय अमीनों द्वारा बुरी तरह शोषित किये गये। इन सभी क्षेत्र में 25-30 वर्षो से (1950-55 ई0) से दखल किये गये परती जमीनों के लिये भी जनजातियों को नाम लिखाने एवं बाउण्डरी कराने के लिये अमीनों को एक सौ रूपया से लेकर सात-आठ सौ रूपये तक देना पड़ा।

रूपया न देने पर उनके कब्जे के परती जमीन को उस व्यक्ति के नाम से न लिख कर बिहार सरकार के नाम से दर्ज किया जाता था।

जब इस क्षेत्र के लोग नये बन्दोबस्त जमीन का बाउण्डरी कराते थे, तो अमीन वैसे जमीन का दाखिल खारीज न होने पर नाम लिखाने एवं बाउण्डरी करने के लिये एक सौ रूपया से लेकर पांच सौ रूपया तक लेते थे। इसी तरह से अपने जमीन का पांच सालों तक का लगातार रसीद न दिखाने पर भी अनपढ़ आदिवासियों से बुरी तरह पैसा ऐंठा जाता था। इतना ही नहीं? बल्कि प्रत्येक गाँव में रह रहे अमीनों को गाँव वाले खाने पीने के लिये चावल, मुर्गा, दाल, सब्जी, डर से मुफ्त में देते थे ताकि अमीन गाँव वालों से अन्याय नहीं करें। किसी-किसी गाँव में तो अमीन को प्रति दिन खाने के लिये मुर्गा दिया जाता था। बनमाली मांझी का कहना है कि नये बन्दोबस्त लिये गये जमीन के लिये प्रति पटा 35/- रूपया (पैंतीस रूपया) देने पड़ते थे। सूचनादाता के अनुसार अपने भाई के सन्तान न होने पर उनके जमीनों को अपने नाम से लिखाने के लिये भी काफी पैसा खर्च करना पड़ता था। इसी तरह से एक पति के दो पत्नी के बच्चे को समान रूप से जमीन का बंटवारा मिलने से सम्बन्धित नाम लिखने के लिये भी अमीनों को पचास रूपया से लेकर 300/- (तीन सौ रूपया) तक देना पड़ा। अमीनों के जुल्म के कारण कई लोगों को बर्तन, मुर्गी एवं बकरी बेच कर भी अमीनों को पैसा देने पड़े।

अमीनों द्वारा शोषित लोगों का नाम, गाँव अन्य विवरण :-

नाम	गाँव एवं पंचायत	घूस लिया गया रकम	अमीन का विवरण
1. कुयलू मांझी	कुसुम टिकरा, कुचू पंचायत।	एक हजार रूपया	परती जमीन पर बनाये गये खेत का बाण्डरी अपने नाम से कराने के लिये।
2. कैलाश मांझी	कुसुम टिकरा, कुचू पंचायत।	चार सौ रूपया	अपने दखल के परती जमीन को अपने नाम से लिखाने के लिये।
3. सिदाम मांझी	कुसुम टिकरा, कुचू पंचायत।	तीन सौ रूपया	अपने खेत के सामने के परती जमीन पर खेत बना लिया है फलतः उसे अपने नाम से लिखाने के लिये।
4. कुन्जू मांझी	कुसुम टिकरा, कुचू पंचायत।	दो सौ रूपया	नये बन्दोबस्त जमीन का दाखिल खारीज नहीं हुआ था उसे अपने नाम से लिखाने के लिये।
5. सलखान मांझी	कुसुम टकरा, कुजू पंचायत।	दो सौ रूपया	सलखान मांझी के चाचा के सन्तान नहीं थे। उनके चाचा का भी देहान्त हो गया है। अतः उक्त जमीन को अपने नाम से लिखाने के लिये।

6. पितम्बर मांझी	कुसुम टिकरा, कुचू पंचायत।	पांच सौ रूपया	पितम्बर मांझी के पिता का करीब सौ एकड़ जमीन है। उसके दो पत्नी हैं (1) बिहालु पत्नी एवं (2) खवासीन पत्नी। पितम्बर के पिता ने पहली पत्नी को शादी के समय अपने पूरे संपति का 75% हिस्सा लिख दिया है। अतः खवासीन पत्नी का बेटा पितमबर, बराबर जमीन का हिस्सा लिखवाने के लिये प्रयत्न किया। फलतः रु० देना पड़ा।
7. किसुन मांझी	कुसुम टिकरा, कुचू पंचायत।	एक सौ रूपया	अपने जमीन का पांच सालो तक का रसीद लगातार नहीं दिखाया। फलतः इसके लिये पचास रूपया देना पड़ा। वह बालक मांझी से कुछ जमीन खरीद लिया है, जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। अतः इसके लिये पचास रूपया देना पड़ा।
8. बालकु मांझी	कुसुम टिकरा, कुचू पंचायत।	पचास रूपया	नया बन्दोबस्त जमीन का दाखिल खारीज नहीं हुआ है। फलतः नाम चढ़वाने के लिये अमीन ने पैसा मांगा।
9. बंशी मांझी	कुसुम टिकरा, कुचू पंचायत।	पचास रूपया	बंशी मांझी का खतियान खो गया था। फलतः बंशी मांझी के पास अपने जमीन से संबंधित कोई प्रमाण नहीं था। फलतः बाउण्डरी कराने के लिये अमीन को पचास रूपया देना पड़ा।

10. बलराम मांझी	कुसुम टिकरा, कुचू पंचायत।	एक सौ रूपया	बलराम मांझी चार व्यक्तियों से नया बन्दोबस्ती लिया है परन्तु जमीन का खारीज दाखिल नहीं होने के कारण बाउण्डरी कराने के लिये पैसा देना पड़ा।
11. संतुराम मांझी	कुसुम टिकरा, कुचू पंचायत।	अस्सी रुपया	सन्तुराम मांझी अपने नयें बन्दोबस्त जमीन के बाउण्डरी कराने के लिये पैसा नहीं दे रहा था। फलतः अमीन ने तसदीक के समय समझ लेने की धमकी दी। उन्हें अपने ताऊ के निसन्तान होने एवं मर जाने के कारण उनके जमीनों को अपने नाम से लिखाना चाहता था। फलतः अमीन को पैसा देना पड़ा।
12. खेतु मांझी	कुसुम टिकरा, कुचू पंचायत।	एक सौ रूपया	खेंतु मांझी अपने खेंत के सामने के पड़ती जमीन पर सन् 1965 ई0 से खेती करते आ रहा है। उसे अपने नाम से लिखाने के लिये एवं नये बन्दोबस्त जमीन को अपने नाम से लिखाने के लिये गहनों को सूद पर बन्धक देकर पैसा देना पड़ा।
13. लखीदास मांझी	कुसुम टिकरा, कुचू पंचायत।	साठ रूपया	लखीदास मांझी नये बन्दोबस्त जमीन का बाउण्ड्री अपने नाम से कराने के लिये बकरी बेचकर अमीन को पैसा दिया।

9
अध्याय

असिस्टेण्ट सेटेलमेन्ट पदाधिकारी द्वारा जनजातियों के शोषण से सम्बन्धित विवरण

सन् 1985 ई0 के जनवरी-फरवरी महीने में बुण्डू में कैम्प गाड़ा गया। यहां सेटलमेन्ट पदाधिकारी इस क्षेत्र के विभिन्न गाँव के लोगों को पर्चा दे रहे थे। इस अवसर पर नये रैयती बन्दोबस्ती लिये हुए लोगों से 300 से 400 रूपया लेकर उनका नाम पर्चा में चढ़ाते थे अर्थात् रु० देने पर ही उन्हें बण्डा पर्चा मिलता था।

इस क्रम में उलीदा ग्राम के निम्नलिखित व्यक्तियों को रुपया देना पड़ा है :-

नाम एवं ग्राम		रुपया
1. बीरसा उरांव,	उलीदा, बुण्डू,	350/- रूपया
2. दर्जी उरांव,	" "	200/- "
3. जितु उरांव	" "	125/- "
4. बुधु सिंह मुण्डा,	फतेहपुर, नामकूम,	375/- "
5. घासीया मुण्डा,	जोजो टोला, बुण्डू।	150/- "

❋ ❋ ❋

10
अध्याय

टेंगा मुण्डा संघ के नाम से शोषित आदिवासी

अनुसंधान करने पर पता चला कि छोटानागपुर के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में फैले हुए मुण्डा जनजातियों की तरह पंचपरगना क्षेत्र (बुण्डू, तमाड़, सोनाहातु, सिल्ली अनगड़ा एवं अड़की का कुछ क्षेत्र) में रहने वाले अनेक मुण्डा जनजाति के लोग आदिवासी एवं गैर आदिवासी दलालों द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ढंग से "टेंगा मुण्डा संघ" के नाम से शोषित हो रहे हैं। सूचनादाता पितम्बर मुण्डा ग्राम गभड़ेया (बुण्डू, राँची) के कथनानुसार छोटानागपुर के प्रायः सभी मुण्डा बाहुल्य गाँव में "टेंगा मुण्डा संघ" के सदस्य हैं, जो प्रति वर्ष इनके नेताओं को चन्दा के रूप में 300-400 रूपया (तीन सौ-चार सौ रूपया) देते हैं। सूचनादाता पितम्बर मुण्डा का कहना है कि वास्तव में इस संस्था का नाम "छोटानागपुर मुण्डारी खूँटकटी संघ" है। इस संघ का मुख्य उद्देश्य छोटानागपुर के पूरे इलाके में खूँटकटी हक कायम करना है। फलतः इस संघ के नेता सरकार से लड़ रहे हैं, इस तरह की सम्भावना लोगों में है। टैंगा मुण्डा संघ से सम्बन्धित गरूड़पीढ़ी (लाली, नामकूम, राँची) निवासी मूची मुण्डा, हेसाः दाः (बुण्डू, राँची) निवासी मुगा लाल मुण्डा इत्यादियों का साक्षात्कार लेने पर पता चला कि अब वे केस धीरे-धीरे जीत रहे हैं। मात्र सरकार द्वारा आर्डर मिलने की उन्हें प्रतिक्षा है। अतः अब जितने भी टैंगा मुण्डा के सदस्य हैं, वे ही इस क्षेत्र के खूँटकटीदार के रूप में रहेंगे एवं शासन की बागडोर उन्हीं के हाथों रहेगा। सूचनादाताओं को पूछने पर पता चला कि चिरूडीह ग्राम (बुण्डू, राँची) का दिगम्बर मुण्डा इस क्षेत्र का नेता है, जो प्रति वर्ष चन्दा लेता है। दिनांक 20-4-1983 ई0 को चिरूडीह ग्राम के दिगम्बर मुण्डा से मिलने पर पता चला कि टेंगा मुण्डाओं की बैठक राँची स्थित इन्द्रपुरी (रातू रोड में है) में एस0 के0 लाल के नेतृत्व में समय-समय पर होते रहता है। वे रिटायर्ड सेक्शन पदाधिकारी हैं एवं संघ के नाम से इकट्ठा की जाने वाली रकम उन्हें दी जाती है। बातचीत के क्रम में चिरूडीह (बुण्डू) निवासी दिगम्बर मुण्डा ने कहा कि अभी इस संघ का कोई खास नेता नहीं है, बल्कि इसके सभी सदस्य नेता हैं।

बातचीत के क्रम में आगे उन्होंने कहा कि वह (दिगम्बर मुण्डा) इस संघ का प्रेसिडेन्ट है। अनुसंधान के आधार पर प्राप्त उन लोगों की तालिका नीचे दी जा रही है, जो प्रति वर्ष कई वर्षों से चन्दा देते आ रहे हैं एवं उनमें से कुछ सदस्य चन्दा देत-देते गरीब हो गये हैं :-

संख्या सदस्य का नाम	ग्राम, पोस्ट एवं थाना का नाम	सदस्यता प्राप्त करने का वर्ष एवं चन्दा देने के शुरू में देय रकम
1. मुची मुण्डा	गरूड़पीढ़ी, नावाडीह (नामकुम, राँची)	1977- 20 रू०

3. लाल मुण्डा	हेसाः दाः नावाडीह (बुण्डू, राँची)	1965-	5 रू०
4. अलीन्दर मुण्डा	गभड़ेया, नावाडीह (बुण्डू, राँची)	1964-	25 रू०
5. बिसम्बर मुण्डा	गभड़ेया, नावाडीह (बुण्डू, राँची)	1964-	25 रू०
6. बिरसा मुण्डा	कुचीः, नावाडीह (बुण्डू, राँची)	1965-	7 रू०
7. बाइरा मुण्डा	-	1962-	12 रू०
8. सोमा मुण्डा	बेसराडीह, नावाडीह (बुण्डू, राँची)	1961-	15 रू०
9. मागरा मुण्डा	-	1967-	7 रू०
10. लक्षु मुण्डा	हेसाः दाः नावाडीह (बुण्डू, राँची)	1961-	5 रू०
11. बहादुर मुण्डा	जामगामी, (बुण्डू, राँची)	1968-	7 रू०
12. दुबु मुण्डा	कानकाटा, पो0 सताकी (सोनाहातू, राँची)	1965-	15 रू०
13. समल मुण्डा	सीरीडीह, सताकी (सोनाहातू, राँची)	1962-	12 रू०
14. मंगल मुण्डा	"	1967-	21 रू०
15. जादु मुण्डा	सीरीडीह, सताकी (सोनाहातू, राँची)	1965-	25 रू०
16. स0 सोम्बरा मुण्डा-	सेरेंगडीह, सीरीडीह (सोनाहातू, राँची)	1960-	10 रू०
17. बनबिहारी मुण्डा	कोलाम्बा, एदेलहातू	1962-	10 रू०
18. सोहराई मुण्डा	पीड़ीटोला, रामडेरा (अनगड़ा, राँची)	1973-	14 रू०
19. अजम्बर मुण्डा	नावाटोला, रामडेरा (अनगड़ा, राँची)	1973-	20 रू०
20. छुटू सिंह मुण्डा	भेंलकी (अनगड़ा, राँची)	1970-	20 रू०
21. स्व0 जगरनाथ मुण्डा	पीड़ी टोला0 रामडेरा (अनगड़ा, राँची)	1977-	12 रू०
22. बिहारी लाल मुण्डा	रामडीह, तमाड़ (राँची)	1967-	13 रू०

टैंगा मुण्डा के सदस्य मुची मुण्डा द्वारा संस्था से सम्बन्धित कुछ विवरण :-

गुरूड़पीड़ी (नावाडीह, नामकुम, राँची) निवासी मुची मुण्डा का कहना है कि सन् 1977-78 ई0 के आस-पास इस संघ का सदस्यता प्राप्त कर चुका था। इस संस्था के द्वारा ही मुची मुण्डा को ज्ञात हुआ था कि जितने भी जमीन आदिवासियों (मुण्डाओं) के हाथ से गैर आदिवासियों के हाथों चला गया है उपरोक्त सभी जमीन को उस संस्था द्वारा लौटाया जाएगा अर्थात् जितने भी जमीन मुण्डाओं को गैर आदिवासियों ने लूटा है, उन सभी जमीनों को संस्था द्वारा लौटाया जाने का प्रावधान है। सूचनादाता के अनुसार उपरोक्त सभी जमीन को खूँटकटी हक के अन्तर्गत रखा जाएगा। मुची मुण्डा ने आगे कहा के वह सन् 1977 ई0 से 1980 ई0 तक में लगभग बीस बार चिरुडीह (नावाडीह, बुण्डू) के दिगम्बर मुण्डा को चन्दा दे चुका है। अधिक से अधिक एक साथ उन्होंने एक सौ रूपया एवं कम से कम 10 रू0 तक चन्दा दिया है। इस तरह से मोटा मोटी तीन वर्ष के अन्तराल में टोटल 500/- रू0 तक चन्दा दिया है। अतः पता चला कि मुण्डाओं के भोलेपन एवं अशिक्षित होने के कारण दलालों द्वारा बुरी तरह से टेंगा मुण्डा संघ के नाम से ठगा जाता है। टेंगा मुण्डा के सदस्यों को विश्वास दिलाने के ख्याल से उन्हें हिन्दी एवं अंग्रेजी में टाइप कराये गये कुछ पर्चे दिये जाते हैं।

टेंगा मुण्डा संघ के भूतपूर्व सदस्य पितम्बर मुण्डा (गभड़या, नावाडीह, बुण्डू) का विवरण :-

मैट्रिक तक पढ़े चौवन वर्षीय टेंगा मुण्डा संघ के भूतपूर्व सदस्य पितम्बर मुण्डा का कहना है कि वह सन् 1972 ई0 तक इस संघ का सदस्य था एवं अपने सदस्यता काल में समयानुसार चन्दा देता रहा ताकि सरकार को अर्जी करने हेतु रूपया जमा हो। टेंगा मुण्डा संघ से संबन्धित उनका विश्वास था कि किसी न किसी समय मुण्डा जाति के लोगों का खूँटकटी हक मिलेगा। इनके अनुसार टेंगा मुण्डा से सम्बन्धित "संस्था" ब्रिटिश के समय से सरकार के साथ लड़ रहा है, ताकि मुण्डाओं का खूँटकटी हक लौटे। पितम्बर मुण्डा का कहना है कि यह संस्था अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलीभूत हो चुका है। मात्र अभी नियम लागू करना बाकी है। सुचनादाता का विश्वास है कि छोटानागपुर का पूरा जमीन अब खूँटकटी हक के अन्तर्गत रहेगा, चूँकि मुण्डाओं ने यहां के घने जंगलों को काट कर खेत बनाया है। उनके अनुसार अभी कुछ जमीन खूँटकटी हक II के अन्तर्गत आता है, इसके बावजूद भी कुछ जमीन सरकार के हाथों चला गया है।

पितम्बर मुण्डा के अनुसार इस संघ के मुख्य नेता जूनी मुण्डा हैं, वे ग्राम जामगांई, पो0- हुलहुण्डू, जिला राँची के निवासी हैं। जूनी मुण्डा टेंगा मुण्डा संस्था से सम्बन्धित "सिंहभूम पोराहाट" नामक परगना के नेता हैं। सूचनादाता द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार चुटियानागपुर जिला के आठ परगनाओं के अलग-अलग नेता हैं :-

जैसे -
1. सोनपुर के रानसी मुण्डा
2. बसिया के संगरूम मुण्डा
3. लाचरा के मांगरा मुण्डा
4. ओएका के अधना एवं कलमानी राय मुण्डा
5. खुखरा के दुना मुण्डा
6. बेलाडीह के सुला मुण्डा
7. बेलसिया के नानका मुण्डा
8. तमाड़ के सिंधा मुण्डा

जब अनुसंधान कर्ता ने पितम्बर मुण्डा के साथ जूनी के पास जाकर टेंगा मुण्डा से सम्बन्धित कागजात लेने का इच्छा प्रकट किया तो उन्होंने कहा हो सकता है, सरकार द्वारा फैसला सुनाया गया कागजात जूनी मुण्डा के पास न होकर अन्य परगनाओं के सरदारों (नेताओं) के पास होगा। काफी विचार विमर्श के बाद सूचनादाता द्वारा मुझे पता चला कि उस संस्था के कुछ दलालों द्वारा मुण्डा जाति के संस्था के सदस्यों को बुरी तरह शोषण होता है। हालांकि इस संस्था का उद्देश्य ठगना एवं शोषण करना नहीं है, चूँकि समय-समय पर आवश्यकतानुसार 2-3 रूपया मात्र चन्दा के रूप में देना पड़ता है। इस संस्था का असल नाम "छोटानागपुरी मुण्डारी खूँटकटी संघ" है। इस संस्था के संस्थापक के दुबला-पतला एवं ऊंचा रहने के कारण ही "टेंगा मुण्डा संस्था" के नाम से जाना जाता है। पितम्बर मुण्डा ने अपने ही गाँव के अलीन्दर मुण्डा एवं बिसम्बर मुण्डा का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि वे दोनों संस्था के सदस्य चन्दा देते-देते अपनी सारी सम्पत्ति बन्धक के रूप में देकर गरीब हो गये हैं।

इस संस्था के प्रमुख नेताओं के बारे में चर्चा करते हुए पितम्बर मुण्डा से पता चला कि कलकत्ता में "मुनगा टोला" नामक एक स्थान है, जहां पर संस्था के प्रधान व्यक्ति रहते हैं।

आइ0 ए0 तक शिक्षा प्राप्त किये हुए 28 वर्षीय गोबाएडीह (नावाडीह) बुण्डू, निवासी सोमा मुण्डा द्वारा प्राप्त सूचना का विवरण :-

सूचनादाता सोमा मुण्डा का कहना है कि दिगम्बर मुण्डा इस क्षेत्र के टेंगा मुण्डा संस्था के (चिरूडीह, नावाडीह, बुण्डू) प्रमुख व्यक्ति हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता "नन मैट्रिक" है। वे संस्था के नाम पर कई व्यक्तियों से रुपया लेते हैं। सोमा मुण्डा के अनुसार सन् 1970-79 ई0 तक इस क्षेत्र के अनेक मुण्डा "टेंगा मुण्डा संघ" के सदस्य थे। उस समय दिगम्बर मुण्डा के घर में 10-15 व्यक्ति प्रति दिन आया करते थे एवं वे सभी "टेंगा मुण्डा संघ" के सदस्य चन्दा के रूप में दिगम्बर मुण्डा को काफी रूपया दिया करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। अब पहले की तरह इनके घर "टेंगा मुण्डा संघ" के सदस्य आना जाना नहीं करते हैं। आज उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है।

मैं (अनुसंधानकर्ता) पुनः सूचनादाता पितम्बर मुण्डा (गभड़ेया, नावाडीह, बुण्डू) के बातों को संक्षेप में दोहराना चाहता हूँ :-

सूचनादाता का कहना था कि दिगम्बर मुण्डा के प्रति लोगों का अविश्वास का आभास शुरू हुआ, जिसके क्रम में पितम्बर मुण्डा ने अपने को संघ के सदस्यता से अलग रखा। दिगम्बर मुण्डा पर अविश्वास करने के कारण ही अपने गाँव के दिगम्बर मुण्डा एवं अलिन्दर मुण्डा के साथ पितम्बर मुण्डा का झगड़ा हो गया था। पितम्बर मुण्डा का कहना है कि अपने काम में सफलीभूत होने के बावजूद भी खूँटकटी हक प्राप्ति सम्बन्धी कानून सरकार द्वारा लागू नहीं किये जा रहे हैं। फलतः लोग हतोत्साहित हो रहे हैं। इनके अनुसार संघ के सच्चे नेता अपने संघ के सदस्यों का शोषण नहीं करते हैं बल्कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अडिग रहते हैं।

सूचनादाता पितम्बर मुण्डा द्वारा पता चला कि संघ के नेताओं का उपायुक्त एवं आयुक्त कार्यालय के कर्ल्क के साथ भी सम्पर्क रहता है।

ग्राम पीढ़ी टोला, रामडेरा (अनगड़ा) निवासी स्व० सोहराई मुण्डा की पत्नी लखीमनी का विवरण :-

लखीमनी का कहना है कि उनके पति जब जीवित थे, तो चिरूडीह निवासी दिगम्बर मुण्डा उनके घर प्रायः आते रहते थे एवं समयानुसार उन्हें चन्दा के रूप में पैसा दिया जाता था। सन् 1985 ई0 के मई महीने तक दिगम्बर मुण्डा ने उनसे चन्दा के नाम पर पैसा लिया है। सूचनादाता

के अनुसार चिस्डीह निवासी दिगम्बर मुण्डा को भिन्न-भिन्न अवसरों पर निम्नांकित रकमों में पैसा दिया गया है :-

वर्ष	चन्दा लेने का कारण	रूपया
मार्च-1973	सदस्यता शुल्क के रूप में	14 रू0
दिसम्बर- 1973	नकल निकालने के नाम पर	200 रू0
मार्च- 1974	केश लड़ने के नाम पर	100 रू0
जून-1975	चन्दा के रूप में	50 रू0
अप्रैल-1977	टैंगा मुण्डा से सम्बन्धित अन्य काम के लिए तथा कागजात निकालने के लिये	500 रू0
मई-1979	केस लड़ने के लिये	200 रू0
फरवरी-1982	चन्दा के रूप में	20 रू0
मई-1985	-	60 रू0

सूचनादाता लखीमनी ने बताया कि उन्हें दिगम्बर मुण्डा ने कुछ कागजात दिया है एवं जल्द ही कुछ जमीन उन्हें मिलने वाला है। उपरोक्त रकम जुटाने के लिये वे लोग समयानुसार बकरी, मुर्गी एवं लाह बेचते थे।

नावाटोला, रामडेरा (अनगड़ा) निवासी स्व0 अजम्बर मुण्डा की पत्नी का विवरण :-

अजम्बर मुण्डा की पत्नी के अनुसार कई वर्षो पहले से चिरूडीह निवासी दिगम्बर मुण्डा उनके घर आया करते थे एवं उनके पति से समय-समय पर पैसा लिया करते थे। अजम्बर मुण्डा की पत्नी का कहना है कि दिगम्बर मुण्डा उन्हें जमीन देने एवं खूँटकटी हक दिलाने की बात करते थे। रुपया उनके पति द्वारा दिया जाता था। जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

वर्ष	चन्दा लेने का कारण	रू०
अप्रैल-1982	टैंगा मुण्डा से सम्बन्धित कागजात निकालने के लिये	400 रू0
मई -1983	केस लड़ने के लिये	85 रू0
दिसम्बर- 1985	कारण पता नहीं	200 रू0

वह एक बार पति के आदेशानुसार खलिहान से ही धान बेची एवं दिगम्बर मुण्डा को 200 रू0 दी। चार पांच वर्ष पहले अर्थात् सन् 1982 ई0 में उनके पति ने अपनी पत्नी के गहनों को बन्धक देकर रू0 जुटाया एवं दिगम्बर मुण्डा को 400 रूपया दिया। पति के मर जाने के बाद दिगम्बर मुण्डा का आना जाना बहुत ही कम हो गया है फिर भी जब कभी दिगम्बर मुण्डा आ जाते हैं तो उसे 10-15 रूपया तक दे दिया जाता है।

इस तरह से देखा जाता है कि पहाड़, पर्वत एवं दुर्गम इलाके की जनजातियां आज भी ठगे जाते हैं एवं शोषित किये जाते हैं।

● ● ●

11 अध्याय

पाटीदारों से शोषित आदिवासी

ग्राम फतेहपुर, हेसो, गरूडपीड़ी, युगी टोला, नीम टोला, (नामकोम) रोलाडीह, रूगड़ी, उलीडीह (तमाड़) सीरीडीह, तिरूलपीड़ी (सोनाहातू), रामडेरा (अनगड़ा) रेदाः, कोड़ो दाः, गभेड़ेया (बुण्डू) इत्यादि स्थानों के सूचनादाताओं के अनुसार जब किसी परिवार का कोई सदस्य मर जाता है, तो पाटीदार, उस घर में पहुँच जाते हैं। वे मृत सदस्य के परिवार के लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं एवं कहते हैं कि मृत व्यक्ति की आत्मा ने मुझे भेजा है। उनकी आत्मा ने मुझे उनकी आवश्यक वस्तुओं को मांगने के लिये कहा है। उसी क्रम में पाटीदार मृत परिवार के लोगों के मनः स्थिति को बदलने के लिये काली का चित्र दिखाते हैं, दुर्गा का चित्र दिखाते हैं एवं मंत्रोच्चारण करने लगते हैं। पाटीदार मृत सदस्य के भाई-बन्धुओं से कहते हैं कि यदि उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो सॉप डस देगी, बाघ खा जाएगा या तो वे विभिन्न दुर्घटनाओं में मर जायेगें। फलतः डर के मारे उस परिवार के लोग बकरी, मुर्गी, चावल, कुल्हाड़ी, छाता, कांसे का बर्तन देने के लिये भी राजी हो जाते हैं। विभिन्न सूचनादाताओं का पूछ-ताछ करने पर पता चलता है कि ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है, पाटीदार पहले की तुलना में कम ही वस्तुओं को ठगने में समर्थ हो रहे हैं। फिर भी आज अनेक अनपढ़ आदिवासियों से बकरी, मुर्गी इत्यादि वस्तुएं ले ही लेते हैं। पाटीदारों द्वारा ठगने से सम्बन्धित विभिन्न लोगों का विवरण :-

युगी टोला (लाली, नामकोम) निवासी स्वर्गीय सानिका मुण्डा की पत्नी का विवरण :-

स्वर्गीय सानिका मुण्डा की पत्नी का कहना है कि उनके पति का देहान्त 1984 ई0 में बीमारी के कारण हुआ। पति के देहान्त के पांच दिनों के बाद जेगो-दुलमी गाँव से एक पाटीदार आया। पाटीदार उनके घर आकर कहने लगा कि स्व0 सानिका की आत्मा ने मुझे उनके बकरी, मुर्गी एवं अन्य वस्तुओं को ले जाने के लिये कहा है। यदि तुम उनकी बातों को नहीं मानोगी तो तुम्हारे बच्चे मर जाऐंगे एवं तुम्हें नाग सांप डस देगी। पाटीदार इन बातों को बार-बार दुहराते हुए आंगन में खल्ली से तरह-तरह का चित्र बनाने लगा एवं अपशकुन को नष्ट करने के लिये सिन्दुर, चावल, धूप एवं आग मांगने लगा। सानिका की पत्नी डरने लगी एवं वह एक मुर्गी, पांच रूपया, एवं दो सेर चावल देने के लिये राजी हो गई। स्व0 सानिका की पत्नी को डराने के क्रम में कई फोटो पाटीदार दिखाने लगा, इनमें काली का चित्र, दुर्गा का चित्र प्रमुख था। पाटीदार उपरोक्त वस्तुओं को लेकर चम्पत हो गया। पन्द्रह बीस दिनों के बाद पाटीदार पुनः आया एवं स्व0 सानिका की पत्नी को कहने लगा कि सानिका की आत्मा ने उन्हें पुनः भेजा है। वह अन्य वस्तुओं को लाने

के लिये भी कहा है। ताकि सानिका के आत्मा को शान्ति मिले। काफी जिद करने पर सानिका की पत्नी उसे दो कुल्हाड़ी, एक दावली (कटोरी), एक कांसे का बर्तन, एक छाता पाटीदार को दे दी। दो कुल्हाड़ी एवं एक दावली पाटीदार को दे देने पर स्व0 सानिका की पत्नी को काफी तकलीफ हुई। चूँकि वह लकड़ी बेचकर अपने तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करती थी। वह तीन महीने तक अपने गाँव के माड़की मुण्डा से टांगी एवं दावली मांग कर काम चलाने लगी। पैसा जुटाने पर वह टांगी एवं दावली पुनः खरीदी।

मोडो टोला (लाली, नामकोम) निवासी सोम्बरा मुण्डा का विवरण :-

सूचनादाता सोम्बरा मुण्डा का कहना है कि अप्रैल 1986 ई0 में उनके भाई लीटा मुण्डा का देहान्त हो गया। उनके भाई लीटा के देहान्त के चार दिनों के बाद एक पाटीदार जेगो-दुलमी से आया एवं उनके आंगन में लकड़ी कोयला से चित्र बनाने लगा। साथ ही उनकी पत्नी एवं अन्य लोगों को काली का फोटो दिखा कर डराने लगा। घर के सभी सदस्य भयावह फोटो को देखकर डर रहे थे। फलतः सोम्बरा की पत्नी ने सोम्बरा को बुलाया। पाटीदार हमेशा उनके परिवार के मन:स्थिति को बदलने का प्रयास कर रहा था। वह समय-समय पर कह रहा था कि यदि तुम लोग स्व0 लीटा की आत्मा को खुश नहीं करोगे तो दो महीने के अन्दर सोम्बरा का दूसरा बच्चा मर जाएगा एवं सोम्बरा की पत्नी को बाघ खा जाएगा। अतः उनकी पत्नी के जिद करने पर सोम्बरा ने पाटीदार को एक मुर्गी, दो किलो चावल, एक कांसे का बर्तन, मृत व्यक्ति के कपड़े एवं एक टांगी दे दिया ताकि लीटा की आत्मा के कारण उनके परिवार के सदस्यों में किसी तरह का विपत्ति नहीं आये।

नीम टोला (लाली, नामकोम) निवासी लांगड़ा मुण्डा का विवरण :-

सूचनादाता के अनुसार लांगड़ा मुण्डा की पत्नी का देहान्त नवम्बर 1984 ई0 में हुआ। उनकी पत्नी के देहान्त के सात दिनों के बाद एड्रमहातु, सोनाहातू से एक पाटीदार आया एवं लांगड़ा के आंगन में खपड़ा के चूर से चित्र बनाया। चित्र बनाने के बाद अपशकुन को नाश करने के लिये चित्र के आर-पार तीन बार छलांग लगाने के लिये कहा। छलांग लगाने के बाद खपड़ा से आग निकालने के लिए कहा, इसके साथ-साथ सिन्दूर एवं धूप निकलवाया। पाटीदार ने मंत्रोच्चरण करते हुए पूजा-पाठ किया एवं लांगड़ा के मन:स्थिति को बदलने के लिये डराना शुरू किया। पाटीदार ने मृत्य पत्नी की आत्मा की शांति के लिये बकरी, कांसे के बर्तन एवं दावली देने को कहा, पाटीदार का कहना था कि जिन वस्तुओं की मालिक तुम्हारी पत्नी थी, उन सभी वस्तुओं को लेने के लिये उनकी आत्मा ने मुझे भेजा है। यदि तुम उनकी बातों का उल्लधंन करोगे तो तुम्हारे बच्चे मर जायेंगे या तो तुम अन्धे हो जाओगे, इस पर लांगड़ा मुण्डा ने पाटीदार को एक कांसे की थाली, एक कासे का गिलास, दो सेर चावल, दो रूपया एवं एक कुल्हाड़ी दिया।

अतएव आज भी जनजातिय क्षेत्रों में भोले-भाले आदिवासियों का शोषण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। नीचे उन व्यक्तियों का विवरण दिया जा रहा है जिन्हें पाटीदारों ने भयभीत करके विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त किया :-

क्रम सं०	मृत्यु व्यक्ति का नाम उम्र तथा पता एवं मरने की तिथि	शोषित व्यक्ति का नाम एवं मृत्यु व्यक्ति के साथ का सम्बन्ध	पाटीदार का गाँव	उन वस्तुओं की सूची जिन्हें पाटीदार को दिया गया
1.	दामी बुडी, 60 वर्ष ग्राम नीमटोला, लाली, नामकोम दिसम्बर-1985	माँ-बेटे का सम्बन्ध मागंरा मुण्डा	जेगो-दुलमी	एक मुर्गी, कांसे का दो थाली, एक कटारी, एक सेर चावल एवं दो रू0
2.	गुलगु बुडी, 60 वर्ष ग्राम-नीमटोला, लाली, नामकोम जनवरी-1984	माँ-बेटे का सम्बन्ध मनसा मुण्डा	जेगो-दुलमी	एक बकरी, एक सेर चावल एवं दो रू0
3.	दुला मुण्डा, नीमडीह लाली, नामकोम मई-1980	पति-पत्नी का सम्बन्ध हुवांग-हातू	जेगो-दुलमी	एक छाता, एक दावली, दो सेर चावल, कांसे का थाली दो, कांसे का कटोरी एक तथा दो रूपया
4.	लखन मुण्डा उर्फ नइया हाड़ाम, 55 वर्ष, ग्राम- नीमटोला, दिसम्बर-1983	चाचा-भतीजा मागरा मुण्डा	एड्रमहातू	एक मुर्गी, एक पैला चावल, दो रूपया, एक छाता।
5.	बुदु मुण्डा, 40 वर्ष ग्राम-युगीटोला, लाली नामकोम, मई 1982	पति-पत्नी	एड्रमहातू	एक मुर्गी, एक सेर चावल, दस रूपया एवं एक कांसे का बर्तन।
6.	घासी राम मुण्डा, 30 वर्ष, ग्राम सारजेम इकीर, बुण्डू, मई-1983	माँ-बेटे का सम्बन्ध	एड्रमहातू	कांसे का एक बड़ा थाली, दो सेर चावल, दो रूपया एवं एक छाता
7.	मांझी मुण्डा, 60 वर्ष ग्राम सारजोम इकीर बुण्डू मई 1985	पति-पत्नी का सम्बन्ध	एड्रमहातू	कांसे का एक कटोरी एक मुर्गी एवं दो किलो चावल।
8.	मएदार मुण्डा - 45 वर्ष, ग्राम सारजोम इकीर, नावाडीह बुण्डू, अप्रैल 1985	भाई-भाई का सम्बन्ध सुन्दर मुण्डा	एड्रमहातू	एक मुर्गी, कांसे की कटोरी एक एवं दो रूपया
9.	मुचीराम मुण्डा, 40 वर्ष ग्राम सारजोम इकीर, नावाडीह बुण्डू- मार्च- 1985	पति-पत्नी का सम्बन्ध, गारूड़ "	"	एक कांसे की थाली, दो सेर चावल, दो रूपया एक मुर्गी एवं एक कम्बल।
10.	तिलाई पीड़ी, 55 वर्ष जोजो टोला, नावाडीह, बुण्डू- 1984	एतवा मुण्डा, माँ-बेटे का सम्बन्ध	"	एक मुर्गी, दो पैला चावल, एक कांसे का बर्तन, दो रूपया एवं एक कांसे का गिलास।

11.	गोयंदा मुण्डा, 60 वर्ष उलीदा, बुण्डू। सितम्बर-1984	जंगल मुण्डा, बाप-बेटे का सम्बन्ध	"	एक मुर्गी, एक कांसे का बर्तन, दो किलो चावल, दो रूपया एवं एक छाता।
12.	जगर मुण्डा, 60 वर्ष तिरूड़पीड़ी, सोनाहातू, मई- 1982	बाप- बेटे का सम्बन्ध, लुकीन मुण्डा	एड्रमहातू	एक मुर्गी, दो कांसे का बर्तन, एक किलो चावल एवं दो रूपया।
13.	सोमा मुण्डा, 50 वर्ष उलीदा, बुण्डू, अप्रैल-1986	पति-पत्नी का सम्बन्ध	"	एक कांसे का कटोरी, एक सेर चादल एवं एक रूपया।
14.	लखीया मुण्डा, 37 वर्ष हेसो लाली, नामकोम मार्च- 1986	पति-पत्नी का सम्बन्ध, हुमटा	"	एक कांसे का कटोरी, दो रूपया, दो सेर चावल, एक मुर्गी, एवं एक कुल्हाड़ी।
15.	जगरनाथ मुण्डा 65 वर्ष, गभड़ेया, बुण्डू 25 मई 1986	बाप बेटे का सम्बन्ध, श्यामलाल मुण्डा		एक मुर्गी एवं एक पैला चावल।
17.	दिगम्बर मुण्डा का लड़का 14 वर्ष गभेड़या, बुण्डू मई-1975	दिगम्बर मुण्डा, बाप-बेटे का सम्बन्ध	"	कांसे का बर्तन दो, एक मुर्गी, दो सेर चावल एवं एक रूपया 25 पैसा।
18.	जगरनाथ मुण्डा, 65 वर्ष, गभेड़या, बुण्डू 25 मई 1986	बाप-बेटे का सम्बन्ध	एड्रमहातू	एक मुर्गी, एक कांसे का बर्तन एवं दो रूपया
19.	जोसो बाला, 4 वर्ष गभड़ेया, बुण्डू मई-1986	बाप-बेटी का सम्बन्ध, श्यामलाल मुण्डा	"	एक मुर्गी, एक पैला चादल
20.	कड़ाम्बे, 23 वर्ष, गभेड़या, बुण्डू अप्रैल- 1986	पति-पत्नी सम्बन्ध, शिवनाथ मुण्डा	"	एक पैला चावल, एक कांसे का बर्तन, एक मुर्गी, एवं एक छाता
21.	बोध मुण्डा, लड़का 5 वर्ष गभेड़या, बुण्डू	बाप-बेटे का सम्बन्ध, बोध मुण्डा।	"	एक पैला चावल, एक कांसे का बर्तन एक मुर्गी, एक रूपया
22.	सिनु मुण्डा, 50 वर्ष, गभेड़या, बुण्डू जून- 1982	बाप बेटे का सम्बन्ध सानिका मुण्डा	जेगो-दुलमी	एक बकरी, एक कांसे का बर्तन, पांच रूपया एवं दो पैला चावल
23.	रेदाः बुड़ी, 65 वर्ष गभेड़या, बुण्डू, दिसम्बर- 1985	माँ-बेटे का सम्बन्ध, रघु मुण्डा	"	एक मर्गी, एक पैला चावल, दो रूपया एवं एक कांसे का बर्तन।
24.	घासीया मुण्डा-45 वर्ष गभेड़या, बुण्डू अक्टूबर- 1985	भाई-भाई का सम्बन्ध रघु मुण्डा	"	एक मुर्गी, एक कांसे का बर्तन, एक पैला चावल एवं एक रूपया

25.	महेन्द्र मुण्डा की पत्नी, 25 वर्ष, ग्राम सीरीडीह, सोनाहातू जुलाई- 1984	सास-पतोहू का सम्बन्ध गंभरेया	"	एक कांसे की थाली, एक मुर्गी, एक पैला चावल एवं दो रूपया
26.	पारमडीह, 30 वर्ष ग्राम-सीरीडीह, सोनाहातू, जून 1984	पति-पत्नी का सम्बन्ध, सुखलाल मुण्डा	"	एक कांसे की थाली, एक पैला चावल, एवं दो रूपया
27.	बालीडीह, 30 वर्ष ग्राम-सीरीडीह, सोनाहातू जून- 1983	कृष्टो मुण्डा, पति-पत्नी का सम्बन्ध	"	एक पैला चावल, एक रूपया, एक कांसे का बर्तन एवं एक मुर्गी
28.	सानिका लोहरा, 17 वर्ष ग्राम सीरीडीह, सोनाहातू 19 मई 1986	भाई-भाई का सम्बन्ध, शम्भु लोहरा	"	एक टांगी, एक मुर्गी, एक छाता एवं दो सेर चावल
29.	जिबी मुण्डा, 42 वर्ष ग्राम गरुड़पीड़ी लाली, नामकोम फरवरी- 1986	पति-पत्नी का सम्बन्ध	"	एक बकरी, दो कांसे का बर्तन, पांच रू०, एक छाता, एक कम्बल एवं दो सेर चावल
30.	गाड़ी बुढ़ू, 40 वर्ष ग्राम-गखड़पीड़ी लाली नामकोम अप्रैल 1980	पति-पत्नी का सम्बन्ध	"	एक बकरी, एक कांसे का बर्तन, एक कुल्हाड़ी दो पैला चावल एवं दो रूपया।
31.	लाली बुडी, 65 वर्ष ग्राम-सारजोम इकीर जुलाई- 1984	माँ-बेटे का सम्बन्ध बारगी मुण्डा	"	एक बकरी, एक टांगी एक दावली, एक रूपया, एक मुर्गी एवं एक सेर चावल।

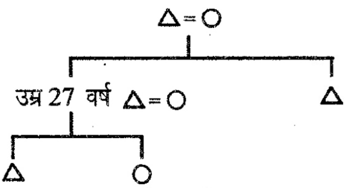
जेगो-दुलमी एवं एड्रमहातू (सोनाहातू) के आस-पास के आदिवासियों से पाटीदारों के सम्बन्ध में पूछने पर पता चलता है कि पाटीदार, लोगों के मरने पर उनके घर जाते हैं एवं भीख मांगते हैं। लेकिन जब वे अपने गाँव से दूर भोले-भाले आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं तो वे मृत परिवार के लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं एवं विभिन्न वस्तुओं को ठगते हैं। सूचनादाताओं के अनुसार अनेक आदिवासी परिवारों से 400-500 रूपया तक का सामान ले आते हैं। पाटीदार अपने गाँव घर के समीप के लोगों से एक किलो तक चावल भीख स्वरूप मांगते हैं। हालांकि पाटीदार गैर आदिवासी लोगों के घर भी जाते हैं, परन्तु वे उस परिवार के लोगों के चालाक-चतुराई को देखते हुए भीख स्वरूप मात्र एक किलो या आधा किलो चावल मांगते हैं।

आदिवासी परिवार एवं पाटीदारों की परिवार के आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करने से पता चलता है कि पाटीदार आदिवासियों की तुलना में काफी गरीब हैं। चूँकि आदिवासी परिवार के लोगों को खेती करने के लिये अपनी जमीन है, लाह के वृक्ष हैं एवं कई फलदार वृक्ष हैं। घर में मुर्गी, बकरी, एवं गाय-बैल भी हैं। आदिवासियों की तुलना में पाटीदार कम मेहनती हैं। वे अपना भरण-पोषण विशेषतः लोगों को ठगकर एवं भीख मांगकर करते हैं। जबकि गरीब आदिवासी परिवार के लोग लकड़ी बेचकर अपना भरण-पोषण करते हैं एवं मजदूरी करते हैं। यदि अपने गाँव में मजदूरी नहीं मिलती है, तो वे अपने गाँव के बाहर भी मजदूरी करने के लिये जाते हैं। अतः ठगकर या भीख

मांग कर शोषण करने वाले पाटीदार परिवारों एवं जंगलों के निकट बसने वाले सबसे गरीब मुण्डा आदिवासी परिवार के लोगों का आर्थिक दृष्टिकोण से तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है, जिससे पता चलता है कि उन दोनों समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है :-

जेगो-दुलमी (तमाड़) ग्राम के पाटीदार (चित्रकार) जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति एवं कुर्सीनामा से सम्बन्धित विवरण :-

हरेकृष्ण चित्रकार (पाटीदार) के परिवार का विवरण :-

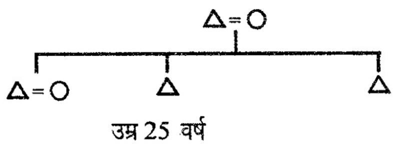


इनके परिवार में कुल सात सदस्य हैं। सभी सदस्य अनपढ़ हैं। इनका मुख्य पेशा मांगना है। इनके घर की लम्बाई 15 फीट, चौड़ाई 8 फीट एवं ऊँचाई आठ फीट है। इनका घर फूस से बना हुआ है। इनके घर में निम्नलिखित चल तथा अचल सम्पत्ति है :-

जमीन	-	ये भूमिहीन हैं।
बकरी	-	एक
बैल	-	एक
मुर्गी	-	नहीं है।
वृक्ष	-	नहीं है।

उपरोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त इनके घर में अल्मुनियम की थाली - 3, कटोरी- 4, लोटा -1, डेकची- 1 एवं मछली फाड़ने के लिये लेडरा- 1, मिट्टी का झाड़ा - 3, लकड़ी काटने के लिये दावली -1, घास तथा धान काटने के लिये हसुआ-2, खाना एवं सब्जी पकाने के लिये दो मिट्टी का बर्तन पाया गया।

धनई चित्रकार (पाटीदार) के परिवार का विवरण :-

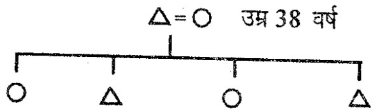


धनई चित्रकार के परिवार में कुल पांच सदस्य हैं। घर के सभी सदस्य अनपढ़ हैं। इनका मुख्य पेशा भीख मांगना है। घर की लम्बाई 12 फीट, चौड़ाई आठ फीट एवं ऊचाई सात फीट तक है। इनका घर फूस से बना है। ये भूमिहीन हैं। इनके आंगन में एक अमरूद का वृक्ष है। इनके घर में गाय-बैल, बकरी, एवं मुर्गी नहीं हैं। उपरोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त धनई चित्रकार के घर में दो जर्मनी (अल्मुनियम) की थाली, तीन कटोरी एवं एक जर्मनी का लोटा है। धनई के घर में पांच मिट्टी का बर्तन है। दो मिट्टी के बर्तनों में वे खाना पकाते हैं। लकड़ी काटने के लिये एक दावली है।

अनुसन्धान करने पर पता चलता है कि एड्रमहातू एवं जेगो-दुलमी ग्राम के सभी पाटीदार (चित्रकार) जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति लगभग बराबर है।

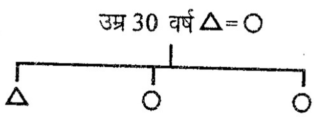
युगी टोला एवं मोडो टोला (नामकोम) ग्राम के गरीब आदिवासी परिवारों का विवरण :-

स्वर्गीय सानिका मुण्डा की पत्नी के परिवार का विवरण :-



स्वर्गीय सानिका मुण्डा की पत्नी के परिवार में कुल पांच सदस्य हैं। उनके घर की लम्बाई 25 फीट, चौड़ाई 12 फीट एवं ऊँचाई 12 फीट है। घर मिट्टी से बना है एवं छत खपड़ा से छारा गया है। इनका मुख्य पेशा खेती-बारी, मजदूरी करना एवं बकरी पालना है। उन्हें जमीन लगभग एक एकड़ पचास डिसमिल है। इसके अतिरिक्त तीन महुंआ वृक्ष, तीन कुसुम वृक्ष, पांच बैर के वृक्ष हैं। घर में चार बकरी, दो बैल, आठ मुर्गी एवं बीस मुर्गी के चूजें हैं। स्वर्गीय सानिका मुण्डा की पत्नी के घर में तीन कांसे की थाली, कांसे का कटोरी-दो, जर्मनी कटोरी एक, एक कांसे का लोटा, एक जर्मनी का लोटा, सूप दो, बाउगी एक, कुल्हाड़ी एक, दावली दो एवं हंसुआ दो पाया गया। सूचनादाता के अनुसार खेती-बारी मात्र से ही अपने तथा अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं होता है, बल्कि वे लकड़ी बेचने के लिये बुण्डू, गाँव के अन्य दोस्तों के साथ पैदल जाती हैं। युगी टोला से बुण्डू की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। वह तथा उनके सभी बच्चे अशिक्षित हैं।

मोडो टोला (नामकोम) निवासी सोम्बरा मुण्डा के परिवार का विवरण :-



सोम्बरा मुण्डा के परिवार में कुल पांच सदस्य हैं। इनके घर की लम्बाई 22 फुट, चौड़ाई 11 फीट एवं ऊचाई लगभग 13 फीट है। इन्होंने रहने की सुविधा के लिये बारेण्डा भी बनाया है। कुल तीन कमरे हैं। दीवाल मिट्टी से बने हैं तथा छत खपड़ा से छारा हुआ है। उन्हें लगभग दो एकड़ जमीन है। कुसुम के वृक्ष चार, महुआ वृक्ष दो, बैर के वृक्ष पांच एवं करंज के दो पेड़ हैं। उपरोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त दो बैल, पांच बकरी, एक खस्सी, एक गाय, तीन मुर्गी, एवं मुर्गी के चूजें बारह हैं। उनके घर में कुल्हाड़ी दो, कांसे का कटोरी दो, कांसे का लोटा एक, अल्मुनियम का डेकची एक एवं मिट्टी का घड़ा छः देखने को मिला। उपरोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त धान रखने का एक मोरा पाया गया जिसमें 10 मन धान रखा हुआ था। सूचनादाता के अनुसार अपना भरण पोषण खेती-बारी, लकड़ी बेचकर, लाह बेचकर एवं बकरी बेचकर करता है। घर के सभी सदस्य अशिक्षित हैं।

उपरोक्त पाटीदारों एवं आदिवासियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि दोनों समाज के लोग अनपढ़ हैं एवं आर्थिक दृष्टिकोण से आदिवासियों की स्थिति मजबूत है। फिर

भी क्यों पाटीदारों द्वारा आदिवासी ठगे जाते हैं? गहन अध्ययन करने पर पता चलता है कि पाटीदार वैसे गाँव में बसे हुए हैं, जहां हर जाति के लोग मिश्रित रूप से रह रहे हैं, जबकि कई आदिवासी गाँव ऐसे मिलेगे जहां मात्र मुण्डा आदिवासी जाति के लोग रहते हैं। काम चलाने के लिये मात्र किसी-किसी गाँव में लोहरा आदिवासी परिवार, हजाम (पिछड़ी जाति) परिवार एवं एक दो डोम परिवार के लोगों को देखा जाता है। फलतः पाटीदार जाति के लोग मुण्डा आदिवासी लोगों की तुलना में धूर्त्त, चालाक एवं चतुर हैं।

यही कारण है कि पाटीदार मृत व्यक्ति के परिवार के लोगों से मिलने के पहले आस-पास गाँव के लोगों से उपरोक्त परिवार के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि मृत व्यक्ति के परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी सम्पत्ति है, कौन सी बीमारी के द्वारा उस व्यक्ति की मृत्यु हुई इत्यादि। फलतः पाटीदार जब मृत व्यक्ति के परिवार के लोगों से मिलते हैं तो कई बातें सही-सही बताने लगते हैं। अतः लोगों को विश्वास हो जाता है कि अवश्य ही पाटीदार को मृत व्यक्ति के आत्मा ने ही भेजा है। अतः पाटीदार द्वारा वे आसानी से ठग लिये जाते हैं। मुण्डा आदिवासी जाति के लोग पाटीदारों के वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं हैं, फलतः वे पाटीदारों के बातों में विश्वास करने लगते हैं, परन्तु समय के परिवर्तन के साथ नई पीढ़ी के लोग धीरे-धीरे जागरूक हो रहे हैं फलतः पहले की तुलना में (1965 ई0 से पहले) पाटीदारों द्वारा आदिवासियों को कम ही ठगा जाता है। हालांकि आज भी दूर-दराज के अशिक्षित आदिवासी बुरी तरह से शोषित एवं पीड़ित हो रहे हैं।

● ● ●

12
अध्याय

आदिवासी मजदूरों का शोषण

सेठ-साहूकारों, बनिया एवं धनी-मानी व्यक्तियों द्वारा मजदूरों के शोषण से सम्बन्धित रेलाडीह (बुण्डू) ग्राम के मजदूरों का विवरण :-

सूचनादाता दान्दू मुण्डा (रेलाडीह, बुण्डू) का कहना है कि सन् 1982 ई0 तक रेलाडीह गाँव में भादो महीने (सितम्बर) में बनिया लोगो (धनी साहूकारों) द्वारा गरीब आदिवासियों एवं अन्य गरीब जनता को 5, 10, 15, 20 रूपया उधार इस शर्त पर देते थे कि अगहन महीनें (नवम्बर-दिसम्बर) में धान कटनी के समय प्रति दिन एक रूपया के हिसाब से काम करना है जबकि सन् 1982 ई0 तक दैनिक मजदूरी 5/- रू0 दिये जाते थे। बेचारे गरीब आदिवासी मजूबरी से साहूकारों के बातों को स्वीकार कर लेते थे। अतः अगहन महीने में जो मजदूर साहूकारों से उधार लिये रहते हैं, उन्हें प्रति दिन एक रूपया के हिसाब से तब तक काम करना पड़ता है, जब तक कि उधार की रकम चुकता नहीं होता है। आज कल (सन् 1985 ई0) भी अगस्त-सितम्बर महीने में उधार अग्रिम के रूप में लेते हैं। जिसका मजदूरी दर आधा किलो चावल है। अतः धान कटनी के समय उपरोक्त रकम का चुकता श्रम के रूप में करना पड़ता है। चावल के बदले में साहूकार अब भी (सन् 1985 ई0) 1/-50 -2 रू0 (एक रू0 पचास-दो रूपये) के हिसाब से प्रतिदिन काम कराने के लिये अग्रिम राशि के रूप में देते हैं। जबकि इन दिनों सन् 1985 ई0 में 6-8 रू0 दैनिक मजदूरी है।

सूचनादाता के अनुसार इस तरह से भादो महीने में उधार लेकर अगहन महीने में कम दाम में काम करने का प्रचलन रेलाडीह गाँव के अतिरिक्त आस-पास के गाँव तेलाई-मार्चा, भड़गाडीह, चिरूडीह एवं पार टोला में भी है। उन क्षेत्रों में ठीके पर काम करने का अन्य प्रचलन भी है। फलतः मजदूरों का शोषण होता है। भादो महीने में जब मजदूरों के पास खाद्यान्न का अभाव हो जाता है, तो वे अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिये सेठ-साहूकारों के पास पहुँच जाते हैं। साहूकार इन मजदूरों को ठीके पर अग्रिम राशि देने के लिये तैयार होते हैं, तब कम से कम दामों पर काम करने के लिये मजदूर स्वीकार करते हैं।

सूचनादाता के अनुसार एक एकड़ पैंतीस डिसमिल के धान के खेत के कटनी के लिये मात्र 7 किलो धान (10 पैल) दिये जाते हैं। जबकि उन्हें 35-40 किलो धान मिलना चाहिए। इस तरह से भादो महीने (सितम्बर) में ही ठीके पर काम करने के लिये अग्रिम राशि लेना, बन्धुआ मजदूर की तरह है। रेलाडीह ग्राम के उन बनियों का नाम निम्नलिखित है जो भादों महीने (सितम्बर माह)

में ही धान कटनी (नवम्बर-दिसम्बर) के समय का मजदूरी अग्रिम के रूप में एक रू0 प्रति दिन के हिसाब से दिये हैं एवं ठेका पर काम, कम दामों में कराये हैं :-

नाम	गाँव	थाना एवं जिला
1. जितन साहू	रेलाडीह	बुण्डू, रॉंची।
2. मनोहर साहू	"	"
3. दुखो साहू	"	"
4. मेरान साहू	"	"

उक्त व्यक्तियों अथवा गरीब मजदूरों का नाम जो भादो महीने (सितम्बर) में ही धान कटनी के समय का मजदूरी अथवा ठेका मजदूरी ले लेते हैं :-

नाम	गाँव	थाना, जिला	जाति
1. सोमा मुण्डा	रेलाडीह	बुण्डू, रॉंची	मुण्डा (आदिवासी)
2. सुकुल मुण्डा	"	"	"
3. पाण्डू मुण्डा	"	"	"
4. रासो मुण्डा	"	"	"
5. घासी मुण्डा	"	"	"
6. राम पातर	"	"	"
7. गोविन्द मुण्डा	"	"	"
8. बुधन मिर्धा	"	"	"
9. टूयलू मिर्धा	"	"	"
10. सितल मिर्धा	"	"	"
11. राम का बड़ा भाई	"	"	"
12. मंगल मिर्धा	"	"	"

सूचनादाता दान्दू मुण्डा के अनुसार लगभग सभी के सभी रेलाडीह ग्राम के हरिजन परिवार के लोग इस प्रकार के ठीकेदारी प्रथा एवं उधारी प्रथा से ग्रसित हैं।

काम के बदले अनाज प्रोग्राम के अन्तर्गत बी० डी० ओ० एवं फील्ड सुपर वाइजर द्वारा आदिवासी एवं अन्य मजदूरों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शोषण :-

सूचनादाता धनश्याम मुण्डा उम्र 40 वर्ष, ग्राम जड़िया (बुण्डू) के अनुसार हुमटा पंचायत के अन्तर्गत ये गाँव हैं :-

1. जाड़ेया
2. हुमटा
3. बारूहातू
4. जारा टोला
5. हेसाः दाः
6. अमनबुरू
7. काजीबारू
8. मुईसुडीह
9. जारा टोला।

सूचनादाता धनश्याम मुण्डा के अनुसार भड़गाडीह से मुइसूडीह तक काम के बदले अनाज प्रोग्राम के अन्तर्गत कच्ची सड़क बनने वाला था। अतः मुखिया एवं मेट ने यहां के आदिवासी मजदूरों

से गितीलडीह तक कच्ची सड़क बनवाया। इस पर बुण्डू ब्लॉक के बी0 डी0 ओ0 एवं फील्ड सुपरवाइजर (प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी) ने कहा कि भड़गाडीह से लेकर हुमटा तक वर्क आर्डर के अनुसार अच्छा काम हुआ है। अतः यहां तक की मजदूरी रेजा कुलियों को दी जायेगी, परन्तु हुमटा से लेकर गितीलडीह (लगभग 1-1/2 किलो मीटर) तक की मजदूरी. मजदूरो को नहीं दी जायेगी, चूँकि हुमटा से लेकर गितीलडीह तक मुखिया एवं मेट ने वर्क आर्डर लिए बिना काम करवाया है। इस तरह से बी0 डी0 ओ0 एवं फील्ड सुपरवाइजर ने टोटल 56 (छप्पन) क्वींटल गेंहू बकाया रखा अर्थात् मजदूरों को नहीं दिया। उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान करने में दोनों पदाधिकारियों (बी0 डी0 ओ0 एवं फील्ड सुपरवाइजर) ने असमर्थता व्यक्त किया। अतः कम्युनिस्ट पार्टी नेता घनश्याम मुण्डा ने मजदूरों से आन्दोलन करवाया। ये मजदूर बी0 डी0 ओ0 का घेराव किये। फलतः मात्र आठ (8) क्वींटल गेंहू भुगतान करने के लिये राजी हुए। अतः मजदूर एवं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आन्दोलन एवं घेराव करते रहे। अन्ततः बकाया राशि 56 (छप्पन) क्वींटल में से 30 (तीस) क्वींटल गेंहू का भुगतान किया गया एवं 26 (छब्बीस) क्वींटल गेंहू का भुगतान नहीं हुआ।

सभी मजदूर अर्थात् 95% मजदूर मुण्डा आदिवासी समुदाय के थे।

नहर के सफाई एवं मरम्मत कार्य में सिंचाई विभाग के ओवरसियर द्वारा मजदूरों का शोषण :-

मंगल मुण्डा का कहना है कि सिंचाई विभाग का ओवरसियर 1980 ई0 में कुछ दूर (पुल से डैंम तक अर्थात् 800 फुट की लम्बाई) तक 5/- रू0 (पांच रूपया) प्रति चैन के हिसाब से मजदूरी दिया करता था। जब कि शेष अन्य स्थानों के सफाई एवं मरम्मत के लिये प्रति चैन मात्र दो रूपये पचास पैसे दिये गये। सूचनादाता के अनुसार अनेक मजदूरों को 5-10 (पांच-दस) रूपया बकाया नहीं दिया गया। कुल टोटल लगभग एक सौ रूपया जाड़ेया के आदिवासी मजदूरों को ओवर सियर ने नहीं दिया। जिन आदिवासी मजदूरों को सन् 1980 ई0 के मई-जून-जूलाई महीने में बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं हुआ था, वे हैं :-

नाम	गाँव, थाना	रकम
मंगल मुण्डा	जाड़ेया, बुण्डू	5.00
मनसा मुण्डा	”	7.00
कंचन मुण्डा	”	4.00
घासी मुण्डा	”	8.00
पुस्कर मुण्डा	”	5.00
दारोगा मुण्डा	”	10.00
गनेश मुण्डा	”	3.00
गुरूचरण मुण्डा	”	6.00
पंचानन सिंह मुण्डा	”	5.00
विसोबन्धु मुण्डा	”	11.00
बिहारी मुण्डा	”	2.00
दिलेश्वर मुण्डा	”	6.00

गुलाब लोहरा	"	4.00
झारू लोहरा	"	2.00
रामसहाय लोहरा	"	7.00

नहर के सफाई एवं मरम्मत से सम्बन्धित आदिवासी मजदूरों का ओवरसियर द्वारा शोषण से सम्बन्धित मनसा मुण्डा का विवरण :-

ग्राम जाड़ेया, बुण्डू निवासी सूचनादाता मनसा मुण्डा का कहना है कि मई-जून, 1979 ई0 में भी जाड़ेया ग्राम के कुछ आदिवासियों को ओवरसियर ने नहर के सफाई एवं वृक्षरोपण का काम करवाया, पर कुछ मजदूरों को अब तक (सन् 1987 ई0 तक) मजदूरी का बकाया राशि नहीं मिला है।

ये व्यक्ति निम्नलिखित हैं :-

1. पण्डा मुण्डा 2. चामरस मुण्डा एवं 3. सोमरा मुण्डा।

आदिवासी मजदूरों (रेजा-कुलियों) को बेचा जाने से सम्बन्धित बुधन मुण्डा का विवरण :-

सूचनादाता बुधन मुण्डा, ग्राम जाड़ेया का कहना है कि सन् 1976-77 ई0 में उन्हें तथा उनके साथियों को दलालों द्वारा अधिक मजदूरी दिलाने के बहाने राँची से खूँटी लाया गया। खूँटी से उन लोगों को पतरातू लाया गया। पतरातू से भुरकुण्डा होते हुए उन्हें पंजाब पहुँचा दिया गया। सूचनादाता का कहना है कि दलाल जगह-जगह पर बदलते गये। जब वे पंजाब पहुँचे तो उन्हें पता चला कि उन्हें तथा उनके साथियों को एक ही स्थान पर काम नहीं करना है बल्कि अलग-अलग ग्राहक उन्हें काम करने के लिये ले जाने वाले हैं। ये वहां महसूस कर रहे थे कि उन्हें धोखा देकर लाया गया है।

सूचनादाताओं से पता चला कि कुछ मजदूरों को खाने के सिवाए मजदूरी दर बिलकुल नहीं मिलता था। पंजाब एक साथ जाने वालें में से केवल पुष्कर को ही सोनपुर लालवर में एक पंजाबी के घर में मजदूरी के रूप में प्रति महीने एक सौ रूपया दिये जाते थे।

कई महीनों बाद पुष्कर मुण्डा पुनः पंजाब लौटने का आश्वासन देकर मालिक से घर जाने के लिये छुट्टी मांगा। पुष्कर मुण्डा के अतिरिक्त अन्य उनके साथी, पंजाब से भाग कर घर पहुंचे हैं - जैसे :-

1. बुधन मुण्डा 2. शिवनाथ मुण्डा 3. चैतन लोहरा
4. दुलाल लोहरा 5. केशर लोहरा।

आदिवासी मजदूरों के शोषण एवं बेचा जाने से सम्बन्धित ग्राम आमजोड़ा बुण्डू (राँची) निवासी रवीन्द्रनाथ मुण्डा का विवरण :-

सूचनादाता रवीन्द्र नाथ मुण्डा एवं इन्द्रनाथ मुण्डा ग्राम आमजोड़ा बुण्डू के अनुसार सन् 1981 ई0 के आस पास आमजोड़ा (बुण्डू) गाँव के कई लोगों को एक साथ अपने जिले से बाहर काम करने जाने के लिये फुसलाकर राजी किया गया। दलालों ने खेत्रमोहन मुण्डा से सम्पर्क किया। खेत्रमोहन मुण्डा ने गांव के निम्नलिखित लोगों को एक साथ काम करने जाने के लिये उत्साहित किया :-

नाम	ग्राम एवं थाना
1. अर्जुन मुण्डा	आमजोड़ा, बुण्डू
2. कान्दु पाहान	"
3. माटुंग उरांव	"
4. कोकर मुण्डा	"

खेत्रमोहन मुण्डा को दोस्तों के साथ राँची रेलवे स्टेशन लाया गया। राँची रेलवे स्टेशन में अन्य दलाल के साथ सम्पर्क स्थापित कराया गया। पंजाब पहुंचते-पहुंचते कई दलाल बदल चुके थे। पंजाब में उन्हें एक स्थान पर ठहरा कर कई ग्राहक आने लगे तथा एजेन्ट अर्थात् दलालों के साथ मजदूरों की खरीद बिक्री की बात होने लगी। जब मजदूरों की खरीद बिक्री की बात होने लगी तो वे समझ गये कि उन्हें बेचा गया है, परन्तु वे कर ही क्या सकते थे? उनके पास पैसे का अभाव था तथा दलालों के चंगुल में फंस चुके थे। सूचनादाताओं के अनुसार एजेन्ट प्रत्येक मजदूरों को 400, 450, 500 रूपये में खुले आम बेच रहे थे। इस तरह से खेत्र मोहन एवं उनके दोस्त पंजाब में बिछुड़ गये। भाग कर आये हुए मजदूरों का सामूहिक साक्षात्कार लेने पर पता चला कि उन्हें तब तक मजदूरी नहीं दी जाती थी जब तक कि मालिक मजदूरों को खरीदे गये रकम का चुकता अर्थात् वसूल नही कर लेते थे। इस तरह से पांच छः महीना तक मात्र खाने के लिये भोजन दिये जाते थे। खरीदे गये रकम के वसूल होने पर मजदूरों को प्रति महीना 60-70 रू0 (साठ-सत्तर रूपया) दिये जाते थे। मजदूरों को पंजाब में दिन भर खेतों में काम करना पड़ता है। गेंहू कटाई के अवसर पर मजदूरों को खेतों में ही सोना पड़ता है। कई लोग पंजाब में ट्रेक्टर से हल जोतते थे। जैसे - खेत्रमोहन मुण्डा। वे कई सालों तक पंजाब में मजदूरी करने के बाद पैसा लेकर घर लौटने लगते हैं तो उनसे प्रायः रेलवे स्टेशनों पर पैसा छीन लिये जाते हैं। जैस मादु उरांव इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। उन्हें राँची रेलवे स्टेशन में पैसा छीन लिया गया।

मजदूरों के शोषण से सम्बन्धित माड़की मुण्डा का विवरण एवं अनुभव :-

तैंतीस वर्षीय माड़की मुण्डा ग्राम युगी टोला, कुदागाड़ा (नामकोम, राँची) का रहने वाला है। उनकी शिक्षा नन मैट्रिक है, वह सन् 1975 ई0 में अपने दोस्तों के साथ मणीपुर ग्रीफ में काम करने के लिये गया था जिससे उन्होंने मजदूरी के शोषण से सम्बन्धित अनुभव प्राप्त किया। अनुभव का पूर्ण विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैं :-

माड़की मुण्डा के अनुसार गांव महादेव सेरेंग (नामकोम) का सोम्बरा टोप्पो मणीपुर ग्रीफ में काम कर रहा था। वहां उसे ग्रीफ के पदाधिकारियों ने कुली लाने का हुकुम दिया। फलतः सोम्बरा टोप्पो मजदूरों के खोज में माड़की मुण्डा के गांव युगी टोला पहुंचा। सोमरा टोप्पो के साथ माड़की मुण्डा की बात चीत हुई। इस पर माड़की मुण्डा काम करने के लिये मणिपुर जाने को राजी हुआ। अतः माड़की मुण्डा सारजम इकीर गांव के फागुवा मुण्डा, सॉतो मुण्डा, भोला मुण्डा एवं कामडेरा दुटीहारा (थाना नामकूल) ग्राम के कोका महतो, ध्यान हेमरोम के साथ भेंट कराया एवं सोम्बरा टोप्पो के तत्वाधान में मणीपुर के लिये रवाना हुए। रास्ते में अन्य कई मजदूर दोस्त मिल गये। मेट, सोम्बरा टोप्पो के नेतृत्व में 50 (पचास) मजदूर जुट गये। वे प्राइवेट अर्थात् सोम्बरा टोप्पो

के द्वारा मणीपुर ले जाये गये। सूचनादाता के अनुसार अपने से गये निम्नलिखित मजदूरों का शोषण निम्न प्रकार हुआ :-

क्रमांक	नाम	गांव	थाना
1.	एतवा तिर्को	दुटीहारा	नामकोम
2.	शिशिर टिर्की	"	"
3.	कोका महतो	"	"
4.	एडवर्ड लकड़ा	हेसला,	जाराटोला
5.	प्रभुदयाल टिर्की	लाली	नामकोम
6.	इसाक टोप्पो	"	"
7.	सिरोल टोप्पो	"	"
8.	शुक्ला उरांव	"	"
9.	मार्सल टूटी	देव	अड़की

1. अनुचित गाड़ी का किराया एवं भोजन खर्च लिया जाना :-

माड़की मुण्डा के अनुसार रॉंची से दिसपुर तक के लिये 60/- (साठ) रूपया तथा दिसपुर से इम्फाल तक के लिये 20/- रू0 (बीस रूपया) किराया था, परन्तु मजदूर ज्योंहि रॉंची से दिसपुर पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि भाड़ा में दस रूपये की बढ़ोत्तरी हुई है। फलतः सभी मजदूरों को दस रूपया अधिक देने पड़े। इस तरह से दो रूपया प्लेट खाना खाने पर तीन रूपया प्लेट एवं एक रूपया पचास पैसे प्लेट, खाने पर दो रूपया प्लेट के हिसाब से अदा किया गया।

2. मजदूरों को ठीका पर काम करवाने का आश्वासन देकर प्रतिदिन की मजदूरी के हिसाब से पैसे का भुगतान करना :-

माड़की मुण्डा का कहना है कि ओवर सियर 2, मजदूरों से अमानुसिक ढंग से व्यवहार करते थे। वे मजदूरों को ठीका पर काम करवाते थे। मजदूर खून पसीना एक करके काम जल्द समाप्त करके अधिक कमाना चाहते थे। परन्तु काम समाप्त होने पर उन्हें प्रतिदिन के मजदूरी के हिसाब से भुगतान किया जाता था। ओवरसियर के बातों को न मानने पर एक दिन की मजदूरी (ठीका एवं मजदूरी) नहीं दी जाती थी। अर्थात् ओवरसियर के बातों का विरोध करने पर एक दिन की मजदूरी का भुगतान नहीं होता था।

3. एक दिन अनुपस्थित रहने पर दो दिनों का मजदूरी कट जाना :-

एक दिन किसी कारणवश काम नहीं करने पर दो दिन की मजदूरी कट जाता था अर्थात् दो दिन की मजदूरी नहीं दी जाती थी। पांच दिन काम नहीं करने पर दस दिनों का वेतन अर्थात् मजदूरी का रकम काटा जाता था।

4. काम की वस्तुओं के खो जाने पर दुगुना पैसा वसूल किया जाना :-

काम की वस्तुओं का संयोगवश खो जाने पर दुगुना पैसा वसूल किये जाते थे। सूचनादाता के अनुसार निम्नांकित वस्तुओं के खो जाने पर उचित मूल्य से दुगुना पैसा मजदूरों से वसूल किये जाते थे। जिसका तालिका निम्न प्रकार है :

क्रमांक	वस्तुओं का नाम	वजन	उचित मूल्य	अनुचित अदा किया जाने वाला मूल्य।
1.	सबड़		15 रू०	30 रू०
2.	हेमर	10 पौंड	10 रू०	20 रू०
3.	हेमर	14 पौंड	14 रू०	28 रू०
4.	तासला		5 रू०	10 रू०
5.	कुल्हाड़ी		2.50 पैसे	5 रू०

सूचनादाता का कहना है कि ग्रेड 1, ओवर सियर (श्री निवास) एवं ग्रेड 2 ओवरसियर बढ़ोत्तरी रूपया हजम कर जाते थे। मजदूरों का शोषण करने वाले ओवरसियरों का नाम निम्न प्रकार है :-

1. एस0 एन0 मूर्ति
2. जय प्रकाश शर्मा
3. के0 एस0 नायर एवं
4. श्री निवास।

उपरोक्त सभी ओवरसियर मजदूरों का शोषण हर तरह से करते थे। सूचनादाता के अनुसार होटल में खाना खाने पर मजदूरों से भोजन चार्ज उपरोक्त पदाधिकारी अधिक लेते थे।

मणीपुर ग्रीफ में पहुंचने से सम्बन्धित मजदूरों की समस्याएं एवं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ढंग से मजदूरों के शोषण से सम्बन्धित माड़की मुण्डा का विवरण :-

माड़की मुण्डा का कहना है कि इम्फाल पहुंचने पर मजदूरों को 15 दिनों तक बेकार रहना पड़ा। फलतः बिना परिश्रम किये राशन पानी मिलने लगा। जब वे काम करना शुरू किये तो उनके वेतन से 15 दिनों का खर्चा काट लिया गया। मणीपुर पहुंचने पर मजदूरों का मेडिकल टेस्ट (शारीरिक जांच) हुआ। फलतः कई मजदूर छंट गये। कुछ मजदूरों के छंट जाने पर अन्य मजदूरों को छंटे मजदूरों का खर्चा वहन करना पड़ा। छंटे मजदूरों को तीन महीने तक खिलाना पड़ा। घर लौटने के लिये पैसा चन्दा कर भाड़ा दिया गया।

सूचनादाता के अनुसार मेडिकल में छंटने वाले मजदूर निम्नांकित है :-

1. मार्शल टूटी (पस्ताबेड़ा, नामकूम) 2. जुनूस टिर्की (टूटीहारा, नामकोम) एवं 3. फिलीफ लोहरा (लाली, नामकोम) उपरोक्त सभी मजदूरों का उम्र कम होने के कारण मेडिकल टेस्ट में छंट गये। यहां पर काम कर रहे मजदूरों के चिकित्सक के लिये किसी भी तरह का प्रबन्ध नहीं था। मजदूरों को काम करने के निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाने के लिये किसी भी तरह का प्रबन्ध नहीं था, जिसके कारण मजदूर खाने की वस्तुओं को भी अपने साथ में ले जाने में असमर्थ थे। यही कारण है कि सूचनादाता माड़की मुण्डा को राशन के अभाव में कई दिनों तक केला का डंटल खाकर रहना पड़ा।

मजदूरों के चिकित्सा के लिये किसी भी तरह का प्रबन्ध नहीं था अतः सन् 1975 ई0 के अप्रैल महीने में जब कई मजदूर बीमार हो गये, तो उन सभी मजदूरों को डिसचार्ज कर दिया

गया। चूँकि गाड़ी से डिमापुर तक जाने के लिये किसी तरह का प्रबन्ध नहीं था। फलतः अनेक मजदूर रास्ते में ही मर गये। इसी तरह से दो-चार गैंग के लोग घर पहुंचने के पहले मर गये अर्थात् दो-चार गैंग के लोग बिलकुल साफ हो गये। चूँकि हॉस्पीटल ले जाने के लिये ग्रीफ की ओर से गाड़ी का प्रबन्ध नहीं था।

मैट सोम्बरा टोप्पो द्वारा मजदूरों को ठगने से सम्बन्धित विवरण एवं मजदूरों को रेलवे स्टेशनों में लूटा जाना :-

सोम्बरा टोप्पो 5-6 महीने तक मणीपुर में रहने के बाद अपने साथ आए हुए मजदूरों से उनके घर वालों को मनीआर्डर द्वारा रूपया भेजने के बहाने 200, 300, एवं 400 रूपया प्रति व्यक्ति मांगा। पैसा मिलने के बाद वह वहां से भाग कर अपना घर चला आया। अतएव देखा जाता है कि मजदूर जब काम करने के लिये बाहर चले जाते हैं तो किसी न किसी तरह से उनका शोषण होता रहता है। जब वे पैसे कमाने के बाद भी घर लौटने लगते हैं तो रेलवे स्टेशनों में मजदूरों से पैसे छीन लिये जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कुनडेरा गांव के जीतू पाहान को लिया जा सकता है। उसका मणीपुर से रॉची आने पर रेलवे स्टेशन में दलालों ने पैंसा लूट लिया।

मजदूरों के बिक्री एवं शोषण से सम्बन्धित नवो मुण्डा (गभड़ेया, बुण्डू) का विवरण :-

सूचनादाता नवो मुण्डा ग्राम गभड़या, थाना बुण्डू (रॉची) का रहने वाला है। उनका उम्र 60 वर्ष के लगभग है। सूचनादाता का कहना है कि उनके भाई हरि सिंह मुण्डा एवं उनकी पत्नी गुनी देवी (गांव गभड़ेया) तथा सारजोम इकीर (बुण्डू) निवासी फागुवा मुण्डा सन् 1965 ई0 को काम करने के लिये खूँटी के आस पास बाड़े सेरेंग एवं उमरी (टोंगरी) के टुंगरी पर पत्थर फोड़ने के लिये जा रहे थे। संयोगवश रास्ते में दलालों के साथ भेंट हो गई। दलालों ने उनलोगों को अच्छा मजदूरी देने का आश्वासन देकर फुसलाया। फलतः वे रॉची से बाहर काम करने जाने के लिये राजी हुए। दलालों ने उन लोगों को दूसरे ठीकेदार से सम्पर्क करा कर बेच दिया। जिसका पता हरि सिंह, गुनी देवी एवं फागुवा मुण्डा को नहीं था। दूसरे ठीकेदार ने इन तीनों व्यक्तियों को आसाम के आस पास के ईट भटठे में भेज दिया। वहां इन लोगों को खाने-पीने के लिये राशन मिलता था। राशन के अतिरिक्त उन्हें रूपया पैसा बिलकुल नहीं मिलता था। जब वे पैसे की मांग कर रहे थे तो उन्हें कहा जाता था कि तुमलोगों को खरीद कर लाया गया है। जब तक खरीदे गये रकम की वसूली नहीं हो जाती है तब तक उन्हें मात्र राशन पानी दिये जायेंगे। तत्पश्चात वे वहां से भाग निकलने की योजना बनाने लगे। गेट पर दरबान/चपरासी रहने के कारण, उन लोगों का भागने का सारा प्रयास बेकार हो जाता था।

एक दिन हरि सिंह मुण्डा ने दरबान को लकड़ी काटने के बहाने कुल्हाड़ी मांगा। कुल्हाड़ी लाने के लिये दरबान ज्योंहि वहां से चल पड़ा वे तीनो पति-पत्नी, फागुवा मुण्डा के साथ चम्पत हो गये। इस तरह से उन्हें छुटकारा मिला।

जितु मुण्डा का दलालों द्वारा बेचा जाने से सम्बन्धित अनुभव एवं विवरण :-

42 वर्षीय जीतु मुण्डा ग्राम गभड़ेया, पो0 नावाडीह (बुण्डू, रॉची) का रहने वाला है। जीतु मुण्डा अपने छः वर्षीय बच्चे के साथ दलाल बिरसा लोहरा ग्राम हालुडीह (बुण्डू) द्वारा बुरी तरह

फंसाया गया। वह जीतु मुण्डा को अग्रिम पैसा देकर काम करने के लिये राजी किया। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसे काम करने के लिये पंजाब जाना है। अग्रिम पैसा लेने के कारण वह अपने बच्चे के साथ पंजाब जाने के लिये भी तैयार हो गया। यह घटना सन् 1979 ई0 की है। जितु मुण्डा अपने बच्चे को लेकर ठीकेदारों के साथ पंजाब भी गया, परन्तु वहां उनकी बिक्री न होने के कारण स्थिति दयनीय हो गई। उनके पास पैसा बिलकुल नहीं था। फलतः उन्हें खाने एवं घर लौटने के लिये गाड़ी का किराया जुटाने के लिये कई लोगों से पैसा मांगना पड़ा। पर्याप्त पैसा न मिलने के कारण उन्हें तथा अपने बच्चे को भूख मिटाने के लिये मकई चोरी करना पड़ा। वे पंजाब से मकई के सहारे ही घर लौटने में समर्थ हुए।

नादो मुण्डा को सपरिवार पंजाब में बेचा जाने से सम्बन्धित विवरण :-

सामूहिक साक्षात्कार द्वारा मुझे पता चला कि सन् 1976 ई0 में नादो मुण्डा (गभड़ेया, बुण्डू) को सपरिवार काम करने के लिये पंजाब में ले जाया गया है। नादो मुण्डा के परिवार में चार सदस्य हैं - पत्नी एवं दो बच्चे (एक लड़की एवं एक लड़का) सूचनादाताओं के अनुसार नादो मुण्डा को काम करने के लिये पंजाब ले जाकर वहां उसे परिवार सहित बेच दिया गया है। वह बिलकुल ही अनपढ़ है तथा चालाक चतुर भी नहीं है। फलतः उसके लिये अपना गांव गभड़ेया, बुण्डू पुनः वापस लौटना नामुकिन है।

ऊख टोला (गभड़ेया, बुण्डू) के गोविन्द मुण्डा का विवरण :-

ऊख टोला के गोविन्द मुण्डा ने भी दलालों के बहकावे में आकार पंजाब काम करने के लिये सन् 1976 ई0 को पत्नी के साथ गया था। अन्य मजदूरों की भांति गोविन्द मुण्डा को भी ग्राहक खरीदने आये। जब उसे अपनी पत्नी के साथ ग्राहक ने खरीदा तो उन्हें कई महीनों तक पैसा नहीं दिया। जब भी उन्हें पैसा दिया जाता था, दो तीन सौ रूपया बकाया रहता था। गोविन्द मुण्डा दो वर्षो तक काम करने के बाद घर आना चाहा, परन्तु गोविन्द मुण्डा के घर आने के समय तक में 600/- रूपया बकाया था। अतः वह बकाया राशि छोड़कर पत्नी के साथ गांव लौटा।

मजदूरों के शोषण एवं खरीद बिक्री से सम्बन्धित फतेहपुर (नामकूम) ग्राम के लोगों का सामूहिक साक्षात्कार से प्राप्त विवरण :-

फतेहपुर ग्राम के लोगों का सामूहिक साक्षात्कार लेने पर पता चला कि दलालों के द्वारा सीध-सादे एवं ईमानदार आदिवासियों को अच्छा काम मिलने एवं अच्छी मजूदरी दिलाने का सान्त्वना देकर मजदूरों को रॉची या अन्य स्थानों में बेच दिया करते हैं। बातचीत के क्रम में फतेहपुर, नामकूम निवासी 60 वर्षीय, दुर्योधन इजाम द्वारा पता चला कि सन 1978 ई0 में साजोम इकीर (बुण्डू) गांव का सुरयू मुण्डा उनके घर में चरवाहा (नौकर) था। वह समय-समय पर बात चीत के क्रम में दुर्योधन हजाम के पास कहता था कि दलाल मजदूरों को ठगकर रॉची या अन्य शहरों में ले जाया करते हैं एवं वहां मजदूरों का बिक्री उम्र के हिसाब से होता है। सन् 1977-78 ई0 के आस पास जवान मजदूरों को 300, 400, 500 रूपया तक में बेचा जाता था। सूचनादाताओं के अनुसार जब बड़े ठीकेदारों के साथ दलालों की खरीद बिक्री सम्बन्धी बातें होती है तो बेचारे मजदूर हिन्दी भाषा न समझने के कारण सोचते थे/हैं कि शायद मेरे वेतन संबंधी चर्चा हो रही है। जब मजदूर 300, 400, 500 रूपया सुनते हैं तो वे समझने लगते हैं कि उन्हें 300, 400, 500 रूपया के हिसाब से प्रति महीना वेतन दिया जाएगा।

जब मजदूरों की खरीद बिक्री हो जाती है तो उन्हें एक कमरे में ठूंस दिया जाता है। उन्हें बन्द कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाती है। इतना ही नहीं उनके साथ भेड़, बकरी की तरह व्यवहार किया जाता है। दो चार या 15-20 दिनों के बाद अन्य खरीददार आरा, छपरा या अन्य स्थानों से अमुक स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच कर खरीददार भेड़-बकरी की तरह मजदूरों का चयन कर खरीद बिक्री सम्बन्धी ठीकेदार के साथ बातें करते हैं। ठीकेदार खाने पीने के खर्च को जोड़कर कुछ मुनाफा लेकर 500, 600 रूपया में मजदूरों को बेचता है। तब तक मजदूर यह सोचते हैं कि अमुख खरीददार व्यक्ति शायद महीना 500, 600 रूपया के हिसाब से मजदूरी दिया करेगा।

अन्त में मजदूरों को खरीद कर काम करने के लिये ले जाया जाता है तो वहां उन्हें खाने पीने के अलावा कुछ नहीं दिया जाता है। क्यों न वे मजदूर 4-5 वर्ष या 10 वर्ष तक काम करें। सूचनादाताओं के अनुसार पैसा इसलिये नहीं दिया जाता है ताकि वे उनके घर से भाग कर अपने मुल्क तक पहुंचने में समर्थ नहीं हो।

सूचनादाता हरिपदो मुण्डा से प्राप्त रेजा कुलियों का बेचा जाने से सम्बन्धित विवरण एवं शोषण का संक्षिप्त परिचय :-

फतेहपुर, नामकुम निवासी 50 वर्षीय हरिपदो मुण्डा का कहना है कि सन् 1971 ई0 में खरीफ फसल न होने के कारण गांव के कई लोग बाहर काम करने की बात सोचने लगे, अतः उन्होंने गांव के निम्नांकित लोगों के साथ तायमारा बुण्डू निवासी उतरा गोंझू के साथ सम्पर्क स्थापित किया।

क्रम सं०	नाम	उम्र	
1.	हरिपदो मुण्डा	40 वर्ष	
	एवं उनकी पत्नी	25 "	
2.	लखन मुण्डा	55 "	
3.	बाडुंग मुण्डा	25 "	सन् 1971 ई० के आस-पास उपरोक्त व्यक्ति का उम्र
4.	सोमनाथ मुण्डा	16 "	
5.	बुधन मुण्डा	50 "	
6.	घासीराम मुण्डा	47 "	
8.	चैतन मुण्डा	50 "	
9.	हारू मुण्डा	25 "	
10.	मंगल मुण्डा	39 "	

सूचनादाता का कहना है कि उस समय उतरा गोंझू कई लोगों को काम करने के लिये बाहर भेजा करते थे। अतः हरिपदो मुण्डा अपने गांव के 9 (नौ) सदस्यों एवं नाई लगाड़ा, जारा टोला, युगी टोला, सारजोम इकोर गांव के सदस्यों के साथ उतरा गोंडू के नेतृत्व में काम करने के लिये हजारीबाग गया। वे कुल टोटल 45 मजदूर थे। उन सभी मजदूरों को हजारीबाग जिले के माण्डू थाना के कादला कोल्यरी पहुंचा दिया गया था। हरिपदो का कहना है कि उन सभी मजदूरों को वहां जमशेदपुर के मारवाड़ी ठीकेदारों के हाथों पांच हजार रूपया में बेच दिया। इस बात की

जानकारी सभी मजदूरों को दो-चार दिन बाद मिला। उतरा गोंझू सात दिनों तक उन सभी मजदूरों के साथ काम किया ताकि वे समझे कि उनके मुन्शी उतरा गोंझू ही हैं। सात दिनों के बाद वह अपना घर लौट गया।

कादला कोलयारी में मजदूरों को मात्र प्रति दिन खाने के लिये आटा एवं चावल दिया जाता था। उन्हें प्रति दिन के मजदूरी के हिसाब से पैसा नहीं मिलता था। फलतः उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। अतः वे सभी मजदूर धीरे-धीरे वहां से भागने का योजना बनाए एवं दो-तीन महीने के अन्दर रातों-रात भागने में सभी मजदूर सफल हुए। हरिपदों मुण्डा को अकेले पाकर ठीकेदार ने अन्य उनके दोस्तों को पुनः बुलाने का सुझाव दिया, इस पर उसे भी बहाना मिला एवं वह दूसरे कोयला खदान में काम करने के लिये चला गया।

सूचनादाताओं के अनुसार वहां से भाग कर गांव आने में उन्हें काफी कठिनाइयां हुई चूँकि उनके पास पैसा नहीं था। जिसके कारण बिना खाये-पीये मजदूरों को पैदल घर आना पड़ा।

मैंने हरिपदो मुण्डा को प्रश्न किया था कि क्या आप तायमारा निवासी उतरा गोंडू से नाराज नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने आपलोगों को बेचा है एवं आप लोगों को पैसा भी नहीं मिलता था।

उन्होंने उत्तर दिया -- "चूँकि हम लोग घर में भी भूखो मर रहे थे इसलिये कम से कम कोलयारी में आटा चावल तो मिल जाता था"। अतः नाराज होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। पुनः हरिपदो मुण्डा के साथ बातचीत के क्रम में पता चला कि एक साथ काम करने के लिये गये व्यक्तियों में युगी टोला, नामकूम के गेड़े मुण्डा एवं सारजोम इकीर, बुण्डू के अकाल मुण्डा अभी भी हजारीबाग के आस पास के कोयला खान में काम कर रहे हैं।

मजदूरों के शोषण से सम्बन्धित फतेहपुर, नामकूम गांव के लखन मुण्डा का विवरण :-

सन् 1985 ई0 के मार्च-अप्रैल महीने में इनका उम्र लगभग 68 (अड़सठ) वर्ष हो रहा था। उनका कहना है कि सन् 1971 ई0 में लगभग 40-45 मजदूर एक साथ काम करने के लिये तायमारा (बुण्डू) निवासी उतरा गोंडू एवं गोसाइंग मुन्शी द्वारा काम करने के लिये घाटो अर्थात् घोड़ो पहुंचा दिये गये। घाटो, हजारीबाग जिले के माण्डू थाना के अन्तर्गत आता है।

उनके अनुसार वहाँ उन्हें मात्र खाने के लिये राशन मिलता था। फलतः मजदूर वहां से भागने के ताक में रहे। एक दिन बारह बजे रात 25-30 मजदूरों का गिरोह फतेहपुर ग्राम के हरिपदो मुण्डा को छोड़कर घर आना चाहा। वे मजदूर हरिपदो को इसलिये छोड़ दिये, चूँकि उनके साथ बाल बच्चे थे एवं भागने में दिक्कत हो सकती थी।

जब मजदूर भागने लगे तो उनका पीछा ठीकेदार एवं मुन्शी ने टैक्सी गाड़ी से किया। रास्ते में ठीकेदार एवं मुन्शी के साथ मजदूरों की मुलाकात हुई। ठीकेदार ने मजदूरों को रास्ते से ही लौटाने के लिये काफी समझाया-बुझाया परन्तु भागते मजदूर अपने दृढ़ निश्चय में अड़े रहे।

तब वे सभी मजदूर जंगल से होकर भागने का कोशिश किये, ताकि उनका पुनः पीछा न किया जा सके। करीब करीब 10-12 मील पैदल चलने पर रायगढ़ के नजदीक अन्य दूसरे ठीकेदार ने उनलोगों से प्रश्न किया कि क्या तुम लोग घाटो से भाग रहे हो। इस पर मजदूरों ने नकारात्मक उत्तर दिया एवं कहा कि हमलोग माण्डू से आ रहे हैं। तब वे वहां से आगे बढ़ने में सफल हुए।

अब वे पुनः जंगल का रास्ता पकड़े ताकि उनका पीछा न किया जा सके। सूचनादाता लखन मुण्डा के अनुसार उनके साथ फतेहपुर ग्राम का स्व0 बुधराम मुण्डा, गभड़ेया का रामजीवन मुण्डा एवं अन्य सदस्य भी थे। इस तरह से वे सभी मजदूर ठीकेदारों के चंगुल से बच निकले। पैसों की कमी एवं राशन के अभाव के कारण उन्हें कई दिन भूखों रहना पड़ा। इस तरह के मुसीबतों का सामना करते हुए घर पहुंचने में समर्थ हुए।

सूचनादाता हरिपदो मुण्डा (फतेहपुर, नामकूम) द्वारा मजदूरों के बिक्री, शोषण एवं समस्याओं से सम्बन्धित अन्य विवरण :-

सूचनादाता हरिपदो मुण्डा का कहना है कि सन् 1975 ई0 में अकाल पड़ने के कारण वह हेसो (नामकूम), गभड़ेया, पुरनाडीह, नाइलागाड़ा एवं तायमारा (बुण्डू) ग्राम के लोगों के साथ एक पंजाबी ठीकेदार के माध्यम से नैनीताल काम करने के लिये जाने का इच्छा प्रकट किया। अतः उसे हेसो (नामकूम) के नवो मुण्डा एवं उनकी पत्नी, मालिया मुण्डा एवं पत्नी तथा अन्य 40-45 मजदूरों का तलाश कर रहे मजदूर दोस्तों के साथ रॉची लाया गया। रॉची में उन्हें डेली मार्केट के दक्षिण-- रतन सिनेमा हाल के समीप के एक पक्के मकान में तीन दिनों तक रखा गया। इसके बाद इन सभी मजदूरों को आरा-छपरा के अन्य ठीकेदारों के वहां बेच दिया गया। फलतः इन सभी मजदूरों को नैनीताल न भेज कर आरा भेज दिया गया। आरा में सड़क निर्माण का कार्य हो रहा था। सभी मजदूर शंख संद हारसाली एवं अन्य स्थानों पर सड़क निर्माण का कार्य कर रहे थे।

वहां सभी मजदूरों को डेढ़-दो महीना तक मात्र खाने के लिये चावल एवं आटा दिया जाता था। ठीकेदार, मजदूरों को चावल एवं आटा प्राप्त करने के लिये दुकान दिखला देते थे। दो-तीन महीने तक काम करने पर उन्हें जरूरत की चीजों को खरीदने के लिये मात्र दो-तीन रूपया दिया गया। फलतः वे सभी मजदूर वहां से रातों-रात भागने का निश्चय किये। मौका पाकर सभी के सभी पचास मजदूर रातों-रात वहां से भाग गये। सूचनादाता का कहना है कि सड़क निर्माण का कार्य एक ही स्थान पर नहीं होता था। फलतः मजदूरों को वर्षा के समय भी वृक्षों के नीचे बिताना पड़ता था। जब विभिन्न स्थानों में सड़क निर्माण का कार्य होता था तो सभी मजदूरों का प्रति दिन सामान के साथ अन्यान्य स्थान पर जाना पड़ता था।

हरिपदो मुण्डा भी अन्य मजदूरों की तरह भाग कर बैकट (थाना सदेशत्र) गांव में चला आया। वहां वह छः सात महीनों तक काम कर लिया परन्तु किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई। एकाएक हरिपदो मुण्डा के अस्वस्थ होने पर गांव वालों ने उसे सदर अस्पताल आरा में भर्ती कर दिया। कुछ दिनों तक चिकित्सा कराने पर वह स्वस्थ हो गया एवं अपना गांव फतेहपुर आना चाहा। वह अपने गांव आने के लिये पूरे परिवार के साथ चल पड़ा, परन्तु उनकी बड़ी बेटी एकाएक बीमार पड़ गई एवं उनकी मृत्यु आरा रेलवे स्टेशन पर हुई। पैसा न रहने के कारण अनेक सज्जन व्यक्तियों ने उसे 70-80 रूपया दिया। उसने अपनी बेटी के लाश को आरा श्मशान घाट में दफना दिया। उसके बाद सपरिवार पैसा के अभाव एवं विदारक घटना घटित होने के कारण रोते-बिलखते किसी तरह से अपने गांव फतेहपुर पहुंचने में समर्थ हुए।

जब मैंने नावाडीह से रॉची पहुंचने वाले पंजाबी ठीकेदार के परिचय के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अकसर वह पंजाबी ठीकेदार नावाडीह एवं तायमारा आया करता था जिसका हेसो (नामकूम) ग्राम के डोमा लोहरा एवं जंगल लोहरा से परिचय था।

मजदूरों को लखनऊ ले जाने वाले ठीकेदार आरा के तिवारी का संक्षिप्त विवरण एवं मजदूरों से सम्पर्क स्थापित करने का तरीका :-

मजदूरों को लखनऊ ले जाने वाले ठीकेदार आर0 के0 तिवारी से अचानक 15 मार्च 1980 ई0 को नावाडीह में अनुसंधानकर्ता से भेंट हुई। ठीकेदार से बात-चीत करने के क्रम में पता चला कि वे मजदूरों को यू० पी० कन्सट्रक्शन लिमिटेड (लखनऊ) ले जाने वाले हैं। ठीकेदार के अनुसार लखनऊ में इन्दिरा नहर बन रहा है। फलतः बहुत से मजदूरों की आवश्यकता है। ठीकेदार का कहना था कि प्रति महीना, एक मजदूर, चौका के हिसाब से मिट्टी काट कर 500 रूपया से 800 रूपया तक कमा सकता है। ठीकेदार आर0 के0 तिवारी दाढ़ी बढ़ाया हुआ था एवं उसका कद 5 फीट 6 इंच के लगभग था।

वह मजदूरों को ले जाने के ख्याल से हालुडीह (बुण्डू) ग्राम के महादेव सिंह के घर में करीब करीब 3 महीने तक रहा। अन्त में वह 20-25 मजदूरों को ले जाने में सफल रहा।

मजदूरों के खरीद बिक्री एवं शोषण से सम्बन्धित जानकारी प्राप्ति हेतु गभड़ेया (बुण्डू) ग्राम के लोगों पर आधारित सूचना :-

गभड़ेया ग्राम के बुदु लाल मुण्डा, घासीराम मुण्डा, नवो मुण्डा एवं अन्य लोगों का सामूहिक साक्षात्कार लेने पर पता चला कि सन् 1978-79 ई0 में गभड़ेया गांव के जयराम मुण्डा (उम्र 30 वर्ष), घासीराम मुण्डा (32 वर्ष), शशी राय मुण्डा (33 वर्ष) दलालों के माध्यम से काम करने के लिये रेनुकोट गये थे, रेनुकोट तक पहुंचने के लिये रायगढ़ (हजारीबाग) से 20 रूपया किराया लगता था, उनके अनुसार वहां उन्हें 4-5 महीनों तक लगातार सप्ताह में मात्र खाने पीने के लिये तेरह रूपया (13 रूपया) दिये जाते थे। जिससे भर पेट भोजन करना भी सम्भव नहीं था। जबकि उनलोगों को प्रति दिन 13 रूपया मजदूरी दिलाने का आश्वासन देकर ले जाया गया था। भर पेट भोजन न करने के बाद भी उन्हें अपने काम पर जाना जरूरी था।

अतः वे सभी सदस्य हेसो (नामकूम) ग्राम के बाइरा मुण्डा, पातु मुण्डा एवं उनकी पत्नी तथा रूपनी बाला के साथ मौका पाकर भाग गये। अपने पास पैसा न रहने के कारण उन्हें घर तक पहुंचने में काफी दिक्कत एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। समयानुसार वे घर आने के समय भी मजदूरी का काम सस्ते दर से करते थे।

रॉची नियोजनालय केन्द्र की ओर से भेजे जाने वाले मजदूरों का विस्तृत विवरण एवं उनके शोषण से सम्बन्धित तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन :-

सूचनादाता स्वर्ण मुण्डा ग्राम गुरूड़पीड़ी, थाना नामकूम (रॉची) का रहने वाला है। उनका उम्र लगभग 30 वर्ष है। वह आठवीं श्रेणी तक पढ़ा है। सूचनादाता को सन् 1976 ई0 में रॉची नियोजनालय की ओर से काम करने के लिये मिजोरम भेजा गया। अतः वे अपने अनुभव के आधार पर मजदूरों की समस्या के बारे में अपना विचार प्रकट करते हैं :-

स्वर्ण मुण्डा का कहना है कि रॉची नियोजनालय केन्द्र में ओ0 सी0 एवं मैनेजर के माध्यम से मिर्जापुर, पंजाब अन्यथा अन्य स्थानों पर काम करने के लिये ले जाया जाता था। वह सन् 1976 ई0 में रॉची एक्सचेंज के माध्यम से 50 पचास साथियों के साथ काम करने के लिये मिजोरम गया

था। उनका कहना है कि वह गरीबी के कारण काम करने के लिये बाहर जाना चाहा। वह मैट-1 एवं मेट- 2 के अधीन रहकर पचास दोस्तों के साथ मिजोरम के लिये रवाना हुआ। सूचनादाता के अनुसार मैट एवं पचास कुलियों के लिये सरकार की ओर से निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के लिये पास मिला था। अतः पास रहने के कारण रेल से जाने के लिये किराया नहीं देना था।

जब वे रॉची से होकर पटना पहुंचे तो वहां (पटना में) कुछ दोस्त छुट गये। सूचनादाता का कहना है कि - "कुली चूँकि काम करने एवं कमाने के ख्याल से बाहर जाते हैं। परन्तु गरीबी के कारण अनेक कुलियों (मजदूरों) के साथ रूपया नहीं रहता है। किसी-किसी मजदूर के पास पांच दस रूपया रहता है तो किसी मजदूर के पास एक भी पैसा नहीं रहता है। सूचनादाता के अनुसार कुछ मजदूरों के पास बाहर काम करने के लिये जाने के समय 30-40 रूपया रहता है। जैसे - स्वर्ण मुण्डा के पास मिजोरम जाने के समय मात्र 32 रू0 था। फिर भी रॉची से मिजोरम तक पहुंचने के लिये सभी मजदूर (पचास मजदूर) आपस में ताल मेल किये ताकि किसी भी मजदूर को मिजोरम पहुंचने के पहले अर्थात रेल गाड़ी द्वारा यात्रा के अवसर पर भूखा नहीं रहना पड़े एवं तकलीफ नहीं हो।

ये सभी मजदूर रेल गाड़ी द्वारा रॉची से पटना होते हुए बरौनी पहुंचे। बरौनी में मजदूरों को होटल वालों ने बहुत तंग किया। वे मजदूरों को कहते थे कि खाना है परन्तु जब वे खाना खाने के लिये होटल पहुंचते थे तो कहा जाता था कि खाना नहीं है। इस तरह से होटल वालों ने मजदूरों का मजाक करके मजा लेते थे। इधर-उधर का रास्ता भूल जाने के कारण बरौनी में भी कई मजदूर छुट गये। अचानक गांव के शान्त वातावरण से शहर में आने एवं ट्रेन द्वारा सफर करने के कारण कई मजदूर रास्ते में बीमार पड़ गये, उनके लिये चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं था। किसी तरह से मजदूर कई दिनों बाद नई बागाई, सिलीगुड़ी, लामडींग होते हुए सिलचर पहुंचे। सिलचर में मजदूरों को राशन दिया गया। उन्हें वहां चावल, आटा, डालडा, चीनी इत्यादि चीजें प्राप्त हुआ। स्वर्ण मुण्डा के अनुसार रॉची से सिलचर तक पहुंचने में 10-12 दिन लगा। सिलचर में राशन प्राप्त कर लेने के बाद में मिजोरम के लिये रवाना हुए। सिलचर से मिजोरम पहुंचने में सात दिन का समय लगा।

मिजोरम पहुंचने पर 159 ग्रीफ में वे काम करने लगे। ग्रीफ में काम कराने वाले प्रमुख पदाधिकारी निम्नांकित थे :-

चीफ इन्जीनियर, कमाण्डर, मेजर, ओ0 सी0, ग्रेड- 1, ग्रेड- 2, ओवरसियर

1. ग्रीफ पहुंचने पर मजदूरों की समस्याएं एवं एक दिन काम नहीं करने पर दो दिन का वेतन कट जाने से सम्बन्धित विवरण :-

ग्रीफ पहुंचते-पहुंचते कई मजदूर बीमार पड़ गये। गरूड़पीड़ी (नामकूम) निवासी सूचनादाता के गांव का शिवनाथ मुण्डा भी ग्रीफ में पहुंचते-पहुंचते गम्भीर रूप से बीमार हो गया। फलतः स्वर्ण मुण्डा ने अपने दोस्त को हास्पिटल में भर्ती किया एवं उसका देख भाल किया करता था। फलतः उसे कभी-कभी काम से अनुपस्थित रहना पड़ता था।

ग्रीफ में एक दिन काम नहीं करने पर दो दिन की हाजरी अर्थात् उपस्थिति कटता था। दस

या पन्द्रह दिन अनुपस्थित रहने पर बीस या एक महीने की मजदूरी का भुगतान नहीं होता था। अपने दोस्त स्वर्गीय शिवनाथ मुण्डा का सेवा सुश्रुशा करने के कारण वह दस दिनों तक मजदूरी का काम नहीं कर सका। फलतः स्वर्ण मुण्डा को बीस दिनों की मजदूरी नहीं दी गई।

ग्रीफ में ओवरसियर ग्रेड-2, ग्रेड- 1 एवं ओ0 सी0 द्वारा मजदूरों का शोषण होता था। सूचनादाता का कहना है कि ओवर सियर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरों का शोषण होता था। ओ0 सी0 स्वयं खुले आम कहते थे कि पन्द्रह दिन (15) काम नहीं करने पर एक महीने का वेतन नहीं मिलेगा। कुछ दिनों के बाद शिवनाथ मुण्डा की मृत्यु हो गयी। पदाधिकारियों का कहना था कि चूँकि शिवनाथ मुण्डा स्वयं दो दिन काम किया है। इसलिये उसे तथा उनके परिवार के लोगों को किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जायगी। इस तरह का व्यवहार सभी मजदूरों के साथ होता था।

2. रेल में किराया न लगने से सम्बन्धित विवरण एवं मजदूरों का शोषण :-

सूचनादाता स्वर्ण मुण्डा का कहना है कि राँची निदेशालय की ओर से भेजे जाने वाले मजदूरों के लिये सरकार की ओर से ओ0 सी0 को पास दिया जाता है। फलतः मजदूरों का किराया रेल में नहीं लगता है। रेल यात्रा करने पर किराया देने का प्रावधान नहीं होते हुए भी ओ0 सी0, मैनेजर एवं कमाण्डर मजदूरों से राँची से मिजोरम तक का पैसा काट लेते थे।

3. राँची से मिजोरम तक पहुंचने में खाने-पीने के लिये मजदूरों का निजी पैसा खर्च होने पर भी वेतन से कटौती किया जाना :-

गरूड़पीड़ी (नामकूम) निवासी स्वर्ण मुण्डा का कहना है कि राँची से सिलचर तक पहुंचने में करीब करीब 10-12 दिन लगते हैं। सिलचर में मजदूरों को राशन दिया गया। तत्पश्चात् उन्हें मिजोरम भेज दिया गया। सिलचर से मिजोरम तक पहुंचने में करीब करीब 7 दिन लगता है। सूचनादाता के अनुसार राँची से सिलचर तक पहुंचने में ओ0 सी0 तथा मेजर द्वारा मजदूरों को किसी भी तरह की आर्थिक सुविधा नहीं दी गई। फिर भी ओ0 सी0 मजदूरों के मजदूरी से सिलचर तक का भोजन खर्च ले लिया। स्वर्ण मुण्डा के अनुसार यदि मजदूरों से सिलचर से मिजोरम तक का भोजन शुल्क काटा जाता तो उन्हें कोई इतराज नहीं था। चूँकि वे सिलचर में राशन प्राप्त करते थे। अपने मजदूरी से राँची से सिलचर तक का (दस बारह दिन) भोजन शुल्क काटा जाना मजदूरों के साथ अन्याय है। चूँकि वे अपना पैस खर्च करके राँची से सिलचर तक आये थे। इस तरह से देखा जाता है कि मजदूरों का शोषण किसी न किसी रूप में होता है।

4. मजदूरों को ग्रीफ में प्रति महीना 180 रू० के हिसाब से वेतन देने के बहाने ले जाना एवं ठीके पर मजदूरों से काम करवाना :-

राँची एक्सचेंज से मजदूरों को प्रति महीना 180 रू0 एवं प्रतिदिन 6 रू0 मजदूरी देने के हिसाब से मिजोरम भेजा गया। सरकार की ओर से भी प्रति माह 180 रू देने का प्रावधान था, ठीका पर काम करने का नहीं? फिर भी ओवरसियर मजदूरों को ठीका पर काम करवाते थे। यदि किसी काम को मजदूर ठीका पर 4-5 घंटे पहले समाप्त करते थे तो उन्हें पुनः काम करवाया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि हाजरी के हिसाब से काम करना है। इस तरह से मजदूरों द्वारा ठीका पर किसी काम को पूरा करने पर भी 6 रू0 मजदूरी के हिसाब से दी जाती थी। इस तरह से

वहां के पदाधिकारियों द्वारा मजदूरों के श्रम का शोषण होता था।

5. जाड़े के दिनों में सरकार की ओर से मजदूरों के लिये मुफ्त में कपड़ा देने का प्रावधान होते हुए भी पदाधिकारियों द्वारा पैसा लेकर भी फटे-चिटे कपड़ों का वितरण किया जाना :-

जाड़े में पहनने के लिये मजदूरों का स्वेटर, कम्बल, रजाई, मुफलर इत्यादि वस्तुएं सरकार की ओर से मुफ्त में दिया जाने का प्रावधान था। फिर भी सरकारी पदाधिकारी पैसा लेकर भी फटे-चिटे कपड़े मजदूरों के बीच वितरण किये जाते थे। वहां पर विभिन्न पहनने-ओढ़ने की वस्तुओं को निम्न दर पर मजदूरों को मिलता था :-

वस्तुओं का नाम	दर (रकम)
स्वेटर -	4-5 रूपया प्रति स्वेटर
कम्बल -	7 रूपया " कम्बल
रजाई -	7 " " रजाई
मुफलर -	4 " " मुफलर

6. राँची एक्सचेंज द्वारा भेजे गये नवआगन्तुक मजदूरों को रोड में काम न करा कर अपरिचित स्थान में काम करवाने से सम्बन्धित विवरण :-

सूचनादाता स्वर्ण मुण्डा के अनुसार नये आगन्तुक मजदूरों को ग्रीफ में रोड बनवाने के लिये काम करवाने का प्रावधान था, परन्तु पदाधिकारी धांधली करते थे। वे मजदूरों को पनीयर में अथवा ट्रीप ट्रक में काम करवाते थे। फलतः अनुभवहीन मजदूरों को बेमौत मरना पड़ता था। स्वर्ण मुण्डा के अनुसार पनीयर में काम करवाने के लिये अलग से सरकार की ओर से पनीयर मजदूर नियुक्त किये गये हैं जो लकड़ी काटने का काम करते हैं। इसी तरह से आम मजदूर को ट्रीप ट्रक में काम करने का प्रावधान नहीं था। फिर भी स्वर्ण मुण्डा का दोस्त बिसराम गोंझू (ग्राम कुइडी बेड़ा, नामकूम) राँची, बिहार एवं अन्य मजदूरों को ओवरसियर ने जबरदस्ती ट्रीप ट्रक में काम करवाता था। फलतः विसराम गोंझू जैसे अनुभवहीन मजदूर ट्रीप ट्रक से झटका लग कर गिर गये। उन मजदूरों में विसराम गोंझू भी एक था। जिनके बदन एवं सिर पर पत्थर गिर गया। फलतः विसराम गोंझू का देहान्त हो गया। सूचनादाता के अनुसार काम करते-करते मर जाने पर सरकार की ओर से मृत्त व्यक्ति के परिवार वालों को 10,000/- हजार रूपया देने का प्रावधान था, परन्तु विसराम गोंझू को एक पैसा भी नहीं मिला। स्वर्ण मुण्डा के अनुसार ट्रीप ट्रक में अपने आप आनलोड होता है। विसराम गोंडम के मरने पर ओवर सियर "सिंघा" को मेजर ने बहुत डांटा। चूँकि नियम के खिलाफ काम करवाने के कारण ही विसराम गोंझू की मृत्त हुई। ओवरसियर के गलत नीति के चपेट में आकार विसराम गोंझू का देहान्त हुआ पर उसके विरूद्ध किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया।

7. मजदूरों का हॉस्पिटल की ओर से शोषण किया जाने से सम्बन्धित विवरण :-

सूचनादाताओं के अनुसार ग्रीफ (मिजोरम) में काम करने वाले सभी मजदूरों को चिकित्सा शुल्क के रूप में 50 पैसे प्रति महीने देने पड़ते थे। हालांकि सरकार की ओर से मजदूरों के अस्वस्थ होने पर हॉस्पिटल की ओर से हर समय की सुविधा देने का प्रावधान था परन्तु अस्वस्थ मजदूरों को अपने खाने-पीने एवं दवा दारू का प्रबन्ध स्वयं करना पड़ता था।

8. मजदूरों के पीने के लिये दिये गये रम के बोतलों को पदाधिकारियों द्वारा हजम करने से सम्बन्धित विवरण :-

स्वर्ण मुण्डा एवं लखीन्दास मुण्डा (गुरूड़पीड़ी, नामकूम) का कहना है कि 50 मजदूरों को प्रति महीना 50 रम के बोतल मुफ्त में पीने के लिये दिये जाने का प्रावधान था। परन्तु पदाधिकारी मजदूरों से प्रति रम के बोतल के लिये 9 रूपया अदा करते थे। इसके बावजूद भी मजदूरों को महीने में मात्र 10 बोतल दिये जाते थे। अन्य 40 (चालीस) रम के बोतल पदाधिकारियों द्वारा हजम किये जाते थे। इस तरह से दशहरा एवं होली के अवसर पर भी मजदूरों के लिये रम का बोतल आता था, परन्तु उन्हें प्राप्त नहीं होता था। अतः ग्रीफ के पदाधिकारियों द्वारा मजदूरों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शोषण होता था। सूचनादाता के अनुसार मजदूरी करने के लिये एक साथ मिजोरम जाने वाले सदस्यों की तालिका निम्न प्रकार है जिनका शोषण उपरोक्त प्रकार से हुआ है :-

नाम	ग्राम	मजदूरों की सं०	थाना	परिणाम
1. स्वर्ण मुण्डा	गरूड़पीड़ी	2	नामकूम	शिवनाथ मर गया।
2. शिवनाथ मुण्डा	"			
3. अज्ञात	रामडेरा	4	अनगड़ा	
4. लालो मुण्डा एवं रामडेरा	ढापांग टोला	5	"	
5. वाउरी पातर मुण्डा	बिरगांव	3	सोनोहातू	
6. सोया पातर एवं अज्ञात	"			
7. शिव मुण्डा एवं अन्य	हुवांगहातु	15	नामकूम	
8. सानिका मुण्डा एवं अन्य	हाहाब	6	"	
9. पारसनाथ मुण्डा एवं अन्य			"	

रॉची नियोजनालय की ओर से मिजोरम गये मजदूरों का अन्य विवरण :-

सूचनादाता स्वर्ण मुण्डा का कहना है कि ग्रीफ में संयोगवंश निम्नांकित वस्तुओं के खो जाने पर निम्न दर से पैसा वसूल किया जाता था :-

काम और वस्तुओं का नाम	रकम (रूपयों में)
1. बड़ा मार्तुल	16 रूपया
2. साबड़	15 रूपया

3. तासला	6 "
4. छोटा मार्तुल (छोटा)	6 "
5. दाउली या दाव	6-7 "
6. हाके	10 "
7. बेलचा	15 "

सूचनादाता स्वर्ण मुण्डा का कहना है कि ग्रीफ में काम करने वाले सभी मजदूरों को तीन महीने तक लगातार 40 रू0 (चालीस रूपया), 50 रूपया (पचास रूपया) एवं 60 रूपया (साठ रूपया) करके दिया गया। तत्पश्चात् सभी मजदूरों को लगातार 120 रु0 एक सौ बीस रूपया महीना के हिसाब से दिया गया। इस तरह से ये सभी मजदूर 9 महीने का समय व्यतीत किये।

कुंआ खुदाई से सम्बन्धित ठीकेदारों द्वारा मजदूरों के शोषण से सम्बन्धित विवरण :-

सूचनादाता दिगम्बर मुण्डा के अनुसार सरकार की ओर से फतेहपुर ग्राम में सन् 1979 ई0 में आदिवासियों के पीने के लिये कुंआ की खुदाई शुरू हुई। सूचनादाता के अनुसार मजदूरी 6 रूपया था। परन्तु यहां के रेजा एवं कुलियों को 3 रूपया एवं 3 रूपया 50 पैसे के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी। मजदूरों के विरोध करने पर रेजाओं को 3 रूपया 50 पैसे एवं कुलियों को चार रूपया दिया जाने लगा। इस कुंआ का ठीकेदार डुरूंडा (राँची) निवासी राजपति साहू था। उसने कई मजदूरों को मजदूरी के पूरे रकम का भुगतान भी नहीं किया जैसे :-

नाम	गांव एवं थाना	ठीकेदार द्वारा भुगतान नहीं किया गया बकाया राशि
1. नन्द किशोर मुण्डा (नामकूम)	फतेहपुर	24 रूपया
2. दिगम्बर मुण्डा	" "	24 "
3. सोमनाथ मुण्डा	" "	24 "
4. राम चन्द्र मुण्डा	" "	24 "
5. एतवा मुण्डा	" "	24 "
6. कानकाटा निवासी - कानकाटा, अनगड़ा		24 "

13 अध्याय

छोटे-छोटे प्राइवेट उद्योगों एवं कारखानों में मजदूरों के शोषण से सम्बन्धित विवरण

फतेहपुर, कुदागाड़ा, नामकूम निवासी श्रवण मुण्डा, शुबेन मुण्डा एवं सोमनाथ मुण्डा के अनुसार छोटे-छोटे प्राइवेट उद्योग-धन्धों एवं कल-कारखानों में कई जनजातियां एवं गैर जनजातियां वर्षो से काम कर रही हैं, परन्तु मजदूरों के अशिक्षित होने के कारण उनका शोषण बुरी तरह से हो रहा है। सूचनादाताओं के अनुसार एक वर्ष या दो वर्षो तक लगातार काम करने पर कारखाना अधिनियम के अनुसार श्रमिकों का सेवा स्थायी हो जाता है। सेवा स्थायी होने पर उन्हें कई तरह की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भविष्य निधि कोष में नियोक्ता की ओर से पैसे जमा करने पड़ते हैं, जितना उनके वेतन से भविष्य निधि के नाम से कटता है। इसी तरह से सवैतनिक छुट्टी एव महिलाओं के लिये मातृत्व लाभ इत्यादि सुविधाएं प्राप्त होती है। कारखाना मालिक या उद्योग मालिक ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। फलतः वे मजदूरों को उपरोक्त सुविधाएं न देने के लिये छः छः महीने में उनके नाम अर्थात् श्रमिकों का नाम बदलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर रॉंची के कोकर में स्थित हिन्दुस्तान पाइप फैक्ट्री में काम करने वाले निम्नलिखित मजदूरों को लिया जा सकता है :-

क्रमांक	नाम	स्थायी पता	नियुक्ति का वर्ष	कार्य करने की पूरी अवधि
1.	श्रवण मुण्डा	ग्राम-फतेहपुर पो0 नावाडीह, जिला- रॉंची, बिहार।	1977	1977 से 1982 ई0 तक।
2.	लखीन्द्र मुण्डा	ग्राम-फतेहपुर पो0- नावाडीह, जिला रॉंची बिहार।	1975	1975 ई0 से 1980 ई0 तक।
3.	शुबेन मुण्डा	ग्राम-फतेहपुर, पो0 नावाडीह, जिला-रॉंची बिहार।	1977	1977 ई0 से 1980 ई0 तक।
4.	एतवा मुण्डा	ग्राम-जोजो टोला, नावाडीह बुण्डू रॉंची।	1977	1977 ई0 से 1981 ई0 तक।
5.	गणेश मुण्डा	ग्राम-हुमटा, बुण्डू, राची।	1970	1970 ई0 से 1982 ई0 तक।
6.	नारान मुण्डा	ग्राम-बारूहातू बुण्डू, रॉंची।	1966	1966 ई0 से 1986 ई0 तक।

श्रवण मुण्डा का कहना है कि अपने सेवाकाल के दौरान उनका नाम करीब-करीब आठ दस बार बदल गया। फलतः कभी वह सोरा मुण्डा के नाम से वेतन प्राप्त करता था, तो कभी बगरू के नाम से। इन्होंने मागरा, सोम्बरा, बसन्त, गोपाल, चारकू इत्यादि के नाम से भी वेतन प्राप्त किया है। इसी तरह से ग्राम बारूहातू, बुण्डू निवासी नारान मुण्डा सन् 1966 से इस पाइप फैक्ट्री में काम करता आ रहा है फिर भी इनकी नौकरी स्थायी नहीं हुई है। संयोगवंश किसी तरह की दुर्घटना होने पर मुआवजे के तौर पर पाइप फैक्ट्री की ओर से 500/- रू0 से लेकर 10,000/- रूपया या उससे अधिक मुआवजा देने का प्रावधान है। परन्तु इस तरह की घटना होने पर ठग फुसला कर शराब पिलाया जाता है। फलतः नियोक्ता मुआवजा देने से छुटकारा पा जाते हैं। श्रमिकों को दुर्घटना इत्यादि के समय की सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नहीं है। फलतः उनका शोषण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। सूचनादाता के अनुसार चालाक एवं चतुर श्रमिकों को अक्सर नौकरी से निकाला जाता है।

आई० आर० डी० पी० योजना के माध्यम से जनजातियों के कल्याण के लिये सरकार द्वारा किया जा रहा प्रयास तथा सरकारी कर्मचारियों एवं दलालों की मिली भगत के कारण जनजातियों का शोषण :-

सरकार आई0 आर0 डी0 पी0 योजना के माध्यम से भारत के अन्य राज्यों एवं क्षेत्रों की भांति झारखण्ड राज्य के रॉंची जिले के पंचपरगना क्षेत्र के गरीब आदिवासियों को भिन्न-भिन्न रकमों में अलग-अलग लोगों को 50% छूट के हिसाब से कर्ज देती है। परन्तु पंचपरगना क्षेत्र के अलग-अलग ब्लॉक में अलग-अलग तरीके से जनजातियों को सरकारी कर्मचारियों द्वारा बुरी तरह से शोषित किया जा रहा है। कई ब्लॉक में पैसों का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से बैंको के माध्यम से होता है, जिसमें 15% से लेकर 25% तक पैसे काट लिये जाते हैं अर्थात् कटौती करते हैं। वे व्यक्ति जो आई0 आर0 डी0 पी0 के तहत कर्ज लेने के लिये आवेदन पत्र दिये हों, परन्तु 15% से 25% तक पैसा देने में राजी नहीं होते हों तो उन्हें कर्ज नहीं मिलता है। जबकि कई ब्लॉकों में बैंक से चेक दिये जाते हैं एवं दुकान से सामान खरीदने के लिये कहा जाता है। जनजातियों को पैसों की आवश्यकता खेत बांधने, बकरी खरीदने एवं बैल खरीदने आदि के लिए रहा है। फलतः वे दुकान से सामान नहीं खरीदते हैं, बल्कि वे पैसा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। अतः दुकानदार 15% से लेकर 25% तक कर्ज लेने वालों को कम देता है। वहां उस समय सरकारी कर्मचारी का एक सदस्य भी उपस्थित रहता है, जो दुकानदार से पैसा एकत्रित करके चला जाता है।

इसी तरह किसी-किसी ब्लॉक में आइ0 आर0 डी0 पी0 के तहत कर्ज लेने वालों को पैसे नहीं दिये जाते हैं, बल्कि बाजारों से सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में बैल, बकरी एवं काड़ा खरीदे जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों का दलालों के साथ साँठ गाँठ रहने के कारण सरकारी कर्मचारी जबरदस्ती जनजातियों को उनके द्वारा चयन किये गये कम दाम के बैंलों को अधिक दाम में खरीदने के लिये मजबूर किया जाता है। यदि वे उक्त बैल या काड़ा को नहीं खरीदते हैं तो दलालों एवं सरकारी कर्मचारियों द्वारा डराया-धमकाया जाता है एवं कभी-कभी हाथापाई भी करते हैं। उपरोक्त बैल एवं काड़ा कुछ ही दिनों के बाद मर जाते हैं। फलतः वे जिस उद्देश्य से कर्ज लेकर बैल खरीदते हैं, उनका सपना पूरा नहीं हो पाता है। अतः आइ0 आर0 डी0 पी0 के तहत शोषित कुछ जनजातियों का विवरण निम्न प्रकार दिया जा रहा है :

ग्राम रोलाडीह, तमाड़ निवासी रामजीवन मुण्डा एवं उलीडीह, तमाड़ निवासी गन्दूर उरांव का विवरण :-

सूचनादाताओं के अनुसार आइ0 आर0 डी0 पी0 योजना के तहत जनजातियों को 50% छूट के हिसाब से कर्ज मिलता है अर्थात् 1000/- (एक हजार रूपया) कर्ज लेने पर मात्र 500/- रूपया का सूद मूल समेत चुकता करना है। परन्तु सरकारी कर्मचारी एवं रांगा-माटी स्थित स्टेट बैंक के मैनेजर 1500/- रूपया कर्ज मंजूर होने पर 1100/- रूपया ही कर्ज का नगद भुगतान करते हैं, हालांकि वे 1500/- रूपया के भुगतान के प्राप्ति से सम्बन्धित हस्ताक्षर कराते हैं।

कभी-कभी बैंक में पूरे पैसों का भुगतान होता है, परन्तु बैंक से निकलते ही दलालों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के हिस्से मांग लिये जाते हैं। सूचनादाताओं के अनुसार तमाड़ ब्लॉक एवं रांगा-माटी स्टेट बैंक के इर्द गिर्द दलालों की फौज रहती है, जो पैसा कर्ज के रूप में लेने वालों से सांठ गांठ करते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति कर्ज लेने के लिये बी0 डी0 ओ0 से बातचीत करना चाहता है तो उसे दलालों द्वारा रोक लिया जाता है या जब लोन लेने वाला व्यक्ति बी0 डी0 ओ0 से बात करते हैं, तो वे भी दलालों के पास भेज देते हैं।

अतः वे प्रत्यक्ष रूप से बी0 डी0 ओ0 से सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकते हैं। सूचनाआताओं के अनुसार निम्नांकित व्यक्तियों को निम्न प्रकार मंजूर की गई पैसे का भुगतान किया गया :-

क्रम सं0	कर्ज लेने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता	मंजुर की गई रकम	प्राप्त रकम	दलाल द्वारा लिया गया रूपया	वर्ष
1.	जानकी लोहरा पिता हनु लोहरा उलीडीह, तमाड़।	1500	1100	400	मई- 1985
2.	गन्दुर उरांव पिता डुका उरांव, उलीडीह, तमाड़ं	1500	1100	400	"
3.	डुका उरांव, उलीडीह, तमाड़।		बकरी	प्राप्त	किया।

ग्राम रोलाडीह, उलीडीह (तमाड़) निवासी और शेखर सिंह मुण्डा एवं कान्द्रा मुण्डा का विवरण :-

सूचनादाताओं के अनुसार नवम्बर 1984 ई0 में आई0 आर0 डी0 पी0 योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के दलालों ने उन्हें 15% से लेकर 25% तक दक्षिणा लेने के लिये राजी करने लगे। जब वे दलालों की बातें अनसुनी कर दिये तो उन्हें कर्ज नहीं मिला। वे व्यक्ति निम्नांकित हैं :-

क्रम सं0	कर्ज लेने के लिए फार्म भरने वालों का नाम	पिता का नाम	ग्राम एवं थाना
1.	हरि सिंह मुण्डा	गणे मुण्डा	रोलाडीह, उलीडीह, तमाड़।

2.	रणजीत सिंह मुण्डा	बोध सिंह मुण्डा	"
3.	गुरूवा मुण्डा	हरी मुण्डा	"
4.	विशम्बर मुण्डा	गणे मुण्डा	"
5.	कान्द्रा मुण्डा	बरसाय मुण्डा	"
6.	बुधन लाल सिंह मुण्डा	कान्चन सिंह मुण्डा	"
7.	डोमन सिंह मुण्डा	गुरूदयाल मुण्डा	रोलाडीह, उलीडीह, तमाड़।
8.	बोध सिंह मुण्डा	कान्यण सिंह मुण्डा	"
9.	कान्चन सिंह मुण्डा	सुखलाल सिंह मुण्डा	"
10.	गन्धो मुण्डा	सोहन मुण्डा	"
11.	भखमात गुदाई	गुरूदयाल सिंह मुण्डा	"
12.	मंगला बांस महली	अमीन महली	"
13.	छुटू बांस महली	रवीदास महली	"
14.	बुधू सिंह भुण्डा	मंगल मुण्डा	"
15.	सुखलाल सिंह मुण्डा	सवरण सिंह मुण्डा	"
16.	बुधन मुण्डा	शाम सिंह मुण्डा (पूईतू)	"
17.	गोपाल सिंह मुण्डा	"	"
18.	राम कन्हाई सिंह मुण्डा	"	"
19.	जितराम सिंह मुण्डा	गुरूदयाल सिंह मुण्डा	"

सूचनादाताओं ने पुनः आगे कहा कि मई 1985 ई0 को रांगा माटी, तमाड़ में स्थित स्टेट बैंक के मैनेजर ने रोलाडीह ग्राम के कई लोगों को लोन (कर्ज) देने एवं पैसे नहीं लेने का आश्वासन देकर राँची के सुखदेव नगर स्थित बैंक कॉलोनी में कम दामों पर मजदूरी करने के लिये राजी किया।

वहां उपरोक्त बैंक मैनेजर अपने धर में कुंआ की खुदाई का काम करवाया। यहां बैंक मैनेजर ने निम्नलिखित व्यक्तियों को काम करने के लिये लाया :-

क्रम नाम	पिता का नाम	ग्राम	उम्र
1. कान्द्रा मुण्डा	बारसाय मुण्डा	रोलाडीह	35
2. गन्धो मुण्डा	सोहन मुण्डा	"	45
3. बुधन मुण्डा	शाम सिंह मुण्डा	"	45
4. बिसम्बर मुण्डा	गलो मुण्डा	"	55
5. लांगड़ी कुमारी	बुधन मुण्डा	"	20
6. बुधराम बांस महली	हरि बांस महली	"	40
7. श्रीमती सुमित्रा देवी	पति-बुधराम बांस महली	"	40
8. बारी कुमारी	पिता-बुधराम बांस महली	"	16
9. चैतन बांस महली	–	"	45
10. हारम बांस महली	–	"	46

कान्द्रा मुण्डा के अनुसार सन् 1985 ई0 के मई एवं जून महीने में रांची में मजदूरों का मजदूरी दर पुरूषों के लिये 18/- रूपये तथा महिलाओं के लिये 15/- रूपये था, परन्तु उन्हें मात्र 10 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से काम करवाया गया। फिर भी उन्हें पूरे पैसों का भुगतान नहीं किया गया, जिसका उल्लेख निम्नलिखित है :-

क्रम सं0 नाम	बकाया राशि अर्थात् भुगतान न की गई राशि
1. कान्द्रा मुण्डा	35 रू0
2. गन्धो मुण्डा	36 रू0
3. बुधन मुण्डा	32 रू0
4. बुधराम बांस महली	50 रू0
5. बारी कुमारी	25 रू0
6. सुमित्रा देवी	30 रू0
7. चैतन बांस महली	18 रू0 इत्यादि।

जब उपरोक्त व्यक्ति कुंआ का काम पूरा होने के बाद अपने गांव रोलाडीह लौटे तो पूर्व शर्त्त के अनुसार आई0 आर0 डी0 पी0 के तहत कर्ज मंजूर करने का आग्रह बैंक मैनेजर से किये, लेकिन विश्वसनीय उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। अन्ततः उन्हें अब तक (जनवरी 1987) कर्ज नहीं मिला है। अतः इसे सरकारी कर्मचारियों एवं बैंक मैनेजर द्वारा गरीब आदिवासियों का शोषण ही कहा जाएगा।

गभड़ेया, बुण्डू निवासी दिवाकर मुण्डा, बुदुलाल मुण्डा एवं बिरसु खेतू का विवरण :-

सूचनादाताओं के अनुसार गभड़ेया, सारजोम इकीर एवं आस-पास के गांव के लोग विशेषतः आई0 आर0 डी0 पी0 के माध्यम से कर्ज खेत के मेड़ को मरम्मत करने, बन्धक में दिये गये खेत को साहूकार से छुड़ाने, बैल-बकरी इत्यादि खरीदने के उद्देश्य से कर्ज लेते हैं। परन्तु ब्लॉक की ओर से कर्ज तभी मिलता है जब वे दुकान खोलने एवं व्यापार करने के उद्देश्य से आवेदन पत्र जमा करते हैं। फलतः कर्ज लेने वाले व्यक्तियों को तायमारा, बुण्डू स्थित ग्रामीण बैंक के मैनेजर द्वारा चेक दिये जाते हैं एवं उपरोक्त चेक को बुण्डू के रणजित खण्डित नामक दुकानदार के वहां ले जाते हैं, जहां से उन्हें पैसे मिलते हैं। सूचनादाताओं के अनुसार वहां से वे पूरे चेक में लिखे गये रकम प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि प्रतिशत काट कर 250-300 रूपया तक कम पैसों का भुगतान होता है। फलतः आदिवासियों को सरकार द्वारा 50% कर्ज के छूट की बात मजाक सा लगता है। चूंकि उपरोक्त रकम को सरकारी कर्मचारी एवं बैंक अधिकारी खा जाते हैं। अतः उन व्यक्तियों की सूची दी जा रही है, जिन्होंने अप्रैल 1984 ई0 या उसके बाद आई0 आर0 डी0 पी0 के तहत कर्ज लिया है :-

क्रम सं0 नाम	पिता का नाम	ग्राम एवं थाना	वर्ष	कर्ज लेने का उद्देश्य
1. बन सिंह मुण्डा	सोहराई मुण्डा	गभेड़या, बुण्डू	1984	खेत में मेड़ के मरम्मत हेतु।

2. लखिया मुण्डा	बुधराम मुण्डा	"	"	
3. राजकिशोर मुंडा	चामू मुण्डा	"		बन्धक में दिये गये खेत को छुड़ाने के लिये।
4. ईश्वरदास मुण्डा	सोनाराम मुण्डा	"		खेत बनाने के लिये।
5. दिवाकर मुण्डा	रामदास मुण्डा	गभेड़या, बुण्डू,	1984	सिलाई मशीन खरीदने के लिये
6. मागरा मुण्डा	सानिका मुण्डा	"		बैल खरीदने के लिये।
7. महादेव मुण्डा	सखा मुण्डा	सारजोम, इकीर	"	खेत मरम्मत करने के लिये।

फतेहपुर, नामकूम निवासी श्रवण मुण्डा, रामचन्द्र मुण्डा एवं नन्दकिशोर मुण्डा का विवरण :-

सूचनादाताओं के मुताबिक उनके गांव के कई लोगों को आई0 आर0 डी0 पी0 योजना के तहत कर्ज स्वरूप बैल दिये गये हैं, परन्तु वे सन्तुष्ट नहीं हैं। चूंकि बाजार में जन सेवक (सरकारी कर्मचारी) एवं दलालों की मिली भगत रहती है। फलतः जबरदस्ती हजार रूपये के बैल को डेढ़ हजार रूपये में खरीदने के लिये कहते हैं। यदि वे अपने पसन्द के अनुसार बैलों का चयन करते हैं एवं बैल बेचने वाले के साथ बिक्री मूल्य से सम्बन्धित बातें तय करते हैं, तो दलाल एवं सरकारी कर्मचारी आंग बबूला हो जाते हैं। फतेहपुर निवासी रामचन्द्र मुण्डा, स्वयं बैलों का चयन एवं बिक्री मूल्य के सम्बन्ध में पूछताछ किया। फलतः दलालों ने उन्हें गाली-गलौज किया एवं उनका कालर पकड़ा। जन सेवक ने भी रामचन्द्र मुण्डा को डराया-धमकाया। सूचनादाताओं के अनुसार जंगली एवं पहाड़ी इलाके के लिये देहाती बैलों के चयन करने पर ही वातावरण के अनुसार समायोजन कर सकते हैं अन्यथा कुछ ही दिनों के बाद बैल मर जाते हैं। निम्नांकित व्यक्तियों ने सन् 1985 ई0 में आई0 आर0 डी0 पी0 के तहत लोन स्वरूप बैल लिया :-

क्रमांक नाम	पिता का नाम	गांव एवं थाना	अभियुक्ति
1. रामचन्द्र मुण्डा	सानिका मुण्डा	फतेहपुर, नामकूम	बैल स्वस्थ है।
2. श्रवण कुमार मुण्डा	जयनारायण मुण्डा	"	एक महीने के बाद बैल मर गया।
3. नन्द किशोर मुण्डा	बीचु मुण्डा	"	बैल स्वस्थ है।
4. शुषेण मुण्डा	जयदेव मुण्डा	"	कुछ दिनों के बाद बैल मर गया।
5. सोमनाथ मुण्डा	लोखन मुण्डा	"	"
6. हरिपदो मुण्डा	धनई मुण्डा	"	"
7. ईश्वर चन्द्र मुण्डा	रामधन मुण्डा	"	एक बैल मर गया।

इस तरह से प्रायः देखा जाता है कि पंचपरगना क्षेत्र के पूरे इलाके में आई0 आर0 डी0

पी0 जैसे कल्याणकारी योजना के तहत भी जनजातियां फायदा नहीं उठा पाते हैं एवं अप्रत्यक्ष ढंग से उनका शोषण होता है।

समेकित ग्रामीण विकास योजना के तहत ऋण लेने से सम्बंधित फतेहपुर निवासी शम्भु मुण्डा का विवरण :-

ग्रामीण बैंक रामपुर शाखा से दिनांक 12-03-1987 ई० को फतेहपुर निवासी शम्भु मुण्डा गांव के अन्य लोगों की तरह "समेकित ग्रामीण विकास योजना के तहत" ऋण के रूप में एक सिलाई मशीन लिया। उन्होंने ऋण का सम्पूर्ण राशि दो किस्तों में रू० 550-00 (पांच सौ पचास रूपये) एवं दूसरा किस्त रू० 397 (तीन सौ सनताबे रू०) दिनांक 27-11-1989 ई० को जमा किया। ऋण चुकता करने के बाद भी उ. प्र. श./39/93 दिनांक 19-05-1993, रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रामपुर शाखा से रू० 1215-16 (एक हजार दो सौ पन्द्रह रूपये सोलह पैसे) मात्र ऋण चुकता करने का आदेश प्राप्त हुआ। दिनांक 18-06-1993 ई० को शम्भु मुण्डा, आवेदक द्वारा शाखा प्रबन्धक, रामपुर शाखा, नामकोम को सूचित किया कि मैं सम्पूर्ण राशि चुकता कर दिया हूँ।

रा. क्षे. ग्रा. बैंक/रा०ृा०/टी० एन०/144/93 दिनांक 30-9-93 ई० के द्वारा पुनः मूल दस्तावेज के साथ दिनांक 7-10-1993 ई० को 1 बजे रामपुर शाखा में उपस्थित होने का आदेश प्राप्त हुआ। निदेश के अनुपालन में वह निश्चित तिथि को उपस्थित होकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया। पत्रांक रेफेरेन्स न० रा० क्षे० ग्रा० बैंक/रामपुर शाखा/ टी० एन० 173/93 दिनांक 28-12-1993, रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रामपुर शाखा, रांची द्वारा पुनः दस्तावेजों के मूल प्रति के साथ उपस्थित होने का आदेश प्राप्त हुआ। दिनांक 3-1-1994 ई० को वह रामपुर शाखा प्रबंधक को कर्ज से मुक्त करने का निवेदन किया। पत्रांक रेफरेस नं० रा० क्षे० ग्रा० बैंक/रा० शा० टी० एन० 178/93&94 दिनांक 10-1-1994, शिकायत की जांच हेतु प्रधान कार्यालय, राजेन्द्र प्लेस, 5 मेन रोड, रांची 834001 में क्षेत्रीय प्रबंधक श्री बी० पी० शाह से दिनांक 28-01-1994 को सुबह 10 बजे दस्तावेज के मूल प्रति के साथ उपस्थित होने का आदेश प्राप्त हुआ। निदेश के अनुपालन उक्त तिथि को उपस्थित होकर सम्पूर्ण मूल कागजात श्री बी० पी० शाह क्षेत्रीय प्रबंधक को दिखाया। संदर्भ टी० एन०/397/94 दिनांक 10-01-1995 को रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, राजेन्द्र प्लेस, मेन रोड, रांची 834001 रामपुर शाखा प्रबंधक द्वारा रू० 1222 ब्याज, 15 दिनों के अन्दर जमा करने का निदेश प्राप्त हुआ। निदेश के अनुपालन में आवेदन, प्रबंधक/अध्यक्ष को दिनांक 15-02-1995 को जमा किया एवं उसकी प्रति उपायुक्त, रांची को दिया। पत्रांक/रेफरेंश प्र० का./आई. आर./15750 दिनांक 17-02-1995 को अध्यक्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, राजेन्द्र पैलेस, 5 मेन रोड, रांची 834001 द्वारा मूल रसीद जमा करने का निदेश प्राप्त हुआ। आदेश के अनुपालन में वह आवेदन के साथ मूल रसीद की प्रति रजिस्ट्री डाक द्वारा दिनांक 1-3-1995 को भेज दिया। पत्रांक/रेफरेन्स न. रा. क्षे. ग्रा. बैंक/रा. शा./ टी० एन. 101/95-96 दिनांक 26-9-1995 के तहत घोषणा पत्र की दो प्रति दी गयी और भरकर स्वयं अथवा डाक द्वारा प्रेषित करने पर शिकायत का निपटारा करने का वायदा किया गया। निदेश के अनुपालन में घोषणा पत्र की दो प्रति रजिस्ट्री डाक द्वारा दिनांक 12-10-1995 को वह प्रबंधक एवं अध्यक्ष के नाम भेज दिया।

शाखा, प्रबंधक, रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,ाखा, रामपुर, रांची द्वारा एक पत्र पत्रांक- दिनांक शुन्य प्राप्त हुआ जिसमें कुल रू० 4000-00 (चार हजार रूपये) मात्र चुकता करने का आदेश प्राप्त हुआ अन्यथा कानूनी कारवाई, घर, मकान, कुर्की जब्ती करने की हिदायत दी गई। अतः वह दिनांक 23-07-2007 ई० को आवेदन एवं सम्पूर्ण कागजात रामपुर शाखा को दिया। इसकी सूचना उपायुक्त, रांची, वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची, मुख्यमंत्री झारखण्ड, सरकार रांची को दी गई।

अन्ततः रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रामपुर शाखा एवं प्रधान कार्यालय, 5 मेन रोड, रांची द्वारा माननीय अध्यक्ष/लोक अदालत, रांची, सिविल कोर्ट परिसर, रांची में मुकदमा दर्ज की गई। जानकारी मिलने पर सम्पूर्ण कागजातों एवं आवेदन प्रस्तुत की गई। फलतः मुकदमा समाप्त हुआ।

कोआपरेटिव बैंक से सम्बन्धित मैनेजर, कर्मचारी एवं आधिकारियों द्वारा शोषित आदिवासियों का विवरण :-

सन् 1968 ई0 के आस-पास से कई जनजातियों को बैंक से ऋण मिलता था परन्तु "तकनीकी" खामियों के कारण मैनेजर एवं अध्यक्ष भिन्न-भिन्न ग्रामीण लोगों के नाम से कर्ज लेकर व्यापार करते थे। बेचारे भोले-भाले लोगों से कर्ज लिये बिना ही उनसे कर्ज का अदायगी होने लगता था। यदि वे बैंक से सम्बन्धित व्यक्तियों का बात नहीं मानते तो उनके विरूद्ध "कुड़की जब्ती" आर्डर निकलता था।

कई जनजातियां कर्ज लेकर "चुकता" भी कर दिये हैं, परन्तु बैंक के कर्मचारियों की धांधली के कारण उन्हें पैसे वापसी की सही रसीद नहीं दी जाती थी। फलतः समय-समय पर उनके नाम से नोटिस भेजा जाता था। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें एक बार कर्ज लेने पर कर्ज को कई बार चुकता करना पड़ता है। हालांकि सन् 1973-74 ई0 के आस-पास से कर्ज लेने वालों को पास बुक दिये जाते हैं जिसमें फोटो चिपकाया जाता है, परन्तु जब तक कर्मचारियों के चरित्र को न बदला जाय जनजातियां मात्र धुर्त्त कर्मचारियों के चारागाह साबित होते हैं। वे व्यक्ति निम्नांकित हैं जो कॉआपरेटिव बैंक द्वारा शोषित हुए हैं :-

क्रमांक	नाम एवं पूरा पता	विवरण	परिणाम
1.	गुरूचरण मुण्डा, ग्राम गरूड़पीड़ी, कुदागाड़ा, नामकूम, राँची।	600 रू0 कर्ज लिया था, जिसका चुकता 690 रूपया देकर किया।	दिनांक 18.8.1987 ई0 को पुनः 1700/- रू0 देकर चुकता करना पड़ा।
2.	काड़े मुण्डा, ग्राम गरूड़पीड़ी, नामकूम, रांची	कर्ज नहीं लिया था।	अप्रैल-मई 1987 ई0 में 500/- रू0 लौटाना पड़ा।
3.	जीबी मुण्डा, ग्राम गरूडपीड़ी, नामकूम, रांची।	कर्ज लेकर चुकता भी कर दिया था।	पुनः अप्रैल-मई 1987 ई0 को जीबी का लड़का कर्ज का चुकता किया।
4.	सुकु मुण्डा, ग्राम हेसो, कुदागाड़ा, नामकूम।	कर्ज लेकर चुकता भी कर दिया है।	कर्ज का चुकता करने के बाद भी फिलहाल (1987 ई0 में) बॉडीवारंट निकला है।

5.	राजकिशोर मुण्डा, ग्राम फतेहपुर, कुदागाड़ा, नामकूम।	सन् 1970 ई0 के पहले का ऋण चुकता कर दिया है।	सन् 1986 ई0 को पुनः सन् 1970 ई0 के पहले का कर्ज चुकता करने के लिये 700/- रू0 देना पड़ा।
6.	गोवर्धन मुण्डा, ग्राम फतेहपुर, नामकूम।	कर्ज लेकर वापस कर चुका था।	बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर के सामने तारीख दर्ज न होने के कारण पुनः पैसा देना पड़ा।

उपरोक्त सदस्यों में गुरूचरण मुण्डा एवं काड़े मुण्डा खेत बन्धक देकर पुनः रूपया वापस किया है।

भूमि अधिग्रहण कार्यालय से सम्बन्धित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों का शोषण :-

उद्योष मुण्डा, गोपालचन्द्र मुण्डा, शोभाचन्द्र मुण्डा एवं अन्य लोगों के अनुसार कोकरो नहर बनने के कारण सोनाहातू थाना के पारमडीह, टोड़ां इत्यादि गांव के कई लोगों का जमीन सन् 1963-66 ई0 के आस पास नहर क्षेत्र में आ गया। उपरोक्त व्यक्तियों तथा अन्य लोगों को भूमि अधिग्रहण विभाग, बिहार सरकार की ओर से सन् 1984-85 ई0 तक पैसों का भुगतान नहीं हुआ था। सन् 1985 ई0 के सितम्बर-अक्टूबर तथा सन् 1986 ई0 के जनवरी-फरवरी महीने में कई दलाल तथा सरकारी अधिकारी मोटर साइकिल एवं अन्य साधनों से उनके गांव आकर भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित लोगों को सूचित करने लगे कि उन्हें पैसों का भुगतान किया जायगा। अतः वे सही कागजात एवं प्रमाण पत्रों के साथ रांची में स्थित भूमि अधिग्रहण कार्यालय में निश्चित तिथि तक पहुंच जायं। उपरोक्त प्रकार की सूचना मिलने पर निम्नांकित गांव के निम्नांकित व्यक्ति भूमि अधिग्रहण कार्यालय, रांची अलग-अलग तिथि में पैसा लेने के लिये पहुंचे :-

क्रमां0	नाम	गांव	पोस्ट	थाना	जिला
1.	सोभराम मुण्डा	पारमडीह	लोवाहातु	सोनाहातु	रांची
2.	गोपालचन्द्र मुण्डा	"	"	"	"
3.	अजम्बर मुण्डा	"	"	"	"
4.	बिसम्बर मुण्डा	"	"	"	"
5.	थेलू मुण्डा	"	"	"	"
6.	हरदयाल मुण्डा	"	"	"	"
7.	दुर्गा मुण्डा	"	"	"	"
8.	उद्योष मुण्डा	"	"	"	"
9.	राममोहन सिंह मुण्डा	"	"	"	"
10.	टेबु महतो	"	"	"	"
11.	मनसा महतो	"	"	"	"
12.	मंगल महतो	"	"	"	"
13.	कालीपदो महतो	"	"	"	"
14.	शम्भु महतो	"	"	"	"

15.	शंकर महतो	"	"	"	"
16.	शिवचरन महतो	"	"	"	"

भूमि अधिग्रहण कार्यालय, रांची में सम्बन्धित कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों का शोषण अलग-अलग ढंग से हुआ। कई व्यवित्तयों को पैसा प्राप्ति से सम्बन्धित कागज पर हस्ताक्षर कराया गया, तत्पश्चात् उन्हें स्वीकृत राशि की जानकारी दिये बिना उनके धोती में यह कह कर पैसा बांध दिया गया कि यहां कई दलाल हैं अतएवं उन्हें पैसा गिनना नहीं चाहिए। चूंकि दलालों एवं चोरों को पैसों के भुगतान की जानकारी मिलने पर वे उनके द्वारा लूट लिये जायेगें। कई लोग वकील द्वारा पहचान कराने के नाम पर पैसा ठगे गये, जबकि कई सदस्यों को कुल भुगतान किये जाने वाले रकम का 20 प्रतिशत दक्षिणा के नाम पर कटौती किये जाने की जानकारी दी गई। सूचनाताओं के अनुसार उनके पंचायत के महतो जाति का मुखिया भी पहचानकर्त्ता के रूप में पैसा लेते थे।

शोभाराय मुण्डा के अनुसार निम्नलिखित जमीन के लिये उन्हें भूमि अधिग्रहण कार्यालय, रांची की ओर से 6557 रूपया (छः हजार पांच सौ सन्तावन) रूपया प्राप्त हुआ।

खाता नं0	प्लाट नं0	रकम डि0 में
11	526	08 डी0 में
"	528	16 "
"	549	80 "
	टोटल	61 हिसमिल

जबकि अजम्बर मुण्डा एवं बिसम्बर मुण्डा (पारमडोह, सोनाहातू) 38 डिसमिल जमीन के लिये सरकार की ओर से आठ हजार रूपया प्राप्त किया। जमीन का विवरण इस प्रकार है :-

खाता नं0	प्लाट नं0	रकबा डि0 में
38	518	20 डी0
"	531	18 डी0
	कुल	38 डी0

पारमडीह निवासी तेलु मुण्डा अपने हिस्से के निम्नांकित जमीन से तीन हजार नौ सौ रूपया (3900) प्राप्त किया है :-

खाता नं0	प्लाट नं0	रकबा
34	518	
"	531	16 डी0

अतः उपरोक्त विवरणों द्वारा साफ पता चलता है कि भूमि अधिग्रहण कार्यालय, रांची की ओर से पैसों के भुगतान में सामंजस्यता नहीं है। चूंकि शोभाराम मुण्डा 61 डि0 जमीन के लिये 6557 रू0 प्राप्त किया, परन्तु अजम्बर को 38 डि0 जमीन के लिये आठ हजार रूपया एवं तेलु मुण्डा को 16 डि0 के लिये 3900 रू0 प्राप्त हुआ। अतः यह कहा जा सकती है कि भूमि अधिग्रहण विभाग की ओर से भी जनजातियों एवं गैर जनजातियों का शोषण होता है।

शराब बनाने वाले गरीब आदिवासियों का शराब बनाने वाले बड़े व्यापारियों, थानेदार एवं एक्साइज दारोगा द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ढंग से शोषण से सम्बन्धित विवरण :-

सामूहिक साक्षात्कार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार गम्भरेया, अड़की निवासी राजेन्द्र साहू का एक शराब भट्ठी है। वह अपने गांव के अगल-बगल शराब बनाने वाले छोटे आदिवासी व्यापारियों से प्रतिमाह एक सौ पचास रूपया अदा करते हैं। यदि वे राजेन्द्र साहू की बातों को नहीं मानते हैं, उन्हें प्रतिमाह चन्दा नहीं देते हैं तो एक्साइज दारोगा उन्हे दारोगा एवं थानेदार के माध्यम से शराब की भट्ठी बन्द करवा देते हैं तथा दण्डित करवा देते हैं।

सन् 1987 ई0 में चन्दुरू, अड़की निवासी बिरसा मुण्डा, परना मुण्डा एवं ग्राम हुडुप निवासी खुदी मुण्डा का शराब भट्ठी बन्द करवा दिया। राजेन्द्र साहू अक्सर तत्कालीन थानेदार अर्जुन राम का सहयोग लिया करते थे। प्राप्त सूचना के अनुसार बान्दु गाड़ा निवासी अर्जुन सिंह मुण्डा राजेन्द्र साहू को 150 रू0 प्रति माह देते हैं।

सामूहिक साक्षात्कार द्वारा प्राप्त अन्य सूचना के अनुसार पुरना नगर (अड़की) गांव में कई साहू जाति के लोग शराब की भट्ठी चलाते हैं जिनमें निम्नांकित प्रमुख है :- नेपाल साहू, राजेन्द्र साहू, भूपाल साहू, प्रेमा साहू, इत्यादि। पुरना नगर गांव के अगल-बगल यदि आदिवासी जातियां शराब की भट्ठी चलाती हैं तो सम्बन्धित पदाधिकारियों को सूचित करके बन्द करवा देते हैं। चूंकि आदिवासियों द्वारा शराब का दुकान खोलने पर उनका दुकान ठीक से नहीं चलता है। अतः वे एक्साइज दारोगा एवं थानेदार के मदद से दुकान ठप करवा देते हैं। यदि अगल बगल के आदिवासी उनके दुकान से शराब खरीद कर गांव में या अन्यत्र बेचें तो साहुओं को किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है। अतः आदिवासियों का शोषण सम्बन्धित पदाधिकारियों तथा साहुओं द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से हो रहा है।

वन विभाग से सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों की भूमिका एवं आदिवासियों का जीवन :-

बुण्डू, तमाड़, अड़की, नामकोम एवं अन्य स्थानों के सूचनादाताओं के अनुसार विभिन्न बाजारों में जनजातियां जब लकड़ी कन्धे एवं सिर पर ढोकर बेचने के लिये ले जाती हैं तो वन विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी उन्हें तंग करते हैं, पैसे लेते हैं, परन्तु जब अगल-बगल के व्यापारी, ठीकेदार ट्रक से लकड़ी चालान करते हैं, व्यापार करने लगते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होती है। यदि कोई आदिवासी जरूरी काम से वन पदाधिकारियों से अनुमति लेकर लकड़ी बेचना चाहता है तो यह उसके लिये कठिन काम ही नहीं? बल्कि असम्भव है। चूंकि प्रत्येक स्तर पर सरकारी कर्मचारी पैसों के बिना बातें नहीं करते हैं एवं काफी समय लग जाते हैं। फलतः आदिवासी जातियां अपने रैयती प्लाट के पेड़-पौधें, जंगल इत्यादि को उचित मूल्य पर कदापि नहीं बेच सकती हैं। वन विभाग की जटिलता को देखकर वे कम दामों पर ही ठीकेदारों के हाथ में नाजायज ढंग से बेचने लगती हैं। यदि वे मकान बनाने के लिये भी वन पदाधिकारियों से लकड़ी काटने के लिय अनुमति लेना चाहें तो यह उनके लिये सम्भव नहीं है। आदिवासी जातियों का वन विभाग के कर्मचारियों के प्रति भी शक की दृष्टि है। फलतः वे सामाजिक वानिकी योजना के तहत भी पेड़ लगाने के लिये आकर्षित नहीं होती हैं।

सन् 1985 ई0 के सितम्बर-अक्टूबर महीने के आस-पास ग्राम-रोलाडीह, उलीडीह, तमाड़

निवासी गौर शेखर मुण्डा का चचेरा भाई खूँटा बनाने के उद्देश्य से एक वृक्ष की डाली काटा जिसके कारण उलीडीह में निवास करन वाले फारेस्ट गार्डो ने उसे पकड़ा। वे उससे तीन हजार पांच सौ रूपया की मांग करने लगे अन्यथा जेल में बन्द करने की धमकी देने लगे। अतः गौर शेखर मुण्डा के भाई ने थाना नम्बर 150, खाता नं0 64, प्लाट नं0 1113 का 52 डिसमिल जमीन तीन हजार पांच सौ रूपया में बारनेया निवासी लोहरा के हाथ में बेचकर फोरेस्ट गार्डो के चुंगल से बच निकला। सन् 1987 ई0 के फरवरी-मार्च महीने में ग्राम रोलाडीह, उलीडीह, तमाड़ निवासी रणजीत सिंह मुण्डा पिता स्व0 बोध मुण्डा ने शादी करने के ख्याल से अपने रैयती प्लाट का 20 पेड़ काट कर बेचने के लिये सम्बन्धित पदाधिकारियों से अनुमति लेना चाहा। उपरोक्त काम के लिये उन्होंने तमाड़ के फोरेस्टर, रेन्जर, अंचल पदाधिकारी एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया, अन्ततः जुलाई महीने के अन्त तक कानूनन ढंग से अनुमति लेने में असमर्थ रहा, जिसके कारण अपने इलाके के दलालों एवं ठेकेदारों से सम्पर्क स्थापित करके नाजायज ढंग से मात्र दो हजार पांच सौ रूपया में उपरोक्त पेड़ बेच दिया। रणजीत सिंह मुण्डा का कहना है कि चोरों के दुनिया में चोर ही जीवित रह सकता है।

ग्रेन गोला से संबन्धित कर्मचारियों की भूमिका एवं आदिवासियों की समस्याएं :-

ग्राम रोलाडीह, उलीडीह, तमाड़ निवासी सोमा मुण्डा का कहना है कि सरकार की ओर से गरीब कृषकों के कल्याण के लिये जगह-जगह पर ग्रेन गोला खोले गये हैं ताकि कृषकों को ऋण उपलब्ध हो परन्तु सम्बन्धित विभाग के कर्मचारी लापरवाह हैं एवं लोभी प्रकृति के बन गये हैं अनपढ़ गरीब आदिवासियों द्वारा ऋण का चुकता करने पर भी फिर से मांगा जाता है। कभी-कभी ग्रेन गोला से अनाज न लेने पर भी उनके नाम से कर्जा चढ़ जाता है। यही कारण है कि सन् 1978 ई0 के आस पास सोमा मुण्डा ने कर्ज लेने के लिये आवेदन पत्र सम्बन्धित पदाधिकारियों के पास जमा किया परन्तु कर्ज नहीं लिया था। फिर भी उसे सरकारी कर्मचारियों ने कर्ज के चुकता के लिये नोटिस दिया। अतः उपरोक्त प्रकार की घटना सरकारी कर्मचारियों की धांधली है, बेइमानी है। अतः गरीब जनता द्वारा सरकारी कर्मचारियों पर अविश्वास करना स्वाभाविक है।

पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा शोषित आदिवासियों का विवरण :-

प्रायः जनजातीय क्षेत्रों में छोटे-छोटे घरेलू तथा पड़ोसी लड़ाई-झगड़ों का निपटारा गांव में ही होता था। अब समय के परिवर्तन के साथ कुछ जनजातियां न्याय पाने के ख्याल से थाने में केस या शिकायत करती हैं, जबकि कुछ जनजातियां दूसरे पक्ष को दिखा देने की भावना को लेकर थाने का शरण लेते हैं। जब थाने में लोग धमकी (वाक युद्ध) दिये जाने से सम्बन्धित शिकायत करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि इससे केस नहीं बनता है। अतः पुलिस वालों के सुझाव पर मार-पीट या हत्या के प्रयास से सम्बन्धित शिकायत कराया जाता है। अतः थानेदार एवं अन्य प्रभारी जबरदस्ती झूठा इल्जाम लगवाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वे इसके लिये 100 रूपया से लेकर 1000/- रूपया तक पैसा लेते हैं। जब वे इसकी कारवाई हेतु पूछ-ताछ के लिये दूसरे पक्ष के पास जाते हैं तो उन्हें केस को समाप्त कर देने की बात बता कर या केस को कमजोर कर देने का सान्तवना देकर पैसा ऐंठते हैं। यदि कहीं पर मर्डर या खून होता है तो वे मुद्दई-मुदालेह एवं दोनों पक्षों के गवाहों से भी पैसा प्राप्त करते हैं। यदि किसी घर में डकैती होती है तो वे आवेदक को जबरदस्ती चोरी से सम्बन्धित आवेदन लिखने के लिये कहते हैं। ताकि पुलिस वालों का

उत्तरदायित्व कम हो। इस तरह से आज जनजातीय आबादी वाले भोले-भाले इलाकों में थाना अभिशाप बन गया है। चूंकि पुलिस वालों का काम झगड़ा मिटाना या सुलझाना नहीं? बल्कि लोगों को लड़ाई-झगड़ों में उलझा कर पैसा कमाना होता है। अतः वर्तमान व्यवस्था में जनजातियों का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ढंग से आर्थिक एवं नैतिक शोषण होता है।

गांव बुढ़ाडीह, मारांगहादा, खूंटी निवासी मागरा मुण्डा की हत्या से सम्बन्धित विस्तृत विवरण एवं पुलिस द्वारा जनजातियों का शोषण :-

बुढ़ाडीह गांव के लोगों का साक्षात्कार लेने पर पता चला कि सारजोमडीह के पति गनसा मुण्डा की मृत्यु 45 वर्ष की अवस्था में हुई। उस समय गनसा, पत्नी सारजोमडीह एवं तीन छोटे-छोटे बच्चों, पुयतू, डिबार एवं सोम्बारी को छोड़ कर इस दुनिया से चले गये। पति के मरने के बाद सारजोमडीह अपने गांव के मागरा मुण्डा के साथ प्यार करने लगी। अन्ततः पत्नी रहते हुए भी मागरा मुण्डा सारजोमडीह के साथ अपनी मर्जी से शादी कर लिया एवं वे दोनों गांव छोड़ कर बुण्डू बेडा, नामकूम चले गये। वहां वे मजदूरी द्वारा अपना भरण-पोषण करने लगे। इन दोनों को एक बच्चा भी हुआ। चार पांच महीने के बाद वे अपने गांव बुढ़ाडीह चले आये। बुढ़ाडीह में बच्चे के मर जाने पर सारजोमडीह अपनी नैहर (मां-बाप घर) चली गई।

पुयतू, डिबार एवं सोम्बारी को मां द्वारा भी छोड़ दिया जाने पर तरह-तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे बड़ी मुश्किल से बड़े हुए। बच्चों को कभी-कभी बचपन में उपवास भी रहना पड़ता था, चूंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं था। अतः पुयतू मुण्डा, मागरा मुण्डा से बदला लेना चाहा। सन् 1987 ई0 में मागरा का उम्र लगभग 65 वर्ष हो चुका था जबकि पुयतू का उम्र लगभग 25 वर्ष है।

दिनांक 2 फरवरी, 1987 ई0 दिन बुधवार को पुयतू अपने ही गांव के कुंअर के साथ सारजोमडीह बाजार, बुण्डू गया हुआ था। संयोगवश मागरा मुण्डा उसी दिन सारलेः के गोंदा मुण्डा के साथ सारलेः गांव बुढ़ाडीह लौट रहा था। संयोगवंश पुयतू एवं कुंअर के साथ रास्ते में मुलाकात हुई। कुंअर एवं पुयतू ने पुनः मागरा को हंड़िया पिलाने के लिये सारले गांव ले गये, जहां वे हड़िया पीये। सारलेः गांव से जब वे लौट रह थे उसी समय हमला करके पुयतू एवं कुंअर ने मागरा को टांगी से मार दिया। डर के कारण ये दोनों ने घर आकर कुंअर के पिताजी दंदांग सानिका को सारी घटना से अवगत कराया। दूसरी ओर सारलेः निवासी गोंदा, मागरा मुण्डा की हत्या की खबर सुनकर काफी भयभीत हुआ एवं वह पुलिस द्वारा पूछ ताछ एवं परेशान किये जाने के डर से फांसी लगा कर आत्म हत्या कर लिया। चूंकि गोंदा मुण्डा, मागरा मुण्डा के साथ हड़िया पिया था। दिनांक 4.2.1987 ई0 को मागरा के छोटे भाई साधवा ने इसके सम्बन्ध में केस करने के लिये गांव के प्रमुख व्यक्ति जुरन सिंह मानकी से सुझाव मांगा। उन्होंने उसे केस करने से सम्बन्धित लाभ-हानि के बारे में अपना विचार बताया। अन्ततः साधवा को अन्तिम निर्णय लेने के लिये कहा। दूसरी ओर दंदाग सानिका ने जुरन सिंह मानकी के भाई हरि सिंह मानकी (सरपंच) को अपने बेटे कुंअर एवं पुयतू के काली करतूतों से अवगत कराया। दिनांक 7.2.1987 ई0 दिन सोमवार को साधवा मुण्डा एवं उनके अन्य भाइयों ने थाने में केस किया। फलतः दक्षिणा के रूप में 100/- रूपया

देना पड़ा। हत्या की खबर सुनकर खूंटी के थानेदार अन्य जमादार सहयोगियों के साथ मेटाडोर गाड़ी से बुढ़ाडीह गांव पहूंचे। बुढ़ाडीह गांव में हत्यारों का पता नहीं चल रहा था। अन्ततः मेटाडोर के ड्राइवर दंदांग सानिका को फुसलाया, उन्होंने सानिका को कहा - "कुछ नहीं होगा, यों ही पुलिस वाले पूछ रहे है।" दंदांग सानिका ड्राइवर के बातों पर विश्वास किया एवं हत्यारों का नाम बताया। फलतः उसे सड़े लाश के पास तक पुलिस द्वारा धमकी दिए जाने एवं पीटने पर जाना पड़ा। हत्यारे तीन दिन पहले घर-द्वार छोड़ कर भाग चुके थे जिसके कारण पुलिस वाले मेटाडोर का भाड़ा हत्यारे कुंअर के पिता दंदांग सानिका से 300/- रूपया तुरन्त अदा किये। उसे जुर्माना के रूप में पुनः 1000/- रूपया जुटाने के लिये कहा गया। मृत मागरा की पत्नी को एक हजार रूपया, मागरा के भाइयों को 200/- रूपया प्रति व्यक्ति एवं पुयतू के भाई डिबार को 1200/- रूपया निश्चित तिथि तक जुटाने के लिये कहा गया। 15-20 दिन बाद जमादार एवं सिपाही पुनः आये जो उपरोक्त रकम बटोर कर चम्पत हो गये। इतना ही नहीं? बल्कि वे कटहल, आम, इत्यादि तोड़ कर ले गये।

ग्राम बाउंतिया, तमाड़ निवासी दीनबन्धु मुण्डा का मारपीट केस से सम्बन्धित विवरण एवं पुलिस की भूमिका :-

सन् 1975-76 ई0 के आस-पास दीनबन्धु के मामा का लड़का रेदाः बुण्डू निवासी सुरेन्द्र मुण्डा दीनबन्धु के घर में ही रहता था। एक दो वर्षो तक रहने के बाद बांउतिया ग्राम के संजा नामक लड़की से प्यार हो गया। फलतः वे दोनों बाउंतिया गांव से भाग कर पति-पत्नी के रूप में अन्यत्र रहने लगे। संयोगवंश सुरेन्द्र मुण्डा के छोटे भाई रामसिंह मुण्डा दिसम्बर, 1985 ई0 को मेहमानी करने के लिये दीनबन्धु के घर आया हुआ था। संजा के भाई रांगा मुण्डा एवं चचेरा भाई श्याम सुन्दर मुण्डा ने अपनी बहन का सुरेन्द्र द्वारा प्रेम विवाह किये जाने का बदला सुरेन्द्र के छोटे भाई से लेना चाहा। अतः उन दोनों ने मिलकर उमापति सिंह मुण्डा के बहकावे में आकर दिनांक 18.12.85 ई0 को रामसिंह मुण्डा को जम कर पीटा। उपरोक्त समाचार को सुनकर दीनबन्धु आग बबूला हो गया एवं उन्होंने दिनांक 19.12.1985 ई0 को खान दरोगा, तमाड़ के यहां शिकायत किया। शिकायत की छान-बीन के लिये दरोगा को दक्षिणा के रूप में दीनबन्धु को एक सौ रूपया देना पड़ा। दीनबन्धु एवं उनका लड़का ईश्वर चन्द्र मुण्डा गवाही के लिये छुटू मुण्डा एवं रामसिंह मिर्धा को ठीक करने लगे परन्तु वे पुलिस एवं उमापति मुण्डा के डर से हकीकत को बताना नहीं चाहते थे। तत्पश्चात् वे अन्य लोगों को गवाही के लिये राजी करने लगे, परन्तु डर से कोई भी व्यक्ति गवाही देना नहीं चाहता था। अन्ततः ईश्वरचन्द्र मुण्डा ने पुलिस को गांव आने से मना कर दिया एवं मार के बदले मार की नीति अपनाना चाहा। वह अपने गांव के त्रिभुवन मुण्डा, कमलाकान्त मुण्डा, राजीवलोचन मुण्डा, रायसिंह मिर्धा एवं नारायण मिर्धा के साथ प्रतिद्वन्द्वीयों से बदला लेना चाहा।

दिनांक 20.12.87 को वे सेंदौरी बाजार में उन्हें पीटने का प्रयास किये परन्तु असमर्थ हो गये। अन्ततः वे घर आते हुए रास्ते में उमापति सिंह मुण्डा की पीटाई जम कर की। दिनांक 21.12. 1987 ई0 को उमापति एवं उनके साथी थाने में निम्नलिखित व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा किये :-

1. दीन बन्धु मुण्डा	2. कमलाकान्त मुण्डा
3. त्रिभुवन मुण्डा	4. मोहन सिंह मुण्डा
5. अर्जुन सिंह मुण्डा	6 रंगलाल मुण्डा
7. राम सिंह मिर्धा एवं	8. नारायण मिर्धा।

संयोगवंश दीनबन्धु मुण्डा, तमाड़ बाजार आया हुआ था। वह अपने एक दोस्त के साथ थाने के समीप से गुजर रहा था। दीनबन्धु को देखकर थानेदार ने उन्हें बुलाया। वह थानेदार के बुलाने पर सहज भाव से उनके सामने पेश आया लेकिन थानेदार ने उसे एरेस्ट कर लिया। इस बात की खबर सुनकर गांव के अन्य लोग दीनबन्धु को रिहा करने के लिये आ गये, परन्तु दारोगा मि0 खान उपरोक्त अभियुक्तों से दो हजार पांच सौ रूपया दक्षिणा के रूप में लेना चाहा। उपरोक्त रकम प्राप्त होने के बाद दीन न्धु को तत्काल रिहा किया गया एवं मुकदमा को फारवर्ड कर दिया गया। अतः अब खूंटी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इस तरह की घटनाएं अनेकों हैं। उपरोक्त घटनाओं के द्वारा पुलिस की भूमिका का पता चलता है।

पुलिस की भूमिका से संबंधित विवरण :-

ग्राम नोढ़ी, तमाड़ निवासी राधागोविन्द सिंह मुण्डा, अपनी मां को चिकित्सा के लिये करम टोली, रांची स्थित अपने आवास में लाये। उनकी मां की उम्र लगभग 78-80 वर्ष की रही होगी जिसके कारण वह साफ-साफ सुन नहीं सकती थी। दो-तीन महीने तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने के कारण उनकी मां स्वस्थ अनुभव कर रही थी। दिनांक 28.3.88 ई0 दिन सोमवार को शाम 5 बजे अपनी 3 वर्षीय पोती को लेकर घूमने निकल गई परन्तु आवास स्थान का नाम ख्याल नहीं रहने के कारण आगे बढ़ती चली गई एवं बरियातू स्थित आवासनीय कॉलोनी तक पहुंच गई। वह केवल मुण्डारी भाषा जानती थी। एक बच्ची को साथ में देखकर शहरी लोग एवं होटल वाले बच्ची चोरी करने वाली बुढ़िया समझे एवं बरियात् पुलिस को सूचित किये। बरियात् पुलिस के लोग बुढ़िया से पूछ-ताछ किये होंगे, डांट-डपट एवं थप्पड़ मारे होंगे, फलतः अनुसार बुढ़िया हांपने लगी एवं बेहोश हुई। अतः वे उस बुढ़िया को आर0 एम0 सी0 एच0 में भर्त्ती कर दिये जहां उसकी मृत्यु हुई। दिनांक 29.3.88 ई0 के शाम अनुसन्धान कला द्वारा विभिन्न थानों से सम्पर्क स्थापित करते हुए बरियात् थाने से पता चला कि बुढ़िया की मृत्यु हो गई एवं बच्ची सुरक्षित है। पुलिस वालों के अनुसार वह मात्र "टांड़ घोर" बोल रही थी। यहां रांची में राधागोविन्द का निवास खेत के किनारे है जिसे बुढ़िया संबोधित कर रही थी।

दिनांक 29.3.88 ई0 को रात 10 बजे बच्ची को बरियात् पुलिस से प्राप्त किया गया जिसके लिये वे दक्षिणा की भी मांग कर रहे थे। दिनांक 30.3.88 ई0 को सुबह बुढ़िया की लाश पोस्ट मार्टम के बाद राधागोविन्द को सुपुर्द किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बुढ़िया के कन्धे पर जख्म था जिसे पुलिस यह कहकर बात टाल दी कि वह गिर गई थी।

अतः तब तक आदिवासियों का कल्याण सम्भव नहीं है जब तक निकट से लोग उन्हें नहीं जानेंगे।

●●●

14 अध्याय

शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी-अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा शोषण से सम्बन्धित विवरण

सूचनादाता बीर सिंह भगत सन् 1978-80 सेसन में प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय का छात्र था। उनका कहना है कि बुण्डू ट्रेनिंग कॉलेज में छात्रों के नामांकन के समय नाजायज ढंग से रूपया ऐंठा जाता था। सन् 1979 ई0 में प्रथम श्रेणी में उत्तीण छात्रों का भी नामांकन नहीं हो पाता था, नामांकन केवल उन छात्रों का होता था जो तीन-चार सौ रूपया घूस देने में समर्थ होते थे। इसके अतिरिक्त उन सभी छात्रों का नामांकन होता था, जो उस क्षेत्र के थे एवं चार सौ - पांच सौ रूपया घूस देने में समर्थ होते थे।

जनजातीय छात्रों का जगह सुरक्षित रहने के कारण उनका नामांकन हो जाता था परन्तु पैसे के बल पर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र भी छंट जाते थे। सन् 1980 ई0 के फरवरी महीने में ग्राम रेलाडीह, पो0- रेलाडीह (बुण्डू, राँची) के नागेन्द्र मुण्डा को ट्रेनिंग कॉलेज बुण्डू में नामांकन हेतु कालिंग लेटर मिला। वे जब ट्रेनिंग कॉलेज बुण्डू, कालिंग लेटर लेकर नामांकन कराने के लिये गये तो उन्हें कहा गया कि अभी जगह नहीं है। इस तरह से नागेन्द्र मुण्डा का अन्तिम क्षण तक ट्रेनिंग कॉलेज में नामांकन नहीं हुआ। सूचनादाता बीर सिंह भगत का कहना है कि प्राचार्य ललन पाण्डेय कभी-कभी रिजर्वेशन का कोटा समाप्त होने का बहाना बना कर अपने क्षेत्र के लड़कों का नामांकन कराते थे, जो मोटे रकमों में उन्हें घूस देते थे।

भूतपूर्व प्राचार्य एवं बड़ा बाबू मी0 शर्मा उन सभी छात्रों से 15-20 रूपया ऐंठते थे जो अपने साथ झाडू या कुदाली नहीं ले आते थे।

आदिवासी एवं हरिजन छात्रों को जब छात्रवृत्ति का भुगतान होता था, तो प्रत्येक महीना छात्रों को प्राचार्य एवं बड़ा बाबू को 150/- रूपया देने पड़ते थे। प्राचार्य का कहना था कि चेक भँजाने के समय केशियर को 60-70 रूपया देना पड़ता है जब छात्र रुपया देने में असमर्थता व्यक्त करते थे, तो छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी।

सूचनादाता भगत के अनुसार एक वर्ष में छात्रों के बारह सी0 एल0 होते थे। जब छात्र घर जाने के लिये सी0 एल0 लेते थे तो उनका सी0 एल0 अस्वीकृत कर दिया जाता था। प्राचार्य छात्रों को सी0 एल0 तभी देते थे जब छात्र सी0 एल0 के समय का आधा पैसा देने के लिये राजी होते थे। जब छात्र आधा पैसा नहीं देते थे तो सी0 एल0 के समय का पूरा पैसा छात्रवृत्ति से कट जाता था।

जब छात्र परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये फार्म भरते थे, तो इस अवसर पर उन्हें परीक्षा

फीस के रूप में 35-40 रूपया ऐंठा जाता था। उन्हें इसके लिये रसीद नहीं दी जाती थी। सुचनादाताओं के मुताबिक सन् 1979-80 ई0 में आदिवासी एवं हरिजन छात्रों का परीक्षा फीस मात्र दस रूपया था।

अतएव गरीब आदिवासी एवं हरिजन छात्रों को सरकार की ओर से सुविधाएं देने के बावजूद उनका शोषण होता है।

इतना ही नहीं? छात्रों की उपस्थिति घट जाने का बहाना बना कर प्राचार्य समय-समय पर 20-25 रूपया अदा करते रहते थें। विभिन्न अवसरों पर प्राचार्य एवं बड़ा बाबू द्वारा पैसा लिया जाने से सम्बन्धित तालिका :-

नाम एवं पद	नामांकन के अवसर पर (रकम)	छात्रवृत्ति के भुगतान के समय (रकम)	फार्म भरने के समय (रकम)	उपस्थिति घटने का बहाना बनाकर	सी० एल० लेने के समय
ललन पाण्डेय प्राचार्य	1. पन्द्रह रू0 प्रति छात्र 2. वैसे छात्र जो घूस देकर प्रवेश लिसे 300-400 रू०	टोटल 150 रू०	35-40 रू० जबकि परीक्षा फीस के रूप में उस समय दस रू0 लिया जाता था।	20-25 रूपया प्रत्येक छात्र	सी० एल० के दिनों आधा पैसा प्रति छात्र
बड़ा बाबू मी० शर्मा	पांच रूपया	60-62	चार-पांच रू0	-	-

पैसे देकर नामांकन करने वाले एक-दो छात्रों की कठिनाइयां :-

भूतपूर्व प्राचार्य ललन पाण्डेय, पुरन चन्द्र महतो से 500/- रूपया लेकर ट्रेनिंग कॉलेज, बुण्डू में नामांकन कराये थे। फार्म भरने के अवसर पर इस तरह के छात्रों को दिक्कत हो रही थी, चूँकि सरकार की ओर से उन छात्रों के नामांकन के लिये स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। प्राचार्य पैसा कमाने के ख्याल से ही वैसे छात्रों का नामांकन जगह न रहने पर भी करा लिये थे। यह सन् 1979 ई0 की घटना है।

प्राथमिक शिक्षण शिक्षा महाविद्यालयों में छात्रों के शोषण का कारण :-

बीर सिंह भगत का कहना है कि ट्रेनिंग कॉलेजों में छात्रों का शोषण मनमानी ढंग से होता है। चूँकि प्रत्येक विषयों में 50 अंक "एससमेंट" के नाम पर शिक्षकों के हाथ में रहता है। फलतः शिक्षकों का गलत सुझाव छात्रों को मजबूरी से मानना पड़ता है।

टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में निम्नांकित विषयों में अंकों का विभाजन निम्न प्रकार रहता है :-

क्रमांक	विषय	लिखित परीक्षा का अंक	एसेसमेंट का अंक
1.	सामाजिक अध्ययन	50	50
2.	मनोविज्ञान	50	50
3.	पाठशाला प्रबन्ध	50	50

4.	हिन्दी	50	50
5.	गणित	50	50
6.	अंग्रेजी	50	50
7.	विज्ञान	50	50

बुण्डू के स्कूल इन्सपेक्टर द्वारा शिक्षकों का शोषण से सम्बन्धित विवरण :-

सन् 1975 ई0 से 85 ई0 तक बुण्डू ब्लॉक में कई स्कूल इन्सपेक्टर अर्थात् ब्लॉक एक्सटेन्सन एजूकेशन पदाधिकारी आये एवं चले गये, परन्तु वे सभी इस क्षेत्र के प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल के शिक्षकों से पैसा ऐंठते रहे। शिक्षकों का शोषण करते रहे। प्रायः शिक्षकों से सर्विस बुक भरने, एरियर पैसों का भुगतान कराने के लिये पैसा लिया जाता है। समय-समय पर आदिवासी क्षेत्र के स्कूली बच्चों के खाने पीने के लिये ब्लॉक की ओर से गेंहू, चना एवं चीनी दिये जाते हैं। स्कूल इन्सपेक्टर प्रत्येक स्कूल के हेड मास्टरों से 5-10 किलो चना वसूल करते हैं। वे चना के साथ-साथ चीनी एवं गेंहू भी शिक्षकों से प्राप्त करते हैं।

इन दिनों प्रायः प्रत्येक आदिवासी दुर्गम क्षेत्रों में सरकार की ओर से स्कूल खोले गये हैं। स्कूल इन्टेरियर क्षेत्रों में होने के कारण कई शिक्षक, महीनों स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं। इसके लिये वे स्कूल इन्सपेक्टर महोदय को प्रति महीना वेतन का 25-30 प्रतिशत देते हैं। इस तरह से सरकारी पदाधिकारियों के मिली भगत के कारण आदिवासी क्षेत्र के स्कूली बच्चों का अप्रत्यक्ष रूप से शोषण होता है, हालांकि सरकार आदिवासी क्षेत्र के कल्याण के लिये बड़ी-बड़ी योजनाएं बना रही हैं।

निवर्त्तमान स्कूल इन्सेपक्टर कृपाशंकर चौबे (सन् 1985 ई0 के मार्च महीने तक कार्यरत थे) पैसों के कलेक्शन के लिये कुछ शिक्षकों को जिम्मा दिये थे। तीन-चार महीनों के अन्तराल में बुण्डू ब्लॉक के शिक्षकों का एरियर पैसों का भुगतान होने वाला था। स्कूल इन्सेपक्टर सभी शिक्षकों से 10 प्रतिशत एरियर पैसों का शेयर ले रहे थे। उनका कहना था जब तक शिक्षक एरियर का 10 प्रतिशत उन्हें नहीं देगे, उनका अन्य काम नहीं बनेगा। अनुसंधानकर्त्ता स्वयं 15-3-1985 ई0 को स्टेट बैंक बुण्डू के सामने खड़ा था कि एक शिक्षक मदन सिंह बैंक के सामने खड़ा होकर शिक्षकों से पैसा वसूल करने लगा। मैंने 35-40 शिक्षकों का लिस्ट देखा जिन्हें एरियर का 10 प्रतिशत देना था। पुनः अप्रैल 1985 ई0 में शिक्षकों से स्कूल इन्सपेक्टर अप्रत्यक्ष रूप से 60 रूपये से लेकर 100/- रूपया तक लिये।

निम्नलिखित शिक्षक एरियर के भुगतान के लिये कृपाशंकर चौबे को पैसे दिये :-

1. बुधु सिंह मुण्डा	-	प्राथमिक विद्यालय, बेसराडीह
2. जगबन्धु दास	-	" " "
3. हरि सिंह मुण्डा	-	प्राथमिक विद्यालय, गभड़ैया।
4. पितम्बर मुण्डा	-	" धारा बेड़ा बंडल जारा।
5. सीता राम मुण्डा	-	मिडिल स्कूल, नावाडीह।
6. शिव शंकर मुण्डा	-	प्राथमिक विद्यालय, अड़ाडीह।
7. रंगलाल मुण्डा	-	"

अतः स्कूल इन्सेपक्टर बुण्डू के सभी शिक्षकों से एरियर का भुगतान, सर्विस बुक भरने के नाम पर एवं ट्रान्सफर रोकने के नाम पर पैसे लेते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित शिक्षकों को लिया जा सकता है :-

नाम	स्कूल का नाम	
जीतू बाबू	प्राथमिक विद्यालय,	रा:गय, बुण्डू ।
सुखलाल	प्राथमिक विद्यालय,	भूइसूडीह, बुण्डू।
जयपाल मुण्डा	"	कडरूडीह, बुण्डू।
महाबीर मुण्डा	"	हेसाः दाः बुण्डू।
जगरनाथ मुण्डा	"	बड़कोलम्बा, बुण्डू।
जीतू उरांव	"	कुचीडीह, बुण्डू।
प्रभुदयाल टूटी	"	हुंसडीहातू, बुण्डू।
कालीपदो प्रमाणिक	"	लींतीगोडीह, बुण्डू।
छुटू अहीर	"	"
गिरीश महतो	"	हेसापीड़ी, बुण्डू।
मायाराम महतो	"	"
गिरीधारी मछुआ	"	"
राधा गोविन्द हजाम	"	नाइलगाडा।
बीरसा मुण्डा	"	डाडूहातू।
वृन्दावन हजाम	"	तुंजू।
महेन्द्र मुण्डा	"	ताऊ।
भजुराम महतो	"	सारजोम इकीर।

आज भी (दिसम्बर 1987) शिक्षकों को वर्तमान ब्लॉक स्कूल एक्सटेन्स पदाधिकारी द्वारा धड़ल्ले से उपरोक्त बातों को लेकर पैसे लेते हैं। अतः शिक्षकों में सही चेतना की कमी के कारण उनका प्रत्यक्ष रूप से शोषण हो रहा है।

झारखण्ड राज्य के मेडिकल प्रवेश, परीक्षा के सम्बंध में विवरण

महासचिव, टी. एम. ए. (Tribal Medical Association, Jharkhand) द्वारा विदित है कि झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कुल 39 सीट सुरक्षित है, परन्तु सन् 2005, जे. सी. ई. सी., ई. की प्रवेश परीक्षा में मात्र दो अनुसूचित जनजाति के छात्र एम. बी. बी. एस. के लिए उर्त्तीण हुए। परन्तु पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुण्डा के पहल पर अनुसूचित जनजाति के सभी सुरक्षित सीटों पर नामांकन हुआ। पुनः जे. सी. ई. मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 2006 में मात्र 12 (बारह) आदिवासी (अनुसूचित जनजाति) के छात्रों को योग्य घोषित किया गया। टी. एम. ए., झारखण्ड द्वारा पता चला कि प्रवेश परीक्षा में कई विसंगतियाँ है, भारत देश के जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उड़िसा, तमिलनाडू, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, मणिपुर, दिल्ली, पाण्डिचेरी, पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, चण्डीगड़, हरियाणा एवं उत्तरांचल प्रदेश में मात्र ऑवजेक्टिव टेस्ट (Objective test)

के आधार पर प्रवेश परीक्षा ली जाती है जिसमें 40% अंक, उत्तीर्णांक है। जबकि झारखण्ड एवं बिहार में ऑवजेक्टिव एवं Subjective (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा ली जाती है तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का उत्तीर्णांक भी 40% है। ज्ञात है कि ऑवजेक्टिव टेस्ट का मूल्यांकन कम्प्यूटर द्वारा होता है। जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में नाम एवं क्रमांक लिखना पड़ता है। टी. एम. ए. द्वारा ज्ञात हुआ है कि मेडिकल कॉउसिल ऑफ इण्डिया ने भी दो प्रवेश परीक्षा के सम्बंध में कोई निर्देश नहीं दिया है।

ज्ञात है कि जे. सी., ई. सी. ई. मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2006 में असफल स्नेहा सलीला, सुप्रीत सोनाली टोपनो, अलका लाकड़ा, नन्दिता कुजूर, शिल्पा कुमारी किन्डो, सुप्रिया स्नेहा लाकड़ा, रवि रोहन किस्कू, श्रीकान्त उरांव, गितांजली मुण्डा, अभिषेक एन. तिर्की, सिनी कुमारी खेस, सिरोमनी कुमारी, अंजु रोशन मिंज, स्वाती हँस इत्यादि छात्रों को सी. बी. एस. ई, आई. सी. एस. ई. X की परीक्षा में 70% से 90% तथा XII में 65% से 75% अंक प्राप्त है तथा उनमें से कई छात्र अखिल भारतीय स्तर के मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं तथा 40% से अधिक अंक प्राप्त है।

अतः टी. एम. ए., झारखण्ड अनुसूचित जनजाति के छात्रों के हित में झारखण्ड प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता पर्षद में आदिवासियों का प्रतिधित्व सुनिश्चित करने, आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें दूसरे वर्गो में न बाँटने, प्रवेश परीक्षा का पेटर्न ऑवजेक्टिव टाइप करने तथा एम. सी. ई. के आलोक में एकरूपता की मांग, मुख्यमंत्री झारखण्ड सरकार से किया है, जिसकी प्रति महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड तथा माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, झारखण्ड के नाम है।

के0 बी0 हाई स्कूल, अड़की के प्रधानाध्यापक एवं अन्य शिक्षकों की लापरवाही से प्रभावित छात्र :-

दिनांक 13.8.87 ई0 से सामूहिक साक्षात्कार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार के0 बी0 हाई स्कूल, अड़की के प्रधानाध्यापक स्थानीय व्यक्ति है जिनका नाम सहदेव हजाम है। स्कूल के अन्य कई शिक्षक भी स्थानीय हैं। हाई स्कूल, अड़की में 90-95% मुण्डा आदिवासी छात्र अध्ययन करते हैं। छात्रों के अनुसार प्रधानाध्यापक की लापरवाही के कारण यहां पढ़ाई नहीं होती है। शिक्षक स्कूल आते हैं परन्तु वे स्टॉफ कमरे में बैठ कर गप्प करते हैं। स्कूल की समय तालिका के मुताबिक प्रतिदिन आठ घंटी की पढ़ाई होती है। छात्रों के अनुसार इस स्कूल से पिछले तीन-चार वर्षो से एक भी छात्र मैट्रिक में उत्तीर्ण नहीं हो रहा है। अतः अड़की हाई स्कूल के छात्रों का भविष्य अंधकार में है। इस बात की सूचना छात्रों ने जनवरी 1988 ई0 में उपायुक्त, रांची आर0 डी0 ओ0 रांची एवं एजुकेशन डाइरेक्टर, पटना को दी है। लेकिन किसी भी तरह का परिणाम नहीं निकला।

अतः आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों की कर्त्तव्यहीनता एवं लापरवाही के कारण भी आदिवासियों का शोषण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से हो रहा है। उपरोक्त विषय पर सूचना देने वाले छात्र निम्नांकित हैं :-

क्रमांक नाम	वर्ग	स्थायी पता		
		ग्राम	पो0	थाना
1. नोमी मुण्डा	10 वीं	बेड़ापाड़ा	मानकीडीह	अड़की
2. गणेश मुण्डा	"	गितिल बेडा	"	"

3. सोमा मुण्डा	8 वीं	कुड़ापूर्ति	सोयको	खुंटी
4. कालीनाथ मुण्डा	9 वीं	गोपालपुर	कोचासिंदरी	तमाड़
5. मुचीराय मुण्डा	8 वीं	बेडापाड़ा	मानकीडीह	अड़की
6. बुधु मुण्डा	"	"	"	"
7. मनसा मुण्डा	9 वीं	"	"	"
8. जयपाल सिंह मुंडा	"	गितिलबेड़ा	"	"
9. बिसम्बर मुण्डा	"	किताडीह	"	"
10. सेनाथ सिंह मुंडा	10 वीं	"	"	"
11. खुदीराय मुंडा	"	गितिलबेड़ा	बोरबंकी	अड़की
12. सुन्दर सिंह मुंडा	9 वीं	बांद्वगाडा	अड़की	"
13. सोमा मुण्डा	"	"	"	"
14. सुमन मुण्डा	8 वीं	कोरवा	बीरबांकी	अड़की
15. ठाकुरसिंह मुंडा	10 वीं	सोसोकुटी	बारूटोला	सिंदरी
16. पिंटू सिंह मुण्डा	6 वां	"	"	"
17. मेघनाथ मुण्डा	8 वीं	चाराडीह	सोयको खुंटी	
18. रोहिन सिंह मुंडा	8 वीं	बांदुगाडा	अड़की	अड़की
19. मंगल पूर्ति	9 वीं	पीड़ीटोला	सोयको	खुंटी
20. चमर सिंह मुंडा	6 वा	बारीनीगी	अड़की	केल
21. कोला मुण्डा	7 वीं	राःबोः	मानकीडीह	तमाड़

15 अध्याय

आदिवासियों एवं गैर आदिवासियों के बीच "साकी कुपूल" सम्बन्ध जोड़ना एवं साकी कुपूल का जनजातियों पर प्रभाव

सन् 1955-65 ई0 के आस-पास या उससे पहले से पंचपरगना क्षेत्र में सेठ-साहुकार, बणिया, कुरमी (महतो) एवं अन्य गैर जनजातियाँ, मुण्डा जनजातियों के साथ भाई-चारे की भावना एवं रिस्तेदारी की भावना पैदा करने के लिये "साकी कुपूल" सम्बन्ध स्थापित किये हैं जिसका मुण्डा जनजातियों पर बुरा प्रभाव पड़ा। सेठ-साहुकार एवं बणिया प्रायः वैसे व्यक्तियों के साथ साकी कुपूल जोड़ते थे जिसका जमीन-जायदाद ज्यादा हो या, जिसके माध्यम से कुछ फायदा उठा सकता हो। साकी कुपूल सम्बन्ध स्थापित होने के बाद कई बणिया (वांड़िया) जरूरत नहीं रहने पर भी मुण्डाओं से उधार-पेंचा के रूप में 50 रू0 100 रू0 तक लेते थे। उपरोक्त रकम को वे व्यापार के काम में लगा देते थे। अन्यथा अन्य व्यक्तियों को सूद पर दे देते थे। कुछ वणिया उपरोक्त रकम मुण्डाओं को पुनः नहीं लौटाते थे। रिस्तेदारी का भाव महसूस करते हुए वे (मुण्डा) भी इतने कम रकम को लौटाने का आग्रह नहीं करते थे। धीरे-धीरे जब घुल मिल जाते थे/हैं तो साहुकार या वणिया जरूरत पड़ने पर उधार पैंचा के रूप में पैसा खोजने में मदद करने की बात करते थे/हैं। संयोगवश जब कभी मुण्डाओं को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो साहुकार कहते थे "मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं अन्य मेरे रिस्तेदार से पैसा खोज कर ला दूंगा"। इतना ही नहीं? बल्कि वे कहते थे कि उपरोक्त रकम के बदले में जमीन-जायदाद बन्धक या जरपेशकी के रूप में मेरे ही नाम से लिया जाय चूंकि मेरा सम्बन्धी (मामा, फुफा, भगीना, बहन दामाद इत्यादि) दूर में रहता है।

अतः धीरे-धीरे मुण्डाओं का जमीन जायदाद उपरोक्त वणियां एवं साहुकारों के हाथों में आ जाता था। अतः आज "मुण्डारी खुंटकटी" का "बकास्त" जमीन भी साहुकारों के नाम से है जबकि सी0 एन0 टी0 एक्ट 1908 के अनुसार बकास्त जमीन का हस्तान्तरण किसी भी हालत में नहीं होता है, न केवल बकास्त जमीन बल्कि किसी भी किस्म से सम्बन्धित हक की जमीन का हस्तान्तरण गैर जनजातियों में "छोटानागपुर कास्तकारी कानून" के तहत नहीं होता है लेकिन विगत सर्वे से अब तक नाजायज ढंग से हस्तान्तरण हो ही रहा है।

नोट :- 1. साकी कुपूल = जब अलग जातियां कई औपचारिकताओं को पूरा करते हुए दो परिवार के दो सदस्यों के बीच सम्बन्ध स्थापित होता है जिसे साकी कुपूल कहते हैं।

कुरमी (महतो) लोगों का पॉलिसी वणियों से थोड़ा अलग है, हालांकि वे भी फायदा उठाने के लिये "साकी कुपूल" सम्बन्ध जोड़ने में पीछे नहीं रहते? ये भी चिकनी चुपड़ी बातों से मुण्डाओं को मोहित करते हैं, प्रणाम करते हैं एवं उन्हें खिलाने पिलाने में काफी रू0 खर्च करते हैं। इतना

ही नहीं? बल्कि इतना आदर सत्कार करते हैं कि मुण्डा प्रायः मेल-मोहब्बत के बन्धन में बुरी तरह फंस जाते हैं। वे कहते हैं कि यदि पैसों की जरूरत पड़े तो कहियेगा, मेरे पास तो धान नहीं है परन्तु मेरी बेटी का धान मेरे घर में है। अतः जरूरत पड़ने पर मुण्डा जनजातियां उधार पेंचा ले लेते हैं एवं वे भी उनके चंगुल में फंस जाते हैं। फलतः सारा पेड़-पौधा एवं जमीन समाप्त हो जाता है। वे मुण्डाओं को शादी-ब्याह इत्यादि में निमंत्रण करने का भी आग्रह करते हैं, संयोगवंश यदि निमंत्रण नहीं मिलता तो कहते हैं :-

"का मुंडा साहब, तोहरे तो हमरे के भूलाए गैला। तोहरे का हामरे के पूछबा, तोहरे तो बड़े लोक हेका" ("क्या मुण्डा साहब, आप तो मुझे भूल गये। आप क्या मुझे ख्याल करेंगे, आप तो बड़े आदमी हैं")।

यदि उन्हें निमंत्रण मिलता है तो वे काफी मदद करते हैं एवं बहुत पैसे खर्च करते हैं। इसी तरह से रोपनी के अवसर पर वे उनसे खेती-बारी से सम्बन्धित मदद लेने का भी आग्रह करते हैं। अतः आपस में दोनों परिवारों के बीच में सम्बन्ध निकट होता जाता है। हालांकि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इस तरह का सम्बन्ध सर्वोतम है परन्तु कुछ लेने के ख्याल से इस तरह के व्यवहार को शोषण करने के "पॉलिसी" शब्द से सम्बोधित किया जा सकता है। इस तरह के कई उदाहरणों में निम्नांकित का विवरण निम्नलिखित है :-

ग्राम रेलाडीह, बुण्डू, रांची निवासी हकलू साहू का विवरण :-

सूचनादाता मंगल किशोर मुण्डा, हकलू साहू एवं अन्य लोगों का साक्षात्कार लेने पर पता चलता है कि डोमा साहू के पिता हकलू साहू, ग्राम-तेलाई मार्चा, रेलाडीह ने "मुडा" के भाई अकलू मुण्डा के साथ साकी कुपूल सम्बन्ध जोड़ा। फलतः हकलू साहू का "खूंटकटी मुडा" परिवार के साथ सम्बन्ध स्थापित हो गया। अतः "मुडा" परिवार के लोग भी हकलू साहू को काफी निकट सम्बन्धी समझने लगे। धीरे-धीरे हकलू मुण्डाओं से 50-100 रू0 तक उधार पैंचा मांगने लगा एवं उपरोक्त रकम को वह अन्य लोगों के पास सूद पर देने लगा। हकलू साहू उपरोक्त रकम मुण्डाओं को नहीं लौटाता था। जमीन्दारी की भावना के कारण उनके साकी कुपूल भी इतने कम रकम उनसे लौटाने का आग्रह कैसे करते? धीरे-धीरे "मुडा" परिवार के लोगों को भी रूपयों की जरूरत होती थी। फलतः हकलू साहू रूपया खोज देने की बात करते थे एवं उन्हें उधार-पेंचा देते थे। अतः उनके खेतों को बन्धक, जरपेशकी के रूप में लेकर काफी फायदा उठाया।

इतना ही नहीं? बल्कि हकलू साहू ग्राम चिटूडीह, बुण्डू के मदन मुण्डा के परिवार के सदस्यों के साथ भी साकी कुपूल सम्बन्ध स्थापित किया। ये निम्नांकित परिवारों के साथ हुकूल साहू साकी कुपूल किये :-

क्रमांक	नाम, ग्राम एवं पूरा पता	पद	विवरण
1.	कीरटी भूषण मानकी ग्राम रेलाडीह, बुण्डू	माड़की या, मानकी (नोट - मानकी कई मौजों का प्रमुख या मलिक होता है)	हकलू साहू, मानकी खानदान से सम्बन्ध स्थापित करने के कारण खेत बन्धक, जरपेशकी के रूप में प्राप्त किया।

2.	अभिराम मुण्डा, ग्राम भइमाडीह, बुण्डू	मुडा (नोट - मुडा गांव का प्रमुख व्यक्ति या मालिक होता है जो गांव का देख-रेख एवं नियंत्रण करता है)।	जरपेशकी एवं भूभूत बंधक के रूप में खेत प्राप्त किया।
3.	गौरी मुण्डा ग्राम तेलाई माचां, बुण्डू।	"	"

अतः पंचपरगना क्षेत्र में साकी कुपूल सम्बन्ध जोड़ने के कारण भी कई मुण्डा परिवारों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। आज इस तरह का प्रचलन धीरे-धीरे कम हो रहा है। हालांकि इस तरह के सम्बन्ध के द्वारा अलग-अलग जातियों के बीच भाई-चारे की भावना पैदा होती है, परन्तु मुण्डा जनजातियाँ लाभान्वित नहीं हुई हैं बल्कि वे शोषित हुई हैं।

● ● ●

16 अध्याय

उपसंहार

पिछले अध्यायों द्वारा साफ पता चलता है कि सन् 1860-70 ई0 से लेकर अब तक पंचपरगना क्षेत्र की विशेषतः मुण्डा जनजातियां तरह-तरह से शोषित होती रही हैं। वे स्वभाव से सरल हैं, बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार उनमें "रंग ब्दलने" की कला का अभाव है एवं वे बाहरी दुनिया से अपरिचित हैं। फलतः अगल-बगल के लोगों के प्रभाव में आकर असमझदारी से उनका शोषण "स्वयं" होता है। हालांकि उनमें स्वतंत्र ढंग से सोचने-समझने की प्रवृत्ति है, कट्टरता है, सिद्धातंवादी हैं, एवं "बसुधैव कुटुम्बकम" की धारणा है।

उपरोक्त विशेषताओं के बावजूद वे धुमन्तु पाण्डाओं, छोटे पाइकारों, व्यापारियों एवं दलालों तथा बौद्धिक स्तर पर अप्रत्यक्ष रुप से नीति निर्धारण में परिर्वतन के द्वारा भी बुरी तरह फंस जाते हैं। अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले मुडा-मानकी या मुण्डा जनजातियां भौतिक (जमीन जायदाद एवं पेड़ का पौधों से प्राप्त धन) एवं अभौतिक सम्पत्ति (संस्कृति एवं अपनी मौलिक पहचान) खो रही हैं। फलतः उनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शोषण "स्वयं" की भूलों द्वारा भी हो रहा है। प्रायः हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख एवं ईसाई धर्मावलम्बियों में देखा जाता है कि धर्म से सम्बन्धित ईकाइयों की रक्षा स्वयं करते हैं या, सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है। हालांकि संविधान की धारा 15, 25 के अनुसार भारतवर्ष के सभी समुदाय एवं धर्म के लोगों की रक्षा समान रूप से सरकार करती है परन्तु किसी भी समुदाय के अधिकार की रक्षा तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि वह समाज जागरूक नहीं होता है। चूंकि सरकार एवं अलग-अलग समाज तथा वातावरण से सम्बन्धित लोग एक दूसरे की भावनाओं, अच्छाई एवं बुराइयों से अपरिचित रहते हैं। फलतः अपने समाज, रीति-रीवाजों एवं भावनाओं के अनुरुप अन्य समाज को भी परिसम्मिलित करना चाहते हैं या समायोजन किया जाता है। अतः उक्त समाज की अच्छी परम्पराएं विकसित नहीं हो पाती हैं बल्कि समाज टूट जाता है, बिखर जाता है एवं हमें उनका "तोड़-मरोड़" रूप ही देखने को मिलता है। इतना ही नहीं? बल्कि उक्त समाज के लोग चल-अचल सम्पत्ति से भी वंचित हो जाते है एवं अपना अधिकार या हक खो देते हैं। यही कारण है कि मुडा या, मुण्डा जनजातियां गांव में "ऊख ससांग" जैसी सांस्कृतिक पहचान को "बरकरार" न रखने के कारण भी उन्हें "खूंटकटी हक" से वंचित किया गया हैं। मुण्डा जनजातियां एवं मुण्डाओं के सम्पर्क में आने वाले लोगों का सांस्कृतिक-धार्मिक स्थल बुरू, उतूर, चाण्डी, सारना (सारना) इत्यादियों को "वन विभाग बिहार सरकार" या पड़ती जमीन, चारागाह और गैर मजरूआ आम के रूप में सर्वे में दर्ज किया गया है जिसे भूतपूर्व जमीन्दार, मुडा-मानकी, सम्बन्धित अधिकारियों एवं सरकार की लापरवाही ही कही जाएगी। चूंकि "गैर मजरूवा आम" जमीन को भी सी0 ओ0 'बन्दोबस्त"

कर देते हैं। खुंटकटी क्षेत्र में जंगल-पहाड़ पर वन विभाग बिहार सरकार कब्जा किया है जो सी0 एन0 टी0 एक्ट का उल्लघंन है। अतः वन सम्पदा से लोग वंचित हो गये हैं। उपरोक्त कारणों से शहर के अगल अगल की जनजातियों में सही व्यक्तित्व का विकास नहीं हो रहा है बल्कि उनमें "दासता" की भावना विकसित हो ही रही है जो देश के विकास के लिये खतरनाक सिद्ध हो सकती है।

कई मुण्डा कई वर्षो पहले जमीन्दारी की भावना से पीड़ित हो चुके हैं, फलतः वे सहोदर भाई को भी "हेय" दृष्टिकोण से देखते हैं एवं सम्पत्ति के बंटवारे में बहुत ही कम जमीन या कम हिस्सा देते हैं या, मात्र उनके भरण-पोषण के लिये देते हैं। फलतः कोर्ट में अनायास ही मुकदमा होते रहता है। पिछले अध्यायों द्वारा पता चलता है कि "बसुधैव कुटुम्बकम" की धारणा के कारण ही आसानी से इनके जमीन का हस्तान्तरण गैर जनजातियों में नाजायज ढंग से हुआ है। जब ज्यादती होने लगती है तो वे समय-समय पर विद्रोह करते हैं, शोषण के खिलाफ आवाज बुलन्द करते हैं। अतएव सन् 1800-1808 ई0 के आस-पास गांगो, तमाड़ निवासी दुखन साय मुण्डा सन् 1819-20 ई० रुदु मुण्डा-कोन्ता मुण्डा सन् 1831 ई० के आस पास सिंगराय मानकी-विंदराय मानकी तथा सन् 1895-1900 ई0 के आस-पास बिरसा मुण्डा ने देशी-विदेशी शोषकों एवं ताकतों के विरूद्ध आन्दोलन छेड़ा एवं अंग्रेजों को अपने 'दिसुम" (देश) से मार भगाने का प्रयत्न किया। जमीन्दारों, सेठ-साहूकारों, दलालों, गैर जनजातियों एवं सरकारी छोटे-बड़े कर्मचारियों से भयभीत होने के कारण ही मुण्डा जनजातियों ने उन्हें "दिकु" कहा। उनके अनुसार वे सभी लोग "दिकु" हैं जो बाहर से आये हैं एवं जिन्हें झूठ बोलने, ठगने, चापलूसी करने एवं दलाली करने की आदत है परन्तु आज साधारण बोल-चाल की भाषा में उन सभी लोगों को "दिकु" कहते हैं जो मुण्डारी नहीं बोलते है अर्थात् जो आदिवासी नहीं हैं एवं गोरे रंग के हैं। पंचपरगना क्षेत्र की कई मुण्डा जनजातियां "मुण्डारी" भाषा नहीं जानती हैं एवं कुछ लोग गोरे रंग के है, परन्तु वे भी गैर आदिवासियों के लिये "दिकु" शब्द का प्रयोग करती हैं। धीरे-धीरे "दिकु" शब्द का क्षेत्र व्यापक होते जा रहा हैं। फलतः कुछ लोगों के लिये "दिकु" शब्द का प्रयोग साधारण बोल-चाल में किया जाता है जबकि विशेष वर्ग के लोगों के लिये "दिकु" शब्द का प्रयोग जोरदार शब्दों या अर्थो में होता है जो शोषित करते हैं, झूठ बोलते हैं एवं दलाली करते हैं। आजकल दिकु शब्द का प्रयोग शोषण करने वालों के खिलाफ किया जा रहा है। अतः धीरे-धीरे "दिकु" शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थो में हो रहा है जिसे दूर करने पर सम्पूर्ण देश के लोग लाभान्वित होंगे।

पिछले कई अध्यायों (12, 13,) में मजदूरों के शोषण का जिक्र है, जबकि अन्य अध्यायों (8, 9, 10, 11, 14) में पाटीदारों, दलालों, ठीकेदारों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य लोगों द्वारा आदिवासियों के शोषण की बात कही गई है, जिसका मुख्य कारण हैं, आदिवासियों में जागरूकता की कमी एवं सही नेतृत्व का अभाव। सही नेतृत्व के अभाव के कारण (नेतृत्व करने वाले भी कम पढ़े-लिखे हैं एवं वर्तमान स्थिति से परिचित नहीं हैं) जनजातियां विशेषतः छोटे-छोटे घरेलू झगड़ों में ही सारा शक्ति बर्बाद कर देती हैं, मर-मिट जाती हैं एवं उनका दायरा सीमित हो जाता है। फलतः वे बड़े सेठ-साहूकारों तक नहीं पहुंच पाती हैं। धीरे-धीरे सरकारी कर्मचारियों की काली करतूतों से वे परिचित हो रही हैं परन्तु उनके विरूद्ध आवाज बुलन्द करने की कलाओं से परिचित नहीं हैं। यदि वे उनके विरूद्ध भी आवाज बुलन्द करती हैं तो कम पढ़े-लिखे एवं सीमित दायरो से परिचित होने के कारण आसानी से सरकारी पदाधिकारियों द्वारा खुश किये जाते हैं एवं उनका आन्दोलन धीमा पड़ने लगता है।

उनका आन्दोलन मात्र आपसी मतभेदों, भाई-भाई में जमीन का बंटवारा एवं गांव के

अगल-बगल के गैर आदिवासियों द्वारा नाजायज ढंग से जमीन कब्जा किये जाने तक ही सीमित रहता है। सन् 1975-1985 ई0 के आस-पास "कम्युनिस्ट पार्टी" के नाम से लोग संगठित हुए एवं आन्दोलन तेज हुआ। फलतः कई स्थानों पर मार-पीट हुई एवं लोग मर-मिट गये। सही नेतृत्व के अभाव में शोषण के खिलाफ आन्दोलन करने वाले कई अच्छे बुरे काम किये। फलतः उनके आन्दोलन से कई लोग आतंकित एवं शोषित हुए। अतः उसे दबाने के लिये अगल-बगल के उन्हीं के स्तर के लोगों का संगठन खड़ा हुआ, जिसे पंचपरगना क्षेत्र के लोग "सादा पार्टी' के नाम से जानते हैं जिनका झण्डा सादा होता था और होता है। "सादा पार्टी" के नाम से संगठित लोगों को कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित नेताओं एवं कार्य-कर्त्ताओं से सहायता मिलने लगी। अतः आपस में ही एक-दूसरे से बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर मार-पीट होने लगी एवं हत्याएं हुई। इस तरह के झगड़ों में विशेषतः "आदिवासियों" को ही फंसाया गया है जिनमें मुण्डा जनजातियां प्रमुख है। विशेषतः ऐसे मुकदमों में उन्हीं लोगों को फंसाया गया है जिनका जमीन "वापस" हो गया है अर्थात् जिन्हें अपने खोये हुए जमीन पर "दखल देहानी आर्डर" मिल चुका है। इस तरह के झगड़ों में उन लोगों को भी फंसाया गया है जो गांव से बाहर अन्यत्र रहते हैं/रहते थे एवं जिन्हें घटनाओं के बारे जानकारी नहीं थी।

अतः पंचपरगना क्षेत्र में है कि जनजातियों का शोषण भिन्न-भिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी माध्यमों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। इतना ही नहीं, बल्कि पूरे पंचपरगना क्षेत्र के लोगों में धीरे-धीरे "अवसरवादी" की संस्कृति विकसित हो रही है जो आदिवासियों - गैर आदिवासी एवं देश के लिये खरतनाक स्थिति पैदा हो सकती है। यहां के मिश्रित समाज एवं चालाक-चतुर लोग परिस्थिति के अनुसार रिश्वत देकर कॉलेज में, दफ्तरों में नौकरी करने लगते हैं एवं अन्य सही-गलत काम कराते हैं। फलतः जनजातियां इस दौड़ में भी काफी पीछे रह जाती है। अतः सरकार द्वारा आरक्षण का दावा निरर्थक सा लगता है। मुण्डा आदिवासी बाहुल्य होते हुए भी पंचपरगना किसान कॉलेज, बुण्डू में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर भी "मुण्डा" जनजातियों की संख्या नगण्य है। इसी तरह से नये स्थापित सलगाडीह कॉलेज (1984-85) तमाड़ में 1987 तक व्याख्याता, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर एक भी "मुण्डा" को नहीं लिया गया है। अतः जनजातियों का शोषण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है।

हालांकि पंचपरगना में मुण्डा जनजातियों के अतिरिक्त लोहरा, महली, उरांव एवं बिरहोर जैसी जनजातियां भी हैं परन्तु वे विशेषतः अमीन, सर्व से सम्बन्धित पदाधिकारी एवं सरकारी कर्मचारियों से ही प्रभावित हुई हैं। छिट-पुट रूप से बनिया एवं सेठ-साहूकारों का भी उनपर प्रभाव पड़ा है। उपरोक्त जनजातियों के पास ज्यादा-जमीन नहीं है एवं मुण्डाओं जैसा सामाजिक अस्तित्व नहीं है। फलतः मुण्डाओं जैसा उन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। वर्षो से (1975-80) "लोहरा" एवं "लोहार" पर सरकारी पदाधिकारी गुमराह हो रहे हैं। अतः मुण्डाओं के अगल-बगल रहने वाले अशिक्षित, गरीब "लोहरा" जनजातियां अ-समझदारी से "लोहार" लिखते हैं। फलतः जनजातीय सुविधा से वंचित हो जाती हैं। सेठ-साहूकारों द्वारा "लोहार" जनजातियों की जमीन हड़पने की जब बात होती है तो पैसे के बल पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा "लोहार" बना दिये जाते है। अतः "लोहरा" जनजातियों की स्थिति दयनीय हैं।

आज पंचपरगना की जनजातियों की तरह अन्य क्षेत्र की जनजातियों एवं गैर जनजातियों का भी बड़े तथा ऊपर स्तर में बौद्धिक, सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक तौर पर सरकार, सरकारी कर्मचारियों एवं राजनैतिक नेताओं द्वारा उपेक्षा होती है। फलतः "आन्दोलन" होता है।

जनजातियों में शोषण से सम्बन्धित समस्याओं एवं घटनाओं को देखते हुए उनके समाधान के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं :-

सामाजिक दृष्टिकोण से नाछनी एवं खवासीन के बेटों को निम्न समझा जाता है जिसके कारण उनके बेटों को सम्पत्ति के बंटवारे में बराबर हिस्सा नहीं मिलता है। इस तरह की भावना एवं व्यवस्था को जड़-मूल से समाप्त करने के लिये सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है ताकि आने वाले पीढ़ी में फिर से नाछनी एवं खवासीन रखने की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके साथ-साथ नाछनी एवं खवासीन के बेटों को सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से मुण्डा परम्परा के अनुसार "पाहान" एवं कुटुम्ब-बन्धुओं को भोज खिला कर या अन्य प्रकार से पवित्र किया जाय ताकि उनका स्तर बिहालु पत्नी के बेटों के बराबर हो एवं उनमें व्याप्त हीन भावना दूर हो। इस कार्य के लिये पढ़े-लिखे नौजवानों को अहम् भूमिका निभानी चाहिए। खुंटकटीदार मुडा-मानकी, जमीदार की भावना के कारण शोषित पीड़ित लोगों की समस्याओं, बदले की भावना से पीड़ित लोगों की समस्याओं तथा बदले की भावना से पीड़ित खुंटकटी मुडा-मानकी एवं कथित जमीदार की समस्याओं को दूर करने के लिये उन्हें खूंटकटी "हक" की वास्तविकता से परिचित कराना चाहिए ताकि लोग खुंटकटी का अर्थ समझें एवं उनमें बाह्य प्रभाव के कारण सामाजिक दूरी की जो भावना है, वह कम किया जा सके एवं दूर हो। इस कार्य के लिये सरकार की ओर से अन्यथा गैर सरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं की ओर से वकील एवं जज बुलाया जाय एवं उनका व्याख्यान गांव में हो।

जनजातीय समाज को अन्ध विश्वास एवं रूढ़िवादी विचार-धाराओं से मुक्त करने के लिये उन्हें वास्तविकता से ज्ञात कराने की जरूरत है ताकि वे तथ्यों एवं कार्य-कारणों के प्रभाव को समझें। इस कार्य के लिये उपरोक्त समाज के इच्छुक, शिक्षित एवं जागरूक सदस्यों के प्रतिनिधित्व में डाक्टरों की सलाह ली जानी चाहिए ताकि लोगों में विश्वास पैदा की जा सके। इस तरह से आदिवासी समाज में डायन-युगीन एवं ओझा-गुणी की भावना के कारण शोषित आदिवासियों की समस्याओं को दूर की जा सकती है। नाजायज ढंग से जमीन के हस्तान्नतरण को रोकने के लिये प्रत्येक परिवार की वंशावली कोर्ट में जमा करने की नियमावली लागू की जानी चाहिए ताकि प्रत्येक गांव के प्रत्येक परिवार के सदस्यों का लिखित रेकार्ड, कोर्ट में उपलब्ध हो। लिखित वंशावली के द्वारा आदिवासियों को अपनी जमीन बचाने में बल मिलेगा। जमीन बेचने वाले एवं खरीदने वाले व्यक्ति का फोटो रजिस्ट्री डीड में साटना चाहिए तथा रेकार्ड कार्यालय में दोनों व्यक्तियों का फोटो जमा करने की परम्परा लागू की जानी चाहिए। इससे जनजातियों के नाम से नाजायज ढंग से जमीन खरीदने की संस्कृति को रोका जा सकता है। इतना ही नहीं? बल्कि सरकार के कल्याण विभाग की ओर से प्रति वर्ष जमीन के खरीद-बिक्री से सम्बन्धित लोगों, सच्चे समाज सेवी एवं जागरूक आदिवासियों की विचार गोष्ठी आयोजित की जानी चाहिए जिससे नाजायज ढंग से जमीन का व्यापार करने वालों का मनोबल टूट जाएगा एवं आदिवासियों को व्यवहारिक एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से न्याय दिलाया जा सकता है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुरूप "मुण्डारी खुंटकटी" हक फिर से मुण्डा आदिवासियों को लौटाया जाय। सरकार की ओर से निष्पक्ष ढंग से "मुण्डारी खुंटकटी" गांवों एवं मौजों का सर्वे किया जाय ताकि मुण्डाओं के नाम से नाजायज तरीके से जमीन हथियाने वाले गैर जनजातियों का पर्दाफाश हो। इस कार्य के लिये विवाह एवं रक्त सम्बन्ध पर आधारित नातेदारी व्यवस्था का सहारा लिया जा सकता है। नातेदारी व्यवस्था द्वारा

यह प्रमाणित होगा कि वास्तव में "खुंटकटी हक" सही व्यक्ति को उपलब्ध है या कोई अन्यायी व्यक्ति अनपढ़ मुण्डाओं के मजबूरी का फायदा उठाकर खूंटकटी "मुडा" बन बैठा है। मुण्डारी खूंटकटी एवं भूंइहरी इलाकों में यदि बिहार सरकार, झारखण्ड की ओर से वृक्ष रोपण का कार्य किया जाता है तो मात्र वन विभाग बिहार सरकार, झारखण्ड सरकार न लिख कर "मुण्डारी खुंटकटी एवं भूइहरी इलाकों में वन विभाग की ओर से वृक्ष रोपण का कार्य" लिखा जाना चाहिए जिससे जनजातियों के अधिकार को बचाया जा सकता है। दलालों एवं पैसों के बल पर पदाधिकारियों द्वारा पक्षपात करने के कारण आदिवासी "हक" खोने वालों को रक्त सम्बन्ध एवं विवाह पर आधारित नातेदारी द्वारा पुनः आदिवासी "हक" प्राप्त हो जबकि गलत ढंग से आदिवासी बनने वालों को नातेदारी व्यवस्था, संस्कृति, धर्म, भाषा एवं प्रजाति के आधार पर अस्वीकृत कर दिया जाय। आदिवासियों के सरना, बुरू, ऊख ससांग, चण्डी, उतुर, यात्रा इत्यादि सांस्कृतिक -धार्मिक महत्वपूर्ण स्थानों को जागरूक व्यक्तियों एवं सरकार द्वारा दृढ़ता से बचाया जाय। इस कार्य के लिये निष्पक्ष ढंग से सरकार को कठोर से कठोर कदम उठानी चाहिए। अनपढ़ एवं असमझदार जनजातीय महिलाओं से शादी करके उनके माध्यम से जमीन खरीदने के प्रचलन को रोका जाय। स्कूल-कॉलेज खोलने के लिये पांच-दस एकड़ या उससे अधिक भूमि दान देने वाले आदिवासियों के नाम से स्कूल-कॉलेज का नामकरण हो ताकि उनके योगदान एवं सहयोग का आभास आने वाले पीढ़ी के लोगों को हो। ऐसा करने पर जनजातियों के सहयोग से सम्बन्धित इतिहास को जीवित रखा जा सकता है एवं उनके अस्तित्व को बचाया जा सकता है। इतना ही नहीं? बल्कि जमीन दान देने वाले परिवार के कम से कम एक दो सदस्य को नौकरी दी जाय।

अमीन, कानूनगों एवं अन्य सर्वे से सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा शोषित होने से बचाने के लिये प्रत्येक अलग-अलग गांव में ग्रामीणों द्वारा बैठक बुलाई जानी चाहिए एवं उपरोक्त बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय ली जाय कि उनके गांव में सर्वे किस आधार पर हो। उपरोक्त बैठक में सम्बन्धित विशेषज्ञ, बुद्धिजीवी एवं समाज सेवियों का रहना अनिवार्य है ताकि धूर्त एवं चालाक व्यक्तियों के तिकड़म को समझा जा सके।

"टैंगा मुण्डा संघ" के नाम से शोषित आदिवासियों की समस्याओं को दूर करने के लिये व्यवहारिक मानव वैज्ञानिकों के नेतृत्व में सम्बन्धित समाज के लागों की बैठक बुलाई जानी चाहिए ताकि उपरोक्त समस्याओं पर बातचीत हो, वाद-विवाद हो एवं सच्चाई सामने आए। ऐसा करने पर ऐसे संगठनों के अच्छे बुरे प्रयास के प्रतिफल को लोग समझेंगे। समय-समय पर उपरोक्त प्रकार के संधों का सर्वेक्षण सरकार द्वारा हो जिसमें पत्रकारों की मौजूदगी, अनिवार्य किया जाय।

मजदूरों को शोषण से मुक्त कराने के लिये उन्हें अपने अधिकारों से पूर्ण रूपेण अवगत कराना चाहिए जिसमें काम करने के घण्टों, मजदूरी दर एवं अन्यान्य बातों से भी उन्हें परिचित कराया जाय। जगह-जगह पर मजदूरी दर का लिखित पर्चा फोटो के साथ टांग देना चाहिए। मजदूरों के प्रवास अर्थात् माइग्रेसन को दृढ़ता से रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए एवं अपने ही मुल्क में ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया जाय। यदि काम करने के लिये मजदूरों को शहर भेजा जाता है तो कानूनन ढंग से नजदीकी नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन हो तथा उन्हें चिकित्सा, आवास तथा सुविधाओं और प्रावधानों से परिचित कराया जाय। मजदूरी रकम का भुगतान बैंकों के माध्यम से हो। जब वे कमा कर घर लौटने लगें तो उन्हें बैंक ड्राफ्ट दिये जायें ताकि घर पैसा ला सकें। उन्हें बैंक में पैसा रखने, बैंक ड्राफ्ट भंजाने के तरीकों से भी पूर्ण परिचित कराया जाय।

छोटे-छोटे प्राइवेट फैक्ट्री तथा उद्योगों में मजदूरों का नाम छः छः महीने पर बदलने की प्रक्रिया को रोका जाय। इस कार्य के लिये प्रशिक्षण प्राप्त जनता, राजनीतिज्ञ, पदाधिकारी एवं समाज सेवियों का समिति बना कर समय-समय पर फैक्ट्री तथा उद्योगों का निरीक्षण, परीक्षण तथा अवलोकन हो जिससे उद्योगों की खामियों का पता चल सके। तभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। पहाड़-पर्वतों, पिछड़े एवं दुर्गम क्षेत्रों की जनजातियां छोटे-छोटे पाईकारों, दलालों, पाटीदारों तथा अन्य लोगों द्वारा भी शोषित होती है। जिसका मुख्य कारण बाहरी दुनिया से परिचित न होना है। इस प्रकार की समस्याओं को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत सच्चाई से उन्हें अवगत करा कर दूर की जा सकती है। प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित स्कूलों में उन्हें ऐसे समस्याओं से बचने के लिये एक जुट होकर संघर्ष करने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। विभिन्न सरकारी सुविधाओं को निश्चित एवं निर्धारित समय के अनुसार आदिवासियों को दिया जाय, तभी उन्हें शोषित होने से मुक्त किया जा सकता है। पैसे तथा अन्य सुविधाओं का भुगतान समय पर निश्चित रकम में हो। इसके अतिरिक्त सरकारी कार्यालयों में सम्बन्धित आदिवासियों तथा अन्य लोगों का कोई भी काम निश्चित अवधि के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित निश्चित समय के अनुसार हो। दलालों के माध्यम से सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ सम्पर्क करने की परम्परा को दृढ़ता से रोका जाय। आदिवासियों के भलाई के लिये दी जाने वाली सुविधाओं को "मुहैया" कराने के बाद सरकार की ओर से विश्वविद्यालय अन्यथा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से अनुसंधान एवं सर्वेक्षण करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तत्पश्चात् अनुसंधान द्वारा प्राप्त विभिन्न तथ्यों का प्रकाशन शीघ्र हो और प्रकाशित पुस्तक का एक-एक प्रति उच्चतम पदाधिकारियों एवं सम्बन्धित मंत्रालय को दिया जाय। इस तरह की प्रक्रिया द्वारा आदिवासियों के शोषण को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। छोटे-छोटे घरेलू मतभेदों, लड़ाई-झगड़ा इत्यादि का निपटारा गांव में ही हो। इसके लिये सरकार को हर तरह से ग्रामीणों को प्रोत्सहित करने की जरूरत है। ऐसा करने पर ग्रामीण व्यवस्था को एक इकाई के रूप में मजबूत किया जा सकता है, भाई-चारे की भावना को बढ़ावा मिल सकता है एवं गांव के लोगों को न्याय मिल सकता है। उपरोक्त प्रकार की व्यवस्था द्वारा ग्रामीण जनता वर्तमान भ्रष्ट पदाधिकारियों के चंगुल से बच जाएगें।

ग्रामीण स्तर पर "ग्रामीण बैंक" खोलने के लिये ग्रामीणों को प्रेरित एवं प्रोत्सहित करने की जरूरत है जिसमें पदाधिकारियों को ग्रामीण जनता स्वंय चुनेगें एवं पूंजी की व्यवस्था गांव के लोग मिल-जुल कर करेंगे। ग्रामीण बैंक रहने पर गांव के लोग सेठ-साहूकार, बनिया एवं दलालों के चंगुल से मुक्त हो जायेगे एवं आपात स्थिति में भी धन का सदुपयोग कर सकते हैं।

जनजातीय क्षेत्र में पदस्थापित ईमानदार, कर्मठ, इच्छुक एवं लगनशील पदाधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक काम करने का अवसर दिया जाय ताकि जनजातियों की इच्छा एवं समस्याओं को समझें और रहन-सहन, संस्कृति, धर्म इत्यादि को समझने का अवसर उन्हें प्राप्त हो। प्रायः देखा जाता है कि आदिवासी इलाके में ईमानदारी एवं सच्चाई से काम करने वाले पदाधिकारियों को जल्द स्थानान्तरित किया जाता है जबकि भ्रष्ट अधिकारियों को ज्यादा वर्षो तक काम करने का अवसर मिलता है। अतः इस प्रकार की व्यवस्था को दृढ़ता से रोका जाय और ईमानदार एवं कर्मठ आइ0 ए0 एस0 पदाधिकारियों को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कम से कम छः वर्ष तक काम करने का मौका दिया जाय।

अलग-अलग पार्टी से सम्बन्धित राजनैतिक नेता प्रायः अपने क्षेत्र के विकास के लिये स्वतंत्र

ढंग से आवाज बुलन्द नहीं करते हैं। चूंकि पार्टी के अनुशासन के नाम पर वे बन्धे हुए हैं अन्यथा पार्टी उच्च कमान के अनुशासन की सही जानकारी उन्हें नहीं है। फलतः पार्टी से निकाल दिये जाने के डर से वे अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को भी विधान सभा एवं संसद भवन में प्रस्तुत नहीं करते हैं। राजनैतिक नेता प्रायः टिकट लेने एवं मंत्री का पद पाने के स्वार्थ के कारण भी अपने क्षेत्र तथा अपने लोगों के लिये आवाज नहीं उठा रहें हैं। इस क्षेत्र के आदिवासी नेता भी अलग अलग पार्टी से सम्बन्धित रहने के कारण सामान्य समस्या के समाधान के लिये एक साथ नहीं उठते-बैठते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र का सही विकास सम्भव नहीं हो रहा है। प्रायः अलग-अलग पार्टी से सम्बन्धित आदिवासी-गैर आदिवासी नेता असमझदारी के कारण अन्यथा अलग-अलग पार्टी की सांस्कृतिक कमियों के कारण सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक मंच पर भी एकजुट नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण स्तर के अलग-अलग पार्टी से सम्बन्धित अनुयायिओं में सामाजिक दूरी महसूस करना स्वाभिक है। अतः छोटी-छोटी बातों को लेकर समस्या सुलझने के बजाय उलझती है। उपरोक्त कमियों को देखते हुए अलग-अलग पार्टी के राजनैतिक नेताओं को सामाजिक-सांस्कृतिक बैठकों में शामिल होने की जरूरत है एवं समाज के कल्याण के लिये मिल-जुलकर निर्णय लेने एवं सहयोग करने की जरूरत है। इससे ग्रामीण स्तर के लोगों एवं इस क्षेत्र के लिये विकास कार्यो को तेजी से लागू की जा सकती है।

पिछड़ी हुई आदिवासी कही जाने वाली जातियों को स्वतंन्त्र ढंग से निर्भीक होकर ज्यादा से ज्यादा काम करने का अवसर देना चाहिए ताकि उनके अनुरूप काम करने का वातावरण बने एवं उनका कल्याण ज्यादा से ज्यादा हो। अनपढ़, गंवार आदिवासियों में शहरों के चकाचौंध एवं बड़े महलों को देखकर डरने की भावना को दूर की जानी चाहिए। जज, मजिस्ट्रेट, वकील, डाक्टर एवं छोटे-बड़े सरकारी कर्मचारियों को भगवान एवं न्याय की मूर्ति समझने की जो भावना आदिवासियों में है, उसे बरकरार रखने की जरूरत है। इस कार्य के लिये उपरोक्त सम्बन्धित लोगों को विशेष ढंग से प्रशिक्षित करने की जरूरत है अन्यथा आदिवासियों को वर्तमान स्थिति से अवगत करानी चाहिए तभी उनका सही विकास हो सकता है।

छोटानागपुर एवं संथाल परगना में विभिन्न सरकारी सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों को जनजातीय भाषा से परिचित होना अत्यावश्यक है। इस कार्य के लिये सरकार को मात्र औपचारिकता नहीं निभानी है बल्कि व्यवहारिकता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस कार्य के लिये सरकार की ओर से प्रशिक्षण स्कूल खोलने की जरूरत है एवं उपरोक्त स्कूलों में जनजातीय भाषा के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए। पूजा-पाठ के नाम पर शोषित आदिवासियों की समस्याओं को दूर करने के लिये जनजातीय पुरोहितों (देवरी, पाहान, बैगा, नायको) की सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से रक्षा की जानी चाहिए। सरकार की ओर से भी जनजातीय पुरोहितों के हितों की रक्षा दृढ़ता से करनी चाहिए तभी उनके अस्तित्व को बचाया जा सकता है एवं जनजातीय समाज का विकास स्वतंत्र ढंग से हो सकता है। उपरोक्त बातों के अलावा मनुष्य को शोषित करने की प्रवृत्ति को देखते हुए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की जरूरत है :-

शिक्षा का प्रचार प्रसार :

आज के युग में आदिवासियों - गैर आदिवासियों के शिक्षा-दीक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है ताकि वह अपने बारे में सोचें, समझें एवं एक दूसरे को पहचानें। हमारे विकासशील देश में जनजातियां विशेषतः अभी भी प्रारम्भिक अर्थात् प्राचीन अवस्था में हैं। फलतः

उनका समाज प्राचीन साम्यवादी परम्पराओं के आधार पर व्यवस्थित है। फलतः नदी, जंगल, पहाड़-पर्वत इत्यादियों का उपयोग सभी समान रूप से करते हैं एवं उनमें गैर-जनजातियों की तुलना में "बसुधैव कुटुम्बकम" की धारणा है। अतः नये भाग-दौड़ में अपने सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण पीछे रह जाती हैं जबकि गैर जनजातियां विकास के मध्यम चरण में हैं अतः भौतिक सुखों का आनन्द लेते हुए आगे बढ़ना चाहती हैं। फलतः जल्दी से जल्दी धन कमाना चाहती हैं, आगे बढ़ती हैं। अतः उनमें व्यक्तिवादी व्यक्तित्व उभरने लगता है। फलतः कई लोग उनके चपेट में आ जाते हैं। इस कमी को शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं सही जागृति पैदा करके कम की जा सकती है।

ग्रामीण अच्छी प्रथाओं एवं परम्पराओं को विकसित एवं प्रोत्साहित करना :-

प्रायः देखा जाता है कि न केवल पंचपरगना में बल्कि सभी जनजातीय क्षेत्र में पारम्परिक ढंग से चली आ रही व्यवस्थाओं के द्वारा गांव के सदस्यों को नियंत्रित किया जाता है। उपरोक्त नियमों के उल्लघंन करने वाले को सामाजिक दण्ड दी जाती है। फलतः समाज के लोग सुख-शान्ति से रहते हैं। अतः पुराने व्यवस्थाओं में मात्र संशोधन की जरूरत है ताकि सरकारी भ्रष्ट तंत्रों से छुटकारा मिले एवं लोग शोषण से बचें। इतना ही नहीं? बल्कि उनमें सहयोग की भावना जागृत हो एवं उनकी समस्याएं घर-गांव में ही दूर की जा सके।

सरकारी कर्मचारियों में नैतिकता का विकास :

वर्तमान स्थिति के अनुसार "सरकारी कर्मचारियों" में नैतिक गुणों के विकास के लिये प्रोत्सहित करने की जरूरत है ताकि वे दीन-हीन जनता को निष्पक्ष न्याय दिला सकें एवं उन्हें सही मार्ग दर्शन करें अन्यथा ईमानदार, सरल, छल-कपट की दुनिया से अपरिचित लोगों की मदद नहीं की जा सकती है एवं सरकारी कर्मचारियों के प्रति "घृणित भावना" के विकास को रोका नहीं जा सकता है।

अतः पंचपरगना की जनजातियों को भी तदैव मदद की जा सकती हैं एवं उनका सही मार्ग दर्शन एवं विकास हो सकता है।

सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता :

आदिवासियों तथा गैर-आदिवासियों को व्यवस्थित एवं उनमें परस्पर सहयोग तथा भाई-चारे की भावना विकसित करने के लिये सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। इसके माध्यम से ही अलग-अलग राजनीतिज्ञों के प्रभाव के कारण आम जनता में सामाजिक दूरी की भावना को समाप्त की जा सकती है। सामाजिक दूरी की भावना की समाप्ति पर ही वे सरकारी कर्मचारियों का निर्देशन एवं मार्ग दर्शन कर सकते हैं। अतः सरकारी कर्मचारियों में भी शोषण करने की प्रवृत्ति का अन्त धीरे-धीरे स्वतः होगा। अतः आज हर स्तर पर सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के माध्यम से भी शोषण जैसी समस्याओं को कम किया जा सकता है एवं देश को विकास करने में मदद मिल सकती है।

● ● ●

शब्दावली

शब्द	शब्दार्थ
बासन दान	शादी-ब्याह, श्राद्ध कर्म एवं अन्य अवसर पर ब्राहमण पूजा-पाठ के क्रम में दान स्वरूप काँसे का बर्तन लेता है जिसे "बासन दान" कहते हैं।
मद्रासी लोन	मद्रास से आये सूदखोरों द्वारा सूद दर 10 रू० का 7 दिन में 2 रू0 50 पैसा है। समय पर सूद-मूल चुकता नहीं करने से प्रति सप्ताह 50 पैसा या एक रूपया फाइन लगता है।
डेढ़िया सूद	बुनाई-रोपाई, निकोनी एवं अन्य अवसर (मार्च से सितम्बर) पर कर्ज स्वरूप एक मन धान लेने पर अगहन महीने (दिसम्बर-जनवरी) में डेढ़ मन धान लौटाना पड़ता है जिसे डेढ़िया सूद कहते हैं। यह चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ता जाता है।
दबड़ा सूद	एक मन धान कर्ज लेने पर अगहन महीने (दिसम्बर) में दो मन धान लौटाना पड़ता है जिसे दबड़ा सूद कहते हैं। यह प्रति वर्ष चक्रवृद्धि के हिसाब से बढ़ता है।
दो पैला सूद	इसमें कर्ज के रूप में रूपया लिया जाता है। प्रति रू० दो पैला (डेढ़ कि0) धान सूद के हिसाब से मूल-सूद समेत चुकता करना पड़ता है। यह चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ता जाता है।
गहना बन्धक	गहना अर्थात् सोने के आभूषण को सूदखोरों के पास प्रति रू० प्रति महीना 6 पैसा सूद के हिसाब से बन्धक देकर पैसा कर्ज लिया जाता है जिसे गहना बन्धक कहते हैं।
खुंटकटीदार	खूंट अर्थात् वंश के सभी मूल निवासी जिन्होंने अर्थात् जिनके पूर्वजों ने जंगल को काटकर एवं जमीन को कोड़कर खेंत बनाया है जो अपने जमीन का स्वंय मालिक है, फलतः उनके जमीन का हस्तान्तारण गैर मुण्डाओं एवं दूसरे खुँट के मुण्डाओं में भी नहीं हो सक्ता है तथा उपरोक्त खूंट से

संबंधित लोगों का जी0टी0 अर्थात् कुर्सीनामा या, वंशावली के अनुसार जमीन-जायदाद, पहाड़-पर्वत एवं प्राकृतिक सम्पत्ति पर बराबर का अधिकार है परन्तु वे एक दूसरे के हितो का परवाह किये बिना बेच नहीं सकते हैं। **नोट** :- छोटानागपुर में 'खुंटकटी' हक केवल मुण्डाओं को है। हालांकि आज अपवाद के रूप में गैर जनजातियों में भी हो सकता है। परन्तु प्रथम केडेस्ट्रल सर्वे (सन् 1905) या द्वितीय रिवीजनल सर्वे (1930-1940 ई०) में पदाधिकारियों द्वारा गड़बड़ी करने के कारण एवं मुण्डाओं की लापरवाही या जागरूकता की कमी के कारण ऐसा हुआ है अर्थात् प्रत्येक "गैर जनजातीय खूंटकटीदार" के पीछे एक कहानी है जिन्हें मुण्डाओं से नाजायज ढंग से प्राप्त है या, मुण्डाओं के नाम से प्राप्त है।

खवासीन — घरेलूकार्यो में व्यस्तता के कारण या, अन्य कारण से निम्न जाति समझी जाने वाली लड़की या औरत को पत्नी बनाना। **नोट** :- हिन्दुओं के प्रभाव में आने के कारण खवासीन मुण्डा जनजाति की लड़की या औरत भी हो सकती है, चूंकि लड़की या औरत या उनके परिवार के लोगों को सामाजिक या आर्थिक या व्यक्तिगत कारणों से निम्न समझा जाता है.

नाछनी — हिन्दू राजा-महाराजाओं एवं जमीन्दारों के प्रभाव में आने के कारण आमोद-प्रमोद या मनोरंजन करने के ख्याल से निम्न जाति कही जाने वाली जातियों की लड़की या औरतों को रखना जिसे नाछनी कहा जाता है।
नोट :- अपवाद के रूप में मुण्डा जाति की बदचलन लड़की या औरत को रखा जाता है।

बिहालू पत्नी — सामाजिक रीति-रीवाजों के अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित की जाने वाली पत्नी।

ली मानकी — मुण्डा जनजाति का सदस्य जो कई गांवों या मौजों का मालिक होता है।
नोट :- मानकी गांव का देखभाल एवं नियंत्रण

करता है तथा गांव के लोगों का सर्वसम्मति से न्याय करता है या न्याय-अन्याय को ध्यान में रखते हुए दोषीदार को दण्डित करता है। मानकी साम्यवादी विचार-धाराओं के अनुरूप अन्य मुण्डाओं के बराबर होता है। परन्तु हिन्दुओं के प्रभाव में आकर अपने को उच्च समझते हैं जो मानकी का आदर्श नहीं है।

मुडा	मुण्डा जनजाति का सदस्य।
मुडा	मुण्डा जनजाति का सदस्य जो एक गांव का मालिक होता है। नोट :- मुडा गांव का देखभाल एवं नियंत्रण करता है तथा गांव के लोगों की सर्वसम्मति से न्याय करता है या न्याय-अन्याय को ध्यान में रखते हुए दोषीदार को दण्डित करता है परन्तु सभी दृष्टिकोण से अन्य मुण्डाओं के बराबर होता है। आज हिन्दुओं के प्रभाव में आने के कारण मुडा स्वंय को अपने भाइयों एवं अन्य मुण्डाओं से उच्च समझते हैं जो ''मुडा'' का आदर्श नहीं है।
बन्धक	पैसों की जरूरत पड़ने पर खेत को सात वर्षो या एग्रीमेंट के आधार पर निश्चित समय तक कर्ज देने वाले व्यक्ति को खेती करने के लिये दिया जाता है जिसे बन्धक कहते हैं।
सात काठ पड़न	लगभग पांच एकड़ जमीन।
पार्टीशन	बंटवारे में हिस्सा प्राप्त करने के लिये अदालत में मुकदमा करना।
डाइन	Witchcraft (बीच क्राफ्ट)।
युगीन	प्रेत।
भुताहा	वह प्राकृतिक या कृत्रिम बांध, नदी स्थान या अन्य वस्तु जहां प्रेतात्मा निवास करती है जिसके प्रभाव से कोई घटना घटती है।
चावली जांग	अरवा चावल या, भूत या, बोंगा के दुष्प्रभाव से बचने के लिये ओझा के पास अरवा चावल, सिन्दुर एवं अन्य पूजा का सामान ले जाना।
सोना का टिक्ली	सोने का छोटा मोहर जिसका वजन 1/4 तोला होता है।

चांदी की टिकली	चांदी का छोटा मोहर जिसका वजन 1/4 तोला होता है।
जरपेशकी	जरूरतमन्द व्यक्ति को मौखिक या, लिखित एग्रीमेंट के आधार पर पैसा देना एवं बदले में उपरोक्त व्यक्ति के खेत पर तब तक खेती करना जब तक कि वह पैसा नहीं लौटाता है। नोट :- जरपेशकी में प्रायः देखा जाता है कि 40-50 वर्षों के बाद जन-जातियों के वंशज भूल जाती हैं कि उनकी कौन सी जमीन थी।
देवान	मध्यस्थता का काम करने वाला व्यक्ति।
गैर मजरूवा खास	वैसी पड़ती भूमि या बंजर भूमि जो किसी व्यक्ति विशेष का है।
लगान	कर।
दावली	लकड़ी या सब्जी इत्यादि काटने का कटारी।
लेडरा	मछली काटने के लिये लेडरा।

BIBLIOGRAPHY

1-	Sunday, 1989	:	Bihari Slaves in Punjab, Calcutta-700001, 18 May
2-	Sunday, 1980	:	Adivasis duped, Calcutta-700001, 25 May.
3-	Sunday, 1980	:	The Mandai Massacre, Calcutta-700001, 15 June.
4-	Sunday, 1980	:	Biharis tortured tribes, Calcutta 700001, 20 July.
5-	Sunday, 1980	:	The Slave children of Mandsour, Calcutta-700001, 14 December.
6-	Sunday, 1981	:	Bonded Labour of the Asian Games, Calcutta-700001, 20 September.
7-	Sunday, 1981	:	Starving labour on a CM's land, Calcutta-700001, 8 November.
8-	Sunday, 1981	:	A money lender's rates, Calcutta-700001, 20 November.
9-	The Sunday Indian Nation, 1981	:	Bihar to set up rescue squads for migrant labour, Patna, 15 March.
10-	The Sunday Indian Nation, 1981	:	7 Bonded labourers freed : 2 held, Patna, 25 May.
11-	The Statesman 1981	:	14 Haryana, Bonded labours free, Calcutta, 14 August.
12-	The Sunday Indian Nation, 1981	:	Govt. to keep watch on Bihar labours in Punjab, Haryana, Patna, 10 June.

1.	रांची एक्सप्रेस, 1979	:-	साढ़े पांच लाख रू0 की छात्रवृत्ति के गबन का आरोप, रांची, 27 अप्रैल
2.	रांची एक्सप्रेस, 1980	:-	हर वर्ष आदिवासी महिला श्रमिक कहाँ गुम हो जाता है, रांची, 3 अप्रैल।
3.	रांची एक्सप्रेस, 1980	:-	रांची जिले के शोषित आदिवासी श्रमिक त्रिपुरा से वापस लाऐ गए, रांची, 8 अप्रैल।
4.	रांची एक्सप्रेस, 1980	:-	आदिवासी लड़कों के अपहरण में अन्तर्लिप्त दो व्यक्ति गिरफ्तार राँची, 19 अप्रैल।
5.	रांची एक्सप्रेस, 1980	:-	आदिवासी श्रमिको का पलायन, रांची, 19 जून।
6.	रांची एक्सप्रेस, 1980	:-	बन्धुवा मजदूरों के छः मालिकों को सजा, रांची, 28 जुलाई।
7.	रांची एक्सप्रेस, 1981	:-	अरब के व्यापारियों द्वारा भारतीय युवतियों का शोषण, रांची, 7 जनवरी।
8.	रांची एक्सप्रेस, 1981	:-	पूरा गांव आज भी बंधुवा, रांची, 17 मार्च।
9.	रांची एक्सप्रेस, 1981	:-	नारी उत्पीड़न का भयावह सिलसिला, रांची, 6 जुलाई।

10. रांची एक्सप्रेस, 1981 :- कॉलेज के प्राचार्यो एवं अधिकारियों पर शिक्षकों के शोषण का ओराप, रांची, 13 जुलाई।
11. रांची एक्सप्रेस, 1981 :- कॉलेजो शिक्षकों के शोषण की निन्दा, रांची, 23 जुलाई।
12. रांची एक्सप्रेस, 1981 :- प्रलोभन द्वारा धर्मान्तरण निन्दनीय, रांची, 23 जुलाई।
13. रांची एक्सप्रेस, 1981 :- आदिवासियों का अन्तहीन शोषण, सेवा के कुछ प्रयास, रांची, 10 अक्टूबर।
14. रांची एक्सप्रेस, 1981 :- दो किलो अनाज के बदले सीने में गोली, रांची, 28 नवम्बर।
15. रांची एक्सप्रेस, 1981 :- विमुक्त बंधुवा मजदूरों को पुर्नवास, रांची, 18 दिसंबर।
16. रांची एक्सप्रेस, 1982 :- पालामू में सुदखोरों द्वारा ग्रामीणों का शोषण, रांची, 26 अप्रैल।
17. रांची एक्सप्रेस, 1984 :- शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में नामांकन में धांधली, रांची, 25 जुलाई।
18. रांची एक्सप्रेस, 1985 :- अनुदान की राशि नहीं मिली लेकिन रकम वसूली प्रक्रिया शुरू, रांची, 1 नवम्बर।
19. रांची एक्सप्रेस, 1985 :- मजदूरों से कहीं अधिक पत्रकारों का शोषण, रांची, 4 नवम्बर।
20. रांची एक्सप्रेस, 1985 :- निकले थे मजदूरी की तलाश में रेलवे पुलिस ने लूट लिया, रांची, 12 दिसंबर।
21. अभिनव, 1984 :- बंधुवा मजदूर, इंसानों की तरह कब जियेंगे, पटना 16-31 जुलाई।
22. आज, 1980 :- जबरन मजदूरी कराने पर चार व्यक्ति दंडित, रांची, 20 जून।
23. आज, 1986 :- आदिवासी क्षेत्रों में हिंसा और शोषण की घटनाओं में वृद्धि, रांची, 12 अप्रैल।
24. छोटानागपुर संदेश, 1981 :- दासों की पहलीक खुलेआम बिक्री, रांची 16-22 जून।
25. धर्मयुग, 1981 :- अशांत इंदरवल्ली, विक्षुब्ध आदिवासी, बम्बई. 400001, 30 अगस्त से 5 सितम्बर
26. धर्मयुग, 1981 :- महाजन आदिवासियों का शोषण कैसे करते हैं, बंई, 30 अगस्त से 5 सितम्बर।
27. धर्मयुग, 1981 :- आखिर आदिवासी लोग कहाँ जाएँ।
28. धर्मयुग, 1983 :- आदिवासी घास के बीजों पर गुजारा कर रहे हैं, बम्बई 9-15 जनवरी।
29. प्रभात खबर, 1985 :- अब बंधुवा बाल मजदूर लापता किये जा रहे हैं, रांची, 14 दिसंबर।
30. रविवार, 1980 :- आदिवासियों की बिक्री जारी है, कलकत्ता 4 मई।
31. रविवार, 1980 :- पलामू, भूख का फैलता हुआ नरक, कलकत्ता 1 जून।
32. सिंहभूम में दमन, 1979 :- एकता प्रकाशन, चाईबासा, जून।
33. रविवार, 1981 :- बंधुवा मजदूरी की तरफ लौटते हुए लोग, कलकत्ता 19 जुलाई।
34. रविवार, 1981 :- क्या नैनीताल के पंजाबी भूस्वामी बेदखल किये जायेंगे, कलकत्ता, 19 जुलाई।
35. रविवार, 1981 :- बिहार में एक कबीले का जंगली राज है, करपुरीठाकुर, कलकत्ता, 25 अक्टूबर।
36. रविवार, 1981 :- चौकीदार का मासिक वेतन सिर्फ 100 रू0, कलकत्ता 29 नवम्बर।
37. रविवार, 1982 :- झारखंड की वास्तविक स्थिति क्या है, कलकत्ता, 9 मई।
38. रविवार, 1982.83 :- कहानी एक गैर सरकारी कन्या महाविद्यालय की कलकत्ता, 26 दिसंबर-1 जनवरी।
39. सिंहभूम एकता, 1981 :- मजदूरों का दूसरा भुगतान, गुटुसाई, चाईबासा, मई, वर्ष 4 अंक- 1 एवं 2

लेखक परिचय



सत्यनारायण मुण्डा का जन्म, पालन-पोषण तथा प्राथमिक स्तर की शिक्षा-दीक्षा जंगलों से घिरे आदिवासी गांव फतेहपुर (टुंगरीडीह) में हुआ। उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर इन्हें बुण्डू एवं रांची विश्वविद्यालय, रांची में प्राप्त हुआ। पचास से अधिक लेखों का प्रकाशन विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में हो चुका है। सम्प्रति विभागाध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग, रांची कालेज, रांची में कार्यरत हैं।

पुस्तक परिचय

प्रस्तुत पुस्तक जनजातियों (आदिवासियों) के शोषण के सम्बंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण है। पुस्तक पंच परगना क्षेत्र (रांची, झारखण्ड अर्थात पूर्व बिहार) की जनजातियों के अध्ययन पर आधारित है, जिससे झारखण्ड व पूरे भारतवर्ष में जनजातियों में शोषण एवं उनकी मनोस्थिति प्रतिबिम्बित होती है। प्रायः सरलतम समाज के लोग सरल सहज ढंग से परजीवियों, धूर्त, चालाक, दलाल एवं ठगों पर विश्वास कर लेते हैं और छले जाते हैं फलतः वह शोषित होते रहते हैं। तदैव अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक भूलों, लगाव की कमी, जमीन्दारी की भावना, बड़प्पन की भावना एवं सरकारी-गैर सरकारी प्रतिनिधियों का जनजातियों के सम्बंध में जानकारी की कमी एवं स्नेह रहित व्यवहार के कारण प्रत्यक्ष रूप से शोषण का वर्णन है। नीति निर्धारण में परिवर्तन एवं आज अनभिज्ञ एवं कमजोर जनप्रतिनिधियों की भूमिका तथा जनजातीय हित में दूरदर्शिता, पारदर्शिता के अभाव भी प्रत्यक्ष रूप से आदिवासियों के शोषण का संकेत हैं। पुस्तक में कार्यपालिका की लापरवाही एवं शक्तिशाली शोषकों द्वारा जनजातियों के शोषण का संकेत सन्निहित है। अन्ततः समस्याओं के समाधान हेतु आंशिक सुझाव भी दिये गए हैं।

पुस्तक प्रशासकों, शोधार्थियों एवं जिज्ञासुओं तथा विद्यार्थियों के लिये उपयोगी है।

के. के. पब्लिकेशन्स

618, कटरा, इलाहाबाद-211 002

फोन : 0532-6452973, 3202227

978-81-87568-35-3